

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रधान कार्यालय

सर्वे सं. 115/1, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट
नानकरामगुडा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032, भारत,
फोन: +91-40-20204000



यह रिपोर्ट बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट – विवरणी,
विवरण और अन्य ब्योरा प्रस्तुत करना) नियम, 2000 के अनुसार निर्धारित
फार्मेट के अनुरूप है।



पारगमन पत्र


संदर्भ सं. 101/10/ आर&डी/एसडीडी/एआर 2021-22/01/ नवंबर-22

28 नवम्बर, 2023

सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये, बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टियों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं।

भवदीय,

देबाशीष/पण्डा
अध्यक्ष

Letter of Transmittal

Ref. No. 101/12/R&D/IIDD/ AR 2022-23


28th November, 2023

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi-110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith the Annual Report of the Authority for the financial year ended March 31, 2023 in the Form as prescribed in the Appendix of IRDA (Annual Report-Furnishing of return, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,


Debasish Panda
Chairperson

मिशन विवरण	ix
प्राधिकरण के सदस्य	xi
आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी	xiii

भाग - I

नीतियाँ और कार्यक्रम

1.1 सामान्य आर्थिक परिवेश की समीक्षा	1
1.2 बीमा बाज़ार का मूल्यांकन	3
1.3 प्राधिकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या और विवरण	22
1.4 बीमा बाजार को विकसित करने के लिए नीतियाँ और उपाय	23
1.5 बीमाकर्ताओं द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ	28
1.6 समीक्षा:	30
1.6.1 पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण	30
1.6.2 बीमाकर्ताओं के शोधन क्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण	31
1.6.3 पुनर्बीमा की निगरानी	32
1.6.4 बीमाकर्ताओं के निवेश की निगरानी	35
1.6.5 स्वास्थ्य बीमा	38
1.6.6 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले व्यवसाय का विनिर्दिष्ट प्रतिशत	46
1.6.7 लेखा और बीमांकिक मानक	47
1.6.8 प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश और विनियम	47
1.6.9 प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ और कार्य	48
1.6.10 बीमा बाजार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने वाली अन्य नीतियाँ और कार्यक्रम	48

भाग - II

कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन	55
II.2 बीमा एजेंट और बीमा व्यवसाय से संबद्ध मध्यवर्ती	59
II.3 बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान	69
II.4 वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय	70
II.5 बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग	71
II.6 सार्वजनिक शिकायतें	74
II.7 सलाहकार समिति की कार्यपद्धति	76
II.8 लोकपाल की कार्यपद्धति	76
II.9 बीमा संघ और बीमा परिषदें	77
II.10 बीमा बाजार से संबंधित अन्य गतिविधियाँ	78



भाग - III**प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य**

III.1	आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन	81
III.2	पालिसी के समनुदेशन, पालिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे का निपटान, पालिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण	81
III.3	मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण-संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना	82
III.4	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण-संहिता विनिर्दिष्ट करना	82
III.5	बीमा व्यवसाय के संचालन में दक्षता का संवर्धन	85
III.6	बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना	90
III.7	अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही	91
III.8	बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना	91
III.9	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा, 64यू के अधीन प्रशुल्क परामर्शदात्री समिति के द्वारा इतना नियंत्रित और विनियमित नहीं किये जानेवाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन	94
III.10	उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे।	94
III.11	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन	94
III.12	शोधन क्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमन	96
III.13	बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन	97
III.14	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना	97

भाग - IV**संगठनात्मक विषय**

IV.1	संगठन	101
IV.2	मानव संसाधन	102
IV.3	राजभाषा का प्रचार	106
IV.4	सूचना प्रौद्योगिकी	108
IV.5	लेखा	108
IV.6	स्वीकृतियाँ	109

बॉक्स मर्दे

I.1	जीवन बीमा में महिलाओं की सहभागिता	7
I.2	उपयोग और फाइल (यू एंड एफ) - उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया का सरलीकरण	20
I.3	प्रतिभू बीमा	26
I.4	इंश्योरटेक पहल	27
III.1	भारतीय बीमा क्षेत्र में सुधार और विनियामक पहल	83
III.2	राज्य बीमा योजना	84
III.3	भविष्य के लिए तैयार बीमा व्यवसाय की ओर कार्य करना	89

सारणी

I.1	भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान।	1
I.2	आर्थिक गतिविधि द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का अनुमान	1
I.3	घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत	3
I.4	2022 में विश्व में क्षेत्र के अनुसार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि	3
I.5	2022 में विश्व में क्षेत्र के अनुसार प्रीमियम की मात्रा	4
I.6	जीवन बीमा व्यवसाय का प्रदर्शन	9
I.7	जीवन बीमाकर्ताओं के वित्तीय प्रदर्शन संकेतक	10
I.8	जीवन बीमाकर्ताओं के मृत्यु दावे	11
I.9	साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का प्रदर्शन	14
I.10	साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का वित्तीय प्रदर्शन	15
I.11	साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का खंड-वार किए गए दावों का अनुपात	17
I.12	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय	21
I.13	साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का कार्यालय	22
I.14	पंजीकृत बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या	22
I.15	जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों (यूएफबीपी) संबंधी शिकायतें	30
I.16	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण	32
I.17	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा स्थानन	32
I.18	जीवन बीमाकर्ताओं का निवेश: श्रेणी-वार	36
I.19	साधारण, स्वास्थ्य, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं का निवेश: श्रेणीवार	36
I.20	बीमा व्यवसाय का निवेश	37
I.21	जीवन बीमाकर्ताओं का निवेश: फंड -वार (31 मार्च तक)	37
I.22	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	38
I.23	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पॉलिसियां, आच्छादित जीवन और प्रीमियम	39
I.24	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात	40
I.25	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के तहत अदा किये गये दावे (2022-23)	42
I.26	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (2022-23)	42





I.27	जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पॉलिसियां, आच्छादित जीवन और प्रीमियम	43
I.28	जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (2022-23)	43
I.29	वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के तहत व्यवसाय	44
I.30	सरकार द्वारा प्रायोजित वैयक्तिक दुर्घटना योजनाओं की व्याप्ति (2022-23)	44
I.31	विदेश यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	45
I.32	देशी यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	45
I.33	भारत के बाहर स्वास्थ्य, पीए, और यात्रा बीमा व्यवसाय जोखिम-अंकित प्रीमियम	45
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं से सम्बद्ध बीमा एजेंट	59
II.2	31 मार्च 2023 तक जीवन बीमाकर्ताओं से सम्बद्ध एजेंटों का लिंग-वार वितरण	59
II.3	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं से सम्बद्ध बीमा एजेंट	60
II.4	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं से जुड़े बीमा एजेंटों का लिंगवार वितरण (2022-23)	60
II.5	बीमा व्यवसाय से सम्बद्ध कॉर्पोरेट एजेंट (31 मार्च, 2023 तक)	61
II.6	जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का प्रदर्शन (2022-23)	61
II.7	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट	62
II.8	जारी की गई सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों की संख्या	62
II.9	आईएमएफ का व्यावसायिक प्रदर्शन	63
II.10	विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों के पास पीओएसपी की संख्या	63
II.11	विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों के पास एमआईएसपी की संख्या	64
II.12	आईएसएनपी आवेदनों की संख्या	64
II.13	जारी किए गए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस	65
II.14	जीवन बीमा में मध्यस्थों का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन (2022-23)	66
II.15	साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन (2022-23)	68
II.16	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर) (2022-23)	69
II.17	2022-23 के दौरान दर्ज मामलों का विवरण	71
II.18	2022-23 की अवधि के लिए निपटाए/खारिज किए गए मामलों का विवरण	71
II.19	बीमा भरोसा पोर्टल के अनुसार शिकायतों की स्थिति	75
II.20	डीएआरपीजी पोर्टल में पंजीकृत और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें	76
II.21	शिकायतों का लंबित स्थिति	76
III.1	ऑनसाइट निरीक्षण का विवरण	92
III.2	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रवर्तन और अनुपालन विभाग द्वारा संपन्न ऑन-साइट और दूरस्थ निरीक्षण रिपोर्ट	93
III.3	टिप्पणियों पर की गई विनियामक कार्यवाही का विवरण	93
IV.1	31 मार्च 2023 को प्राधिकरण की संरचना	101
IV.2	वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित प्राधिकरण की बैठकों का विवरण	102
IV.3	आईआरडीएआई में स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या	103
IV.4	आईआरडीएआई में श्रेणी-वार कर्मचारियों की संख्या	103
IV.5	आईआरडीएआई में कर्मचारियों का आयु-वार वितरण	103
IV.6	आईआरडीएआई में कर्मचारियों की ग्रेड-वार संख्या	103



चार्ट

I.1	2022-23 में वर्तमान मूल्य पर जीविए में क्षेत्रों प्रतिशत अंश	2
I.2	भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत	2
I.3	भारत में बीमा व्यापन का रुझान	4
I.4	भारत में बीमा सघनता	5
I.5	2022 में चुनिंदा देशों में बीमा व्यापन	5
I.6	2022 में चुनिंदा देशों में बीमा सघनता	5
I.7	सार्वजनिक बनाम निजी बीमाकर्ता	7
I.8	जीवन बीमा क्षेत्र का प्रदर्शन	12
I.9	जीवन बीमा प्रीमियम में खंडवार अंश	12
I.10	जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम	12
I.11	जीवन बीमाकर्ताओं का कर पश्चात लाभ	13
I.12	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभांश	13
I.13	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के भीतर जोखिम- अंकित किया गया प्रीमियम	18
I.14	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के प्रीमियम का खंडवार हिस्सा	18
I.15	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का परिचालन व्यय	19
I.16	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे	19
I.17	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण	22
I.18	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण	22
I.19	एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम	34
I.20	स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में क्षेत्र-वार हिस्सेदारी (2022-23)	38
I.21	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में रुझान (पीए और यात्रा बीमा को छोड़कर)	39
I.22	पीए और यात्रा को छोड़कर स्वास्थ्य बीमा (2022-23) के तहत कवर किए गए जीवन (लाखों में) और प्रीमियम (करोड़ में)	39
I.23	कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 2022-23 में शीर्ष 5 राज्यों की हिस्सेदारी	40
I.24	स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत शुद्ध व्यय दावे	40
I.25	स्वास्थ्य बीमा के तहत व्यय दावा अनुपात में रुझान: क्षेत्रवार	41
I.26	स्वास्थ्य बीमा के तहत व्यय दावा अनुपात में रुझान: खंड के अनुसार	41
I.27	जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	42
II.1	जीवन बीमा व्यवसाय में चैनल-वार व्यक्तिगत नए व्यवसाय का प्रदर्शन	67
II.2	जीवन बीमा व्यवसाय में चैनल-वार सामूहिक नया व्यवसाय प्रदर्शन	67
II.3	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का चैनल-वार प्रदर्शन (2022-23)	68
II.4	सामान्य बीमा व्यवसाय का चैनल-वार प्रदर्शन (2022-23)	68
II.5	सामान्य बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	75
II.6	साधारण बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	75
IV.1	आईआरडीएआई में कर्मचारियों का ग्रेड-वार वितरण (2022-23)	104



विवरण

1	बीमा प्रवेश की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	113
2	बीमा सघनता की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	114
3	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम	115
4	जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध एवं असंबद्ध प्रीमियम	116
5	जीवन बीमाकर्ताओं का खंड-वार कुल प्रीमियम	117
6	जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	118
7	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)	119
8	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर)	120
9	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	122
10	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात (भारत के अंदर)	123
11	जीवन बीमाकर्ताओं का शोधनक्षमता अनुपात	125
12	साधारण, स्वास्थ्य, विशेषीकृत और पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधनक्षमता अनुपात	126
13	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की शोधन क्षमता की स्थिति	127
14	एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम	128
15	एफआरबी की समुनदेशित पूँजी	129
16	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)	130
17	साधारण, स्वास्थ्य, विशेषीकृत और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)	133

अनुबंध

1	भारत में कार्यरत पंजीकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची	137
2	(i) भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह में सदस्यों का अंश	139
	(ii) भारतीय नाभिकीय बीमा समूह में सदस्यों का अंश	140
	(iii) समुद्री कार्गो बहिष्कृत क्षेत्र समूह (एमसीईटी पूल)	141
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर टीपी दायित्वों का परिकलन करने के लिए आँकड़ा	142
4	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश	143
5	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश	147
6	31 मार्च, 2023 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम	152
7	2022-23 के दौरान आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित उत्पादों और राईडर्स की संख्या	153
8	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची	154
9	बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों के लिए शुल्क संरचना और 2022-23 में एकत्रित शुल्क	
	(i) भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (आईएएलएम) - 2012-14	155
	(ii) भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु तालिका (2012-15) समग्र/संयुक्त मृत्यु - दरें	156

संक्षिप्ताक्षर

एफआईआर	:	एशियाई बीमा विनियामक मंच
एएमएल	:	धन-शोधन निवारण
एसएसओसीएचएम	:	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
सीएडी	:	उपभोक्ता कार्य विभाग
सीबीआर	:	सीमापार पुनर्बीमाकर्ता
सीएफटी	:	आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना
सीआईआई	:	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीओआर	:	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीआईओ	:	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीएससी	:	सामान्य लोक सेवा केन्द्र
सीएससी	:	सामान्य सेवा केन्द्र
डीएआरपीजी	:	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
डीसीएफ	:	जिला उपभोक्ता मंच
डीएफएस	:	वित्तीय सेवाएँ विभाग
एफएए	:	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
एफएटीएफ	:	वित्तीय कार्यवाही कार्य बल
फिक्की	:	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
एफआईयू-आईएनडी	:	वित्तीय आसूचना इकाई - भारत
एफआरबी	:	विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा
एफआरएन	:	फाइलिंग संदर्भ संख्या
एफएसबी	:	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफओएफ	:	निधियों का कोष
जी.डी.पी	:	सकल घरेलू उत्पाद
जीएनडीआई	:	सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
जीवीए	:	सकल मूल्य वर्धित
एचओडी	:	विभाग के प्रमुख
आईएसी	:	बीमा सलाहकार समिति
आईआईएस	:	अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ
आईसीआर	:	उपगत दावा अनुपात
आईएफआरएस	:	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईजीसीसी	:	आईआरडीआई शिकायत कॉल सेंटर
आईजीएमएस	:	समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली
आईआईबी	:	भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो
आईआईआईएसएल ए	:	भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान
आईआईआरएम	:	बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान
आइएमसीसी	:	अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति
आईएमएफ	:	बीमा विपणन कंपनियाँ
आईएनएफई	:	वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क
आईआरसीटीसी	:	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम
आईआरडीआई	:	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईएसएनपी	:	बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म
आईएनवीआईटी	:	इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स





केएमपी	:	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
केवाईसी	:	अपने ग्राहक को जानिए
एलपीए	:	लेटर पेटेंट अपीलें
एमएसीटी	:	मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
एमएफआई	:	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमआईएसपी	:	मोटर बीमा सेवा प्रदाता
एमओआरटीएच	:	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एनबीएफसी	:	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीडीआरसी	:	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
एनजीओ	:	गैर सरकारी संगठन
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनएसओ	:	राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन
ओईसीडी	:	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएमओपी	:	एक और विकल्प योजना
पीएम-जेएवाय	:	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पीएमएफबीवाई	:	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमजेडीवाई	:	प्रधानमंत्री जनधन योजना
पीएमजेजेबीवाई	:	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमएलए	:	धन शोधन निवारण अधिनियम
पीएमएसबीवाई	:	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमवीवीवाई	:	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
पीओएसपी	:	बिक्री केन्द्र विक्रेता
पीएसयू	:	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
आरएपी	:	ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति
आरबीआई	:	भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीएसएफ	:	जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचा
आरबीसी	:	जोखिम आधारित पूंजी
आरईआईटी	:	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट
आरएसएम	:	अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन
आरटीआई	:	सूचना का अधिकार
एसएएचआई	:	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता
एससीडीआरसी	:	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
सेबी	:	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसएचजी	:	स्वयं सहायता समूह
एसएलए	:	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक
एसपीवी	:	विशेष प्रयोजन माध्यम
टीओएलआईसी	:	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीपीए	:	अन्य पक्ष प्रबंधक
यूएफबीपी	:	अनुचित व्यवसाय पद्धतियाँ/प्रथाएँ
यूएलआईपी	:	यूनिट सहबद्ध उत्पाद
यूएसडी	:	अमरीकी डालर
वीएलई	:	ग्राम स्तरीय उद्यमी

मिशन विवरण

- पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना तथा उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना;
- आम आदमी के हित के लिए बीमा उद्योग (वार्षिकी और अधिवर्षिता संबंधी भुगतानों सहित) की त्वरित और व्यवस्थित संवृद्धि करना, तथा अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की गति बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक निधियाँ उपलब्ध कराना;
- प्राधिकरण जिनका विनियमन करता है, उनकी सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता, उचित व्यवहार और सक्षमता के उच्च मानकों का निर्धारण, संवर्धन, निगरानी और प्रवर्तन करना;
- वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा संबंधी धोखाधड़ियों और अन्य अनाचारों की रोकथाम करना तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना;
- बीमे के साथ संबंध रखनेवाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्यसंचालन को बढ़ावा देना तथा बाजार के खिलाड़ियों में वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानक लागू करने के लिए एक विश्वसनीय प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण करना;
- जहाँ ऐसे मानक अपर्याप्त हैं अथवा अप्रभावी ढंग से लागू किये गये हैं वहाँ कार्रवाई करना;
- विवेकपूर्ण विनियमन की अपेक्षाओं के अनुरूप उद्योग के दैनंदिन कार्यचालन में इष्टतम परिमाण में स्व-विनियमन उत्पन्न करना।



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण प्राधिकरण के सदस्य

अध्यक्ष

श्री देबाशीष पण्डा

पूर्णकालिक सदस्य

सुश्री टी. एल. अलामेलु
(06.05.2022 तक)

श्री के. गणेश
(30.07.2022 तक)

श्री प्रमोद कुमार अरोरा

सुश्री एस. एन. राजेस्वरी

श्री राकेश जोशी

श्री थॉमस देवसिया
(19.09.2022 से)

श्री बी. सी. पटनायक
(01.05.2023 से)

अंशकालिक सदस्य

श्री अमित अग्रवाल
(03.07.2022 तक)

श्री सुचिन्द्र मिश्रा
(04.07.2022 से 28.06.2023 तक)

श्री मारुति प्रसाद तंगिरला
(28.06.2023 से)

सीए (डॉ.) देबाशीष मित्रा
(11.02.2023 तक)

सीए अनिकेत सुनील तलाटी
(12.02.2023 से)

आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी (31 मार्च 2023 तक)

कार्यकारी निदेशक

श्री सुरेश माथुर

आईआईआरएम,
हैदराबाद में प्रतिनियुक्ति पर

श्री रणदीप सिंह जगपाल

पॉलिसीधारक सुरक्षा एवं
शिकायत निवारण

डॉ. ममता सूरी

प्रवर्तन और अनुपालन, वित्त और निवेश,
आंतरिक लेखा परीक्षा

श्रीमती जे. मीना कुमारी

जीवन

मुख्य महाप्रबंधक

श्री ए. आर. निथियानन्थम

विधि

श्रीमती यज्ञ प्रिया भरत

स्वास्थ्य

श्री एस. एन. जयसिम्हन

आर्थिक एवं नीति विश्लेषण एवं अनुसंधान

श्री ए. रमण राव

गैर-जीवन

श्री श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती

बीमांकिक

श्री राज कुमार शर्मा

सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर

श्री डी. वी. एस. रमेश

बीमा समावेशन और विकास

श्री जी. आर. सूर्यकुमार

पर्यवेक्षण

श्री पी. एस. जगन्नाथम्

सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन

श्रीमती अनिता जोस्युला

मध्यवर्ती

महाप्रबंधक

श्री टी. एस. नाइक,

जीवन

श्री ए. वेंकटेश्वर राव

पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण

श्री प्रभात कुमार मैती

बीमांकिक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती के. जी. पी. एल. रमादेवी

सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन

श्री सुदीप्त भट्टाचार्य

मध्यवर्ती

श्री एम. एस. जयकुमार

पर्यवेक्षण

श्री के. महिपाल रेड्डी

मध्यवर्ती

श्री टी. वेंकटेश्वर राव

प्रवर्तन और अनुपालन, आंतरिक लेखा परीक्षा

श्री पंकज कुमार तिवारी

स्वास्थ्य

श्री अम्मू वेंकट रमण

वित्त और निवेश

श्री सी. श्रीनिवास कुमार

बीमांकिक

श्री एन. एस. के. प्रभाकर

जीवन

श्री मनोज कुमार

वित्त और निवेश

श्री महेश अग्रवाल

वित्त और निवेश

श्री शार्दुल अदमाने

पुनर्बीमा

श्रीमती बी. पद्मजा

अध्यक्ष सचिवालय और बोर्ड सचिवालय

श्री डी. एस. मूर्ति

गैर-जीवन

श्री दीपक खन्ना

सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन

श्री दीपक गायकवाड

मध्यवर्ती

श्री प्रसाद राव कलयरु

विधि

श्री सुरेश नायर

गैर-जीवन

श्रीमती निमीषा श्रीवास्तव

बीमा समावेशन और विकास

श्रीमती आर. उमा महेश्वरी

मध्यवर्ती

श्रीमती लता सी

आर्थिक और नीति विश्लेषण और अनुसंधान

वार्षिक रिपोर्ट टीम

श्री डी. वी. एस. रमेश

मुख्य महाप्रबंधक

श्रीमती निमीषा श्रीवास्तव

महाप्रबंधक

श्री एम. एन. मुंशी

उप महाप्रबंधक

श्री डि एस मुरली मोहन

प्रबंधक

श्री रूपेश ढिंडे

प्रबंधक

श्रीमती अरुंधति चक्रवर्ती

सहायक प्रबंधक

श्री प्रणव वी

सहायक प्रबंधक

श्री रवि रंजन

सहायक प्रबंधक

I



नीतियाँ और कार्यक्रम



भाग I: नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश की समीक्षा

I.1.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 के लिए दर्ज रु. 234.71 लाख करोड़ के मुकाबले वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) रु. 272.41 लाख करोड़ पर अनुमानित है जो 16.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शा रहा है। वर्तमान कीमतों पर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) 2021-22 के दौरान दर्ज रु. 236.06 लाख करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान 273.36 लाख करोड़ पर अनुमानित है जो 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी 2021-22 में दर्ज रु. 1,71,498 की तुलना में 2022-23 के दौरान रु. 1,96,983 है जो 14.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय 2021-22 के रु. 1,04,811 से बढ़कर 2022-23 में रु. 1,19,277 हो गया है जो 13.8 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करता है।

I.1.2 आधार कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) द्वारा मापी गई समग्र आपूर्ति 2021-22 में 17.9 प्रतिशत विस्तारण को दर्ज करने के बाद 2022-23 में 15.4 प्रतिशत बढ़ी।

सारणी I.1: भारत के राष्ट्रीय आय अनुमान

(वर्तमान कीमतों पर)

मद	2021-22*	2022-23#	वृद्धि (%)	
			2021-22	2022-23
मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) (रु लाख करोड़)	214.39	247.43	17.9	15.4
सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) (रु लाख करोड़)	234.71	272.41	18.4	16.1
सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) (रु लाख करोड़)	236.07	273.36	17.4	15.8
प्रति व्यक्ति जीडीपी (रु)	1,71,498	1,96,983	17.2	14.9
प्रति व्यक्ति जीएनडीआई (रु)	1,72,490	1,97,676	16.2	14.6
प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) (रु)	1,04,811	1,19,277	16.9	13.8

*प्रथम संशोधित अनुमान; # अनंतिम अनुमान
स्रोत: एनएसओ, प्रेस नोट दिनांक 31 मई, 2023


सारणी I.2: आर्थिक गतिविधि द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का अनुमान

(वर्तमान कीमतों पर) (रु लाख करोड़)

व्यवसाय	2021-22*	2022-23#	वृद्धि (%)	
			2021-22	2022-23
I. कृषि, वानिकी और मत्स्य-ग्रहण	40.67	45.58	10.0	12.1
II. व्यवसाय				
खनन एवं उत्खनन	4.29	5.84	35.8	35.9
विनिर्माण	33.97	36.36	21.3	7.0
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं	5.56	7.42	10.9	33.5
III. सेवाएं				
निर्माण	17.38	20.28	29.3	16.7
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	36.12	44.48	25.8	23.1
वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	46.12	53.00	14.3	14.9
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	30.29	34.48	15.4	13.8
मूल कीमतों पर जीवीए	214.39	247.43	17.9	15.4

*पहला संशोधित अनुमान; # अनंतिम अनुमान;
स्रोत: एनएसओ, प्रेस नोट दिनांक 31 मई, 2023।

चार्ट 1.1: 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर जीवीए में क्षेत्रों प्रतिशत अंश




1.1.3 सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के प्रतिशत के रूप में सकल देशी बचत की दर पिछले वर्ष के 28.4 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 30 प्रतिशत हो गई, जो सामान्य सरकारी क्षेत्र में निम्नतर ऋणात्मक बचत (डिस-सेविंग) के अगुवाई के कारण हुआ, जिसने घरेलू बचत में गिरावट की भरपाई की।

के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत - 2021-22 में जीएनडीआई घटकर 7.6 प्रतिशत रह गया। भारत में घरेलू वित्तीय बचत में संयमन अवरुद्ध मांग के जारी होने और एहतियाती बचत में संबंधित गिरावट को दर्शाती है क्योंकि 2021-22 में आय प्रवाह से संबंधित चिंताएं कम हो गई थीं।

घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत- घाटे वाले दो क्षेत्रों, अर्थात् सामान्य सरकारी क्षेत्र और गैर-वित्तीय निगमों के लिए निधियों

चार्ट 1.2 : भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत

(सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का प्रतिशत)



सारणी 1.3: घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का प्रतिशत)

मद	2020-21	2021-22
घरेलू क्षेत्र की बचत	22	19.6
i. निवल वित्तीय बचत (क - ख)	11.3	7.6
ii. भौतिक संपत्ति में बचत	10.5	11.7
iii. क्रीमती सामान के रूप में बचत	0.2	0.3
क. सकल वित्तीय बचत जिसमें से	15.2	11
1. मुद्रा	1.9	1.1
2. जमा राशियाँ	6.2	3.5
3. शेयर और डिबेंचर	0.5	0.9
4. सरकार पर दावे	1.3	1.2
5. बीमा निधियाँ	2.8	1.9
6. भविष्य और पेंशन निधियाँ	2.4	2.4
ख. वित्तीय देयताएँ	3.9	3.4

स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 (सारणी II.2.2)

1.2 बीमा बाज़ार का मूल्यांकन

1.2.1 वैश्विक बीमा बाजार का मूल्यांकन

1.2.1.1 स्विस् आरई सिग्मा रिपोर्ट (सं. 03/2023) के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी जारी है और मुद्रास्फीति एक प्राथमिक वैश्विक व्यापक आर्थिक चिंता बनी हुई है। ऐसी चुनौतियों के बावजूद, 2023 में बीमा उद्योग के लचीले रहने की उम्मीद है क्योंकि वर्ष के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

1.2.1.2 स्विस् आरई ने जीवन बीमा के लिए वैश्विक प्रीमियम में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि की 10 वर्ष की प्रवृत्ति की तुलना में 2023 में वास्तविक रूप से 0.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण बड़े स्तर पर पॉलिसी अभ्यर्पण से क्षेत्र की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

1.2.1.3 जबकि, 2023 में गैर-जीवन बीमा के लिए वैश्विक बीमा प्रीमियम में वास्तविक रूप से 1.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। गैर-जीवन क्षेत्र के भीतर, मोटर बीमा खंड में 2023 में वास्तविक रूप में वैश्विक प्रीमियम में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 0.6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।

1.2.1.4 कुल मिलाकर, वास्तविक रूप से वैश्विक बीमा

प्रीमियम मात्रा (गैर-जीवन और जीवन) में 2023 में 1.1 प्रतिशत और 2024 में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो 10 वर्ष की प्रवृत्ति 2.6 प्रतिशत से कम है।

1.2.1.5 रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका 3 ट्रिलियन अमरीकी डालर के करीब कुल प्रीमियम के साथ सबसे बड़ा बीमा बाजार है और इसके बाद 698 बिलियन अमरीकी डालर की कुल प्रीमियम मात्रा के साथ चीन का स्थान है। यूनाइटेड किंगडम (363 बिलियन अमरीकी डालर), जापान (338 बिलियन अमरीकी डालर), और फ्रांस (261 बिलियन अमरीकी डालर) तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर सबसे बड़े बीमा बाजार हैं।

सारणी 1.4: 2022 में विश्व में क्षेत्र के अनुसार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	जीवन	गैर-जीवन	कुल
अग्रिम बाज़ार	-4.4	0.0	-1.8
उभरते बाजार	1.4	2.8	2.1
एशिया प्रशांत	-2.0	2.9	-0.1
भारत#	8.2	6.0	7.7
विश्व	-3.1	0.5	-1.1

स्रोत: स्विस् आरई सिग्मा वर्ल्ड इंड्योरेंस रिपोर्ट (सं. 03/2023)
#वित्तीय वर्ष 2022-23

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय बीमा

1.2.1.6 2022 में, भारत को 131 बिलियन अमरीकी डालर (वैश्विक बीमा प्रीमियम में 1.9 प्रतिशत अंश के साथ) की प्रीमियम मात्रा के साथ दुनिया में 10वें सबसे बड़े बीमा बाजार के रूप में स्थान दिया गया था और वर्ष 2032 तक छठा सबसे बड़ा बनने का अनुमान है क्योंकि भारत का बीमा बाजार दुनिया में सबसे तेजी से प्रगतिशील बीमा बाजारों में से एक है। भारत के लिए विकास का दृष्टिकोण मजबूत आर्थिक विकास, बढ़ती प्रयोज्य आय, युवा आबादी, बढ़ती जोखिम जागरूकता, डिजिटल व्यापन और विनियामक विकास पर आधारित है।

बीमा व्यापन और सघनता

1.2.1.7 बीमा व्यापन और सघनता दो ऐसे मानदंड हैं जिनका प्रयोग किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन करने के लिए, अन्य के बीच, प्रायः किया जाता है।

जबकि बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के तौर पर किया जाता है, बीमा सघनता का परिकलन जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के रूप में किया जाता है।

1.2.1.8 स्विस आरई सिग्मा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जीवन बीमा क्षेत्र की बीमा व्यापन 2021-22 में 3.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3 प्रतिशत हो गई है और इन दोनों वर्षों में गैर-जीवन बीमा क्षेत्र के लिए समान 1 प्रतिशत ही रहा। इस प्रकार, भारत की समग्र बीमा व्यापन 2021-22 के 4.2 प्रतिशत के स्तर से घटकर 2022-23 में 4 प्रतिशत हो गई।

1.2.1.9 2022-23 में जीवन बीमा सघनता 2021-22 में विद्यमान 69 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 70 अमेरिकी डॉलर हो गई। जबकि, गैर-जीवन बीमा सघनता स्थिर रही।

2022-23 में, भारत में बीमा सघनता 2021-22 में विद्यमान 91 अमरीकी डालर से बढ़कर 2022-23 में 92 अमरीकी डालर हो गई।

1.2.1.10 स्विस आरई सिग्मा वर्ल्ड इंड्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक तौर पर जीवन खंड के लिए बीमा व्यापन और सघनता 2.8 प्रतिशत और 354 अमेरिकी डालर तथा गैर-जीवन खंड के लिए 4 प्रतिशत और 499 अमेरिकी डालर थी। समग्र बीमा व्यापन और सघनता 2022 में 6.8 प्रतिशत और 853 अमेरिकी डालर थी।

सारणी 1.5: 2022 में विश्व में क्षेत्र के अनुसार प्रीमियम की मात्रा

(बिलियन अमेरिकी डालर में)


क्षेत्र	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाज़ार	2,140.47 (38.93)	3,356.40 (61.07)	5,496.87 (100)
उभरते बाजार	672.56 (52.32)	612.80 (47.67)	1,285.35 (100)
एशिया- प्रशांत	1,032.81 (59.87)	692.16 (40.12)	1,724.97 (100)
भारत	99.50 (75.60)	31.53 (24.40)	131.60 (100)
विश्व	2,813.03 (41.47)	3,969.20 (58.52)	6,782.23 (100)

स्रोत: स्विस आरई सिग्मा वर्ल्ड इंड्योरेंस रिपोर्ट (सं. 03/2023)
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं

चयनित देशों में बीमा व्यापन की स्थिति स्विस आरई सिग्मा वर्ल्ड इंड्योरेंस रिपोर्ट से विवरण 1 और विवरण 2 में उद्धृत की गई है।


भारत के बीमा व्यापन और बीमा सघनता की दीर्घकालिक प्रवृत्ति चार्ट 1.3 और 1.4 में प्रस्तुत है। दुनिया भर के चयनित देशों में व्यापन और सघनता की प्रवृत्ति को चार्ट 1.5 और 1.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: भारत में बीमा प्रवेश की प्रवृत्ति




स्रोत: स्विस रे, सिग्मा वर्ल्ड इंड्योरेंस रिपोर्ट, विभिन्न मुद्दे (प्रवेश - प्रतिशत में)

चार्ट 1.4: भारत में बीमा घनत्व




स्रोत: स्विस री सिग्मा वर्ल्ड इंश्योरेंस रिपोर्ट, विभिन्न मुद्दे (घनत्व यूएसडी में)

चार्ट 1.5: 2022 में चुनिंदा देशों में बीमा व्यापन



डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है
 नोट: बीमा प्रवेश को प्रतिशत के रूप में मापा जाता है सकल घरेलू उत्पाद के लिए बीमा प्रीमियम

चार्ट 1.6: 2022 में चुनिंदा देशों में बीमा सघनता



डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है
 नोट: बीमा घनत्व को बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में मापा जाता है जनसंख्या के लिए
 स्रोत: स्विस रे सिग्मा वर्ल्ड इंश्योरेंस रिपोर्ट (संख्या 03/2023)

1.2.2 भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन

जीवन बीमा क्षेत्र का व्यवसाय कार्यनिष्पादन

1.2.2.1 भारत में जीवन बीमा बाजार में पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रीमियम वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 के दौरान, जीवन बीमा उद्योग ने 12.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 7.83 लाख करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की है। निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ता ने प्रीमियम में 16.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ता ने प्रीमियम में 10.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

1.2.2.2 2022-23 में नवीकरण प्रीमियम जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिमांकित किए गए कुल प्रीमियम का अधिकांश योगदान 52.56 प्रतिशत करना जारी रखा गया। शेष 47.44 प्रतिशत का अंशदान नए व्यवसाय प्रीमियम द्वारा किया गया। हालांकि, नवीकरण व्यवसाय की वृद्धि 8.88 प्रतिशत की तुलना में नए व्यवसाय प्रीमियम में 17.90 प्रतिशत अधिक वृद्धि रही। एकल प्रीमियम उत्पादों ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक प्रमुख भूमिका अदा करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने अपने कुल प्रीमियम के 40.65 प्रतिशत का अंशदान किया, जबकि निजी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए यह 22.20 प्रतिशत था। बीमाकर्ता-वार जीवन बीमा संग्रह प्रीमियम विवरण 3 में प्रस्तुत है। कुल जोखिमांकित प्रीमियम का विभाजन विवरण 4 में प्रस्तुत है।

1.2.2.3 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) भारत के बाहर जीवन बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करनेवाला एकमात्र बीमाकर्ता है और 2022-23 में उसने रु. 404.78 करोड़ का कुल प्रीमियम एकत्र किया है।

1.2.2.4 पारंपरिक उत्पादों ने 6.77 लाख करोड़ का अंशदान दिया, जो कुल प्रीमियम का 86.59 प्रतिशत था और यूलिप का अंश 13.41 प्रतिशत रहा। पारंपरिक उत्पादों से व्यवसाय में 14.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यूनिट लिंक्ड उत्पादों (यूलिप्स) के लिए भी यह 4.61 प्रतिशत रहा।

1.2.2.5 जीवन बीमा खंड कुल जीवन बीमा प्रीमियम का 77 प्रतिशत है, जिसके बाद लगभग 23 प्रतिशत तक पेंशन और

वार्षिकी खंड का स्थान है। विवरण 5 में एक विस्तृत ब्योरा दिया गया है।

1.2.2.6 2022-23 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने वैयक्तिक व्यवसाय के तहत 284.70 लाख नई पॉलिसियाँ जारी की, जिनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने 204.29 लाख पॉलिसियाँ (71.75 प्रतिशत) और निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 80.42 लाख पॉलिसियाँ (28.25 प्रतिशत) जारी की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 8.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने 5.94 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है और उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में जारी नई पॉलिसियों की संख्या में 2.21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।


जीवन बीमा में महिलाओं की सहभागिता

भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 49 प्रतिशत महिलाएँ हैं। देश की आर्थिक गतिविधियों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है और हर वर्ष बढ़ रहा है। जीवन बीमा कंपनियां महिला आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए आगे आ रही हैं और पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उपयुक्त उत्पाद समाधान पेश कर रही हैं।

जीवन बीमा व्यवसाय में महिलाओं की सहभागिता पर एक संक्षिप्त अध्ययन किया गया है। इस उद्देश्य के लिए केवल वैयक्तिक नए व्यवसाय के आँकड़ा - वर्ष 2022-23 के लिए पॉलिसियों की संख्या और प्रथम वर्ष के प्रीमियम पर विचार किया गया है।

- वर्ष 2022-23 में महिलाओं को जारी की गई पॉलिसियों की संख्या लगभग 97.38 लाख है, जो 2021-22 में 34.7 प्रतिशत के अंश के मुकाबले कुल 2.84 करोड़ पॉलिसियों का 34.20 प्रतिशत है।
- निजी जीवन बीमाकर्ताओं और सार्वजनिक बीमाकर्ताओं के बीच महिलाओं से संबंधित पॉलिसियों का अनुपात।

चार्ट 1.7: सार्वजनिक बनाम निजी बीमाकर्ता



वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 0.01% पॉलिसियाँ 'अन्य' लिंग श्रेणी में बेची गईं।

15 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में, बेची गई कुल पॉलिसियों में महिलाओं द्वारा खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या का संख्या अखिल भारतीय औसत के 34.20 प्रतिशत से अधिक है।

शीर्षस्थ 5 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	
राज्य	राज्य में कुल पॉलिसियों में अंश (%)
कर्नाटक	44.23
केरल	43.96
मिजोरम	42.97
सिक्किम	42.60
मेघालय	41.81
निम्नतम 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
राज्य	राज्य में कुल पॉलिसियों में अंश (%)
गुजरात	29.59
उत्तर प्रदेश	29.53
जम्मू और कश्मीर	28.07
हरयाणा	27.16
लद्दाख	23.10

जीवन बीमा विपणन में महिलाओं की सहभागिता

जीवन बीमा व्यवसाय में 7.45 लाख महिलाएं एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, जो 31 मार्च, 2023 को कुल वैयक्तिक एजेंसी बल का 28.35 प्रतिशत है। व्यवसाय में महिला एजेंटों की कुल संख्या में से, निजी जीवन बीमाकर्ताओं का अंश 57.33 प्रतिशत और सार्वजनिक बीमाकर्ताओं का अंश 42.67 प्रतिशत है।

जीवन बीमाकर्ताओं का वित्तीय प्रदर्शन

1.2.2.7. 31 मार्च, 2023 तक, जीवन बीमा क्षेत्र की कुल प्रदत्त पूँजी ₹34,957 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.66 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाती है। यह कमी मुख्य रूप से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण के कारण उसकी प्रदत्त पूँजी में ₹1,850 करोड़ की कटौती के कारण था। तथापि, दस अन्य बीमाकर्ताओं ने जीवन बीमा उद्योग में अतिरिक्त ₹1,262 करोड़ का निवेश किया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल प्रदत्त पूँजी में ₹590 करोड़ की कमी आयी है।

वर्ष के दौरान, दो निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने अन्य प्रकार की पूँजी के तहत कुल ₹838 करोड़ की राशि जुटाई है और एक निजी बीमाकर्ता ने अन्य प्रकार की पूँजी के तहत ₹100 करोड़ जुटाए हैं। 31 मार्च 2023 को, जीवन बीमाकर्ताओं के पास अन्य प्रकार की पूँजी के रूप में कुल ₹4,932 करोड़ थे।

1.2.2.8 31 मार्च 2023 को पूंजीगत लाभ और जीवन बीमा उद्योग की अन्य आय सहित निवेश आय (पॉलिसीधारक और शेयरधारक की) 6.63 प्रतिशत घटकर ₹3.89 लाख करोड़ हो गई। वर्ष 2022-23 में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने 7.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, वहीं निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने निवेश आय में 39.86 प्रतिशत की गिरावट का अनुभव किया।

1.2.2.9 2022-23 के दौरान परिचालनरत 24 जीवन बीमा कंपनियों में से 17 कंपनियों ने लाभ दर्ज किया। जीवन बीमा उद्योग का लाभ 2021-22 के ₹7,751 करोड़ के मुकाबले ₹42,788 करोड़ कर के बाद लाभ (पीएटी) के साथ 2022-23 में 452 प्रतिशत बढ़ गया। सार्वजनिक क्षेत्र ने लाभ में 800 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की, जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने 2022-23 में लाभ में 72.36 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान

किया गया लाभांश ₹925.88 करोड़ है। सार्वजनिक क्षेत्र ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में ₹948.75 करोड़ का भुगतान किया।

1.2.2.10 आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2016 में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के प्रकार और स्वरूप, प्रीमियम भुगतान अवधि और बीमा व्यवसाय की अवधि को हिसाब में लेते हुए प्रबंधन-व्ययों की अनुमति-योग्य सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 24 जीवन बीमाकर्ताओं में से 18 उपरोक्त नियमों के अनुरूप थे। छह जीवन बीमाकर्ताओं ने समग्र आधार या खंड के आधार पर खर्च की सीमा को पार कर लिया था और उनके फोरबेयरेंस अनुरोध जांच के अधीन हैं।

2022-23 के दौरान जीवन बीमा उद्योग ने रु. 1.31 लाख करोड़ के प्रबंधन-व्ययों की सूचना दी है जो कुल प्रीमियम का 16.38 प्रतिशत है।

1.2.2.11 2022-23 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने कमीशन के रूप में कुल ₹42,322 करोड़ का भुगतान किया। कमीशन व्यय अनुपात (प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में कमीशन व्यय) 2022-23 के 5.18 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2022-23 में 5.41 प्रतिशत हो गये हैं। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान कुल कमीशन व्यय 17.93 प्रतिशत बढ़ा है (कुल प्रीमियम वृद्धि 12.98 प्रतिशत)।

1.2.2.12 जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में 2022-23 में रु. 89,443 करोड़ तक 25.21 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा जीवन बीमा उद्योग का परिचालन व्यय अनुपात (परिचालन व्यय जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में) 2021-22 में विद्यमान 10.31 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 11.43 प्रतिशत हो गया है।

सारणी I.6: जीवन बीमा व्यवसाय का प्रदर्शन

(रु करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2021 -22			2022-23		
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	व्यवसाय कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	व्यवसाय कुल
1	भारत के भीतर जोखिम-अंकित किया गया प्रीमियम						
1 (ए)	प्रथम वर्ष का प्रीमियम	36,649.35 (8.01)	73,943.39 (57.77)	1,10,592.74 (36.87)	39,089.94 (6.66)	70,834.75 (-4.20)	1,09,924.69 (-0.60)
1 (बी)	एकल प्रीमियम	1,62,282.83 (7.83)	41,992.25 (-11.41)	2,04,275.08 3.22	1,92,960.65 (18.9)	68,340.47 (62.75)	2,61,301.13 (27.92)
1 (सी)	नया कारोबार (वित्तीय वर्ष+एकल प्रीमियम)	1,98,932.18 (7.86)	1,15,935.64 (22.98)	3,14,867.82 (12.98)	2,32,050.60 (16.65)	1,39,175.22 (20.05)	3,71,225.82 (17.9)
1 (डी)	नवीकरण प्रीमियम	2,29,092.80 (4.68)	1,48,653.53 (13.33)	3,77,746.32 (7.92)	2,42,617.54 (5.9)	1,68,660.61 (13.46)	4,11,278.15 (8.88)
1 (इ)	कुल प्रीमियम (नया + नवीनीकरण)	4,28,024.97 (6.13)	2,64,589.17 (17.36)	6,92,614.14 (10.16)	4,74,668.14 (10.9)	3,07,835.83 (16.34)	7,82,503.97 (12.98)
2	प्रीमियम से भारत के बाहर (रु करोड़)	419.7	0	419.7	404.78	0	404.78
3	नया व्यक्ति नीतियां जारी की गईं (लाख में)	217.19 (-3.54)	73.94 (-3.38)	291.13 (-3.51)	204.24 (-5.96)	80.42 (8.77)	284.7 (-2.21)
4	सेगमेंट के लिहाज से प्रीमियम के अंतर्गत-लिखित (?करोड़)	संबद्ध	असंबद्ध	व्यवसाय कुल	संबद्ध	असंबद्ध	व्यवसाय कुल
4(ए)	वार्षिकी	-	27,855.71	27,855.71	-	33,637.33	33,637.33
4(बी)	स्वास्थ्य	163.64	634.04	797.68	146.6	594.58	741.18
4(सी)	ज़िंदगी	88,625.45	4,45,678.26	5,34,303.71	91,479.51	5,05,741.57	5,97,221.08
4(डी)	पेंशन	11,537.61	1,12,987.92	1,24,525.52	13,329.79	1,35,295.68	1,48,625.46
4(इ)	चर	-	5,131.51	5,131.51	-	2,278.91	2,278.91
4(एफ)	कुल	1,00,326.69	5,92,287.45	6,92,614.14	1,04,955.90	6,77,548.07	7,82,503.97
5	लाभ का भुगतान किया गया (रु करोड़)	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	व्यवसाय कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	व्यवसाय कुल
5(ए)	मृत्यु का दावा	35,720.29	25,101.57	60,821.86	23,423.34	18,034.00	41,457.34
5(बी)	परिपक्वता	2,05,526.54	34,129.53	2,39,656.07	1,85,043.90	27,941.45	2,12,985.34
5(सी)	समर्पण/वापसी	95,118.04	63,166.90	1,58,284.94	1,11,896.15	86,943.27	1,98,839.42
5(डी)	वार्षिकियां/पेंशन	16,257.21	1,990.77	18,247.97	17,892.71	2,803.55	20,696.26
5(इ)	अन्य	815.51	24,270.57	25,086.08	1,056.57	21,830.19	22,886.77
5(एफ)	कुल	3,53,437.58	1,48,659.34	5,02,096.92	3,39,312.67	1,57,552.46	4,96,865.13

नोट: 1. ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।
2. मृत्यु दावा पुनर्बीमा के दायरे में आता है

सारणी 1.7: जीवन बीमाकर्ताओं के वित्तीय प्रदर्शन संकेतक

क्र.सं.	चुकता पूंजी (करोड़ रु)	2021-22			2022-23		
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	व्यवसाय कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	व्यवसाय कुल
1(ए)	वित्तीय वर्ष की शुरुआत	100.00	28,246.37	28,346.37	6,325.00	29,221.75	35,546.75
1(बी)	वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,225.00	975.38	7,200.38	0.00	(-) 589.70	(-) 589.70
1(सी)	वित्तीय वर्ष की समाप्ति	6,325.00	29,221.75	35,546.75	6,325.00	28,632.05	34,957.05
2	कमीशन व्यय (और पुरस्कार) रु करोड़						
2(ए)	प्रथम वर्ष के कमीशन प्रतिशत में	9,730.97	8,088.84	17,819.80	10,791.81	11,175.84	21,967.65
2(बी)	एकल प्रीमियम पर कमीशन प्रतिशत में	26.55	10.94	16.11	27.61	15.78	19.98
2(सी)	नए व्यवसाय कमीशन पर पुरस्कार प्रतिशत में	490.27	829.73	1,320.01	514.77	1,085.84	1,600.6
2(डी)	प्रतिशत में	0.3	1.98	0.65	0.27	1.59	0.61
2(ई)	नया व्यवसाय कमीशन पर पुरस्कार प्रतिशत में	1,099.57	441.61	1,541.18	1,766.81	696.21	2,463.02
2(एफ)	कुल कमीशन (डी+ई) प्रतिशत में	0.55	0.38	0.49	0.76	0.5	0.66
2(एफ)	नवीकरण कमीशन प्रतिशत में	11,320.81	9,360.18	20,680.99	13,073.39	12,957.88	26,031.28
2(एफ)	प्रतिशत में	5.69	8.07	6.57	5.63	9.31	7.01
2(एफ)	कुल कमीशन (डी+ई) प्रतिशत में	11,850.65	3,355.68	15,206.33	12,506.97	3,783.67	16,290.65
2(एफ)	प्रतिशत में	5.17	2.26	4.03	5.16	2.24	3.96
2(एफ)	कुल कमीशन (डी+ई) प्रतिशत में	23,171.46	12,715.86	35,887.31	25,580.37	16,741.56	42,321.92
3	परिचालन व्यय (रु करोड़) प्रतिशत में	5.41	4.81	5.18	5.39	5.44	5.41
3	परिचालन व्यय (रु करोड़) प्रतिशत में	38,890.68	32,544.34	71,435.02	48,145.60	41,297.02	89,442.62
4	निवेश आय (रु करोड़) प्रतिशत में	9.09	14.44	10.31	10.14	13.42	11.43
4	निवेश आय (रु करोड़) प्रतिशत में	2,93,875	1,22,835	4,16,711	3,15,189	73,873	3,89,062
5	कर पश्चात लाभ (रु करोड़) प्रतिशत में	4,043	3,708	7,751	36,397	6,391	42,788
6	लाभांश भुगतान (रु करोड़) प्रतिशत में	0.00	381.53	381.53	948.75	925.88	1,874.63

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभ

1.2.2.13 जीवन बीमा उद्योग ने 2022-23 में रु. 4.96 लाख करोड़ के लाभों का भुगतान किया है जो जोखिम-अंकित शुद्ध प्रीमियम का 64.08 प्रतिशत है। 2022-23 में अभ्यर्पणों / प्रत्याहरणों के कारण अदा किये गये लाभ 25.62 प्रतिशत बढ़कर रु. 1.98 लाख करोड़ हो गए हैं जिनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता का अंश 56.27 प्रतिशत था। चालू वर्ष में, कुल अभ्यर्पण लाभों में से यूलिप पालिसियों का अंश निजी बीमाकर्ताओं के लिए 62.51 प्रतिशत रहा है तथा 1.56 प्रतिशत सार्वजनिक जीवन बीमाकर्ता के लिए है।

1.2.2.14 वैयक्तिक जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में, वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 10.76 लाख मृत्यु दावों में से, जीवन बीमा कंपनियों ने 10.60 लाख मृत्यु दावों का भुगतान किया, जिसकी कुल लाभ राशि ₹28,611 करोड़ थी। ₹1,026 करोड़ की राशि के लिए अस्वीकृत दावों की संख्या 10,822 थी और

₹24 करोड़ की राशि के लिए खारिज दावों की संख्या 4,340 थी। वर्ष के अंत में ₹350 करोड़ के 833 दावे लंबित थे। 31 मार्च, 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता का दावा निपटान अनुपात 98.52 प्रतिशत था, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 98.74% था। 2022-23 के दौरान निजी बीमाकर्ताओं का दावा निपटान अनुपात 98.02 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 98.11 प्रतिशत था। उद्योग का निपटान अनुपात 2021-22 के 98.64 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 98.45 प्रतिशत हो गया।

1.2.2.15 सामूहिक जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में, 2022-23 के दौरान कुल 12.48 लाख दावों में से, जीवन बीमा कंपनियों ने 99.35 प्रतिशत के निपटान अनुपात के साथ 12.40 लाख दावों का भुगतान किया। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने 98.97 प्रतिशत दावों का भुगतान किया, निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 99.41 प्रतिशत दावों का भुगतान किया।

सारणी 1.8: जीवन बीमाकर्ताओं के मृत्यु दावे


(रु करोड़)

खंड	विवरण	कुल दावे	अदा किये गये दावे	अस्वीकृत दावे	अदावी दावे	अस्वामिक दावे	अवधि के अंत में लंबित दावे
वैयक्तिक व्यवसाय:	पॉलिसियों की संख्या	10,76,467	10,59,776	10,822	4,340	696	833
	प्रतिशत में	100	98.45	1.01	0.40	0.06	0.08
	राशि का भुगतान (₹ करोड़)	30,216	28,611	1,026	24	206	350
	प्रतिशत में	100	94.69	3.39	0.08	0.68	1.16
सामूहिक व्यवसाय	जीवन बीमा पॉलिसियों की संख्या	12,48,378	12,40,247	3,183	849	13	4,086
	प्रतिशत में	100	99.35	0.25	0.07	0.001	0.33
	राशि का भुगतान (₹ करोड़)	17,769	17,178	393	23	2	174
	प्रतिशत में	100	96.67	2.21	0.13	0.01	0.98


अस्वीकृत दावे वे दावे हैं जिन पर पॉलिसी के नियमों और शर्तों के कारण विचार नहीं किया जा सकता है। अस्वीकार किए गए दावे वे दावे हैं जिन पर बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता है

चार्ट 1.8: जीवन बीमा क्षेत्र का प्रदर्शन


जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम (रु करोड़)




चार्ट 1.9: जीवन बीमा प्रीमियम में खंडवार हिस्सेदारी




चार्ट 1.10: जीवन बीमाकर्ताओं का नया बिजनेस प्रीमियम (रु करोड़)



चार्ट I.11: बीमाकर्ताओं का कर पश्चात लाभ (रु करोड़)



चार्ट I.12: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए लाभ (रु करोड़)



सारणी 1.9: साधारण स्वास्थ्य और विशिष्ट बीमाकर्ताओं का प्रदर्शन

(रु करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2021-22					2022-23				
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एस ए एच आई	विशेषीकृत बीमाकर्ता	व्यवसाय कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एस ए एच आई	विशेषीकृत बीमाकर्ता	व्यवसाय कुल
1	भारत के अंदर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	75,032.84 (4.44)	1,09,753.37 (11.99)	20,867.18 (32.45)	15,046.83 (14.73)	2,20,700.21	82,891.26 (10.47)	1,31,941.83 (20.22)	26,243.85 (25.77)	15,817.32 (5.12)	2,56,894.27 (16.4)
2	भारत के बाहर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	3,302.61	-	-	-	3,302.61	3,433.55	-	-	-	3,433.55
3	खंड-वार जोखिम-अंकित किया गया प्रीमियम (भारत के अंदर) (रु करोड़)										
3(ए)	अग्नि	8,514.95	13,036.08	NA	NA	21,551.03	8,889.69	15,046.44	NA	NA	23,936.12
3(बी)	मेरीन	1,834.43	2,333.18	NA	NA	4,167.61	2,155.49	2,903.17	NA	NA	5,058.66
3(सी)	मोटर	21,768.98	48,664.50	NA	NA	70,433.48	23,689.90	57,590.14	NA	NA	81,280.04
3(डी)	स्वास्थ्य (व्यक्तिगत दुर्घटना सहित)	35,374.27	24,260.83	20,867.18	NA	80,502.27	41,172.21	30,247.44	26,243.85	NA	97,663.50
3(इ)	अन्य	7,540.22	21,458.78	NA	15,046.83	44,045.82	6,983.97	26,154.66	NA	15,817.32	48,955.94
3(एफ)	कुल	75,032.84	1,09,753.37	20,867.18	15,046.83	2,20,700.21	82,891.26	1,31,941.83	26,243.85	15,817.32	2,56,894.27
4	जारी की गई नई पॉलिसियां (लाख में),	631.93 (7.65)	1,423.53 (13)	125.94 (19.47)	475.3 (13.73)	2,656.7 (7.68)	603.74 (-4.46)	1,699.84 (19.41)	138.26 (9.78)	576.26 (21.24)	3,018.1 (13.6)
5	शुद्ध उपगत दावा	67,986.46	52,713.97	12,7818.95	7,146.94	1,40,565.96	70,643.49	60,201.57	12,787.28	5,680.40	1,49,312.74

नोट: ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं

सारणी I.10: साधारण, स्वास्थ्य और विशिष्ट बीमाकर्ताओं का वित्तीय प्रदर्शन

(रु करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2021-22					2022-23						
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एस ए एच आई	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एस ए एच आई	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल		
1	प्रदत्त पूंजी												
	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में	13,724.00	11,493.19	4,235.06	3,390.00	32,842.24	18,724.00	10,341.76	4,639.33	4,150.00	37,855.09		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,000.00	1,151.43	4.427	760.00	5,012.84	0	1,691.43	440.77	388	2,520.20		
	वित्तीय वर्ष का अंत	18,724.00	10,341.76	4,639.33	4,150.00	37,855.09	18,724.00	12,033.19	5,080.10	4,538.00	40,375.29		
2	कमीशन व्यय												
2(ए)	अग्नि	990.04	1,171.05	NA	NA	2,161.09	1,051.91	1,322.54	NA	NA	2,374.45		
2(बी)	मेरीन	179.27	256.61	NA	NA	435.88	193.4	324	NA	NA	517.4		
2(सी)	मोटर	1,940.11	4,053.25	NA	NA	5,993.36	2,355.06	4,890.36	NA	NA	7,245.42		
2(डी)	स्वास्थ्य	1,890.39	2,117.16	2,758.69	NA	6,766.24	1,958.56	2,732.89	3,486.64	NA	8,178.09		
2(इ)	अन्य	746.02	776.53	NA	51.98	1,574.53	781.96	922.54	NA	124.84	1,829.34		
2(एफ)	कुल	5,745.83	8,374.60	2,758.69	51.98	16,931.10	6,340.89	10,192.33	3,486.64	124.84	20,144.7		
3	परिचालन व्यय	14,149.65	21,689.65	4,925.24	690.74	41,455.29	21,012.59	27,169.30	5,955.18	719.00	54,856.06		
4	निवेश आय	14,609.74	14,654.42	1,277.19	2,005.15	32,546.49	19,655.63	15,585.69	1,551.59	2,046.48	38,839.38		
5	कर के बाद लाभ	-6,761.16	4,098.77	-1,808.01	1,613.46	-2,856.93	-10,607.44	4,664.69	447.21	2,929.84	-2,565.7		
6	जोखिम-अंकित अनुभव	-20,443.55	-8,158.25	-3,263.34	55.56	-31,809.59	-25,316.56	-8,698.81	-528.8	1,746.69	-32797.47		
7	लाभांश भुगतान	0	1,197.70	0	0	1,197.70	0	1,166.20	0	40.00	1,206.20		

गैर-जीवन बीमा बाजार का मूल्यांकन

साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का व्यावसायिक प्रदर्शन

1.2.2.16 2022-23 के दौरान, गैर-जीवन बीमा उद्योग ने भारत में रु 2.57 लाख करोड़ का कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया और इस प्रकार पिछले वर्ष से 16.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जिसमें से, 27 निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) ने 2021-22 में ₹1.30 लाख करोड़ की तुलना में रु1.58 लाख करोड़ का बीमा किया है। वर्ष 2022-23 में कार्यरत 27 निजी बीमाकर्ताओं (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) ने 2021-22 में 1.30 लाख करोड़ के मुकाबले 1.58 लाख करोड़ का जोखिम-अंकित किया। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने ₹15,818 करोड़ की राशि का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम जोखिम-अंकन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने सम्पूर्ण बाजार अंश में 38.42 प्रतिशत का अंशदान दिया, जबकि निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने शेष 61.58 प्रतिशत का अंशदान दिया।

1.2.2.17 यूनाइटेड इंडिया को छोड़कर तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता भारत के बाहर साधारण बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन कर रहे हैं। तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा देश के बाहर जोखिम-अंकित किया गया कुल प्रीमियम 2022-23 में ₹3,434 करोड़ था, जबकि 2021-22 में यह ₹3,303 करोड़ था, जिसमें 3.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.2.2.18 गैर-जीवन बीमा व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न खंडों में, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय, कुल प्रीमियम में 38.02 प्रतिशत (2021-22 में 36.48 प्रतिशत) के अंशदान के साथ सबसे बड़ा खंड है। स्वास्थ्य बीमा खंड ने 2021-22 के ₹80,502 करोड़ से ₹97,633 करोड़ की प्रीमियम राशि के साथ 21.32 प्रतिशत (2021-22 में 26.27 प्रतिशत की वृद्धि) की वृद्धि सूचित की। मोटर खंड में वर्ष-दर-वर्ष 15.40 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और प्रीमियम संग्रह 2021-22 के ₹70,433 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹81,280 करोड़ हो गया। हालाँकि, कुल प्रीमियम में मोटर खंड का अंश पिछले वर्ष के 31.91 प्रतिशत

से थोड़ा घटकर 31.64 प्रतिशत हो गया। 2022-23 में अग्नि खंड में संचित प्रीमियम 11.07 प्रतिशत बढ़कर ₹23,936 करोड़ और मरीन खंड में 21.38 प्रतिशत बढ़कर ₹5,059 करोड़ हो गया। गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2022-23 में 13.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 30.18 करोड़ पॉलिसियाँ जारी की हैं।

साधारण, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का वित्तीय प्रदर्शन

1.2.2.19 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की कुल प्रदत्त पूँजी ₹40,375 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की राशि ₹37,855 करोड़ से अधिक है। 2022-23 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने अपने इक्विटी पूँजीगत आधार में ₹2,520 करोड़ का परिवर्धन किया है। अकेले निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने 2022-23 में ₹1,691 करोड़ का निवेश किया, जबकि स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ₹441 करोड़ और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने ₹388 करोड़ की पूंजी डाली।

1.2.2.20 2022-23 के दौरान, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने अन्य प्रकार की पूंजी से ₹824 करोड़ की राशि जुटाई है। 31 मार्च 2023 को पूंजी के अन्य रूपों की कुल राशि ₹4,327 करोड़ थी।

1.2.2.21 कमीशन व्यय और परिचालन व्यय कुल व्ययों का एक बड़ा भाग बनते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, निजी साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के सकल कमीशन व्यय 2022-23 के लिए क्रमशः ₹6,341 करोड़, ₹10,192 करोड़, ₹3,487 करोड़ और ₹125 करोड़ थे, इस प्रकार गैर-जीवन बीमा व्यवसाय के लिए समग्र सकल कमीशन व्यय ₹20,145 करोड़ है। गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का परिचालन व्यय 2021-22 में ₹41,455 करोड़ के मुकाबले 2022-23 में ₹54,856 करोड़ रहे, जो 32.33 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, निजी साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का परिचालन व्यय 2022-23 के लिए क्रमशः ₹21,013 करोड़,

₹27,169 करोड़, ₹5,955 करोड़ और ₹719 करोड़ रहे।

1.2.2.22 वर्ष 2022-23 के दौरान, 4 निजी बीमाकर्ता प्रबंधन के व्ययों (ईओएम) से संबंधित मानदंडों की छूट अवधि के अंतर्गत थे क्योंकि उक्त बीमाकर्ताओं के लिए परिचालनों के प्रथम पाँच वर्ष पूरे करना अभी बाकी है। शेष बीमाकर्ताओं में से, 14 बीमाकर्ता अनुपालनकर्ता थे, 13 बीमाकर्ता अननुपालनकर्ता थे और उनके फोरबेयरेस अनुरोध जांच के अधीन हैं। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के मामले में उसका व्यवसाय संविभाग रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अंतरित किया गया है और एक नए बीमाकर्ता ने वित्त वर्ष 2022-23 में परिचालन शुरू नहीं किया है।

1.2.2.23 वर्ष 2022-23 के दौरान सभी साधारण बीमाकर्ताओं की निवेश आय ₹38,839 करोड़ (2021-22 में ₹32,546 करोड़) थी जिसने 19.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की निवेश आय में वृद्धि क्रमशः 34.54 प्रतिशत, 6.35 प्रतिशत, 21.48 प्रतिशत और 2.06 प्रतिशत रहे।

1.2.2.24 2022-23 में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की जोखिम-अंकन हानियाँ बढ़कर ₹32,797 करोड़ (पिछले वर्ष ₹31,810 करोड़) हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में हानियाँ 3.11 प्रतिशत बढ़ गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की जोखिम-अंकन हानियाँ गैर-जीवन उद्योग के हानि की 77 प्रतिशत रही, जो कि

₹25,317 करोड़ थी और शेष निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की थी, जो ₹8,699 करोड़ रही। स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2022-23 में जोखिम-अंकन हानि में कमी दर्ज की, जो कि 2021-22 में ₹3,263 करोड़ के जोखिम-अंकन हानि की तुलना में ₹529 करोड़ है। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का जोखिम-अंकन लाभ 2021-22 में ₹56 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹1,747 करोड़ हो गया।

1.2.2.25 वर्ष 2022-23 के दौरान, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र की कुल हानि 2021-22 में ₹2,857 करोड़ के निवल हानि के मुकाबले मामूली रूप से घटकर ₹2,566 करोड़ हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ताओं को ₹10,607 करोड़ की हानि सूचित की। निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ ₹4,665 करोड़, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का ₹2,930 करोड़ और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का ₹447 करोड़ रहा।

1.2.2.26 वर्ष 2022-23 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी साधारण बीमाकर्ता ने लाभांश अदा नहीं किया। हालाँकि, सात निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने कुल 1,166.20 करोड़ रुपये का लाभांश अदा किया। किसी भी स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता ने 2022-23 और 2021-22 दोनों में लाभांश अदा नहीं किया। एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2022-23 में ₹40 करोड़ का लाभांश अदा किया।

सारणी 1.11 साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का खंड-वार किए गए दावों का अनुपात

(प्रतिशत में)


क्र. सं.	विवरण	2021-22					2022-23				
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल
1.	अग्नि	66.96	51.27	लागू नहीं	लागू नहीं	60.33	66.21	44.11	लागू नहीं	लागू नहीं	57.99
2.	समुद्री	86.02	85.78	लागू नहीं	लागू नहीं	85.8	56.89	87.9	लागू नहीं	लागू नहीं	75.13
3.	मोटर	94.03	74.53	लागू नहीं	लागू नहीं	81.3	102.55	75.6	लागू नहीं	लागू नहीं	84.48
4.	स्वास्थ्य	126.8	94.66	79.06	लागू नहीं	105.68	105.77	80.09	61.44	लागू नहीं	87.27
5.	अन्य	58.54	64.96	लागू नहीं	92.47	72.72	78.15	69.58	लागू नहीं	73.71	73.1
6.	कुल	103.17	77.95	79.06	92.47	89.08	99.02	75.13	61.44	73.71	82.95

साधारण बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के दावे:


1.2.2.27 2022-23 के दौरान, निवल उपगत दावों में पिछले वर्ष की तुलना में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ₹1,49,313 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹1,40,566 करोड़) थी, अलग से, सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने क्रमशः 3.91 प्रतिशत, 14.20 प्रतिशत और 0.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने किए गए दावों में 20.52 प्रतिशत की कमी दर्ज की।

1.2.2.28 गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का उपगत दावा अनुपात (निवल अर्जित प्रीमियम पर निवल उपगत दावे) पिछले वर्ष के 89.08 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 के दौरान 82.95 प्रतिशत था। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए उपगत दावा अनुपात वर्ष 2022-23 के लिए 99.02 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष का दावा अनुपात 103.17 प्रतिशत था। जबकि वर्ष 2022-23 के लिए निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए क्रमशः 75.13 प्रतिशत, 61.44 प्रतिशत और 73.71 प्रतिशत के साथ आईसीआर में सुधार हुआ है, जबकि पिछले वर्ष का अनुपात क्रमशः 77.95 प्रतिशत, 79.06 प्रतिशत और 92.47 प्रतिशत था।

चार्ट 1.13: गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के भीतर जोखिम-अंकित किया गया प्रीमियम




चार्ट 1.14: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के प्रीमियम का खंडवार हिस्सा




(रु करोड़)

चार्ट I.15: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय



(रु करोड़)

चार्ट I.16: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के शुद्ध व्यय दावे



उपयोग एवं फाइलिंग करना (यू एंड एफ) - उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया का सरलीकरण

1. आईआरडीएआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिए उत्पाद दाखिल करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया है। यह अवस्थांतर पारंपरिक "फ़ाइल और उपयोग" प्रक्रिया (जिसमें लॉन्च से पहले आईआरडीएआई से अनुमोदन की आवश्यकता होती है) से "उपयोग और फ़ाइल" प्रक्रिया (जहां उत्पादों को पूर्व अनुमोदन के बिना लॉन्च किया जा सकता है) की है। यह परिवर्तन साधारण बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप नए और नवोन्मेषी उत्पादों के डिजाइनिंग एवं यथासमय लॉन्च करने में सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है, जिससे भारत में बीमा की पैठ बढ़े।
- 2) परिपत्र आईआरडीएआई/सीआईआर/विविध /115/06/2022 दिनांक 10.06.2022 ने महत्वपूर्ण संख्या में जीवन बीमा उत्पादों को 'उपयोग और फाइलिंग' दृष्टिकोण के अंतर्गत लाया, जहां बीमाकर्ता अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरे बिना नए उत्पादों और वर्तमान उत्पादों में संशोधन दोनों को बाजार में लॉन्च कर सकते हैं। परिपत्र में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा सहित हितधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह पहल बीमाकर्ताओं को बाजार और पॉलिसीधारकों की उभरती जरूरतों के अनुसार उत्पादों को तुरंत लॉन्च करने या उत्पादों को संशोधित करने में सक्षम बनाकर व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करती है।
3. भारतीय बीमा क्षेत्र में रचनात्मक नवाचार और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास में, आईआरडीएआई ने 'उपयोग और फ़ाइल' प्रक्रिया का विस्तार किया है, यानी परिपत्र आईआरडीएआई/एनएल / सीआईआर / विविध / 107 / 06 / 2022 दिनांक 01/06/2022 द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना खुदरा और वाणिज्यिक दोनों श्रेणियों के लिए व्यवसाय की अग्नि, समुद्री, मोटर और इंजीनियरिंग लाइनों के तहत साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा सभी उत्पादों को लॉन्च करना। हालाँकि, व्यवसाय के विविध क्षेत्रों (वर्तमान उत्पादों के संशोधनों सहित) के खुदरा उत्पादों, जिनकी प्रारंभिक बीमा राशि ₹5 करोड़ तक थी, को एफ एंड यू प्रक्रिया के तहत प्राधिकरण के पास दाखिल करना जारी रखा जाना था। साधारण बीमाकर्ताओं के लिए दायरा आगे बढ़ाया गया था, जहां उन्हें परिपत्र आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर / पीआरओ / 146/07/2022 दिनांक 14/07/2022 के माध्यम से यू एंड एफ प्रक्रिया के तहत कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए खुदरा उत्पादों को दाखिल करने की अतिरिक्त अनुमति दी गई थी।
4. बाद में, साधारण बीमाकर्ताओं को परिपत्र आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/212/10/2022 दिनांक 13/10/2022 के माध्यम से खुदरा और वाणिज्यिक दोनों श्रेणियों के लिए यू एंड एफ प्रक्रिया के तहत व्यवसाय की विविध लाइनों (वर्तमान उत्पादों के संशोधनों सहित) के तहत सभी उत्पादों को दाखिल करने की अनुमति दी गई। इस कदम के साथ, सभी साधारण बीमा उत्पादों को 'उपयोग और फाइलिंग' प्रक्रिया के तहत दाखिल करने की अनुमति दी गई है और उन्हें बिना किसी पूर्व अनुमोदन के लॉन्च किया जा सकता है।
5. आईआरडीएआई ने उत्पाद फाइलिंग को सरल बनाने के प्रयास में गतिशीलता को सक्षम करने और बीमा उत्पादों के विपणन में तेजी लाने के लिए परिपत्र आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर / पीआरओ /81/3/2023 दिनांक 31/03/2023 के माध्यम से यू एंड एफ प्रक्रिया को पुनः संशोधित किया है:
 - उपर्युक्त यू एंड एफ परिपत्रों के तहत जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है, उन्हें आईआरडीएआई के पास दाखिल करने के बजाय, उत्पाद प्रबंधन समिति (पीएमसी) को प्रस्तुत किया जाएगा। पीएमसी उत्पादों की अंतिम मंजूरी के लिए जिम्मेदार होगी।
 - पीएमसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि यू एंड एफ प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेजों का पूरा सेट पूर्ण, सही, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और वर्तमान लागू विधिक और विनियामक ढांचे के अनुपालन में है, और पीएमसी द्वारा अनुरक्षण किया जाता है।
 - आईआरडीएआई मासिक आधार पर पहचाने गए कुछ उत्पादों के संबंध में दस्तावेजों की मांग कर सकता है और बीमाकर्ता को 2 दिनों की अवधि के भीतर, जब भी कहा

जाएगा, आईआरडीएआई के पास दस्तावेजों का पूरा सेट जमा करना होगा।

- बीमाकर्ता को निर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण के साथ सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुपालन प्रमाणपत्र और मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉन्च किए गए उत्पादों पर त्रैमासिक रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है।
- बीमाकर्ताओं को उत्पाद लॉन्च होने से पहले या यूआईएन आवंटन के सात दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, अपनी वेबसाइट पर पॉलिसी नियम एवं विनियम/दस्तावेज, बिक्री साहित्य और प्रीमियम कैलकुलेटर अपलोड करना होगा।
- बीमाकर्ताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उत्पाद लॉन्च करने और बीमा पॉलिसियों के रखरखाव के लिए

आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है।

6. यह परिकल्पना की गई है कि उपरोक्त पहल बीमा व्यवसाय को बाजार की गतिशील जरूरतों को पूरा करने के लिए समयबद्ध तरीके से अनुकूलित और नवीन उत्पादों को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगी, जिससे बीमा को समावेशी बनाने और भारत में बीमा व्यापन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बीमाकर्ताओं के कार्यालय

जीवन क्षेत्र:

1.2.2.29 जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 11,256 स्थित है पिछले वर्ष से 196 से अधिक है। लगभग 59 प्रतिशत जीवन बीमा कार्यालय स्तर -I के स्थानों में स्थित हैं जहां जनसंख्या एक लाख और उससे अधिक है। लगभग 0.76 प्रतिशत जीवन बीमा कार्यालय स्तर VI केन्द्रों में स्थित हैं जो 5,000 से कम जनसंख्या से युक्त हैं।


1.2.2.30 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ता के पास देश में सभी जिलों के 92

प्रतिशत को समाविष्ट करते हुए देश के 750 जिलों में से 688 जिलों में कार्यालय हैं, जबकि निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के पास देश के सभी जिलों के 81 प्रतिशत को समाविष्ट करते हुए 604 जिलों में कार्यालय हैं। सार्वजनिक और निजी बीमाकर्ताओं ने मिलकर देश के सभी जिलों के 92 प्रतिशत को समाविष्ट किया है। देश के 36 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में से 21 में जीवन बीमा कार्यालयों के माध्यम से सभी जिलों को समाविष्ट किया गया है। किसी जीवन बीमा कार्यालय से रहित जिलों की संख्या देश में 59 पर स्थित है, जिनमें से 48 जिले उत्तर-पूर्वी राज्यों के हैं।


सारणी 1.12: जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय

स्थान	31 मार्च, 2022 तक			31 मार्च, 2023 तक		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
स्तर I	1,848	4,746	6,594	1,855	4,834	6,689
स्तर II	561	706	1,267	562	749	1,311
स्तर III	1,357	458	1,815	1,360	496	1,856
स्तर IV	1,042	106	1,148	1,043	114	1,157
स्तर V	123	30	153	126	31	157
स्तर VI	54	29	83	55	31	86
कुल	4,985	6,075	11,060	5,001	6,255	11,256

चार्ट I.17: जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण



चार्ट I.18: गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण



सारणी I.13 साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का कार्यालय

स्थान	31 मार्च तक, 2022					31 मार्च तक, 2023				
	सार्वजनिक	निजी	एसएचआई	विशेषीकृत	कुल	सार्वजनिक	निजी	एसएचआई	विशेषीकृत	कुल
स्तर I	3,995	2,363	1,085	73	7,516	3477	2449	1220	72	7218
स्तर II	779	144	156	-	1,079	783	170	177	-	1130
स्तर III	1,040	39	104	-	1,183	781	48	107	-	936
स्तर IV	632	14	19	-	665	405	14	22	-	441
स्तर V	216	11	-	-	227	124	16	0	-	140
स्तर VI	98	6	1	-	105	42	9	1	-	52
कुल	6,760	2,577	1,365	73	10,775	5612	2706	1527	72	9917

गैर-जीवन बीमाकर्ता:

I.2.2.31 31 मार्च, 2023 तक, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता 9,917 कार्यालयों से परिचालन कर रहे थे, जबकि 31 मार्च, 2022 को 10,775 कार्यालय थे। पिछले वर्ष की तुलना में, सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं के लिए 1,148 कार्यालयों की, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए 1 कार्यालय की कमी हुई है, निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, 129 कार्यालयों और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए 162 कार्यालयों की वृद्धि हुई है। समग्र रूप से, पिछले वर्ष की तुलना में 858 गैर-जीवन बीमा कार्यालयों की कमी हुई है।

1.3 अधिकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या और विवरण

I.3.1 31 मार्च, 2023 तक, भारत में बीमा क्षेत्र में कुल 55 बीमाकर्ता, 1 पुनर्बीमाकर्ता, 2 विशेषीकृत बीमाकर्ता और 11

एफआरबी शामिल हैं। 55 बीमाकर्ताओं में से 25 जीवन बीमाकर्ता, 25 साधारण बीमाकर्ता और 5 स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता हैं।

सारणी I.14: पंजीकृत बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या

बीमाकर्ता का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन	1	24	25
साधारण	4	21	25
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	-	5	5
विशेष	2	-	2
पुनर्बीमा	1	11	12
कुल	8	61	69

टिप्पणी: प्राधिकरण ने 06 नवंबर, 2019 को आदेश संदर्भ संख्या आईआरडीए/एफ&ए/ओआरडी/एसओएलपी/200/11/2019 के माध्यम से रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को नई पॉलिसियां बेचने से रोकने के निर्देश जारी किए।

1.4 बीमा बाजार का विकास करने के लिए नीतियाँ और उपाय

1.4.1 आईआरडीएआई देश में बीमा क्षेत्र को नया स्वरूप देने और सुधार लाने तथा व्यापन बढ़ाने के मिशन पर है। इन प्रयासों का प्राथमिक उद्देश्य सभी नागरिकों और व्यवसायों के लिए बीमा की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आईआरडीएआई ने बीमा व्यवसाय के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने, विनियामक ढांचे को तर्कसंगत बनाने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सुधारों में उत्पाद लॉन्च की सुविधा, लचीली पूंजी जुटाने, व्ययों का कुशल प्रबंधन, वितरण चैनलों का विस्तार, पुनर्बीमा पहुंच बढ़ाना और नए कम्पनियों के प्रवेश की सुविधा पर ध्यान केंद्रित किया गया। आईआरडीएआई ने 2022-23 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण विनियामक उपाय लागू किए हैं: -

- i. बीमा क्षेत्र में नए खिलाड़ियों का प्रवेश आसान हो गया: बाधा मुक्त और समय पर एनओसी उपलब्ध कराकर बीमाकर्ता को शामिल करने की सुविधा के लिए एक एकल विंडो एनओसी पोर्टल (www.noc.irdai.gov.in) लॉन्च किया गया।
- ii. बीमा उत्पादों का त्वरित लॉन्च: बीमाकर्ता अब सभी स्वास्थ्य और साधारण बीमा उत्पादों के साथ-साथ अधिकांश जीवन बीमा उत्पादों को आईआरडीएआई से पूर्व अनुमोदन के बिना लॉन्च कर सकते हैं, जिससे बाजार में एक नया उत्पाद लॉन्च करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा।
- iii. व्यवसाय करने में आसानी: आईआरडीएआई ने अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में, अब तक 70 विवरणी को तर्कसंगत बनाया गया है, और कुछ चिन्हित क्षेत्रों में पूर्व अनुमोदन आवश्यकताओं को समाप्त करते हुए लगभग 167 परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया है।
- iv. व्यवसाय की गतिशील आवश्यकताओं को संबोधित करना: आईआरडीएआई ने क्षेत्र की उभरती जरूरतों के अनुसार विभिन्न उपायों की सुविधा प्रदान की है, जैसे कि टेक-आधारित ऐड-ऑन (साधारण बीमाकर्ताओं को मोटर बीमा के लिए तकनीक-सक्षम अवधारणाओं को पेश करने की अनुमति दी गई है जैसे कि जितना चलाएं उतना भुगतान करें, जैसे चलाएं वैसे

भुगतान करें, आदि), स्वास्थ्य बीमा में कैशलेस सुविधा के दायरे में विस्तार, अग्नि बीमा में नवीन उत्पाद, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवनयापन में आसानी।

1.4.1.1 उपरोक्त के अलावा, आईआरडीएआई ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और अनुपालन बोझ में कमी लाने के लिए विनियामक ढांचे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं: -

- i. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 ने निजी इक्विटी (पीई) के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) निवेश को वैकल्पिक बनाकर बीमाकर्ताओं के लिए उपयोग क्षमता की शुरुआत की। इसने वैयक्तिक निवेश सीमा भी बढ़ा दी, सहायक कंपनियों को शर्तों के साथ बीमाकर्ताओं को बढ़ावा देने की अनुमति दी, प्रमोटरों को अपनी हिस्सेदारी कम करने की अनुमति दी, 'फिट और उचित' मानदंड शामिल किए, और बीमाकर्ता की उम्र के आधार पर लॉक-इन अवधि निर्दिष्ट की।
- ii. आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की अस्तियाँ, देयताएँ और शोधन - क्षमता मार्जिन) विनियम, 2022- साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा फसल बीमा की व्यापन बढ़ाने और पूंजी के कुशल उपयोग की दृष्टि से, शोधनक्षमता अनुपात की गणना के लिए राज्य/केंद्र सरकार के प्रीमियम बकाया पर विचार करने की अवधि 180 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। फसल बीमा से संबंधित शोधनक्षमता कारक 0.70 से घटाकर 0.50 कर दिया गया है।
- iii. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकक रिपोर्ट और सारांश) (संशोधन) विनियम, 2022 - जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पूंजी के कुशल उपयोग को सक्षम करने के लिए, यूनिट संबद्ध व्यवसाय (बिना गारंटी के) के लिए शोधनक्षमता की गणना के कारकों को 0.80 प्रतिशत से घटाकर 0.60 प्रतिशत और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए 0.10 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।
- iv. आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 व्यवसाय की बदलती जरूरतों और बीमांकक अनुप्रयोगों के उभरते क्षेत्रों के साथ संरेखित करने के

- लिए नियुक्त बीमांकिक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार करता है।
- v. आईआरडीआई (अन्य प्रकार की पूंजी) विनियम, 2022 - गतिशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी के अन्य रूपों (जैसे, अधीनस्थ ऋण और/या वरीयता शेयर) को जुटाने के लिए आईआरडीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इस तरह की पूंजी जुटाने की सीमा प्रदत्त पूंजी और प्रीमियम के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है जो कंपनी की निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत के अधीन है।
- vi. आईआरडीआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2022, ने बीमाकर्ताओं/मध्यवर्तियों को प्रयोग अवधि को '6 महीने' से बढ़ाकर '36 महीने तक' और बैच-वार (समुदाय दृष्टिकोण) मंजूरी/अनुमोदन से निरंतर आधार पर मंजूरी/अनुमोदन तक बढ़ाकर निरंतर आधार पर प्रयोग करने की अनुमति दी है। संशोधन के हिस्से के रूप में सैंडबॉक्स के तहत अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा का प्रावधान भी पेश किया गया है।
- vii. आईआरडीआई (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022 का उद्देश्य विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से विकल्पों और बीमा तक पहुंच का विस्तार करना है। कॉर्पोरेट एजेंटों (सीए) और बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) के लिए गठजोड़ की अधिकतम संख्या बढ़ा दी गई है। अब, एक सीए अपने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए जीवन, साधारण और स्वास्थ्य के व्यवसाय की प्रत्येक पंक्ति में 9 बीमाकर्ताओं (पहले 3 बीमाकर्ताओं) के साथ गठजोड़ कर सकता है और आईएमएफ 6 बीमाकर्ताओं (पहले 2 बीमाकर्ताओं) के साथ गठजोड़ कर सकता है। आईएमएफ के संचालन के क्षेत्र को भी पूरे राज्य (पहले जिला स्तर) तक विस्तारित किया गया है जिसमें वे पंजीकृत हैं।
- viii. "सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं को फ़ाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन) जारी करने पर दिशानिर्देश" - भारत में, सीमा पार पुनर्बीमाकर्ता, पुनर्बीमा कंपनियां हैं जो देश के बाहर काम करती हैं लेकिन भारतीय बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा सेवाएं प्रदान करती हैं। भारतीय बीमाकर्ताओं को सीबीआर के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। सीबीआर पर संशोधित दिशानिर्देशों के तहत आईआरडीआई ने विनियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिसने उन सीबीआर के लिए सिस्टम संचालित सरलीकृत नवीनीकरण प्रक्रिया को सक्षम किया है जो आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।
- ix. पृथक जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं के लिए प्रबंधन व्यय (ईओएम) विनियम (स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं पर लागू) - ये नए नियम बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों को लाभ बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए उनके सकल लिखित प्रीमियम के आधार पर समग्र सीमा के भीतर अपने व्यय प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं और उपयोग क्षमता प्रदान करते हैं। इन विनियमों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं -
- जीवन बीमा के मामले में, प्रबंधन व्यय (ईओएम) की सीमा उत्पाद श्रेणियों (भागीदारी और गैर-भागीदारी) से जुड़ी होती है।
 - साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के मामले में, ईओएम की एकल सीमा वर्तमान खंडीय/उप-खंडीय सीमाओं के मुकाबले निर्धारित की गई है।
 - इन विनियमों ने बीमाकर्ताओं को अतिरिक्त स्वीकार्य व्यय करने की अनुमति दी और एक सुप्रलेखित ईओएम नीति और व्यवसाय योजना अपेक्षित थी।
 - इंश्योरटेक, बीमा जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्र और सरकार प्रायोजित योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अब ईओएम के लिए अतिरिक्त भत्ते की अनुमति है।
- x. आईआरडीआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023, बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों का कमीशन और पारिश्रमिक भुगतान अब प्रबंधन सीमा के व्यय से जुड़ा हुआ है और बीमाकर्ताओं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगा। पहले, ऐसे भुगतानों के लिए खंड-वार सीमाएँ थीं।
- xi. प्रतिभू बीमा उत्पादों का दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिभू बीमा दिशानिर्देश संशोधित किए गए।
- xii. निवेश मानदंडों में संशोधन: बेंचमार्क सूचकांकों के अनुरूप करने के लिए बीएफएसआई क्षेत्र में निवेश को 25% से बढ़ाकर 30% करने की अनुमति दी गई,

वरीयता और इक्विटी शेयरों में बीमाकर्ताओं के निवेश के लिए लाभांश पात्रता मानदंड में लचीलापन और जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)/ आधारभूत निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) में अधिक निवेश की अनुमति दी गई है। इन बदलावों का उद्देश्य आवास और आधारभूत ढांचा क्षेत्रों में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करना है।

- xiii. अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर बीमाकर्ताओं का जुड़ना - आईआरडीएआई सक्रिय रूप से अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर बीमा कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। आईआरडीएआई वित्तीय सूचना योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए रे-बिट के साथ भी काम कर रहा है।
- xiv. यूआईडीएआई पर बीमाकर्ताओं का जुड़ना - आईआरडीएआई इंडिया स्टैक की विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ बीमा कंपनियों द्वारा केवाईसी करने में आसानी के लिए यूआईडीएआई के साथ लगातार जुड़ रहा है।

1.4.1.2 इसके अलावा, आईआरडीएआई ने कुछ परियोजनाएं शुरू की हैं जिन पर वर्तमान में काम चल रहा है। इनमें शामिल है;

- i) बीमा सुगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार की त्रिमूर्ति की अवधारणा पर अंतिम मील तक पहुंचने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, समुदाय केंद्रित मध्यस्थों और सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की सरलता की दिशा में काम किया जा रहा है। बीमा सुगम इंडिया स्टैक के साथ एकीकृत एक अनूठा मंच है, जिससे पॉलिसियों की खरीद, सेवा और निपटान के लिए अंतिम समाधान प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे बीमा का लोकतंत्रीकरण और सार्वभौमिकीकरण होगा। बीमा वाहक का लक्ष्य एक तकनीकी नेतृत्व वाला महिला केंद्रित वितरण बल बनना है। बीमा विस्तार पैरामीट्रिक ट्रिगर्स के साथ एक बहु-स्तरीय उत्पाद (जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और सामान) है।
- ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, अंतिम मील तक पहुँचने की दिशा में, आईआरडीएआई ने राज्य सरकारों और अन्य विनियामक एजेंसियों को शामिल

करके बीमा व्यापन बढ़ाने के लिए मुख्य ढांचे के रूप में राज्य बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, अन्य बीमाकर्ताओं के साथ अग्रणी प्रमुख बीमाकर्ताओं को प्रत्येक राज्य में बीमा कवरेज और व्यापन को गहराई तक पहुंचाने के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- iii) बीमा व्यवसाय और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए, हर महीने की 15 तारीख को 'खुला मंच' आयोजित किया जाता है। बीमा कंपनियों और अन्य हितधारकों को बीमा व्यापन को गहराई तक पहुंचाने के लिए नवीन विचारों को समक्ष लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- iv) सहयोगात्मक और परामर्शी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के सीईओ के साथ समय-समय पर बैठकें, 'बीमा मंथन' आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में बीमा क्षेत्र से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा होती है।
- v) बीमा क्षेत्र से संबंधित विनियमों की सर्वसमावेशी समीक्षा की गई है। मूल्यांकन उद्योग को अधिक गति प्रदान करने, व्यापार करने में सहजता सुनिश्चित करने और पॉलिसीधारक हितों की रक्षा करने पर आधारित है।
- vi) बीमा क्षेत्र को वैश्विक जरूरतों और व्यवसाय की गतिशीलता के साथ संरेखित करने के लिए, आईआरडीएआई ने जोखिम आधारित पूंजी व्यवस्था, जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समकक्ष लागू करने के लिए मिशन मोड टीमों का गठन किया है। एक अन्य मिशन मोड टीम इंश्योरटेक और संबद्ध प्रौद्योगिकियां इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को मुख्यधारा में लाने पर काम कर रही हैं।
- vii) एकल मध्यवर्ती पोर्टल - प्राधिकरण पंजीकरण के साथ-साथ विभिन्न विनियामक अनुपालन के लिए एकल मध्यवर्ती पोर्टल विकसित कर रहा है। यह परिकल्पना की गई है कि पोर्टल विभिन्न गतिविधियों के टर्न-अराउंड समय को कम करेगा और व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करेगा।

उपरोक्त विनियामक परिवर्तनों से बीमा व्यवसाय, विकास, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

प्रतिभू बीमा

आधारभूत ढांचे जैसे उद्योगों को परियोजनाओं के निष्पादन से पहले बोली सुरक्षा और प्रदर्शन गारंटी के लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता होती है। बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए, रियायतग्राहियों को बैंकों को पर्याप्त संपार्श्विक प्रदान करना आवश्यक है और गारंटी के लिए बैंक शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। जिसके परिणामस्वरूप संपत्तियों की एक बड़ी मात्रा को संपार्श्विक के रूप में रखा जा रहा है, जिससे कुछ मामलों में, इन रियायतग्राहियों द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नकदी की कमी पैदा हो रही है। बैंक गारंटी की लागत, संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता, बैंक गारंटी की अनुपलब्धता और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत आधारभूत ढांचा क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को बढ़ाने के लिए, बोली सुरक्षा और प्रदर्शन गारंटी के लिए बैंक गारंटी के विकल्प की तलाश करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक व्यवस्था की खोज में, प्रतिभू बॉन्ड बैंक गारंटी के बेहतर प्रतिस्थापन के रूप में उभरे हैं।

प्रतिभू बीमा (या प्रतिभू बॉन्ड) को किसी परियोजना के निष्पादन में ठेकेदार के प्रदर्शन दायित्वों के विरुद्ध गारंटी प्रस्तुत करके बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में दुनिया भर में ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त है। प्रतिभू बॉन्ड अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे देशों में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। भारत में विधिक/ विनियामक ढांचे ने प्रतिभू बॉन्ड की अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें वित्तीय साधन और गैर-पारंपरिक बीमा उत्पादों के रूप में माना जाता था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा समर्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जैसे विभिन्न हितधारकों के प्रस्तावों पर विचार करते हुए, आईआरडीएआई ने भारतीय बीमा व्यवसाय द्वारा प्रतिभू बीमा की पेशकश की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए दिनांक 1 जुलाई, 2020 के आदेश संदर्भ संख्या आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/विविध/170/07/2020 के तहत एक कार्य समूह का गठन किया।

कार्य समूह ने अनुशंसाओं के साथ 30 सितंबर, 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

1. विनियामक ढांचा - पूंजी की आवश्यकता, जोखिम की सीमा और जोखिम मूल्यांकन तंत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रतिभू बीमा व्यवसाय पर अलग दिशानिर्देश
2. बीमा कंपनियों का जोखिम-अंकन सिद्धांत
3. पुनर्बीमा क्षमता
4. भारत में प्रतिभू बाजार के लिए आवश्यक अतिरिक्त विधिक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र
5. जोखिम साझा करने और/या जोखिम संबंधी जानकारी साझा करने के लिए बैंकों के साथ साझेदारी दृष्टिकोण
6. केवल निर्माण कंपनियों को प्रतिभू बॉन्ड की पेशकश
7. अन्य प्रकार के प्रतिभू बॉन्ड जैसे सीमा शुल्क या कर बॉन्ड, कोर्ट बॉन्ड आदि जारी करना।
8. जारी किए गए बांडों का केंद्रीकृत आँकड़ा बेस
9. भारत में प्रतिभू बीमा व्यवसाय चलाने के लिए साधारण/विशेषज्ञ बीमा कंपनी के रूप में पंजीकरण

कार्य समूह की सिफारिशों की जांच के बाद, आईआरडीएआई ने 3 जनवरी, 2022 को देश में प्रतिभू बीमा व्यवसाय के लिए मंच तैयार करते हुए आईआरडीएआई (प्रतिभू बीमा अनुबंध) दिशानिर्देश, 2022 को अधिसूचित किया। दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2022 से लागू हुए, जिसमें आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिभू बीमा उत्पाद लॉन्च करने/शुरू करने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया था।

इसके बाद, विभिन्न संस्थाओं/विनियामक निकायों से वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी प्रतिभू बीमा के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता व्यक्त करने वाले प्रस्ताव प्राप्त हुए। भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का प्रस्ताव एक ऐसा ही प्रस्ताव है, जिसमें आईआरडीएआई से अपने पंजीकृत भांडागारों के लिए प्रतिभू

बॉन्ड की सुविधा देने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत भांडागारों को प्रतिभू बीमा प्रदान करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए आदेश संख्या आईआरडीएआई /एनएल/एसआई/288/2022-23 दिनांक 2 दिसंबर, 2022 के तहत एक कार्य समूह का गठन किया गया था।

इस बीच, विभिन्न परियोजना मालिकों, ठेकेदारों और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं की ओर से बढ़ती मांग को देखते हुए, आईआरडीएआई ने 12 जनवरी, 2023 के परिपत्र के माध्यम से बीमाकर्ताओं को सभी वाणिज्यिक प्रतिभू और अनुबंध प्रतिभू आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी और

मोनो-लाइन प्रतिभू बीमाकर्ताओं के मामले में समग्र सकल घरेलू उत्पाद पर प्रीमियम सीमा हटा दी।

इसके अलावा, आईआरडीएआई ने 15 मई, 2023 के परिपत्र के माध्यम से उच्च शोधनक्षमता मार्जिन और प्रतिभू बॉन्ड मूल्य को अनुबंध मूल्य के 30% तक सीमित करने जैसे प्रतिबंधों में ढील दी, जो बीमा कंपनियों को डब्ल्यूडीआरए जैसी संस्थाओं/विनियामक निकायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिभू-आधारित बीमा समाधान रुपरेखा बनाने में सहायता प्रदान करेगा।

बॉक्स मद 1.4

इंश्योरटेक पहल

1. बीमा सुगम

बीमा सुगम, एक इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल बीमा बाज़ार है, जो बीमा मूल्य श्रृंखला में सभी बीमा हितधारकों को सक्षम और सशक्त बनाएगा। बीमा सुगम का मुख्य उद्देश्य है (i) पॉलिसीधारक के लिए अपने बीमा कवरेज का प्रबंधन करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करना; (ii) ग्राहकों की बीमा आवश्यकताओं के लिए शुरू से अंत तक समाधान यानी निर्बाध तरीके से खरीद, सेवा और निपटान प्रदान करना (iii) बीमा कंपनियों को वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न संपर्क बिंदुओं से मान्य और प्रामाणिक आँकड़ा तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करना; (iv) पॉलिसियाँ बेचने और पॉलिसी धारकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए मध्यवर्तियों/एजेंटों के लिए इंटरफ़ेस प्रदान करना। यह पहल "2047 तक सभी के लिए बीमा" के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

2. आईआरडीएआई हैकाथॉन

आईआरडीएआई ने 'बीमा में नवाचार' थीम के साथ अपना पहला हैकाथॉन आयोजित किया। हैकाथॉन ने प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित किया, जिनमें प्रौद्योगिकी के उपयोग और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के साथ हर व्यक्ति को सहज और तेज तरीके से बीमा उपलब्ध कराने की क्षमता हो। (i) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वचालित मृत्यु दावा निपटान (ii) बीमा उत्पादों की गलत बिक्री को कम करने के लिए तकनीक-आधारित समाधान; (iii) बिना बीमा वाले मोटर वाहनों की पहचान करने और अनिवार्य मोटर थर्ड पार्टी बीमा जारी करना सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सक्षम समाधान; (iv) "कठिन इलाकों और कम पहुंच वाले क्षेत्रों" में सूक्ष्म बीमा सहित बीमा उत्पादों का प्रौद्योगिकी आधारित वितरण; और (v) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मोटर बीमा में धोखाधड़ी का शमन/रोकथाम के क्षेत्रों में समाधान आमंत्रित किये गये।

1.4.2 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पालिसियाँ

परिपत्र संदर्भ आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/58/2/2023 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों और मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए एक विशेषीकृत उत्पाद डिजाइन करने के संदर्भ में एक परिपत्र जारी किया गया था।

इसके अलावा, पहले दिन (1) से आंतरिक जन्मजात जन्म दोष वाले नवजात शिशुओं के लिए बीमा कवरेज का विस्तार करने के लिए संदर्भ: 30/आईआरडीएआई/एचएलटी/सामा./मंत्रालय/2022-23 दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 के अनुसार 'स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत नवजात /शिशुओं के लिए बीमा कवर' के संबंध में एक और परिपत्र जारी किया गया था।

1.5 बीमाकर्ताओं द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ

हर वर्ष बीमा कंपनियों उपभोक्ताओं के लिए बीमा समाधानों की पहुंच, समझ और उपयोग में आसानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियां चलाती हैं। 2022-23 के दौरान शुरू की गई कुछ नवीन गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं:

1.5.1 जीवन बीमाकर्ता

- वित्तीय सुरक्षा, सेवानिवृत्ति योजना, बच्चों की शिक्षा आदि जैसे 40 से अधिक जीवन लक्ष्यों का मानचित्रण का अध्ययन करना ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि भारतीय इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं।
- मधुमेह रोगियों के लिए विशेष सावधि योजना का अनुसंधान और डिजाइन,
- पूर्व-अनुमोदित बीमा राशि (पीएएसए) को सक्षम करने के लिए पुनः इंजीनियरिंग प्रक्रिया,
- प्रोत्साहन और कमीशन का स्वचालन
- उत्पाद जानकारी तक आसानी से पहुंच के लिए स्मार्ट बहुभाषी वीडियो/प्लायर कैटलॉग का लॉन्च
- ग्राहक अनुभव और प्रशिक्षण सहायता को बेहतर बनाने

के लिए संभावित उपयोग के मामलों पर चैटजीपीटी, बार्ड और एडब्ल्यूएस जेनरेटिव एआई जैसे विभिन्न जेनरेटिव एआई प्लेटफार्मों का मूल्यांकन।

- वीडियो वीसी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रस्तुत वीडियो के ऑटो मूल्यांकन और क्लीयरेंस के लिए एआई आधारित समाधान।
- विभिन्न प्रकार के पॉलिसी लेनदेन के लिए डिजिटल पहुंच
- पूर्वक्षण के दौरान तत्काल अनुकूलित ग्राहक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उपकरण
- आवेदन की सहमति-आधारित पहले से भरा हुआ और सीईआरएसएआई एकीकरण के साथ केवाईसी आवश्यकता की तत्काल पूर्ति के साथ निर्बाध ग्राहक यात्रा।
- अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के साथ एकीकरण
- डिजिटल रेटिंग शीट द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कदम सुनिश्चित करना जो प्रक्रिया को तेज करते हैं और जांच या खोज उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज़ प्राप्त करते हैं।
- बोर्डिंग चरण पर शीघ्र अधिसूचना और अनुशंसा देकर निरंतरता जोखिम को कम करने के लिए चूक भविष्यवाणी मॉडल।
- डिजिटल दावा पंजीकरण प्रक्रिया और चैट-बॉट या व्हाट्सएप के माध्यम से सहायता
- ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और बीमा बाजारों के साथ ग्राहक संपर्क को फिर से परिभाषित करने के लिए वॉयस कमांड पहल।
- सलाहकार आधार के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए ह्यूमनाइंड बॉट तकनीक
- बीमा प्रस्तावों के जारी होने तक की वास्तविक समय स्थिति प्रदान करने के लिए डैशबोर्ड
- भारतीयों की वित्तीय और सेवानिवृत्ति तैयारियों के लिए संकेतक स्थापित करने हेतु सुरक्षा और सेवानिवृत्ति क्षेत्रों में सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय पेंशन योजना और पेंशन निधि प्रबंधन की जागरूकता, अपनाने, ट्रिगर और बाधाओं को गहराई से जानने के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान।

- एनालिटिक्स आधारित ग्राहक अभियान कार्यक्रम जो बेहतर ग्राहक प्रबंधन अनुभव के लिए पूर्व-अनुमोदित बीमा राशि की पेशकश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा टेली/वीडियो सत्यापन ट्रिगर्स द्वारा ग्राहकों को अनुकूलित ऑफर भी दिए जाते हैं।
- रैंडम फ़ॉरस्ट, ग्रेडिएंट लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करने वाला पूर्वानुमानित मॉडल उन नीतियों की भविष्यवाणी करता है जहां धोखाधड़ी के दावों की संभावना अधिक होती है।
- फ़्रील्ड जांचकर्ताओं की जियो-टैगिंग जहां बेहतर नियंत्रण, जोखिम शमन और तेज़ प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए फ़्रील्ड जांचकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मामले सौंपे जाते हैं।

1.5.2 साधारण बीमाकर्ता

- अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग तकनीक का लाभ उठाना और उपग्रह इमेजरी और मौसम आँकड़ा का उपयोग करना, जो वास्तविक समय में फसल स्वास्थ्य का दूर से आकलन करता है, नुकसान का पता लगाता है और दावों का वितरण करता है जिससे किसानों को अद्वितीय सुविधा और दक्षता प्रदान की जाती है।
- फसल बीमा में तेजी से नामांकन और एसएमएस के माध्यम से ई-पॉलिसी दस्तावेजों की त्वरित डिलीवरी के लिए मोबाइल ऐप, जिससे टर्न-अराउंड समय कम हो जाता है।
- आधुनिक क्लाउड आधारभूत ढांचे की स्थापना करके, एक व्यापक प्रौद्योगिकी स्टैक को अपनाने और रिमोट सेंसिंग क्षमताओं का उपयोग करके परिचालन लागत में कमी।
- पालतू जानवर के मालिक की समस्याओं और जरूरतों को परिभाषित करने के लिए केंद्रित शोध।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सहायता प्राप्त अत्यधिक सटीक उपकरण जो तंग स्थानों, धूल की परत, कीचड़ के छींटों, बारिश के पानी की परत, आसपास के प्रतिबिंबों और सूरज की रोशनी के कारण अत्यधिक जोखिम में छवियों के सहसंबंध जैसे बहुत

चुनौतीपूर्ण छवि इनपुट के साथ भी सर्वोत्तम संभव वाहन निरीक्षण परिणाम प्रस्तुत करने के लिए कई कंप्यूटर विज़न एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

- नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी)-सक्षम बॉट ग्राहकों को वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप आदि जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सेवा प्रदान करता है, जहां ग्राहक डू-इट-योरसेल्फ (डीआईवाई) समाधानों का उपयोग करके पॉलिसी डाउनलोड, पॉलिसी खरीद और नवीनीकरण, दावा सूचना, दावा स्थिति, दस्तावेज़ जमा करने जैसी समृद्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- विभिन्न प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए ओसीआर क्षमताओं का विस्तार करना और मोटर और गैर-मोटर दावों दोनों के लिए जांच के समय को कम करने के लिए ई-सत्यापन और तत्परता समाधान को सक्षम करना।
- गृह दावा एआई समाधान जहां ग्राहक मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपने घरों में हुए नुकसान की जानकारी दे सकते हैं और उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। समाधान अपलोड की गई छवियों का विश्लेषण करके क्षति की पहचान करता है और अनुमान उत्पन्न करता है।
- एजेंट माइक्रोसाइट्स के लिए प्रौद्योगिकी उपकरण पेश किए गए, एक सुव्यवस्थित एजेंट ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया ऑन-बोर्डिंग समय को 70% तक कम कर देती है, और मामलों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए जांचकर्ताओं के लिए मोबाइल ऐप पेश किया गया।
- गैरेज और वर्कशॉपों के साथ गठजोड़ द्वारा नेटवर्क विस्तार द्वारा मोटर दावा निपटान में विकास।
- स्वास्थ्य, मोटर, यात्रा और गैर-मोटर उत्पादों के लिए एआई-संचालित प्रीमियम कैलकुलेटर को भागीदारों के लिए सुलभ बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 50,000 से अधिक उद्धरण उत्पन्न हुए।
- स्वास्थ्य दावों के लिए व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, एक संशोधित स्वास्थ्य दावा यात्रा, पॉलिसी नवीनीकरण सुझाव और एआई-संचालित चैट-बॉट द्वारा सुविधा प्रदान की गई पॉलिसी पूर्व चिकित्सा जाँच समय निर्धारण जैसी सुविधाओं के साथ ग्राहक सेवाओं को बढ़ाया गया था।

- टेलीमैटिक्स-आधारित दूरी और ड्राइविंग रिस्क स्कोरिंग समाधान जो ग्राहकों को उनके ड्राइविंग व्यवहार को समझने और सुधारने में मदद करता है और कम बीमा प्रीमियम के माध्यम से अच्छे ड्राइविंग व्यवहार के लिए ग्राहकों को पुरस्कृत भी करता है।
- एमएस टीमों पर बुद्धिमान आभासी सहायक, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और मशीन लर्निंग (एमएल) एल्गोरिदम का उपयोग करके मानव संसाधन से संबंधित प्रश्नों को सुव्यवस्थित करने और कर्मचारियों को सटीक और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- दावे की सूचना देते समय ग्राहक द्वारा दिए गए वीडियो और ऑडियो प्रतिक्रियाओं पर आधारित धोखाधड़ी समाधान पायलट चरण में है।
- अनुसंधान संगठनों के सहयोग से दो उद्योग रिपोर्ट आयोजित की जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बारे में उपभोक्ता की चिंताओं पर केंद्रित है और ईवी-विशिष्ट बीमा की आवश्यकता पर केंद्रित है।
- साझेदारों के लिए तकनीकी उपकरण और सेवाओं का परिचय, जिसमें एजेंट माइक्रोसाइट्स, एक सुव्यवस्थित एजेंट ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया, ऑन-बोर्डिंग समय को 70 प्रतिशत तक कम करना और जांचकर्ताओं के लिए मामलों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए एक मोबाइल ऐप शामिल है।
- उद्योग ने 2023 में महामारी के बाद के यात्रा व्यवहारों का पता लगाया और यात्रा की आदतों और दृष्टिकोण में बदलाव का आकलन किया, जिससे अंततः बीमा कंपनियों को इन क्षेत्रों में उपभोक्ता जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिली।

1.6 समीक्षा

1.6.1 पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण

1.6.1.1 पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए आधारभूत ढाँचा आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 में निहित है। आईआरडीएआई शिकायत निवारण के लिए बीमाकर्ताओं की नीति की निगरानी करने के द्वारा पालिसीधारकों की शिकायतों के समाधान को सुसाध्य बनाता है तथा बीमा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने लिए उपयुक्त पहल करता है।

1.6.1.2 बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए माध्यम उपलब्ध कराने हेतु, आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई शिकायत काल सेंटर (आईजीसीसी) स्थापित किया है। आईआरडीएआई ने शिकायत प्रबंध के लिए एक आनलाइन प्रणाली के रूप में बीमा भरोसा पोर्टल भी स्थापित की है जो न केवल शिकायतें आनलाइन पंजीकृत कराने और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रवेश-मार्ग (गेटवे) है, बल्कि यह बीमाकर्ताओं द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई हेतु एक उद्योग-व्यापी शिकायत रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है। जीवन बीमाकर्ताओं के खिलाफ विरुद्ध पंजीकृत शिकायतों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में लगभग 17.73 प्रतिशत कमी आई तथा बेची गई नई पालिसियों के संबंध में कुल अनुचित व्यवसाय पद्धतियों की शिकायतों का अनुपात 2022-23 में 0.09 प्रतिशत पर स्थित है।

सारणी 1.15: जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों संबंधी शिकायतें (यूएफबीपी)

शिकायतें	2021-22			2022-23		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
जीवन बीमाकर्ताओं पर शिकायतों की कुल संख्या	1,14,202	40,624	1,54,826	81,494	45,884	1,27,378
यूएफबीपी शिकायतों की संख्या	3,509	22,207	25,716	2,978	23,129	26,107
कुल शिकायतों में यूएफबीपी शिकायतों का हिस्सा (%)	3.07	54.66	16.61	3.65	50.41	20.50
कुल शिकायतों में यूएफबीपी शिकायतों का हिस्सा (%)	0.02	0.3	0.09	0.04	0.11	0.09

आईआरडीएआई/आईजीएमएस, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के नाम से छल-कपटपूर्ण कॉल बीमा व्यवसाय के लिए चिंता का विषय है। आईआरडीएआई ने विभिन्न संपर्क-बिन्दुओं पर और मीडिया में भी छल-कपटपूर्ण कॉलों आदि के विरुद्ध जनसाधारण को सतर्क करने के लिए कई सार्वजनिक सूचनाएँ, प्रेस प्रकाशनियाँ, अग्रणी टीवी चैनलों पर और समाचारपत्रों में विज्ञापन एवं बीमा कंपनियों को निदेश जारी किये हैं। आईआरडीएआई ने सार्वजनिक को किसी भी प्रकार से छल-कपटपूर्ण काल करनेवालों के साथ कोई लेनदेन न करने के लिए चेतावनी दी है।

1.6.1.3 बीमाकर्ताओं को प्रमुख कारणों की पहचान करने के लिए अपविक्रय का मूल कारण विश्लेषण करने के द्वारा अपविक्रय की समस्या को गंभीरतापूर्वक लेने की सलाह दी गई है। उनमें से कुछ कदम हैं, उत्पाद की उपयुक्तता का पता लगाना, माध्यम की असुरक्षितता के आधार पर विभिन्न माध्यमों को अनुकूल बनाते हुए उनपर नियंत्रण रखना एवं अपविक्रय की शिकायतों को सँभालने के संबंध में एक कार्यनीति बनाना।

उपभोक्ता शिक्षा

1.6.1.4 अपविक्रय को कम करने का निश्चित मार्ग है आम जन को बीमा की संकल्पना, बीमा पालिसियों के प्रकारों, कवर किये गये जोखिमों, प्रस्तावित लाभों, अपवर्जनों और शर्तों आदि से अवगत कराना। वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के लिए वित्तीय शिक्षण के विभिन्न प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त करना अपेक्षित है।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति का कार्यान्वयन

आईआरडीएआई द्वारा वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एनसीएफई) की कोर समिति के एक सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी है, जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) 2019-2024 को कार्यान्वित करने के उद्देश्य के साथ स्थापित भारत में सभी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं के प्रतिनिधियों से युक्त संस्था है। कार्यकारी निदेशक, आईआरडीएआई द्वारा एनसीएफई के वर्तमान अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ाई जा रही है। एनसीएफई ने आईआरडीएआई के साथ समन्वय में 'स्कूल के पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा का एकीकरण' विषय पर एक दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन आयोजित किया है।

1.6.2 बीमाकर्ताओं के शोधन-क्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण

1.6.2.1 प्रत्येक बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता हर समय देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के ऐसे आधिक्य को बनाये रखेगा, जो कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 के अनुसार न्यूनतम पूंजी की राशि के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निकाला जाएगा। आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016, आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 तथा आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 में अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति विस्तार से वर्णित है।

बीमा अधिनियम, 1938 (समय-समय पर संशोधित) शोधनक्षमता मार्जिन के एक स्तर को निर्दिष्ट करता है जिसे शोधनक्षमता के नियंत्रण स्तर के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में आवश्यक शोधनक्षमता अनुपात का 150 प्रतिशत है।

1.6.2.2 जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन-क्षमता अनुपात:

मार्च 2023 की समाप्ति पर, सभी जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.5 के निर्धारित शोधनक्षमता अनुपात का अनुपालन किया। जीवन बीमाकर्ताओं के लिए बीमा कंपनी-वार शोधनक्षमता अनुपात विवरण 11 में प्रस्तुत किया गया है।

1.6.2.3 गैर - जीवन का शोधन-क्षमता अनुपात

31 मार्च, 2023 तक, सभी 25 निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) ने 1.50 के निर्धारित शोधनक्षमता अनुपात का अनुपालन किया है। आईआरडीएआई के आदेश आईआरडीए/एफ & ए/ओआरडी/एसओएलपी/200/11/2019 दिनांक 06 नवंबर 2019 द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड का व्यावसायिक पोर्टफोलियो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अंतरित किया गया था।

31 मार्च, 2023 तक शोधनक्षमता अनुपात की गणना के लिए, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाँ अर्थात् नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (नेशनल) नेशनल, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओरिएंटल) और द

यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूनाइटेड) को 31.03.2023 तक उचित मूल्य परिवर्तन खाते के 75 प्रतिशत की फोरबेयरेंस प्रदान की गई है। इसके अलावा, सभी चार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ओएमओपी के प्रति अपनी पेंशन देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी गई है। पूर्वोक्त फोरबेयरेंस के बिना, नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड ने 31 मार्च, 2023 तक शोधनक्षमता अनुपात क्रमशः (-) 0.29, (-) 0.96 और (-) 0.29 गुना दर्ज किया है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (न्यू इंडिया) ने 31 मार्च 2023 तक शोधनक्षमता अनुपात 1.87 दर्ज किया है। 31 मार्च, 2023 तक, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं, अर्थात् एआईसी और ईसीजीसी ने क्रमशः 2.49 और 47.93 का शोधनक्षमता अनुपात रिपोर्ट किया है।

पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधन-क्षमता अनुपात

भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई) ने 31 मार्च 2023 को शोधनक्षमता अनुपात 2.61 की सूचना दी। सभी

विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं ने 31 मार्च, 2023 को शोधनक्षमता अनुपात 1.5 से ऊपर की सूचना दी है। (विवरण 12 और 13)

1.6.3. पुनर्बीमा की निगरानी:

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, आईआरडीएआई के पास पंजीकृत केवल एक भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अर्थात् भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई) है। जीआईसी आरई भारत में प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं और विदेशी बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को पुनर्बीमा समर्थन प्रदान कर रहा है। जीआईसी आरई नाभिकीय समूह (पूल) और आतंकवाद समूह (पूल) और समुद्री कार्गो बहिष्कृत क्षेत्र पूल (एमसीईटी पूल) का प्रबंध कर रहा है। एकमात्र भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में, जीआईसी आरई को देशी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई प्रत्येक पॉलिसी पर कुछ सीमाओं के अधीन अनिवार्य अध्वर्षण प्राप्त करता है तथा इन बीमाकर्ताओं के अधिकांश समझौता कार्यक्रमों और विकल्पी कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है। 2022-23 के लिए यह अनिवार्य अध्वर्षण 4 प्रतिशत है।

सारणी 1.16: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण (प्रतिशत में)

(प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	क्षेत्र	अग्नि	समुद्री माल	समुद्री पतवार	मोटर	विमानन	अभियांत्रिकी	अन्य विविध	कुल
2021-22	सार्वजनिक	43.68	72.4	31.5	94.64	51.86	18.67	80.15	78.29
	निजी	23.57	64.98	2.33	84.88	22.53	15.79	65.55	67.43
	कुल	31.39	67.26	26.77	87.87	37.59	18.07	72.29	71.85
2022-23	सार्वजनिक	40.82	67.15	34.71	95.79	52.26	25.33	78.76	77.53
	निजी	21.19	62.41	5.14	83.57	21.26	8.07	69.1	68.44
	कुल	28.39	63.72	30.54	87.09	37.42	19.88	73.29	71.93

सारणी 1.17: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा स्थानन

(रु करोड़)

विवरण		अग्नि	समुद्री माल	समुद्री पतवार	मोटर	विमानन	अभियांत्रिकी	अन्य विविध	कुल
भारत के अंदर रखा गया पुनर्बीमा प्रीमियम	2021-22	10,797.82	604.87	410.26	8,050.45	449.17	1,521.33	23,533.36	45,367.26
		46.11	18.47	38.42	11.33	45.2	40.76	19.37	20.16
	2022-23	12,968.32	723.9	413.98	10,223.57	362.36	1,918.1	22,597.88	49,208.12
		49.42	18.54	32.48	12.46	34.33	42.26	15.85	18.81
भारत के बाहर रखा गया पुनर्बीमा प्रीमियम	2021-22	5,268.62	467.7	371.7	566.62	365.02	808.08	10,144.01	17,991.75
		22.5	14.28	34.81	0.8	36.73	21.65	8.35	7.99
	2022-23	5,823.89	694.73	471.36	367.43	483.29	922.55	15,481.55	24,244.79
		22.19	17.79	36.98	0.45	45.79	20.32	10.86	9.27

टिप्पणी: दूसरी पंक्तियों के आंकड़े कुल प्रीमियम की तुलना में सकल प्रीमियम का प्रतिशत दर्शाते हैं।

विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ (एफआरबी)

1.6.3.1 भारत को एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) बनाने के उद्देश्य से बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और सोसाइटी आफ़ लायड्स को भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए भारत में अपनी शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है। एफआरबी को आईआरडीएआई (लॉयड के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और संचालन) विनियम, 2015 का पालन करना होगा और लॉयड और इसकी सेवा कंपनियों को आईआरडीएआई (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 और आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य परिपत्र/दिशानिर्देश का पालन करना होगा। 31 मार्च 2023 तक, भारत में लायड्स सहित 11 विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ (एफआरबी) परिचालन कर रही है। लायड्स इंडिया एक सर्विस कंपनी के माध्यम से परिचालन कर रही है।

इन एफआरबी द्वारा बुक किए गए पुनर्बीमा व्यवसाय का विवरण निम्नानुसार है;

विवरण	2021-22	2022-23
सकल आरआई प्रीमियम आय - भारतीय व्यवसाय (₹ करोड़)	17,962	17,911

सीमापार पुनर्बीमाकर्ता

1.6.3.2 "सीमापार पुनर्बीमाकर्ता" (सीबीआर) वे पुनर्बीमाकर्ता हैं, जिनकी भारत में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, परंतु भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करते हैं। सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआर) बीमाकर्ताओं को पुनर्बीमा सहायता/क्षमता प्रदान करने में पुनर्बीमा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौंपने वाले बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीबीआर आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के अनुसार आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं और उनके साथ कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उनके पास आईआरडीएआई द्वारा जारी फ़ाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन) है।

1.6.3.3 व्यवसाय करने में आसानी को बेहतर बनाने के अपने निरंतर प्रयास में आईआरडीएआई ने वित्त वर्ष 2022-23 से

एफआरएन के स्वतः नवीनीकरण की सुविधा बढ़ा दी है, बशर्ते ऐसे सीबीआर आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 में निर्दिष्ट आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हों। सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में विनियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के तहत "सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं" पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और ये दिशानिर्देश 3 जनवरी, 2023 से प्रभावी हैं।

1.6.3.4 इन दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बीमाकर्ता सीबीआर के लिए हर वर्ष स्वयं एफआरएन उत्पन्न कर सकता है जो स्वतः नवीनीकरण के लिए योग्य है। सीबीआर, जो स्वतः नवीनीकरण के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें सीबीआर पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके वार्षिक आधार पर एफआरएन प्राप्त करना होगा। आईआरडीएआई, सीबीआर की ओर से बीमाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन की जांच पर, एफआरएन आवंटित कर सकता है। सीबीआर को आईआरडीएआई द्वारा एक फ़ाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) दी जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य है, जो सीबीआर को भारतीय बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करने में समर्थ बनाती है। वित्त वर्ष 2022-23 में, 283 सीबीआर ने भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय में सहभागिता की है जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 290 सीबीआर ने सहभागिता की थी।

पुनर्बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन

1.6.3.5 भारत में, पुनर्बीमा व्यवसाय भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, एफआरबी और सीबीआर द्वारा किया जा रहा है। भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और एफआरबी द्वारा वर्ष 2022-23 में प्राप्त ₹54,677.58 करोड़ के सकल पुनर्बीमा प्रीमियम में से, भारतीय व्यवसाय लगभग 79 प्रतिशत का था और शेष विदेशी व्यवसाय का रहा। वर्ष 2022-23 में ₹43,295 करोड़ के कुल भारतीय व्यवसाय में से, जीआईसी आरई का अंश लगभग 59 प्रतिशत था और शेष एफआरबी द्वारा किया गया था।


एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं के सकल पुनर्बीमा प्रीमियम का सारांश विवरण 14 में प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिधारण और पुनर्बीमा स्थानन:

I.6.3.6 2022-23 में, भारत के अंदर और बाहर साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा दिया गया पुनर्बीमा प्रीमियम सकल प्रीमियम का क्रमशः 18.81 प्रतिशत और 9.27 प्रतिशत रहा। 2021-22 में साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा निवल प्रतिधारण में 71.85 प्रतिशत से 2022-23 में 71.93 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई है।

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा स्थानन:

I.6.3.7 2022-23 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में ₹663.53 करोड़ की राशि सौंपी गई (2021-22 में ₹605.76 करोड़)। निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने पुनर्बीमा के प्रीमियम के रूप में कुल मिलाकर ₹6,451.02 करोड़ (2021-22 में ₹5,190.21 करोड़) सौंपे। जीवन बीमा क्षेत्र का प्रतिधारण अनुपात 2022-23 के लिए 99.09 प्रतिशत था, जबकि 2021-22 के लिए 99.16 प्रतिशत था।



बीमा समूह (पूल)

आतंकवाद जोखिम पूल

1.6.3.8 9/11 की घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा आतंकवाद कवर वापस लेने के बाद अप्रैल 2002 में भारत में सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की पहल से भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल (आईएमटीआरआईपी) का गठन किया गया था। पूल का प्रबंधन जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल अनेक स्थानों पर निवास स्थानों और अचल आस्तियों के कवर सहित, संपत्ति बीमा पालिसियों के अंतर्गत कवर किये गये आतंकवाद जोखिम के बीमा के लिए लागू है। इस पूल की प्रीमियम आय 2022-23 में ₹1,809 करोड़ थी, जबकि 2021-22 में ₹1,226.80 करोड़ थी। उक्त पूल द्वारा 2022-23 के दौरान अदा किये गये दावे ₹2.10 करोड़ थे।

नाभिकीय (न्यूक्लियर) पूल

1.6.3.9 नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक देयता अधिनियम, 2010 का अधिनियमन अज्ञात और संभावित रूप से नाभिकीय घटना से उत्पन्न होनेवाले आपाती जोखिम के संरक्षण को अनिवार्य बनाता है। सामान्यतः नाभिकीय संकट परंपरागत बीमा कवरों से अपवर्जित किये जाते हैं क्योंकि इसके लिए बड़ी बीमा क्षमता अपेक्षित है। अतः नाभिकीय संकटों से उत्पन्न होनेवाली देयता का संरक्षण करने के लिए, 2015 में भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) का गठन किया गया था, जिसका प्रबंधन भी जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल देश में नाभिकीय परिचालकों को और नाभिकीय आपूर्तिकर्ताओं को भी कवरेज प्रदान करता है। उक्त पूल की प्रीमियम आय 2022-23 के लिए पिछले वर्ष के ₹103.50 करोड़ के समान ही रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान उक्त पूल द्वारा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है।

समुद्री कार्गो बहिष्कृत क्षेत्र पूल (एमसीईटी पूल)

1.6.3.10 रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप, रूस के साथ व्यापार करने पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। उसी के

कारण, बेलारूस गणराज्य, यूक्रेन और/या रूसी संघ (जिसे 'बहिष्कृत क्षेत्र' कहा जाता है) के क्षेत्रों से भारतीय बीमाधारकों के लिए उर्वरकों और अन्य वस्तुओं के समुद्री कार्गो शिपमेंट के लिए पुनर्बीमा क्षमता उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की पहल के साथ वर्ष 2022 में समुद्री कार्गो बहिष्कृत क्षेत्र पूल (एमसीईटी पूल) का गठन किया गया था और पूल का प्रबंधन जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। पूल का मुख्य उद्देश्य पूल के सदस्यों को केवल बहिष्कृत क्षेत्रों से भारतीय बीमाधारकों के लिए उर्वरकों के आयात और निर्यात के समुद्री कार्गो शिपमेंट के लिए बीमा कवर प्रदान करने में सक्षम बनाना है और भारतीय बीमाधारकों के लिए आवश्यकतानुसार और पूल की जोखिम-अंकन समिति के परामर्श से दरों/शर्तों पर सहमति के साथ अन्य वस्तुओं को कवर करना है। 2022-23 के लिए पूल की प्रीमियम आय ₹26.59 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के दौरान पूल द्वारा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है।

1.6.4 बीमाकर्ताओं के निवेश की निगरानी

1.6.4.1 बीमाकर्ताओं को आईआरडीएआई (निवेश) विनियम 2016 के तहत आवश्यक निवेश के पैटर्न का पालन करना अनिवार्य किया गया है। 31 मार्च, 2023 तक, बीमा व्यवसाय द्वारा किया गया निवेश ₹60.04 लाख करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2022 को ₹54.36 लाख करोड़ था, जिसमें 10.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च, 2023 तक जीवन बीमाकर्ताओं की हिस्सेदारी 91 प्रतिशत थी, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) सहित साधारण बीमाकर्ताओं की हिस्सेदारी 7.15 प्रतिशत थी और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं सहित पुनर्बीमाकर्ताओं की हिस्सेदारी 1.85 प्रतिशत थी। इसी अवधि में पीएसयू बीमाकर्ता 72 प्रतिशत और निजी क्षेत्र 28 प्रतिशत थे। निवेश का विवरण सारणी 1.20 में दिया गया है।

सारणी 1.18: जीवन बीमाकर्ताओं का निवेश: श्रेणी-वार

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	वर्ग	2021-22	2022-23
क	पारंपरिक निधि		
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	18,95,074 (43.46)	21,82,289 (44.95)
2	राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	10,79,100 (24.75)	11,60,415 (23.9)
3	आवास और आधारभूत ढाँचा	3,94,524 (9.05)	4,57,272 (9.42)
4	स्वीकृत निवेश	8,36,597 (19.19)	9,13,359 (18.82)
5	अन्य निवेश	1,55,341 (3.56)	1,41,084 (2.91)
A	कुल (1+2+3+4+5)	43,60,637 (100.00)	48,54,419 (100.00)
ख	यूएलआईपी फंड		
6	स्वीकृत निवेश	5,25,205 (88.78)	5,50,523 (90.4)
7	अन्य निवेश	66,346 (11.22)	58,472 (9.6)
ख	कुल (6+7)	5,91,550 (100.00)	6,08,995 (100.00)
	कुल योग (क + ख)	49,52,187	54,63,414

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं

सारणी 1.19: साधारण, स्वास्थ्य, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं का निवेश: श्रेणीवार

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	वर्ग	31 मार्च 2022 तक,			31 मार्च 2023 तक,		
		साधारण बीमाकर्ता	पुनर्बीमाकर्ता	कुल	साधारण बीमाकर्ता	पुनर्बीमाकर्ता	कुल
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	1,03,130 (26.7)	36,037 (36.65)	1,39,166 (28.72)	1,32,774 (30.92)	40,797 (36.6)	1,73,571 (32.09)
2	राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	83,491 (21.62)	21,154 (21.51)	1,04,645 (21.6)	88,464 (20.6)	24,614 (22.08)	1,13,078 (20.9)
3	आवास और एफएफई के लिए राज्य सरकार को आवास और ऋण	31,122 (8.06)	7,347 (7.47)	38,470 (7.94)	37,703 (8.8)	7,466 (6.7)	45,169 (8.37)
4	आधारभूत ढांचा निवेश	58,402 (15.12)	9,779 (9.94)	68,181 (14.07)	60,778 (14.15)	12,488 (11.2)	73,266 (13.54)
5	स्वीकृत निवेश	96,625 (25.02)	20,088 (20.43)	1,16,713 (24.09)	97,655 (22.74)	22,174 (19.89)	1,19,829 (22.15)
6	अन्य निवेश	13,437 (3.48)	3,928 (3.99)	17,365 (3.58)	11,956 (2.78)	3,926 (3.52)	15,883 (2.94)
	कुल	3,86,206 (100.00)	98,334 (100.00)	4,84,540 (100.00)	4,29,330 (100.00)	1,11,465 (100.00)	5,40,795 (100.00)

टिप्पणी 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं

- साधारण बीमाकर्ताओं में विशेषीकृत बीमाकर्ता और एस ए एच आई शामिल हैं
- पुनर्बीमाकर्ताओं में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ शामिल हैं

सारणी I.20: बीमा व्यवसाय का निवेश

(करोड़ रु.)

खंड	2021-22			2022-23		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
जीवन बीमाकर्ता	36,79,475 (8.29)	12,72,712 (17.61)	49,52,187 (10.54)	40,43,655 (9.9)	14,19,759 (11.55)	54,63,414 (10.32)
साधारण बीमाकर्ता	1,67,993 (5.85)	2,18,214 (14.81)	3,86,206 (10.73)	1,70,167 (1.37)	2,59,164 (18.77)	4,29,331 (11.17)
पुनर्बीमा कंपनियों	77,349 (12.43)	20,985 (33.38)	98,334 (16.33)	86,175 (11.41)	25,289 (20.51)	1,11,464 (13.35)
कुल	39,24,816 (8.26)	15,11,911 (17.39)	54,36,727 (10.65)	43,00,119 (9.56)	17,04,212 (12.72)	60,04,209 (10.44)

टिप्पणी 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं
2. साधारण बीमाकर्ताओं में विशेषीकृत बीमाकर्ता और एस ए एच आई शामिल हैं
3. पुनर्बीमाकर्ताओं में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ शामिल हैं

सारणी I.21: जीवन बीमाकर्ताओं का निवेश: फंड-वार (31 मार्च तक)

(करोड़ रु.)

खंड	2021-22			2022-23		
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल
जीवन निधि	26,45,919	5,49,033	31,94,952	28,61,600	6,56,781	35,18,381
पेंशन और साधारण वार्षिकी एवं समूह निधि	10,09,757	1,55,929	11,65,685	11,55,875	1,80,163	13,36,038
यूनिट संबद्ध निधि	23,800	5,67,750	5,91,550	26,180	5,82,815	6,08,995
कुल	36,79,475	12,72,712	49,52,187	40,43,655	14,19,759	54,63,414

जीवन बीमाकर्ताओं का निवेश

I.6.4.2 जीवन बीमाकर्ताओं की निधि पारंपरिक उत्पादों और यूएलआईपी उत्पादों से किए गए निवेश के आधार पर विभाजित होती हैं। 31 मार्च, 2023 तक जीवन बीमाकर्ताओं की कुल धनराशि ₹54.63 लाख करोड़ थी, जिसमें से ₹48.54 लाख करोड़ (कुल धनराशि का 88.85 प्रतिशत) पारंपरिक उत्पादों से थी और शेष ₹6.09 लाख करोड़ (कुल निधि का 11.14 प्रतिशत) यूएलआईपी उत्पादों से थी। जीवन बीमाकर्ताओं के श्रेणी-वार निवेश सारणी I.18 में दिए गए हैं। विवरण 16 में जीवन बीमा कंपनी-वार निवेश प्रस्तुत किया गया है।

I.6.4.3 निधियों के वर्गीकरण की विधि के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक जीवन निधि ने ₹35.18 लाख करोड़ (कुल

निधि का 64.40 प्रतिशत), पेंशन और साधारण वार्षिकी और समूह निधि ₹13.36 लाख करोड़ (कुल निधि का 24.45 प्रतिशत) और यूनिट संबद्ध फंड (यूएलआईपी) ₹6.09 लाख करोड़ (कुल निधि का 11.15 प्रतिशत) का योगदान दिया। 24.45 प्रतिशत और यूएलआईपी फंड 11.95 प्रतिशत से घटकर 11.15 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल निवेश में पेंशन और साधारण वार्षिकी और समूह निधि की हिस्सेदारी 23.54 प्रतिशत से बढ़कर 24.45 प्रतिशत हो गई है और यूएलआईपी निधि 11.95 प्रतिशत से घटकर 11.15 प्रतिशत हो गई है। 2022-23 में जीवन निधि की हिस्सेदारी 64.52 प्रतिशत से घटकर 64.40 प्रतिशत हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीवन, पेंशन/वार्षिक निधि और यूएलआईपी निधि की मात्रा में क्रमशः ₹3.23 लाख करोड़, ₹1.70 लाख करोड़ और ₹0.17 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है।

साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं का निवेश

1.6.4.4 बीमा क्षेत्र द्वारा किए गए कुल निवेश में साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा निवेश का अंश 9.01 प्रतिशत था। साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए निवेश की कुल राशि 31 मार्च, 2023 तक ₹5.41 लाख करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹4.84 लाख करोड़ थी, जिसमें 11.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.6.4.5 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं ने केंद्र, राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में प्रमुख रूप से ₹2.87 लाख करोड़ (52.99 प्रतिशत) और अनुमोदित प्रतिभूतियों में ₹1.20

लाख करोड़ (22.15 प्रतिशत) का निवेश किया है। साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए श्रेणीवार निवेश सारणी 1.19 में दिखाए गए हैं। साधारण बीमा और पुनर्बीमा कंपनी-वार निवेश विवरण 17 में प्रस्तुत किए गए हैं।

1.6.5. साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (पीए और यात्रा बीमा को छोड़कर)

1.6.5.1 वर्ष 2022-23 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा को छोड़कर) बीमा प्रीमियम के रूप में ₹89,492 करोड़ का संग्रहण किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।


सारणी 1.22: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

(करोड़ रु.)


क्षेत्र	2021-22	2022-23
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	32,942.86	39,058.09
	(20.99)	(18.56)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	20,107.23	25,182.04
	(26.66)	(25.24)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	20,001.43	25,251.63
	(32.16)	(26.25)
कुल	73,051.52	89,491.76
	(25.44)	(22.51)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) को इंगित करते हैं
2. आंकड़ों में विदेशों में किए गए स्वास्थ्य बीमा कारोबार का विवरण शामिल नहीं है
3. प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर है
4. बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य रिटर्न के अनुसार आँकड़ा

चार्ट 1.20: साधारण बीमा के प्रीमियम में क्षेत्र-वार हिस्सेदारी (2022-23)



चार्ट 1.21: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में रुझान (पीए और यात्रा बीमा को छोड़कर)



स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर की गई पालिसियाँ और जीवन


1.6.5.2 2022-23 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 2.26 करोड़ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा के अंतर्गत जारी की गई पालिसियों को छोड़कर) के अंतर्गत 55 करोड़ जीवनों को कवर किया है।

सारणी 1.23: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पॉलिसियां, आच्छादित जीवन और प्रीमियम

व्यवसाय की श्रेणी	पॉलिसियों की संख्या (लाख)		आच्छादित जीवन की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (करोड़)	
	2021 -22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
सरकार प्रायोजित व्यवसाय	0.001	0.001	3,065.08	2,977.48	6,075.87	8,480.28
	(0.00)	(0.00)	(-10.62)	(-2.86)	(41.63)	(39.57)
सामूहिक व्यवसाय	7.00	6.50	1,622.88	1,993.97	36,890.58	46,245.87
	(-36.30)	(-7.07)	(36.73)	(22.87)	(31.25)	(25.36)
वैयक्तिक व्यवसाय	219.25	219.92	516.23	528.91	30,085.07	34,765.61
	(-3.96)	(0.31)	(-2.85)	(2.46)	(16.43)	(15.56)
कुल	226.25	226.42	5,204.19	5,500.36	73,051.52	89,491.76
	(-5.20)	(0.08)	(1.10)	(5.69)	(25.44)	(22.50)


टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) को इंगित करते हैं आँकड़ा में पीए और यात्रा बीमा शामिल नहीं है।

चार्ट 1.22: कवर किए गए जीवन (लाखों में) और प्रीमियम (₹ करोड़)। स्वास्थ्य बीमा (2022-23) पीए और यात्रा को छोड़कर।



राज्यवार स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय


1.6.5.3 जबकि पांच राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली ने 2022-23 में कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का लगभग 64 प्रतिशत का अंशदान किया है, शेष राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों ने शेष 36 प्रतिशत का अंशदान किया है।



स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत दावे

1.6.5.4 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत निवल उपगत दावे 2022-23 में ₹64,631 करोड़ थे, इन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। स्वास्थ्य व्यवसाय के उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) में 2021-22 में 109 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 89 प्रतिशत हो गई है और यह कमी स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों/क्षेत्र में देखी गई है।




सारणी 1.24: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात

क्षेत्र	सरकारी व्यवसाय		सामूहिक व्यवसाय		वैयक्तिक व्यवसाय		कुल	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
सार्वजनिक क्षेत्र	121.27	101.49	130.33	106.98	117.99	101.65	126.17	104.91
निजी क्षेत्र	111.71	123.67	106.19	89.38	102.52	79.98	105.11	86.82
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	0.00	0.00	87.73	60.60	79.38	62.66	81.18	62.17
कुल	119.82	102.28	118.64	95.89	95.54	76.03	109.12	88.89


टिप्पणी:

1. इसमें वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय शामिल नहीं है
2. आँकड़ा बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य रिटर्न के अनुसार

चार्ट 1.25: स्वास्थ्य बीमा के तहत व्यय दावा अनुपात में रुझान: क्षेत्रवार



चार्ट 1.26: स्वास्थ्य बीमा के तहत व्यय दावा अनुपात में रुझान: खंड के अनुसार



1.6.5.5 2022-23 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2.36 करोड़ स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान किया है और स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के प्रति ₹70,930 करोड़ का भुगतान किया है। दावा अदा की गई औसत राशि ₹30,087 थी। निपटाए गए दावों की संख्या के संदर्भ में, 75 प्रतिशत दावों का निपटान टीपीए के माध्यम से किया गया और शेष 25 प्रतिशत दावों का निपटान आंतरिक व्यवस्था के

माध्यम से किया गया। दावों के निपटान की पद्धति के तौर पर, दावों की कुल संख्या के 56 प्रतिशत का निपटान नकदीरहित पद्धति द्वारा किया गया तथा और अन्य 42 प्रतिशत का निपटान प्रतिपूर्ति पद्धति के माध्यम से किया गया। बीमाकर्ताओं ने अपने दावों के दो प्रतिशत का निपटान “दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति पद्धति” के द्वारा किया है।

सारणी 1.25: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के तहत अदा किये गये दावे (2022-23)

दावा निपटान का तरीका समझौता	टीपीए		आंतरिक		कुल	
	सं. (lakhs)	राशि (₹crore)	सं. (lakhs)	राशि (₹crore)	सं. (lakhs)	राशि (₹crore)
केवल कैशलेस	103.37	29,192.22	28.03	15,936.60	131.40	45,128.82
	(58.77)	(64.87)	(46.84)	(61.47)	(55.74)	(63.62)
केवल प्रतिपूर्ति	69.03	15,603.52	29.28	9,049.71	98.31	24,653.23
	(39.24)	(34.67)	(48.93)	(34.90)	(41.70)	(34.76)
कैशलेस और प्रतिपूर्ति दोनों	2.92	148.66	0.96	557.49	3.88	706.15
	(1.66)	(0.33)	(1.60)	(2.15)	(1.64)	(1.00)
लाभ आधारित	0.59	57.66	1.58	383.97	2.17	441.63
	(0.33)	(0.13)	(2.63)	(1.48)	(0.92)	(0.62)
कुल	175.90	45,002.05	59.85	25,927.77	235.75	70,929.82
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

1.6.5.6 2022-23 के दौरान, बीमाकर्ताओं ने अपनी बहियों में पंजीकृत दावों की कुल संख्या के लगभग 86 प्रतिशत को निपटाया है और उनके लगभग आठ प्रतिशत को निराकृत किया है तथा शेष लगभग छह प्रतिशत 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निपटान के लिए लंबित थे।

सारणी 1.26: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (2022-23)


संख्या लाख में और राशि (₹ करोड़)

अवधि की शुरुआत में बकाया दावे		इस अवधि के दौरान पंजीकृत किये गये नये दावे		कुल दावे		अवधि के दौरान भुगतान किए गए दावे		पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार अस्वीकृत किए गए दावे		इस अवधि के दौरान अस्वीकृत किए गए दावे		वर्ष के अंत में बकाया दावे	
सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
20.06	5,978.44	255.18	93,060.46	275.24	99,038.92	235.75	70,929.82	0.00	12,754.95	21.65	9,107.68	17.84	6,246.88
				(100)	(100)	(85.66)	(71.62)	(0)	(12.88)	(7.87)	(9.20)	(6.48)	(6.31)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

1.6.5.7 वर्ष 2022-23 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में 2021-22 में ₹1,303 करोड़ की तुलना में ₹1,483 करोड़ का संग्रहण किया और 13.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।



सारणी 1.27: जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पॉलिसियां, आच्छादित जीवन और प्रीमियम

व्यवसाय की श्रेणी	पॉलिसियों की संख्या/ राइडर्स की संख्या		आच्छादित जीवन की संख्या ('000)		सकल प्रीमियम (रु करोड़)	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विपणन किए गए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद						
नया व्यवसाय	3,37,826	2,86,397	473.08	298.76	129.96	98.86
नवीनीकरण व्यवसाय	9,49,796	6,52,631	1,002.41	1,019.35	646.70	442.03
जीवन बीमा उत्पादों से जुड़े स्वास्थ्य राइडर्स						
नया व्यवसाय	7,61,638	8,19,586	4,695.48	5,861.60	231.63	479.65
नवीनीकरण व्यवसाय	24,67,603	31,09,308	3,379.31	3,441.80	295.06	462.76

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विपणन किये गये स्वास्थ्य बीमा उत्पाद

1.6.5.8 2022-23 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से ₹541 करोड़ का कुल प्रीमियम प्राप्त किया। जबकि नवीकरण प्रीमियम ने कुल प्रीमियम का लगभग 82 प्रतिशत अंशदान किया, वहीं नये व्यवसाय ने शेष 18 प्रतिशत का अंशदान किया। जीवन बीमाकर्ताओं ने 2.99 लाख जीवनो को कवर करते हुए 2.86 लाख नई पॉलिसियां जारी की हैं, जबकि उन्होंने 2022-23 के दौरान 10.19 लाख जीवनो को कवर करते हुए 6.53 लाख पॉलिसियों का नवीकरण किया है।

जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा राइडर

1.6.5.9 राइडर जो मूल उत्पादों के साथ संबद्ध किये जाते हैं, एक वर्धित मूल्य के रूप में पालिसीधारकों को प्रस्तावित किये जाते हैं। 2022-23 के दौरान जीवन बीमा पॉलिसियों से जुड़े स्वास्थ्य बीमा राइडर्स के माध्यम से ₹942 करोड़ का प्रीमियम

प्राप्त किया गया। इन राइडर्स के कुल प्रीमियम में से नवीकरण 49 प्रतिशत के थे, जबकि शेष 51 प्रतिशत का अंशदान नये व्यवसाय के द्वारा किया गया। 2022-23 के दौरान, 58.62 लाख जीवनो के कवर करनेवाले नये जीवन बीमा उत्पादों के साथ 8.20 लाख स्वास्थ्य बीमा राइडर जारी किए गए। इसी अवधि के दौरान, जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध 31.09 लाख राइडरों का नवीकरण किया गया जिन्होंने 34.42 लाख जीवनो को कवर किया।

जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावे

1.6.5.10 वर्ष 2022-23 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में 37,976 दावों (पंजीकृत दावों की कुल संख्या का 81 प्रतिशत) के निपटान के लिए ₹469 करोड़ का भुगतान किया है। राइडर दावों के संबंध में, पंजीकृत दावों में से 77 प्रतिशत का भुगतान जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा 1,955 दावों के निपटान के प्रति ₹68 करोड़ की राशि का किया गया था।

सारणी 1.28: जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (2022-23)

(राशि रु करोड़ में)

खंड	वर्ष की शुरुआत में ओ/एस का दावे		वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए दावे		वर्षके दौरान भुगतान किये गये दावे		वर्ष की शुरु आत में ओ/एस दावे		वर्ष की शुरु अंत में ओ/एस दावे	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
स्वास्थ्य बीमा उत्पाद	1,587	49.60	45,082	517.93	37,967	469.18	8,158	81.31	544	17.04
स्वास्थ्य बीमा राइडर्स	103	8.19	2,443	96.47	1,955	68.17	442	24.09	149	12.40

वैयक्तिक दुर्घटना बीमा

1.6.5.11 2022-23 के दौरान, बीमा व्यवसाय ने वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कुल 119.01 करोड़ जीवनों को कवर किया है। इसमें सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और ई-टिकट यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी यात्रा बीमा के अंतर्गत कवर किये गये 70.29 करोड़ जीवन शामिल हैं।

1.6.5.12 2022-23 के दौरान, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय से प्राप्त सकल प्रीमियम ₹7,048 करोड़ था। जबकि निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने कुल प्रीमियम का लगभग 59 प्रतिशत का अंशदान किया है, सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम के क्रमशः लगभग 30 प्रतिशत और 11 प्रतिशत का अंशदान किया है। व्यवसाय के इस क्षेत्र के लिए उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 61 प्रतिशत था।

सारणी 1.29: वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के तहत व्यवसाय

बीमाकर्ता	आच्छादित जीवन की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (रु करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
सार्वजनिक क्षेत्र	5,933.13	5,546.56	2,413.82	2,089.75	90.29	96.20
निजी क्षेत्र	5,381.25	6,082.04	3,722.47	4,171.23	44.62	48.14
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	251.40	272.30	777.91	786.60	24.37	24.54
कुल	11,565.77	11,900.90	6,914.20	7,047.58	60.03	60.77

टिप्पणी:

1. आँकड़ा में आईआरसीटीसी, पीएमएसबीवाई और पीएमजेडीवाई व्यवसायों के तहत कवर की गई जीवन की संख्या शामिल है।
2. आँकड़ा में विदेशों में किए गए पीए व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।
3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईआरसीटीसी योजना के तहत, रेल यात्रियों को पीए कवर केवल यात्री द्वारा की गई एक निर्दिष्ट यात्रा के लिए दिया जाता है और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान एक व्यक्ति कई यात्राएं कर सकता है। किसी भी पीए पॉलिसी/योजना में कवर किए गए जीवन के संबंध में, एक व्यक्ति को कई बार कवर किया जा सकता है।

सारणी 1.30: सरकार द्वारा प्रायोजित वैयक्तिक दुर्घटना योजनाओं की व्याप्ति (2022-23)

(रु करोड़)

योजना	आच्छादित जीवन की संख्या (लाख)	सकल प्रीमियम (रु करोड़)
आईआरसीटीसी	2,763.64	8.07
पीएमजेडीवाई	1,721.25	3.63
पीएमएसबीवाई	2,544.31	498.06
कुल	7,029.20	509.76

यात्रा बीमा

1.6.5.13 2022-23 के दौरान, 21.99 लाख विदेशी यात्रा बीमा पॉलिसियों के तहत 78.71 लाख लोगों को कवर किया गया। 2022-23 के लिए विदेशी यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल

प्रीमियम आय ₹906 करोड़ थी। व्यवसाय के इस क्षेत्र में, सकल प्रीमियम में लगभग 83 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ निजी साधारण बीमाकर्ता प्रमुख खिलाड़ी हैं। वर्ष 2022-23 के लिए व्यवसाय के इस क्षेत्र के लिए आईसीआर 42 प्रतिशत था।

सारणी I.31: विदेश यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	आच्छादित जीवन की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (रुकरोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
सार्वजनिक क्षेत्र	0.20	0.57	11.50	20.05	222.32	41.91
निजी क्षेत्र	16.85	69.54	325.22	747	65.53	43.68
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	2.04	8.60	56.14	138.49	27.38	32.10
कुल	19.09	78.71	392.86	905.53	65.59	41.59

टिप्पणी: अँकड़ा में विदेशों में किए गए विदेशी यात्रा बीमा व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।

I.6.5.14 2022-23 के दौरान, घरेलू यात्रा बीमा व्यवसाय से का संग्रहण किया गया प्रीमियम ₹230 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 1.23 लाख पॉलिसियों के तहत 47.95 करोड़ जीवनों को कवर किया है।

सारणी I.32: देशी यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	आच्छादित जीवन की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (रुकरोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
सार्वजनिक क्षेत्र	0.00	0.01	0.0007	0.01	0.00	0.00
निजी क्षेत्र	3,067.10	4,776.34	105.43	162.70	18.14	21.94
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	87.23	18.39	31.70	67.12	105.73	4.94
कुल	3,154.32	4,794.74	137.13	229.83	34.23	16.90

भारत के बाहर जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

I.6.5.15 सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाँ अर्थात् न्यू इंडिया, नेशनल और ओरिएंटल इंश्योरेंस विदेशों में स्वास्थ्य

बीमा व्यवसाय कर रही हैं। 2022-23 के दौरान, उन्होंने स्वास्थ्य, वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा से ₹263 करोड़ का सकल प्रीमियम प्राप्त किया और 11.47 लाख जीवनों को कवर किया है। भारत के बाहर किए गए इस व्यवसाय के लिए आईसीआर 2022-23 के दौरान 85 प्रतिशत था।

सारणी I.33 भारत के बाहर स्वास्थ्य, पीए, और यात्रा बीमा व्यवसाय जोखिम-अंकित प्रीमियम

बीमाकर्ता	आच्छादित जीवन की संख्या ('000)		सकल प्रीमियम (रु करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
नेशनल	57.80	98.00	2.88	2.67	195.93	189.96
न्यू इंडिया	764.02	1,033.32	167.66	218.80	80.32	81.12
ओरिएंटल	22.35	15.45	59.77	41.20	117.85	104.50
कुल	844.17	1,146.77	230.31	262.67	90.94	85.24

1.6.6 ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र में किये जाने वाले व्यवसाय का निर्दिष्ट प्रतिशत

आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ने बीमाकर्ताओं द्वारा वार्षिक आधार पर पूरे किये जानेवाले ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं के दायित्वों पर विनियमन

1.6.6.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ने बीमाकर्ताओं द्वारा वार्षिक आधार पर पूरे किये जाने वाले ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित किए। इन विनियमों के अनुसार, बीमाकर्ताओं को वर्षवार निर्धारित व्यावसायिक लक्ष्य पूरा करना आवश्यक है।

i. कुल व्यवसाय पर गणना किए गए सामाजिक क्षेत्र के जीवन के प्रतिशत के संदर्भ में; और

ii. जीवन बीमाकर्ताओं के लिए पॉलिसियों की संख्या के प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों से साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए प्रत्यक्ष जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम के संदर्भ में।

1.6.6.2 विनियमों के अनुसार बीमाकर्ताओं को परिचालन के वर्षों की संख्या के आधार पर इन क्षेत्रों में व्यवसाय को जोखिम-अंकित करने की आवश्यकता होती है। विनियम आगे यह प्रावधान करते हैं कि, यदि कोई बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में परिचालन शुरू करती है और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक छह महीने से कम समय के लिए परिचालन में है तो:

i. उक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र का दायित्व लागू नहीं होगा; और

ii. विनियमों में दर्शाए अनुसार वार्षिक दायित्व की गणना अगले वित्तीय वर्ष से की जाएगी जिसे अनुपालन के उद्देश्य से संचालन का पहला वर्ष माना जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां एक जीवन बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में परिचालन शुरू करती है, पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दायित्वों का 50 प्रतिशत और सामाजिक क्षेत्र के लिए 2500 जीवन होंगे।

2022-23 के दौरान बीमाकर्ताओं द्वारा दायित्वों की पूर्ति

जीवन बीमाकर्ता

1.6.6.3 वर्ष 2022-23 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता के साथ-साथ इक्कीस निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों ने अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को पूरा किया है।

1.6.6.4 जीवन बीमाकर्ताओं ने 2022-23 में उनके द्वारा जोखिम-अंकित कुल 284.70 लाख पॉलिसियों में से ग्रामीण क्षेत्र में 68.47 लाख पालिसियों (अर्थात् निर्धारित 20 प्रतिशत की तुलना में 24.05 प्रतिशत) का जोखिम-अंकन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने 22.25 प्रतिशत नई पॉलिसियों का जोखिम-अंकन किया तथा निजी बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी नई वैयक्तिक पॉलिसियों के 28.64 प्रतिशत का जोखिम-अंकन किया।

1.6.6.5 जीवन बीमाकर्ताओं ने निर्धारित 5 प्रतिशत की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत 4.43 करोड़ जीवनों अर्थात् 17.74 प्रतिशत को समाविष्ट किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने 14.05 प्रतिशत और निजी क्षेत्र ने 18.72 प्रतिशत प्राप्त किया।

1.6.6.6 मेसर्स सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52 ख (2) के तहत आईआरडीएआई आदेश संदर्भ आईआरडीएआई/एफ&ए/ओआर/एफए/148/06/2017 के तहत 24 जून, 2017 से नए व्यवसाय का जोखिम-अंकन न करने के लिए निदेश दिया गया था। इसलिए, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्व लागू नहीं है।

1.6.6.7 15 अक्टूबर 2022 को एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एक्साइड लाइफ) के विलय के परिणामस्वरूप, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्व एक्साइड लाइफ पर लागू नहीं होंगे।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

1.6.6.8 2022-23 के दौरान, सभी 24 साधारण बीमाकर्ताओं

(विशेषीकृत और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) ने अपने सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को पूरा कर लिया है, जबकि एक साधारण बीमाकर्ता ने विनियमों के तहत निर्धारित अपने ग्रामीण क्षेत्र के दायित्वों को पूरा नहीं किया है। मामले की विनियामक दृष्टिकोण से जांच की जा रही है। सभी साधारण बीमाकर्ताओं (विशेषीकृत और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) ने 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 32,091 करोड़ का प्रीमियम जोखिम-अंकित किया। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में खरीदे गए कुल सकल प्रीमियम का क्रमशः 23 प्रतिशत और 77 प्रतिशत जोखिम-अंकित किया। क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 11/01/2023 को भारत में एक साधारण बीमा कंपनी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है और आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 वित्त वर्ष 2022-23 उनके लिए लागू नहीं हैं।

1.6.6.9 पांच एसएचआई बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में ₹3,980 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया जो वर्ष 2022-23 में उनके द्वारा प्राप्त सकल प्रीमियम का 15.16 प्रतिशत है तथा उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत 87.99 लाख जीवनों को अर्थात् पिछले वर्ष में कवर किये गये कुल जीवनों के 10.19 प्रतिशत को कवर किया है।

मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के दायित्व

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32डी यह निर्दिष्ट करती है की साधारण बीमा व्यवसाय करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के बाद, मोटर वाहनों के अन्य पक्ष के जोखिमों में बीमा व्यवसाय का ऐसा न्यूनतम प्रतिशत जोखिम- अंकित करेगा जैसा कि नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। तदनुसार, आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ने वार्षिक आधार पर मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं का न्यूनतम दायित्व निर्धारित किया है।

वर्ष 2022-23 में, वित्त वर्ष 2022-23 में काम कर रहे 24 साधारण बीमाकर्ताओं में से, एक बीमाकर्ता ने मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में न्यूनतम दायित्व का अनुपालन नहीं किया है। यह विषय विनियामक परिप्रेक्ष्य से जाँच के अधीन है।

मोटर अन्य पक्ष दायित्व की गणना के लिए आँकड़ा आईआरडीएआई द्वारा प्रकाशित किया गया है और वर्ष 2023-24 के लिए इसे अनुबंध 3 में प्रदान किया गया है।

1.6.7 लेखा और बीमांकन मानक

बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अंतर्गत एवं साथ ही समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यावसायिक मर्दें प्रस्तुत करने के लिए अनुरक्षित की जाती हैं।

नियुक्त बीमांकिक प्रणाली

नियुक्त बीमांकिक प्रणाली को विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण ने आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000 जारी किया है। बीमा बाजार की बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए समय-समय पर नियमों में संशोधन किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 जारी किया, जिसने नियुक्त बीमांकक पर पिछले सभी विनियमों का अधिक्रमण किया।

नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के प्रबंधन को विशेष रूप से उत्पाद डिजाइन और मूल्य निर्धारण, तकनीकी प्रावधानों की गणना, बीमा अनुबंध शब्दांकन, निवेश और पुनर्बीमा, कंपनी की शोधनक्षमता सुनिश्चित करने और समय-समय पर आईआरडीएआई के निर्देशों का अनुपालन करने के क्षेत्रों में बीमांकन परामर्श प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

नियुक्त बीमांकक के लिए बीमाकर्ता के कब्जे में अथवा नियंत्रण में स्थित सूचना अथवा दस्तावेजों तक पहुँच होती है, यदि नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए ऐसी पहुँच आवश्यक हो।

1.6.8 प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश और विनियम

1.6.8.1 आईआरडीएआई ने 2022-23 के दौरान कई आदेश और परिपत्र जारी किए, जिनकी सूची अनुबंध 4 में प्रस्तुत की

गई है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2023 तक आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित किये गये सभी विनियमों की सूची अनुबंध 5 में प्रस्तुत है।

1.6.9 प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ और कार्य

25 नवंबर 2022 और 25 मार्च 2023 को आयोजित प्राधिकरण की 120वीं और 121वीं बैठक के दौरान, आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938/विनियमों के निम्नलिखित विनियमों के अधीन अपनी कुछ शक्तियाँ प्राधिकरण के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्यों/अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यायोजित किये हैं:

- बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102, 104, 105ग (2) और 105घ के तहत जुर्माना लगाना
- बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3(3), 3(4) और 3(5)।
- आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022
- आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022
- आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2019

1.6.10 बीमा बाजार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने वाली अन्य नीतियाँ और कार्यक्रम

क. धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने का (एएमएल/सीएफटी) कार्यक्रम

1.6.10.1 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा सशक्त किये जाने पर उक्त एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश (दिशानिर्देश) बीमा क्षेत्र को सर्वप्रथम मार्च 2006 में जारी किये गये थे। तब से बीमा क्षेत्र भारत में प्रभावी एएमएल/ सीएफटी व्यवस्था की दिशा में कार्य कर रहा है।

1.6.10.2 आईआरडीएआई ने जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के लिए 1 अगस्त 2022 को एएमएल/सीएफटी 2022 पर मास्टर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन मास्टर दिशानिर्देशों ने साधारण बीमाकर्ताओं और जीवन बीमाकर्ताओं के लिए क्रमशः 07 फरवरी, 2013 और 28 सितंबर, 2015 को एएमएल/सीएफटी पर पहले के मास्टर

दिशानिर्देशों का स्थान ले लिया। इस विषय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों को भी 2022 के मास्टर दिशानिर्देशों में शामिल किया गया था। ये दिशानिर्देश 1 नवंबर 2022 से जीवन बीमाकर्ताओं के लिए और 1 जनवरी 2023 से साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए लागू हुए।

1.6.10.3 मास्टर दिशानिर्देश पीएमएलए के तहत आवश्यक ग्राहक उचित परिश्रम प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग दायित्वों और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं से संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। 2022 के मास्टर दिशानिर्देश व्यवसाय के सभी क्षेत्रों के लिए खाता आधारित संबंध की शुरुआत में ग्राहक के उचित परिश्रम को अनिवार्य करते हैं। इससे पहले, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को निपटान चरण के समय क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस आयोजित करने की आवश्यकता होती थी, जहां दावा भुगतान/प्रीमियम रिफंड ₹1 लाख से अधिक हो।

1.6.10.4 बीमाकर्ताओं ने लेखा-परीक्षा समिति के माध्यम से अपने बोर्ड के व्यापक पर्यवेक्षण के अंतर्गत विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के प्रति प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। बीमाकर्ता की आंतरिक लेखा-परीक्षा/ निरीक्षण विभागों के माध्यम से उक्त प्रणालियों की प्रभावात्मकता की नियमित समीक्षा विद्यमान है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी भी आईआरडीएआई द्वारा दोनों प्रत्यक्ष (आनसाइट) और परोक्ष (आफ़साइट) प्रक्रियाओं के द्वारा की जाती है।

1.6.10.5 आईआरडीएआई भारत में एएमएल/सीएफटी व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विभिन्न एजेंसियों/ विभागों के साथ सक्रिय समन्वय में है तथा यह राजस्व विभाग द्वारा गठित एएमएल/सीएफटी संबंधी राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण (एनआरए) के लिए कार्य-दल का भाग है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई धन-शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी यूरोशियाई समूह (ईएजी), एक एफएटीएफ पद्धति का क्षेत्रीय निकाय, के साथ भी सक्रिय रूप से संबद्ध है। आईआरडीएआई ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की आवश्यकताओं और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समन्वित प्रयासों के हिस्से के रूप में 29 जनवरी 2014 को आपसी सहयोग पर वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (एफआईयू-इंड) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.6.10.6 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने एक अंतर-मंत्रालयीन समन्वय समिति (आईएमसीसी) का और तदुपरांत संयुक्त कार्य-दल का गठन किया है जिसका आईआरडीएआई एक सदस्य है। उपर्युक्त समितियों/ कार्य-दल का मुख्य उद्देश्य धन-शोधन निवारण अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी विधियों, विनियमों और दिशानिर्देशों के विषय में सरकार, विधि प्रवर्तन एजेंसियों, एफआईयू-आईएनडी और विनियमनकर्ताओं के बीच सहयोग करना/परामर्श करना/विकास करना/तत्संबंधी अपेक्षाओं का कार्यान्वयन करना है। आईआरडीएआई संबंधित मंत्रालय को प्रयोज्य एफएटीएफ सिफारिशों के संदर्भ में बीमा क्षेत्र की तैयारी की सूचना दे रहा है।

ख. सूचनाका अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

1.6.10.7 आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई, हैदराबाद के अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अनुसार अपने दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में स्थित अधिकारियों को केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार सौंपे गये कार्यों का निर्वहण करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारी को भी पदनामित किया गया।

1.6.10.8 वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों पर सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के लिए दो प्रशिक्षण/इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(2), अध्याय II के अनुसरण में जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) की एक समिति आरटीआई आवेदकों के द्वारा प्रायः माँगी जानेवाली सूचना की श्रेणियों की पहचान करने और उनकी आवधिक तौर पर समीक्षा करने के लिए एवं सार्वजनिक पहुँच (पब्लिक डोमेन) में ऐसी सूचना प्रकट करने के लिए गठित की गई।

सरकार प्रायोजित सामाजिक रूप से उन्मुख बीमा योजनाएं

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पीएमजेजेबीवाई भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन की गई एक वर्ष की सामूहिक सावधि जीवन बीमा योजना है। यह 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। दो लाख रुपये का जीवन कवर वर्ष के 1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और उसके बाद हर वर्ष स्वतः नवीकरणीय होगा। प्रीमियम ₹436 प्रति वर्ष (पॉलिसी वर्ष 2022-23 के लिए) है। 31 मार्च 2023 तक, यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता और 13 अन्य जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जा रही है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)

60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण भविष्य में उनकी ब्याज आय में गिरावट से बचाने के लिए, साथ ही बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 2017 में पीएमवीवीवाई नामक सुनिश्चित पेंशन की एक सरलीकृत योजना शुरू की। इस योजना के तहत नियम और शर्तों के अनुसार, एक वर्ष के दौरान बेची गई पॉलिसियों के लिए पेंशन की गारंटीकृत दरें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाएंगी। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

भारत सरकार ने मई 2020 में इस योजना के तहत पेंशन की संशोधित दर के साथ पीएमवीवीवाई की शुरुआत की है और इस योजना की बिक्री की अवधि को वित्त वर्ष 2020-21 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, योजना ने 31 मार्च 2023 तक खरीदी गई पॉलिसियों के लिए 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए मासिक देय 7.40 प्रतिशत प्रति वर्ष की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

यह योजना बैंक खाते वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो वार्षिक नवीनीकरण के आधार पर 1 जून से 31 मई तक कवरेज अवधि के लिए 31 मई को या उससे पहले ऑटो-डेबिट में सम्मिलित होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। योजना के तहत जोखिम कवरेज

आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख है। पॉलिसी वर्ष 2022-23 के लिए प्रीमियम ₹20 प्रति वर्ष था। उक्त योजना साधारण बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित की जाती है जिनकी तालमेल व्यवस्था इस प्रयोजन के लिए बैंकों के साथ है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

पीएमएफबीवाई को खरीफ 2016 से प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य बुआई-पूर्व स्तर से फसल-कटाई के बाद के स्तर तक सभी अनिवारणीय प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध किसानों की फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने हेतु वहन करने योग्य फसल बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के द्वारा कृषि में उत्पादन को समर्थन देने था। भारत में कुल फसल बीमा कारोबार में पीएमएफबीवाई का हिस्सा 90% से अधिक है। यह योजना सूचीबद्ध साधारण बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

वर्तमान में पीएमएफबीवाई को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है: -

क) दावा निपटान में देरी

ख) राज्यों पर उच्च वित्तीय देनदारियाँ

ग) हितधारकों का पीएमएफबीवाई से बाहर निकलना

घ) सूचना पहुंच/किसान जागरूकता का अभाव

ङ) अपूर्ण शिकायत निवारण

च) अविश्वसनीय हानि एवं उपज आकलन- बीमाकर्ताओं के लिए चिंता का विषय

छ) अपर्याप्त संस्थागत ढाँचा

ज) राज्यों और बीमा कंपनियों के बीच विवाद समाधान

झ) राज्यों के पास सीमित तकनीकी क्षमताएँ

उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए, परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है और राज्यों और बीमा कंपनी को निविदा चक्र खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक के लिए पहले ही सलाह जारी की जा चुकी है। प्रस्तावित संशोधनों का सारांश इस प्रकार है:-

1) जोखिम हस्तांतरण विकल्प चुनने के लिए राज्यों को अधिक लचीलापन

क) लाभ साझाकरण मॉडल

ख) कप और कैप मॉडल (60:130)

ग) कप और कैप मॉडल (80:110)

घ) इससे राज्य को अपने बजट और आवश्यकता के अनुसार जोखिम हस्तांतरण विकल्प चुनने में सुविधा होगी।

2) प्रीमियम सब्सिडी समय पर जारी करने और सख्त वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एस्करो खाते के माध्यम से सब्सिडी भुगतान को सुव्यवस्थित किया जाएगा। साथ ही सभी वित्तीय लेनदेन (सब्सिडी या दावे) राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से किए जाएंगे।

3) भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सीसीई आयोजित करना। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आँकड़ा के तेजी से प्रसार में भी मदद मिलेगी।

4) उपज अनुमान और फसल स्वास्थ्य के लिए तकनीकी हस्तक्षेप-येस्टेक (प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपज अनुमान प्रणाली), विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और आँकड़ा सिस्टम), क्रोपिक (वास्तविक समय फोटो का संग्रह और फसल का अवलोकन) को शामिल करना। इससे हितधारकों का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी और वास्तविक उपज आँकड़ा की उपलब्धता में देरी कम होगी।

5) राज्यों के साथ तकनीकी क्षमताएं बनाने के लिए राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) के निर्माण के प्रावधान की सलाह दी गई है।

6) विवाद का समाधान एक अलग, संघर्ष मुक्त स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)

पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक अग्रणी (फ्लैगशिप) योजना है जो 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना निर्धन और अरक्षित घर-परिवारों को द्वितीय और तृतीय देखभाल की अस्पताल में भर्ती के लिए ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर देती है। इस योजना का निधीयन पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता है तथा कार्यान्वयन का व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत प्रधान मंत्री जन धन योजना कार्यक्रम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। यह प्रत्येक घर-परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुँच, बीमा और पेंशन के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सर्वव्यापी (यूनिवर्सल) पहुँच की परिकल्पना करता है। बाद में, सरकार ने दुर्घटना बीमा कवर में आशोधन के साथ व्यापक पीएमजेडीवाई कार्यक्रम का विस्तार किया जिसमें 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गये नये पीएमजेडीवाई खातों में दुर्घटना बीमा कवर नये रुपये कार्डधारकों के लिए ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है।

II

..❧❧❧❧❧❧..

कार्यप्रणाली और परिचालनों की
समीक्षा

..❧❧❧❧❧❧..

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरडीएआई ने बीमा व्यवसाय की व्यवस्थित वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कई विनियामक सुधार लाए हैं। बाजार की गतिशीलता को संबोधित करने के लिए विनियमों की समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए "सनसेट क्लॉज" को विनियमों में शामिल किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाए गए/संशोधित विनियमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

II.1.1 आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2022

विनियामक सैंडबॉक्स एक ढांचा है जो कंपनियों को एक नियंत्रित विनियामक सेटिंग में अपने नवीन उत्पादों, प्रौद्योगिकियों आदि का परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए एक परीक्षण वातावरण प्रदान करता है। यह व्यवसाय में नवाचार और तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देता है। विनियामक सैंडबॉक्स विनियमों में भी कुछ संशोधन किए गए, ताकि बीमाकर्ताओं/मध्यवर्तियों की प्रयोग अवधि को '6 महीने' से '36 महीने' तक बढ़ाकर निरंतर आधार पर प्रयोग करने की अनुमति दी जा सके और मौजूदा बैच-वार (समूह दृष्टिकोण) मंजूरी/अनुमोदन से निरंतर आधार पर मंजूरी/अनुमोदन की ओर बढ़ाया जा सके। संशोधन के हिस्से के रूप में सैंडबॉक्स के तहत अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा का प्रावधान भी पेश किया गया है।

II.1.2 आईआरडीएआई (साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2023

आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया जो आईआरडीएआई (साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2016 का अधिक्रमण करता है। संशोधनों से गैर-जीवन बीमाकर्ताओं पर अनुपालन बोझ कम होगा और व्यवसाय के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा। ईओएम की एकल सीमा से

बीमाकर्ताओं को अपनी व्यावसायिक योजना के अनुसार अपने इच्छित व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र और सरकारी कल्याण उन्मुख योजनाओं के लिए अतिरिक्त भत्ता, बीमा पैठ में मदद करेगा। इंश्योरटेक खर्चों के लिए अतिरिक्त भत्ता देकर और अतिरिक्त ईओएम सीमाएं प्रदान करके जागरूकता के लिए प्रौद्योगिकी और बीमा जागरूकता में निवेश पर जोर दिया गया है।

विनियमों के प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

1. मौजूदा खंडीय/उप-खंडीय सीमाओं के मुकाबले प्रबंधन के खर्चों की एकल सीमा;
2. खंडीय अनुपालन और रिपोर्टिंग की आवश्यकता को समाप्त करना;
3. प्रबंधन के खर्चों की सीमा निम्नानुसार संशोधित की गई:
 - i. सामान्य बीमा व्यवसाय के मामले में 30 प्रतिशत,
 - ii. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के मामले में 35 प्रतिशत, उस वित्तीय वर्ष में भारत में लिखे गए सकल प्रीमियम का।
4. निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त भत्ता:
 - i. ग्रामीण क्षेत्र और सरकारी कल्याण उन्मुख योजनाएं - वृद्धिशील प्रीमियम का 15 प्रतिशत;
 - ii. 'इंश्योरटेक' और 'बीमा जागरूकता' के प्रति व्यय; - स्वीकार्य व्यय का पांच प्रतिशत तक
5. पॉलिसीधारकों को विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले लाभों के हस्तांतरण का तरीका।
6. मौजूदा बीमाकर्ताओं के लिए सीमाओं का अनुपालन करने के लिए 3 वर्ष का ग्लाइड पाथ।
7. यदि वास्तविक व्यय अनुमान से 10 प्रतिशत से अधिक विचलित होता है तो एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी और केएमपी को कोई परिवर्तनीय भुगतान नहीं किया जाता है;
8. नियुक्त बीमांकक द्वारा रिटर्न और अनुपालन आवश्यकताओं का प्रमाणीकरण।

II.1.3 आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2023

आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2023 आईआरडीएआई को अधिसूचित किया जो आईआरडीएआई

(जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2016 का अधिक्रमण करता है। संशोधनों से जीवन बीमाकर्ताओं पर अनुपालन बोझ कम होगा और व्यवसाय के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा। ईओएम सीमाओं का अनुपालन करने वाले खंडों की संख्या बारह से घटाकर दो कर दी गई है अर्थात् पार और गैर-पार आधार पर। ग्रामीण क्षेत्र और सरकारी कल्याण उन्मुख योजनाओं के लिए अतिरिक्त भत्ता, बीमा पैठ में मदद करेगा। इंश्योरटेक खर्चों के लिए अतिरिक्त भत्ता देकर और अतिरिक्त ईओएम सीमाएं प्रदान करके जागरूकता के लिए प्रौद्योगिकी और बीमा जागरूकता में निवेश पर जोर दिया गया है। विनियमन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- प्रबंधन (ईओएम) खर्चों की सीमा के अनुपालन की निगरानी समग्र आधार पर भाग लेने वाले और गैर-भागीदारी (जुड़े हुए सहित) पर की जाएगी, न कि खंडीय आधार पर;
- अतिरिक्त भत्ते: आईआईओ कार्यालयों के लिए प्रधान कार्यालय भत्ते की भी अनुमति है, ग्रामीण क्षेत्र और सरकारी कल्याण उन्मुख योजनाएं - वृद्धिशील प्रीमियम का 15 प्रतिशत तक, वर्ष के लिए प्राप्त कुल प्रीमियम का 15 प्रतिशत तक और 'इंश्योरटेक' और 'बीमा जागरूकता' के लिए व्यय - स्वीकार्य व्यय का 5 प्रतिशत तक।
- इनके संबंध में स्वीकार्य व्यय में वृद्धि: - आस्थगित वार्षिकियां, प्रदत्त पॉलिसियां, व्यपगत पॉलिसियां और व्यक्तिगत शुद्ध जोखिम एकल प्रीमियम पॉलिसियां।
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में शामिल हैं: व्यवसाय के संचालन में लागत प्रभावशीलता लाने के उपाय और वार्षिक आधार पर ईओएम में कमी और खर्चों में कमी से उत्पन्न होने वाले लाभों के हस्तांतरण के तरीके और/या सीधे स्रोत वाले व्यवसाय से पॉलिसीधारकों को प्रीमियम में कमी के माध्यम से मंजूरी।
- प्रत्येक बीमाकर्ता को वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से एक व्यवसाय योजना बनानी होगी, जिसे संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। योजना में, कम से कम, निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा:
- उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी की अनुमानित आवश्यकताएं;

- तिमाही आधार पर शोधनक्षमता अनुपात का अनुमान;
- ईओएम का प्रक्षेपण (रूपये में और साथ ही भारत में लिखे गए सकल प्रीमियम का प्रतिशत) और ईओएम की सीमाओं का अनुपालन।
- उपरोक्त व्यवसाय योजना की नियमित अंतराल पर बोर्ड द्वारा निगरानी की जाएगी।
- बीमाकर्ता को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अच्छी तरह से प्रलेखित पॉलिसी रखने और वार्षिक आधार पर समीक्षा करने पर जोर दिया गया;
- नए बीमाकर्ताओं के लिए मामले दर मामले के आधार पर पहले 5 वर्षों के लिए स्थगन और मौजूदा बीमाकर्ताओं के लिए 3 वर्षों का ग्लाइड पाथ।
- वित्तीय वर्ष के लिए जहां वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से 10 प्रतिशत या अधिक से अधिक है, प्रबंध निदेशक (एमडी) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)/पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) और प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों (केएमपी) को कोई परिवर्तनीय भुगतान नहीं किया जाता है।

11.1.4 आईआरडीआई (पूंजी के अन्य रूप) विनियम, 2022 आईआरडीआई ने आईआरडीआई (पूंजी के अन्य रूप) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया जो आईआरडीआई (पूंजी के अन्य रूप) विनियम, 2015 का अधिक्रमण करता है।

विनियमों के प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- व्यवसाय में आसानी को बढ़ावा देने के लिए पूंजी के अन्य रूपों (ओएफसी) को जारी करने के लिए आईआरडीआई की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रिया बंद कर दी गई है।
- ओएफसी जारी करने के लिए निर्दिष्ट सीमा को संशोधित किया गया है। नई सीमा में कहा गया है कि बीमाकर्ता का ओएफसी किसी भी समय निम्नलिखित में से कम होगा:
 - (i) बीमाकर्ता की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और प्रतिभूति प्रीमियम का 50 प्रतिशत;
 - (ii) बीमाकर्ता की निवल मालियत का 50 प्रतिशत।

यह सीमा बीमाकर्ता के लिए ओएफसी की पात्रता सीमा को बढ़ाएगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।

- चूंकि आईआरडीएआई की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है, "पूंजी के अन्य रूपों को जारी करने की शर्तों" पर विनियमन 4 उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिनके अधीन बीमाकर्ता ओएफसी जारी कर सकता है।
- बीमाकर्ता आईआरडीएआई की पूर्व मंजूरी के बिना कॉल विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे कॉल विकल्प का उपयोग करने के बाद, बीमाकर्ता की शोधनक्षमता स्थिति शोधनक्षमता के नियंत्रण स्तर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक हो।
- "बोर्ड की जिम्मेदारी" पर नया विनियमन निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए शामिल किया गया है:
 - तरजीही शेयरों को जारी करने के लिए, ऐसे तरजीही शेयरों के मुद्दे को अधिकृत करने वाले शेयरधारकों की सामान्य निकाय बैठक में बोर्ड संकल्प और विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा;
 - डिबेंचर और किसी अन्य ऋण साधन को जारी करने के लिए, ऐसे डिबेंचर और किसी अन्य ऋण साधन को जारी करने के लिए अधिकृत करने वाला एक बोर्ड प्रस्ताव पारित किया जाएगा;
 - बोर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल के बजाय ओएफसी जारी करने के लिए तर्क प्रदान करेगा।

11.1.5 आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकिक) विनियम, 2022

नियुक्त बीमांकिक (एए) एक बीमाकर्ता के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवसाय में बीमांकिक पेशेवरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अनुभव और योग्यता आवश्यकताओं को लचीला बनाया गया है। बीमाकर्ताओं द्वारा शोधनक्षमता का रखरखाव बीमाकर्ता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है और एए शोधनक्षमता के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी की शोधनक्षमता स्थिति को प्रभावित करने वाले जोखिमों की पहचान, निगरानी, रिपोर्टिंग और कार्यवाही की सिफारिश करने के प्रावधान शुरू करके एए की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ताओं पर भी दायित्व डाला गया है कि एए अपनी जिम्मेदारियों का उचित ढंग से निर्वहन कर पाए।

11.1.6 (क) आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की संपत्ति देनदारियां और शोधनक्षमता अनुपात) (संशोधन) विनियम, 2022:

फसल बीमा की पैठ बढ़ाने और साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा पूंजी के कुशल उपयोग की दृष्टि से, शोधनक्षमता अनुपात की गणना के लिए राज्य/केंद्र सरकार के प्रीमियम बकाया पर विचार करने की अवधि 180 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। फसल बीमा से संबंधित शोधनक्षमता फैक्टर 0.70 से घटाकर 0.50 कर दिया गया।

(ख) आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सार) विनियम (संशोधन), 2022:

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पूंजी के कुशल उपयोग को सक्षम करने के लिए, शोधनक्षमता अनुपात की गणना के कारकों की समीक्षा की गई और आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सार) (संशोधन) विनियम, 2022 दिनांक 5 दिसंबर, 2022 के संशोधनों के माध्यम से संशोधित किया गया। संशोधन इस प्रकार हैं:

- यूनिट लिंक्ड बिजनेस (बिना गारंटी के) के लिए - पहला फैक्टर 0.80% से घटाकर 0.60% कर दिया गया है।
- पीएमजेजेबीवाई के लिए - दूसरा फैक्टर 0.10% से घटाकर 0.05% कर दिया गया है।

11.1.7 आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022

आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया जो (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 का अधिक्रमण करता है। विनियमों के प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

1. "विदेशी प्रवर्तक" की परिभाषा जोड़ी गई है।
2. आरबीआई के साथ पंजीकृत गैर-ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी भारतीय प्रमोटर हो सकती है।
3. सहायक कंपनी को प्रमोटर बनने की अनुमति है यदि वह सूचीबद्ध है, उसकी निवल मालियत 500 करोड़ रुपये है और उसके पास धन का स्वतंत्र स्रोत है।

4. बीमा कंपनी के पंजीकरण की प्रक्रिया जैसे एनओसी, वैधता अवधि बताई गई
5. पीई निधि द्वारा निवेश के मानदंडों में बदलाव
6. प्रमोटर के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) होने की शर्तें निर्दिष्ट हैं।
7. प्रमोटर और निवेशक के लिए लॉक-इन अवधि निर्दिष्ट की गई है।
8. निवेशक के रूप में सीमा में वृद्धि: 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत (प्रत्येक वर्ग में 2)
9. न्यूनतम प्रमोटर होल्डिंग: इक्विटी का 50 प्रतिशत से अधिक (26 प्रतिशत: यदि सूचीबद्ध है + शोधनक्षमता का ट्रेकरिकॉर्ड)

उपरोक्त संशोधन बीमा क्षेत्र में अधिक खिलाड़ियों को पॉलिसीधारकों को अधिक विकल्प प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा, इससे बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईआरडीएआई से एनओसी प्राप्त करने की फास्ट ट्रेकर प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदकों को त्वरित तरीके से बीमा कंपनी स्थापित करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित नियमों को इस पंजीकरण नियमों में सम्मिलित किया गया है।

II.1.8 आईआरडीएआई (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022

आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 और आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 में संशोधन आईआरडीएआई (बीमा मध्यवर्तियों) (संशोधन) विनियम, 2022 के तहत दिनांक 5 दिसंबर, 2022 एक संशोधन के रूप में लाए गए थे।

इन संशोधनों का उद्देश्य पॉलिसीधारकों/संभावितों को विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से बीमा तक व्यापक विकल्प और पहुंच प्रदान करना और अंतिम मील तक बीमा की पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। तदनुसार, कॉर्पोरेट एजेंटों (सीए) और बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) के लिए गठजोड़ की अधिकतम संख्या बढ़ा दी गई है। अब, सीए अपने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य के व्यवसाय की प्रत्येक पंक्ति में 9 बीमाकर्ताओं (पहले 3 बीमाकर्ताओं) के साथ गठजोड़ कर सकता है और आईएमएफ 6 बीमाकर्ताओं (पहले 2 बीमाकर्ताओं) के साथ

गठजोड़ कर सकता है। आईएमएफ के संचालन का क्षेत्र भी पूरे राज्य को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है जिसमें वे पंजीकृत हैं।

II.1.9 आईआरडीएआई (दलाली का भुगतान) विनियम, 2023

आईआरडीएआई (दलाली का भुगतान) विनियम, 2023 को बीमाकर्ताओं को नए व्यवसाय मॉडल, उत्पादों, रणनीतियों, आंतरिक प्रक्रियाओं के विकास में सुविधा प्रदान करने और विनियामक उद्देश्यों को पूरा करते हुए विनियमों के आसान अनुपालन में सक्षम बनाने के लिए 26 मार्च, 2023 को अधिसूचित किया गया था। इन विनियमों का उद्देश्य बीमाकर्ताओं को उनकी विकास आकांक्षाओं और बीमा पैठ में सुधार के उद्देश्य से लगातार बदलती बीमा आवश्यकताओं के आधार पर अपने खर्चों का प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करना है। आईआरडीएआई (दलाली का भुगतान) विनियम, 2023 दिनांक 26 मार्च, 2023 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) को देय अधिकतम वितरण शुल्क बीमाकर्ता के कमीशन के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है।

विनियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा

II.1.10 व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने, विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन लागत को कम करने और बीमा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से, आईआरडीएआई ने जीवन और सामान्य बीमा परिषदों के माध्यम से विषयगत कार्य समूहों का गठन किया, जिन्हें सौंपे गए विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने और मामले में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। इन कार्य समूहों द्वारा विनियमों और विनियामक शर्तों की समीक्षा की आवश्यकता की सिफारिश की गई थी।

II.1.11 उसी के आधार पर और वर्तमान आर्थिक आवश्यकता में बीमा व्यवसाय के हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्राधिकरण ने मौजूदा विनियामक ढांचे की समीक्षा शुरू की है। इस दिशा में, जीवन और सामान्य बीमा परिषदों दोनों के तत्वावधान में, विनियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने और सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तन शुरू करने के लिए विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ

एक विनियमन समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है।

II.1.12 हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के साथ, आईआरडीएआई एक सिद्धांत आधारित विनियामक वास्तुकला की ओर बढ़ने, व्यापार करने में आसानी, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करते हुए अनुपालन बोझ को कम करने और बीमा व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के साथ नियमों के समेकन के लिए काम कर रहा है।

II.2 बीमा एजेंट और बीमा व्यवसाय से संबद्ध मध्यवर्ती

II.2.1 बीमा एजेंट

बीमा एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे बीमाकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसियों को जारी रखने, नवीनीकरण या पुनरुद्धार से संबंधित व्यवसाय सहित बीमा व्यवसाय का आग्रह करने या उपार्जन के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है। एजेंट एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता और एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता और प्रत्येक विशेषीकृत बीमाकर्ताओं में से एक के लिए सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट

II.2.1.1 31 मार्च, 2023 को व्यक्तिगत एजेंटों की संख्या 26.28 लाख थी, जबकि 31 मार्च, 2022 को यह 24.43 लाख थी। जीवन बीमा व्यवसाय ने पिछले वर्ष की तुलना में एजेंटों की संख्या में 7.60 प्रतिशत की वृद्धि देखी। जहां निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 14.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, वहीं सार्वजनिक जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च, 2023 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के एजेंटों की संख्या 13.47 लाख थी और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की संख्या 12.80 लाख थी।

वर्ष 2022-23 के दौरान 8.85 लाख एजेंटों की नियुक्ति की गई और 7 लाख एजेंटों को हटा दिया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा नियुक्त और हटाए गए एजेंटों की संख्या सारणी II.1 में दर्शाई गई है।

जीवन बीमा व्यवसाय के कुल 26.28 लाख व्यक्तिगत एजेंटों में से पुरुष व्यक्तिगत एजेंट 71.65 प्रतिशत और महिला व्यक्तिगत एजेंट 28.35 प्रतिशत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के एजेंटों का लिंग-वार वितरण सारणी II.2 में दिया गया है।

सारणी II.1: जीवन बीमाकर्ताओं से सम्बद्ध बीमा एजेंट

(एजेंटों की संख्या)

बीमाकर्ता	31 मार्च, 2022 को स्थिति	वर्ष 2022-23 के दौरान नियुक्ति	वर्ष 2022-23 के दौरान समाप्ति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
निजी क्षेत्र	11,16,177	4,93,473	3,28,767	12,80,883
सार्वजनिक क्षेत्र	13,26,432	3,92,337	3,71,444	13,47,325
कुल	24,42,609	8,85,810	7,00,211	26,28,208

*यह 15 अक्टूबर, 2023 को एचडीएफसी लाइफ के साथ एक्साइड लाइफ के विलय से प्रभावी है

सारणी II.2: 31 मार्च 2023 तक जीवन बीमाकर्ताओं से सम्बद्ध एजेंटों का लिंग-वार वितरण

(एजेंटों की संख्या)

बीमा कंपनी	पुरुष	महिला	कुल
निजी क्षेत्र	8,53,801 (67)	4,27,082 (33)	12,80,883 (100)
सार्वजनिक क्षेत्र	10,29,438 (76)	3,17,887 (24)	13,47,325 (100)
कुल	18,83,239 (72)	7,44,969 (28)	26,28,208 (100)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं

II.2.1.2 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट

साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ संबद्ध एजेंटों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 6.46 प्रतिशत और 20.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसे कोई एजेंट नहीं हैं जो विशिष्ट बीमाकर्ताओं से जुड़े हों। साधारण बीमा कंपनियों

के कुल 7,27,493 लाख एजेंटों में से 76.76 प्रतिशत पुरुष और 23.24 प्रतिशत महिलाएं हैं। स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कुल 11,58,294 व्यक्तिगत एजेंटों में से 71.77 प्रतिशत पुरुष और 28.23 प्रतिशत महिलाएं हैं। साधारण और स्वास्थ्य व्यवसाय में साथ बीमा एजेंटों का विवरण सारणी II.3 में दिया गया है। साधारण और स्वास्थ्य व्यवसाय में बीमा एजेंटों का लिंग-वार वितरण सारणी II.4 में दिया गया है।

सारणी II.3: 31.03.2023 तक साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं से सम्बद्ध बीमा एजेंट

बीमा कंपनी	31 मार्च, 2022 तक	2022-23 के दौरान नियुक्ति	2022-23 के दौरान समाप्ति	31 मार्च, 2023 तक
सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता	2,99,886	12,084	2,222	3,09,748
निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता	3,83,489	58,357	24,101	4,17,745
साधारण बीमाकर्ता कुल	6,83,375	70,441	26,323	7,27,493
स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	9,63,593	2,05,326	10,625	11,58,294
कुल	16,46,968	2,75,767	36,948	18,85,787

सारणी II.4: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं से जुड़े बीमा एजेंटों का लिंगवार वितरण (2022-23)

बीमाकर्ता	पुरुष	महिला	कुल
सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता	2,51,806 (81)	57,942 (19)	3,09,748 (100)
निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता	3,06,644 (73)	1,11,101 (27)	4,17,745 (100)
साधारण बीमाकर्ता कुल	5,58,450 (77)	1,69,043 (23)	7,27,493 (100)
स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	8,31,290 (72)	3,27,004 (28)	11,58,294 (100)
कुल	13,89,740 (74)	4,96,047 (26)	18,85,787 (100)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं

II.2.2 कॉर्पोरेट एजेंट

कॉर्पोरेट एजेंट ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास जीवन, साधारण या स्वास्थ्य की किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए बीमा व्यवसाय

का आग्रह करने और सेवा के लिए आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के तहत आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। उपभोक्ता को बीमाकर्ताओं और उत्पादों की

व्यापक पसंद प्रदान करने के हित में, आईआरडीएआई ने कॉर्पोरेट एजेंटों को नियंत्रित करने वाले विनियमों में संशोधन किया है, जिससे कॉर्पोरेट एजेंटों को नौ जीवन बीमाकर्ताओं, नौ गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और नौ एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मिलती है। 31 मार्च, 2023 तक, 564 सक्रिय कॉर्पोरेट एजेंट थे, जिनमें से 241 बैंक, 323

एनबीएफसी/सहकारी समितियाँ/सीमित देयता भागीदारी फर्म और अन्य कंपनियाँ हैं।

31 मार्च, 2023 तक बीमा व्यवसाय से जुड़े कॉर्पोरेट एजेंटों की जानकारी सारणी 11.5 में दी गई है।

सारणी 11.5: बीमा व्यवसाय से सम्बद्ध कॉर्पोरेट एजेंट (31 मार्च, 2023 तक)

श्रेणी	बैंक	एनबीएफसीएस एवं अन्य	कुल
लाईफ	9	12	21
साधारण	8	27	35
स्वास्थ्य	0	0	0
मिश्रित	224	284	508
कुल	241	323	564

11.2.3 बीमा दलाल

31 मार्च, 2023 तक पंजीकृत दलालों की संख्या 790 है। इनमें से, वैध दलाल 616 थे और शेष 174 31 मार्च, 2023 तक प्रचलन में नहीं थे। 616 वैध दलालों में 546 प्रत्यक्ष दलाल, 66 सम्मिश्र दलाल और 4 पुनर्बीमा दलाल शामिल हैं।

01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान कुल 81 नए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किए गए, जिनमें से 68 प्रत्यक्ष बीमा दलाल (जीवन और साधारण) और 13 प्रत्यक्ष बीमा दलाल (साधारण) थे। इस अवधि के दौरान, 128 बीमा दलाल पंजीकरण नवीनीकृत किये गये।

11.2.4 सूक्ष्म बीमा एजेंट

11.2.4.1 कम आय वाले समूहों और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सक्षम करने के लिए, एक अवधारणा के रूप में सूक्ष्म बीमा को किफायती बीमा उत्पादों के रूप में लाया गया था

ताकि उन्हें वित्तीय नुकसान से निपटने और उबरने में मदद मिल सके।

प्रारंभ में आईआरडीएआई ने 2005 में माइक्रो इंश्योरेंस विनियमों को अधिसूचित किया था और बाद में 2015 में संशोधित आईआरडीएआई (माइक्रो इंश्योरेंस) विनियमों को कई बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, सहकारी समितियों को माइक्रो इंश्योरेंस एजेंटों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी थी।

जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा

11.2.4.2 31 मार्च, 2023 तक 20 जीवन बीमाकर्ताओं के बयालीस (42) सूक्ष्म बीमा उत्पाद बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध थे। इन 42 उत्पादों में से 16 वैयक्तिक उत्पाद हैं और शेष 26 सामूहिक उत्पाद हैं (अनुलग्नक 6)। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का प्रदर्शन सारणी 11.6 में दिया गया है।

सारणी 11.6: जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का प्रदर्शन (2022-23)

बीमाकर्ता	वैयक्तिक नया व्यवसाय		सामूहिक नया व्यवसाय		
	पॉलिसियाँ (लाख में)	प्रीमियम (रू. करोड़ में)	योजनाएँ	प्रीमियम (रू. करोड़ में)	लाइव्स कवर्ड (लाख में)
निजी क्षेत्र	1.26	35.45	231	8,541.47	1,554.63
सार्वजनिक क्षेत्र	3.24	164.74	4,081	51.14	72.21
कुल	4.50	200.19	4,312	8,592.61	1,626.84

टिप्पणी: नए व्यापार प्रीमियम में प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।

II.2.4.3 31 मार्च, 2023 तक सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 1,01,916 थी, जिनमें से 19,437 एजेंट सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित थे और शेष 82,479 निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित थे। कुल सूक्ष्म बीमा एजेंटों में से, एनजीओ 4.68

प्रतिशत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) 0.26 प्रतिशत, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) 0.25 प्रतिशत, बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट्स (बीसी) 0.14 प्रतिशत और अन्य एमआई एजेंट 94.68 प्रतिशत (सारणी II.7) शामिल हैं।

सारणी II.7 जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट

सूक्ष्म बीमा एजेंट	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
गैर सरकारी संगठन	4,759	11	4,770
स्वयं सहायता समूह	260	0	260
एमएफआई	221	29	250
व्यवसायिक संवाददाता (बीसीएस)	103	42	145
अन्य एमआई एजेंट	14,094	82,397	96,491
कुल	19,437	82,479	1,01,916

साधारण और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा

II.2.4.4 साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लक्षित हैं और व्यक्तिगत या समूह आधार पर स्वास्थ्य बीमा, सामान (झोपड़ी, पशुधन, उपकरण या यंत्र) के लिए कवर, व्यक्तिगत दुर्घटना को कवर करते हैं। आईआरडीआई ने गैर-ऋणी किसानों को कवर करने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को सूक्ष्म बीमा एजेंटों द्वारा आग्रह और विपणन करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, साधारण बीमा व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों के तहत एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में वर्गीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जारी की गई सामान्य बीमा पॉलिसियां भी प्रति एमएसएमई प्रति वर्ष ₹10,000 के प्रीमियम तक साधारण सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के रूप में योग्य होंगी। 2022-23 के दौरान साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों की संख्या इस प्रकार है।

सारणी II.8 जारी की गई सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों की संख्या

निजी	सार्वजनिक	कुल
1,66,387	21,814	1,88,201

टिप्पणी: इसमें स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई सूक्ष्म बीमा पॉलिसियाँ शामिल नहीं हैं

II.2.5 बीमा विपणन फर्म

II.2.5.1 बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) आईआरडीआई द्वारा बीमा उत्पादों के आग्रह और उपार्जन के लिए विनियमित एक वितरण चैनल है, जो सेबी, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस, एनपीएस आदि द्वारा विनियमित अन्य वित्तीय उत्पादों को विपणन के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को नियोजित करके वितरित करता है। आईएमएफ को आईआरडीआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 के तहत आईआरडीआई द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

II.2.5.2 नीति आयोग ने देश के सबसे अल्पविकसित जिलों को त्वरित और प्रभावी ढंग से बदलने के उद्देश्य से जनवरी 2018 में 'आकांक्षी जिलों का परिवर्तन' कार्यक्रम शुरू किया है। जिलों के परिवर्तन को मापने के लिए वित्तीय समावेशन 49 प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों में से एक है। इस दृष्टि के साथ संरेखण में, आईआरडीआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019 को 24 जुलाई, 2019 को अधिसूचित किया गया था। उक्त संशोधन ने संभावित आवेदकों को निवल मालियत (नेट वर्थ) की आवश्यकता को कम कर दिया, जिससे संभावित आवेदकों को इन जिलों को अपने संचालन क्षेत्र के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहन मिला।

II.2.5.3 वर्ष 2022-23 के दौरान आईएमएफ चैनल का कार्य निष्पादन इस प्रकार है:

- 2022-23 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र: 85
- 31 मार्च, 2023 तक पंजीकरण की कुल संख्या: 609
- वर्ष 2022-23 के दौरान आईएमएफ चैनल (जीवन/साधारण और स्वास्थ्य) के तहत उत्पन्न कुल प्रीमियम आय इस प्रकार है:

- वीएलई-इन्स की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है और 2022-23 में प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं: 39,512
- वीएलई-इन्स की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है और शुरुआत से प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं: 2,35,429

सारणी II.9: आईएमएफ का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

बीमाकर्ता	बीमा कंपनियों की संख्या जिनके साथ आईएमएफ कारोबार कर रहा है	प्राप्त पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम (करोड़ रु.)
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	23	80,254	91.34
जीवन बीमाकर्ता	13	76,698	553.62
कुल	36	1,56,592	644.96

II.2.6 सामान्य लोक सेवा केंद्र-एसपीवी

II.2.6.1 सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं और ये मेसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। प्राधिकरण ने 05 अक्टूबर, 2015 को आईआरडीआई (साधारण सेवा केंद्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम 2015 अधिसूचित किये हैं, जिनका अधिक्रमण को अधिसूचित आईआरडीआई (सामान्य लोक सेवा केंद्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2019 द्वारा किया गया है।

II.2.6.1 वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीएससी-एसपीवी चैनल का कार्यनिष्पादन इस प्रकार है:

- प्राप्त नए बिजनेस प्रीमियम का कुल: ₹ 411.5 करोड़
- प्राप्त नवीकरण प्रीमियम (जीवन) का कुल: ₹ 1656 करोड़
- आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है और 2022-23 में प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं: 9,144
- आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है और शुरुआत से ही प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं: 99,165

II.2.7 बीमा वेब संग्राहक

II.2.7.1 आईआरडीआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 13 अप्रैल, 2017 को बीमा वेब संग्राहकों के पर्यवेक्षण और निगरानी के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। बीमा वेब संग्राहकों को ऑनलाइन और दूरस्थ विपणन पद्धति के माध्यम से जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई है। 31 मार्च, 2023 तक प्रमाणित बीमा वेब संग्राहक की संख्या 25 है। 2022-23 के दौरान बीमा वेब संग्राहक चैनल का कार्यनिष्पादन इस प्रकार है।

I. कुल प्राप्त प्रीमियम (करोड़ रु)	59
II. जारी पॉलिसियों की कुल संख्या	95,015

II.2.8 बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएसपी)

II.2.8.1 देश में बीमा व्यवसाय की वृद्धि को सुसाध्य बनाने और बीमा व्यापन और बीमा सघनता को बढ़ाने के लिए, प्राधिकरण ने अपने विकासात्मक एजेंडे के अधीनस्थ "बिक्री केंद्र विक्रेताओं" के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।

बिक्री केन्द्र विक्रेता या पीओएसपी का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम योग्यताएँ हैं, जिसने पीओएसपी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा केवल प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट उत्पादों की ही अपेक्षा और विपणन करता है। 31 मार्च 2023 तक पीओएसपी की संख्या 20,12,275 है।

सारणी II.10: विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों के पास पीओएसपी की संख्या

प्रायोजक एजेंसी	प्रायोजक एजेंसियों की संख्या	पीओएसपी की संख्या
बीमाकर्ता	46	7,71,433
बीमा दलाल	223	9,62,321
कॉरपोरेट एजेंट	57	2,78,521
कुल	326	20,12,275

II.2.9 मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी)

II.2.9.1 आईआरडीएआई ने मोटर बीमा पॉलिसियों के वितरण और सेवा में ऑटोमोटिव डीलर की भूमिका को पहचानने और बीमा से जुड़ी उनकी गतिविधियों पर विनियामक निगरानी रखने के उद्देश्य से 2017 में मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देश जारी किए हैं। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत एमआईएसपी की संख्या 23,953 है।

सारणी II.11: विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों के पास एमआईएसपी की संख्या

प्रायोजक एजेंसी	प्रायोजक एजेंसियों की संख्या	एमआईएसपी की संख्या
बीमा कर्ता	19	9,119
बीमा दलाल	23	14,405
कॉरपोरेट एजेंट्स	6	429
कुल	48	23,953

II.2.10 बीमा रिपॉजिटरी

II.2.10.1 इंश्योरेंस रिपॉजिटरी सिस्टम बीमा पॉलिसियों को डी-मटेरियलाइज़ करने के लिए आईआरडीएआई की एक पहल है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आईआरडीएआई ने अप्रैल, 2011 में बीमा रिपॉजिटरी और बीमा पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने पर दिशानिर्देश जारी किए। इसके बाद मई, 2015 में, आईआरडीएआई ने "बीमा रिपॉजिटरी और बीमा पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने पर संशोधित दिशानिर्देश" जारी किए।

31 मार्च 2023 तक, कुल 1.41 करोड़ ईआईए (इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाता) बनाए गए और अप्रैल 2011 से कुल 1.37 करोड़ पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में परिवर्तित किया गया।

II.2.10.2 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चार बीमा रिपोजिटरी हैं जो निम्नलिखित हैं:

- एनएसडीएल नेशनल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी
- सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी लिमिटेड
- सीएमएस रिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड

- कार्वी इंश्योरेंस रिपॉजिटरी लिमिटेड

II.2.11 बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म (आईएसएनपी)

II.2.11.1 ई-कॉमर्स के माध्यम से बीमा व्यापन को बढ़ाने के प्रयास में, प्राधिकरण ने 09 मार्च 2017 को बीमा ई-कॉमर्स के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। आईआरडीएआई ने ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल, 2017 को आईएसएनपी ऑनलाइन पोर्टल (isnp.irda.gov.in) लॉन्च किया है। 31 मार्च, 2023 तक बीमाकर्ताओं और मध्यवर्ती से प्राप्त आईएसएनपी आवेदन की स्थिति इस प्रकार है:

सारणी II.12: आईएसएनपी आवेदनों की संख्या

विवरण	संख्या
बीमा कर्ता	53
दलाल	251
वेव-संग्राहक	80
कॉरपोरेट एजेंट	24
कुल	408

II.2.12 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

II.2.12.1 साधारण बीमा पॉलिसियों से संबंधित दावों के मूल्यांकन और निपटान की प्रक्रिया में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (एसएलए) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में एक सर्वेक्षक या हानि निर्धारक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके पास आईआरडीएआई द्वारा जारी वैध एसएलए लाइसेंस न हो। ऐसी किसी हानि के संबंध में कोई भी दावा जो भारत में घटित हुई हो और किसी बीमाकर्ता के संबंध में उत्पन्न हो गई हो अथवा उसको सूचित की गई हो, जिसके लिए बीमा की किसी पालिसी पर मूल्य में प्राधिकरण द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट राशि के समान अथवा उससे अधिक राशि का भारत में भुगतान अथवा निपटान किया जाना अपेक्षित हो तब तक बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा और उसका निपटान नहीं किया जाएगा जब

तक सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस धारण करनेवाले किसी व्यक्ति से घटित हानि के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती।

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) की सदस्यता एक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए सांविधिक अपेक्षाएँ हैं। समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में उन आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था है, जो आईआईआईएसएलए से सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

सारणी 11.13: सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को जारी किए गए लाइसेंस

एसएलए का प्रकार	2021-22	2022-23
नया लाइसेंस		
वैयक्तिक	514	325
कॉर्पोरेट	13	27
कुल	527	352
नवीकरण		
वैयक्तिक	2,824	3,115
कॉर्पोरेट	47	60
कुल	2,871	3,175
प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन	1,384	1,447

11.2.13 अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)

11.2.13.1 31 मार्च, 2023 तक 18 सक्रिय टीपीए हैं। 2022-23 के दौरान किसी भी नए टीपीए को पंजीकरण का कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया गया। टीपीए ने अपने नेटवर्क में 26,717 स्वास्थ्य सेवा अनुबंध जोड़कर अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार किया। 8,816 की वापसी/हटाने के बाद 31 मार्च 2023 तक नेटवर्क में समझौतों की संख्या 1,90,116 है।

11.2.14 बीमा एजेंटों और बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन जीवन बीमा व्यवसाय में बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

वैयक्तिक नया व्यवसाय

11.2.14.1 वैयक्तिक एजेंट वैयक्तिक नए व्यवसाय के लिए प्रमुख वितरण चैनल बने हुए हैं। हालाँकि, वैयक्तिक नए व्यवसाय प्रीमियम में वैयक्तिक एजेंटों का योगदान वर्ष 2022-23 के दौरान घटकर 52.76 प्रतिशत हो गया है, जबकि 2021-22 में यह 55.01 प्रतिशत था। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता के लिए, वैयक्तिक एजेंट वैयक्तिक नए व्यवसाय प्रीमियम में 96.14 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वितरण का प्रमुख माध्यम हैं, जबकि वे निजी क्षेत्र के लिए 23.08 प्रतिशत का योगदान करते हैं। वैयक्तिक नए व्यवसाय का दूसरा प्रमुख वितरण चैनल कॉर्पोरेट एजेंट हैं। कॉर्पोरेट एजेंटों का योगदान, जो 2021-22 के दौरान 33.91 प्रतिशत था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर 35.11 प्रतिशत हो गया है। निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा खरीदे गए नए व्यवसाय प्रीमियम में कॉर्पोरेट एजेंटों की हिस्सेदारी 2022-23 में 57.02 प्रतिशत (2021-22 में 58.23 प्रतिशत) पर महत्वपूर्ण थी। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र में वैयक्तिक नए व्यवसाय प्रीमियम में कॉर्पोरेट एजेंटों की हिस्सेदारी 2021-22 में 2.72 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर 2022-23 में 3.08 प्रतिशत हो गई।

11.2.14.2 वैयक्तिक नए व्यवसाय के तहत बीमाकर्ताओं के प्रत्यक्ष बिक्री चैनल की हिस्सेदारी 2021-22 में 7.16 प्रतिशत के मुकाबले 2022-23 में 7.81 प्रतिशत थी। जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने अपने नए व्यवसाय प्रीमियम का 13.15 प्रतिशत प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से प्राप्त किया, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से व्यवसाय नहीं किया गया। वर्ष 2022-23 में ऑनलाइन बिक्री चैनल का योगदान 0.84 प्रतिशत था जिसमें वर्ष 2021-22 के 1.36 प्रतिशत से मामूली गिरावट आई। माइक्रो इंश्योरेंस (एमआई) एजेंट, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), वेब एग्रीगेटर्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म (आईएमएफ) और प्वाइंट ऑफ सेल्स

(पीओएस) चैनलों ने मिलकर 2022-23 में वैयक्तिक नए बिजनेस प्रीमियम में एक प्रतिशत (0.41 प्रतिशत) से भी कम योगदान दिया, जबकि 2021-22 में यह 0.63 प्रतिशत था।

सामूहिक नया व्यवसाय

II.2.14.3 प्रत्यक्ष बिक्री में गिरावट देखी गई लेकिन 2022-23 के दौरान प्रीमियम में 84.55 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ समूह व्यवसाय के लिए वितरण का प्रमुख चैनल बना रहा। 2021-22 में संगत हिस्सेदारी 88.85 प्रतिशत थी। इस चैनल ने निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के समूह नए व्यवसाय प्रीमियम में क्रमशः 59.00 प्रतिशत और 92.33 प्रतिशत का योगदान दिया। निजी बीमाकर्ताओं के समूह व्यवसाय के लिए कॉर्पोरेट एजेंट-बैंक एक अन्य

महत्वपूर्ण वितरण चैनल थे। वर्ष 2022-23 के दौरान, निजी बीमाकर्ताओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के मामले में बैंकों ने कुल समूह नए व्यवसाय प्रीमियम में क्रमशः 19.73 प्रतिशत और 3.97 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि 2021-22 में निजी बीमाकर्ताओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए क्रमशः 21.47 प्रतिशत और 1.06 प्रतिशत का योगदान दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत एजेंसी बल के माध्यम से समूह व्यवसाय प्रीमियम का 3.62 प्रतिशत प्राप्त किया, जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने इस चैनल के माध्यम से 1.38 प्रतिशत उपार्जन किया। समूह व्यवसाय के तहत व्यवसाय के नए बिजनेस प्रीमियम में ब्रोकर्स चैनल का योगदान 2022-23 में 1.67 प्रतिशत था जो 2021-22 में 1.18 प्रतिशत था (सारणी II.15)।



सारणी II.14: जीवन बीमा में मध्यवर्तियों का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन (2022-23)

(प्रीमियम के प्रतिशत में आंकड़े)

क्र. सं.	बिचौलिया के प्रकार	वैयक्तिक नया व्यवसाय			सामूहिक नया व्यवसाय		
		निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	व्यवसाय	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	व्यवसाय
1	वैयक्तिक एजेंट	23.08	96.14	52.76	1.38	3.62	3.10
2	कॉर्पोरेट एजेंट- बैंक	53.15	2.98	32.77	19.73	3.97	7.65
3	कॉर्पोरेट एजेंट- अन्य	3.87	0.10	2.34	11.92	0.01	2.79
4	दलाल	5.11	0.10	3.07	6.91	0.07	1.67
5	सीधी बिक्री	13.15	0.00	7.81	59.00	92.33	84.55
6	एमआई एजेंट	0.01	0.28	0.12	1.06	0.00	0.25
7	सीएससी	0.01	0.13	0.06	0.00	0.00	0.00
8	वेब संग्राहक	0.06	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
9	आईएमएफ	0.18	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00
10	ऑनलाइन	1.33	0.13	0.84	0.00	0.00	0.00
11	पॉइन्ट ऑफ सेल्स (पीओएस)	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
	कुल वैयक्तिक व्यवसाय	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

टिप्पणी:

1. नए व्यापार प्रीमियम में प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
2. रेफरल व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त लीड को संबंधित चैनलों में शामिल किया गया है



साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

II.2.14.4 वर्ष 2022-23 के दौरान, बीमा दलालों ने साधारण बीमाकर्ताओं के प्रीमियम में 36 प्रतिशत के साथ प्रमुख हिस्सेदारी का योगदान जारी रखा, इसके बाद प्रत्यक्ष बिक्री चैनल और व्यक्तिगत एजेंटों ने क्रमशः 25 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का योगदान दिया। कॉर्पोरेट एजेंटों का योगदान

प्रीमियम का 9 प्रतिशत था। अन्य सभी चैनलों ने मिलकर शेष 10 प्रतिशत प्रीमियम में योगदान दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, व्यक्तिगत एजेंट (33 प्रतिशत) और उसके बाद प्रत्यक्ष बिक्री (32 प्रतिशत) और दलाल (30 प्रतिशत) वितरण के प्रमुख माध्यम हैं, जबकि निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, दलाल (43 प्रतिशत) और प्रत्यक्ष बिक्री (24 प्रतिशत) वितरण का प्रमुख माध्यम है।

सारणी II.15: साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन (2022-23)

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)


क्र.सं.	वितरण चैनल	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	निजी-एसएचआई को छोड़कर	विशेष	कुल
1.	वैयक्तिक एजेंट (क)	33	14	0	20
2.क	कॉर्पोरेट एजेंट-बैंक	1	9	0	5
2.ख	कॉर्पोरेट एजेंट- अन्य	0	5	0	3
	कॉर्पोरेट एजेंट (कुल)	1	14	0	9
3.	दलाल (ग)	30	43	11	36
4.	रेफरल व्यवस्था (घ)	0	0	0	0
5.क	प्रत्यक्ष व्यवसाय- इंटरनेट	1	2	0	1
5.ख	प्रत्यक्ष व्यवसाय- इंटरनेट के अलावा	31	22	0	24
	प्रत्यक्ष व्यवसाय (कुल)	32	24	0	25
6.	सूक्ष्म बीमा एजेंट (च)	0	0	0	0
7.	अन्य (छ)	4	4	89	10
	कुल योग	100	100	100	100

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)


II.2.14.5 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए विभिन्न माध्यमों के बीच, वैयक्तिक एजेंटों ने पिछले वर्ष की तरह कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 30 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी का योगदान किया। वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में इस चैनल की हिस्सेदारी 73 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। सरकारी व्यवसाय का 100 प्रतिशत और कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का लगभग 28 प्रतिशत बीमाकर्ताओं द्वारा सीधे उपार्जित किया जाता है।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए तीसरा महत्वपूर्ण चैनल बीमा दलाल चैनल है, जिसने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का 28 प्रतिशत योगदान दिया है। समूह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में दलालों की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। कॉर्पोरेट एजेंसी माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का नौ प्रतिशत योगदान दिया और "ऑनलाइन बिक्री" माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का दो प्रतिशत योगदान दिया।

प्रीमियम का प्रतिशत



प्रीमियम का प्रतिशत



**सारणी II.16: स्वास्थ्य बीमा में वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर) (2022-23)**

क्र.सं.	वितरण माध्यम	सरकारी व्यवसाय	समूह व्यवसाय	व्यक्तिगत व्यवसाय	कुल
1	वैयक्तिक एजेंट	-	3.38	72.93	30.08
2	कॉर्पोरेट एजेंट				
	i. बैंक	-	11.62	6.67	8.60
	ii. अन्य	-	4.37	1.00	2.63
3	दलाल	-	48.09	8.65	28.21
4	सीधी बिक्री				
	i. ऑनलाइन	-	0.40	3.68	1.64
	ii. ऑनलाइन के अलावा अन्य	100	31.98	5.85	28.29
5	सूक्ष्म बीमा एजेंट	-	0.14	0.00	0.07
6	सार्वजनिक सेवा केंद्रों	-	0.00	0.01	0.00
7	वेब संग्राहक	-	0.01	0.17	0.07
8	बीमा विपणन कंपनियाँ	-	0.01	0.16	0.07
9	बिक्री केन्द्र	-	0.00	0.87	0.34
	कुल	100	100	100	100

II.3 बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान

II.3.1 बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान (आईआईआरएम)

II.3.1.1 आईआईआरएम, आईआरडीआई की एक पहल, ने वर्ष 2022-23 में "2047 तक सभी के लिए बीमा" के लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए आईआरडीआई के आह्वान के अनुरूप खुद को अनुकूलित कर लिया है। आईआरडीआई के निर्देशों के अनुरूप, संस्थान ने बीमा क्षेत्र में विशिष्ट संगठनों के साथ एमओयू के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने, कार्यक्रमों को तैयार करने और व्यवसाय की जरूरतों के लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने के लिए व्यवसाय तक पहुंच बनाई है और कामकाजी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आईआईआरएम ने अपने पीजीडीएम छात्रों की सहायता से युवाओं के बीच बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र अनुसंधान और रोड शो के माध्यम से बीमाकर्ताओं के साथ भी साझेदारी की है।

II.3.1.2 प्रबंधन स्नातकों में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए व्यवसाय की स्वीकृति और मुआवजे में तेजी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप बीमा करियर में आकर्षण बढ़ रहा है। बीमा क्षेत्र में प्रतिभा के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, आईआईआरएम के पास तकनीकी छात्रों और स्वास्थ्य प्रोफेशनलों के लिए विशिष्ट बीमा आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम हैं। व्यवसाय के लिए बीमांकिक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, कामकाजी व्यवसायों को प्रमुख परीक्षाओं को शामिल करने वाला 18 महीने का बीमांकिक कार्यक्रम पेश किया जा रहा है। इंश्योरेंस 2.0 इकोसिस्टम के लिए छात्रों को तैयार करने में इंश्योर-टेक एक अतिरिक्त आयाम है। यह सक्रिय दृष्टिकोण बीमा क्षेत्र के लिए प्रतिभा आवश्यकताओं को मजबूत कर रहा है।

II.3.2 भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई)

II.3.2.1 भारतीय बीमा संस्थान, (आईआईआई) वर्ष 1955 में स्थापित, पिछले 68 वर्षों से बीमा, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और

विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल इंश्योरेंस एजुकेशन के सदस्य के रूप में, इसका कई अन्य प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों और संघों के साथ लंबे समय से संबंध रहा है।

संस्थान की प्रशिक्षण शाखा, कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस के पास मुंबई और कोलकाता में अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, भारत और विदेश के 8,032 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। बीमा कॉलेज ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नए क्षेत्रों में विशेष रूप से; बीमा के अन्य क्षेत्रों के अलावा आईएफआरएस 17, मेगा जोखिम परियोजना बीमा, साइबर जोखिम प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन बीमा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। आईआईआई ने कई सेमिनार आयोजित किए हैं और विभिन्न शोध परियोजनाएं शुरू की हैं।

II.3.2.2 आईआईआई की प्रमुख परीक्षाएँ: लाइसेंसिएट, एसोसिएटशिप और फ़ेलोशिप प्रमाणपत्र परीक्षाएँ वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित की गईं। आईआईआई पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करता है और आईआरडीआई द्वारा अनिवार्य बीमा मध्यस्थों के लिए पूर्व-भर्ती/पूर्व-लाइसेंसिंग परीक्षा आयोजित करता है।

II.3.3 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)

II.3.3.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) एक संस्थान है जिसे प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन 04 अक्टूबर, 2005 को निर्गमित किया गया है।

संस्थान की स्थापना शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय में गुणवत्ता को बढ़ावा देने, अपने सदस्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करने और अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए अपने सदस्यों के बीच तकनीकी जानकारी का प्रसार करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य हानि

नियंत्रण और अल्पीकरण तकनीकों और उपायों में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना तथा बीमा व्यवसाय और आम जनता के साथ इसे साझा करना एवं उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार के लिए नई तकनीकों के प्रयोग के संबंध में अपने सदस्यों को अद्यतन जानकारी देना है। इसके अलावा, यह सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय से जुड़े सदस्यों और अन्य लोगों के उपयोग और लाभ के लिए मार्गदर्शक नोट्स, अनुदेश मैनुअल, पत्रिकाएँ निकालने के लिए भी उत्तरदायी है।

II.3.4 अन्य व्यावसायिक संस्थान

II.3.4.1 भारत में बीमांककों के व्यवसाय के विनियमन के लिए एक सांविधिक और व्यावसायिक निकाय, भारतीय बीमांकक संस्थान (आईआईआई) की परिषद में भी प्राधिकरण का वैधानिक प्रतिनिधित्व है। इसके उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, बीमांकक के व्यवसाय के सदस्यों द्वारा व्यवहार का विनियमन शामिल है।

बीमा शिक्षा के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय एकीकृत प्रबंधन विद्यालय राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), पुणे है जो संस्थागत और व्यक्तिगत आधार पर अनुसंधान और परामर्श की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उन्हें विकसित करता है और उनका पोषण करता है।

II.4 वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय

II.4.1 सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी), सिविल न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), और लोक अदालत के समक्ष दायर मामलों के साथ-साथ 2022- 23 के दौरान निपटाए/खारिज किए गए मामलों के संदर्भ में मुकदमों का विवरण नीचे सारणीयों में दिए गए हैं:

सारणी II.17: 2022-23 के दौरान दर्ज मामलों का विवरण

क्र.सं.	दाखिल किए गए मामलों का विवरण	मामलों की कुल संख्या
1.	उच्चतम न्यायालय	5
2.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई रिट याचिकाएँ	43
3.	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	5
4.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई रिट अपीलें, एलपीए	3
5.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई समीक्षा/बहाली याचिकाएँ	-
6.	उच्च न्यायालयों में दायर की गई अवहेलना याचिकाएँ	2
7.	उपभोक्ता मामले (डीसीएफ + एससीडीआरसी + एनसीडीआरसी)	72
8.	नागरिक और लोक अदालत मामले	7
9.	एमएसीटी मामले	0
10.	पीआईएलएस	1
11.	आपराधिक	-
	कुल	138

सारणी II.18: 2022-23 के दौरान निपटाए/खारिज किए गए विधिक मामलों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	कुल	
		क	ख
1	उच्चतम न्यायालय	1	-
2	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल की गई रिट याचिकाएँ	10	10
3	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	1	4
4	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल की गयीं रिट अपील, एलपीए	-	-
5	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल की गयीं समीक्षा/बहाली याचिकाएं	-	-
6	उच्च न्यायालयों में दाखिल की गयीं अवहेलना याचिकाएं	-	1
7	उपभोक्ता मामले	-	25
8	सिविल एवं लोक अदालत मामले	-	-
9	एमएसीटी मामले	-	-
10	पीआईएलएस	-	-
11	आपराधिक याचिकाएँ	-	-
	कुल	12	40

टिप्पणी: क: आईआरडीएआई को दिए गए निर्देशानुसार निस्तारित किए गए मामले;
ख: आईआरडीएआई को बिना निर्देश दिए गए निस्तारित किए गए मामले

II.5 बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

आईआरडीएआई घरेलू तौर पर विनियामक उपायों को प्रारंभ करने और लागू करते समय अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व को पहचानता है। इस संदर्भ में, और अपने विनियामक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में, आईआरडीएआई स्वयं

को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, मंचों और विदेशी विनियामककर्ताओं के साथ संबद्ध करता है। आईआरडीएआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चल रही गतिविधियों में सक्रिय रूप से संबद्ध होना और योगदान करना जारी रखा।

11.5.1 अंतरराष्ट्रीय बीमा परिवेक्षक संघ (आईएआईएस) के साथ संबद्धता

11.5.1.1 आईएआईएस 200 से अधिक न्यायक्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षकों और विनियामकों का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है, जो दुनिया के 97 बीमा प्रीमियम का गठन करता है। यह वैश्विक मानक-निर्धारण निकाय है जो सिद्धांतों, मानकों और मार्गदर्शन के कार्यान्वयन के साथ-साथ बीमा क्षेत्र की देखरेख के लिए सहायक सामग्री के विकास और सहायता के लिए जिम्मेदार है। आईआरडीआई आईएआईएस का सदस्य है और आईएआईएस की कार्यकारी समिति का भी सदस्य है। आईएआईएस का नीतिगत कार्य कार्यकारी समिति के नेतृत्व वाली एक समिति प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाता है जिसे पांच नीति समितियों द्वारा समर्थित किया जाता है। इनमें से तीन नीति समितियों में आईआरडीआई का प्रतिनिधित्व है। ये समितियाँ नीति विकास, वित्तीय स्थिरता और कार्यान्वयन और आईएआईएस पर्यवेक्षी सामग्री के मूल्यांकन आदि के क्षेत्र में मानक निर्धारण गतिविधियों की देखरेख करती हैं।

11.5.1.2 आईएआईएस समिति प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक समिति के अंतर्गत विभिन्न कार्य समूह/कार्य बल होते हैं। आईआरडीआई की वित्तीय समावेशन, कॉर्पोरेट प्रशासन, बाजार आचरण, मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसी और निगरानी और बीमा पूंजी मानक विकास कार्य समूहों में भागीदारी है। आईएआईएस की मानक सेटिंग गतिविधियों के हिस्से के रूप में, आईआरडीआई परामर्श प्रक्रिया में भाग लेता है और इसके नामांकित सदस्य प्रतिनिधि समितियों/कार्य समूह/कार्य बल की बैठकों में भी भाग लेते हैं। विचार-विमर्श और ज्ञान साझा करना वैश्विक बीमा मानकों के निर्माण और अपनाने में तब्दील होता है।

11.5.1.3 आईआरडीआई सहकर्मि समीक्षा और स्व-मूल्यांकन अभ्यास में भाग लेता है जिसमें बीमा मूल सिद्धांतों के मानकों के कार्यान्वयन और पालन स्तर और एक क्षेत्राधिकार में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करना शामिल है। आईएआईएस की सहकर्मि समीक्षा प्रक्रिया (पीआरपी) सदस्यों को आईएआईएस मानकों के पालन के मूल्यांकन के माध्यम से पर्यवेक्षी और नियामक ढांचे में किसी भी कमजोरी

या अंतराल की प्रकृति और सीमा की पहचान करने में सहायता करती है।

11.5.1.4 आईआरडीआई आईएआईएस मानकों के कार्यान्वयन में अंतराल और चुनौतियों का समाधान करने और अच्छी पर्यवेक्षी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आईएआईएस की पर्यवेक्षी क्षमता-निर्माण पहल का उपयोग करता है। 2022-23 के दौरान, आईआरडीआई द्वारा नामित पर्यवेक्षी कर्मचारियों ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें ऑनलाइन ट्यूटोरियल और लाइव वेबिनार का संयोजन शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को बीमा पर्यवेक्षण के आवश्यक तत्वों से परिचित कराना है, जिसमें विवेकपूर्ण और आचरण दोनों पहलुओं को शामिल किया गया। बीमा पहल तक पहुंच (ए2ii) समावेशी बीमा पर आईएआईएस की "कार्यान्वयन शाखा" है। आईआरडीआई ने 29 सितंबर 2022 को ए2ii द्वारा आयोजित सार्वजनिक संवाद - प्रवासी बीमा (एसडीजी 1) की सुविधा में नियामक चुनौतियां और पर्यवेक्षी मांगों में वर्चुअली भाग लिया।

11.5.2 द्विपक्षीय वचनबद्धताएँ

11.5.2.1 मई 2013 से प्रभावी, आईआरडीआई आईए आईएस के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू) का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो सहयोग और सूचना साझा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, आईआरडीआई (घरेलू या विदेशी इकाई से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा करना) विनियम, 2012 लागू है जो उस तरीके का प्रावधान करता है जिससे गोपनीय जानकारी अन्य विनियामक निकायों के साथ साझा की जा सकती है।

11.5.2.2 आईआरडीआई ने अब तक दो द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बीमा आईआरडीआई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ, और दूसरा संघीय बीमा कार्यालय (एफआईओ), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई अन्य देशों के बीमा पर्यवेक्षकों और संबंधित एजेंसियों ने भी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रति अपनी इच्छा दिखाई है जो विचाराधीन है।

11.5.3 बीमा विनियमनकर्ताओं के लिए एशियाई मंच (एफआईआर)

11.5.3.1 एशियन फोरम ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटर्स (एफआईआर), एशिया और ओशिनिया क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षकों का एक मंच, 2005 में क्षेत्रीय बीमा विनियमन सहयोग पर बीजिंग घोषणा के आधार पर स्थापित किया गया था। एफआईआर का मिशन क्षमता निर्माण को मजबूत करना, बीमा विनियामक क्षमता को सुविधाजनक बनाना और एशिया और ओशिनिया क्षेत्रों में विनियामक सहयोग को बढ़ावा देना है। एफआईआर में वर्तमान में 22 सदस्य हैं जिनमें भारत का प्रतिनिधित्व आईआरडीएआई द्वारा किया जाता है। अब तक 17 एफआईआर बैठकें हो चुकी हैं। कोविड-19 के कारण दो वर्ष की आभासी बैठकों के बाद, एशियन फोरम ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटर्स ("एफआईआर") की 17वीं वार्षिक बैठक और सम्मेलन, जिसका विषय "विकसित और उभरते जोखिमों के लिए बीमा पर्यवेक्षण के लचीलेपन को मजबूत करना" था, मालदीव में आयोजित की गई थी। 5 से 6 सितंबर 2022 तक 15 सदस्यों अर्थात् अस्ताना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, चीन हांगकांग, चीन मकाओ, चीनी ताइपे, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, भारत, जापान, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर से आने वाले प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र्स ("आईएआईएस")। एफआईआर के सदस्य क्षेत्राधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वक्ता जैसे अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के वित्तीय स्थिरता संस्थान, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, द आर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी), इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र्स (आईएआईएस) और ग्लोबल एशिया इंश्योरेंस पार्टनरशिप (जीएआईपी) बड़ी तकनीकी कंपनियों पर बढ़ती निर्भरता, उभरते साइबर जोखिम, जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव और व्यापक सुरक्षा अंतराल जैसे कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा का नेतृत्व किया है।

इस कार्यक्रम के बाद 7 सितंबर, 2022 को बीमा पर्यवेक्षण पर 5वीं एशिया-प्रशांत उच्च-स्तरीय बैठक हुई। बैठक का आयोजन एशियन फोरम ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटर्स

(एफआईआर), बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के एफएसआई और आईएआईएस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बैठक में निम्नलिखित तीन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से प्रत्येक पर एक पैनल चर्चा के साथ विचारों का आदान-प्रदान हुआ:

- भू-राजनीतिक तनाव – एशिया-प्रशांत में बीमा पर्यवेक्षण पर प्रभाव;
- भविष्य के जलवायु परिदृश्यों के लिए हरित बीमा पर्यवेक्षण; और
- नेट-जीरो की ओर व्यवस्थित परिवर्तन की सुविधा।

11.5.4 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

11.5.4.1 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को दूर करने और वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को चलाने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। एफएसबी का एक मुख्य कार्य वित्तीय विनियमन पर जी20 नीतिगत घोषणा को लागू करना है। एफएसबी में, भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है। आईआरडीएआई वित्त मंत्रालय को एफएसबी बैठकों में चर्चा किए गए बीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार और टिप्पणियां प्रदान करके एफएसबी के काम में योगदान देता है। आईआरडीएआई बीमा से संबंधित एफएसबी सर्वेक्षणों/प्रश्नावली/समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है।

11.5.5 वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफई)

11.5.5.1 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) सरकारों को वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में वित्तीय शिक्षा पर विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए एक अनूठा नीति मंच प्रदान करता है। वित्तीय साक्षरता के महत्व को पहचानने के बाद, ओईसीडी सरकारों द्वारा वर्ष 2008 में वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी इंटरनेशनल नेटवर्क (आईएनएफई) शुरू किया गया था। भारत आईएनएफई की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेता है, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के चार वित्तीय

विनियमनकर्ताओं अर्थात् आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। अप्रैल, 2012 में आईआरडीएआई, ओईसीडी आईएनएफई का सदस्य बना। ओईसीडी आईएनएफई बैठकों के दौरान, प्रतिभागी वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में दुनिया भर में की गई पहलों को साझा करते हैं। आईआरडीएआई ने 'चुनौतीपूर्ण समय में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय लचीलापन' विषय पर ओईसीडी संगोष्ठी में वर्चुअली भाग लिया, जो 11-14 अक्टूबर, 2022 को आयोजित किया गया था।

II.5.6 अन्य सम्बन्धाएं

वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरडीएआई ने बीमा क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और संवादों के माध्यम से भारत सरकार के साथ प्रभावी और उपयोगी संबद्धता की दिशा में योगदान देना जारी रखा। बीमा क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करने के लिए आईआरडीएआई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भी सहभागिता करता है।

II.6 सार्वजनिक शिकायतें

शिकायत निवारण नीति

II.6.1 आईआरडीएआई बीमाकर्ताओं की शिकायत निवारण नीति की निगरानी करके पॉलिसीधारक की शिकायतों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है और बीमा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कई पहलें करता है। शिकायत निवारण प्रक्रिया पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण विनियम, 2017 में निर्धारित है, जिसके अनुसार आईआरडीएआई ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए एक शिकायत निवारण नीति लागू करना, प्रधान कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय/मुख्य कार्यालय में एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करना और प्रत्येक अन्य कार्यालय में भी एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करना अनिवार्य (मैंडेटरी) कर दिया है। उक्त विनियम बीमाकर्ताओं के लिए, शिकायतों और उनके समाधान से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का गठन करने के लिए भी निर्धारित करते हैं।

बीमा भरोसा पोर्टल

II.6.2 बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक चैनल प्रदान करने के लिए, आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर (आईजीसीसी) की स्थापना की है जो एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर और ईमेल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करता है और समाधान की स्थिति प्रस्तुत करने के अलावा शिकायतें दर्ज करता है। आईआरडीएआई ने शिकायत प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली के रूप में बीमा भरोसा पोर्टल भी स्थापित किया है, जो न केवल शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक प्रवेश द्वार है, बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी के लिए आईआरडीएआई के लिए एक व्यवसाय-व्यापी शिकायत भंडार के रूप में भी कार्य करता है। आईजीसीसी का बीमा भरोसा पोर्टल के साथ एक इंटरफेस है और बीमा भरोसा पोर्टल के माध्यम से, आईआरडीएआई का सभी बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रणालियों के साथ एक इंटरफेस है।

शिकायतों की स्थिति


II.6.3 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बीमा भरोसा पोर्टल पर 2,02,640 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,24,293 जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित थीं और 78,347 साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित थीं। व्यवसाय के लिए प्राप्त शिकायतों के समाधान की दर 98.21 प्रतिशत है। जीवन बीमाकर्ताओं ने 99.77 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया (निजी क्षेत्र द्वारा 99.33 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता द्वारा लगभग 100 प्रतिशत) और साधारण बीमाकर्ताओं ने 95.8 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया (सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा 90.62 प्रतिशत और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 97.87 प्रतिशत)। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बीमा भरोसा पोर्टल पर प्राप्त कुल जीवन बीमा शिकायतों में से 62 प्रतिशत से अधिक शिकायतें तीन प्रकार के मुद्दों यानी उत्तरजीविता दावे, पॉलिसी सर्विसिंग और अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त साधारण बीमा शिकायतों में से अधिकांश शिकायतें दावों (66 प्रतिशत) से संबंधित हैं।

सारणी II.19. बीमा भरोसा पोर्टल के अनुसार शिकायतों की स्थिति


(शिकायतों की संख्या)

बीमाकर्ता	2021-2022			2022-23		
	वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के दौरान लंबित
जीवन बीमाकर्ता						
सार्वजनिक क्षेत्र	1,14,202	1,14,226	5	81,303	81,303	-
निजी क्षेत्र	40,624	40,664	113	42,990	43,114	289
कुल	1,54,826	1,54,890	118	1,24,293	1,24,417	289
साधारण बीमाकर्ता						
सार्वजनिक क्षेत्र	23,822	23,663	537	22,563	20,781	2,149
निजी क्षेत्र	41,693	40,692	1,164	55,784	56,178	1,224
कुल	65,515	64,625	1,701	78,347	76,959	3,373
महा योग	2,20,341	2,19,515	1,819	2,02,640	2,01,373	3,662

चार्ट II.5: जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण



चार्ट II.6: साधारण बीमा शिकायतों का वर्गीकरण



डीएआरपीजी पोर्टल में शिकायतों की स्थिति

II.6.6 वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) पोर्टल में पंजीकृत 12,542

शिकायतें आईआरडीएआई को भेजी गई हैं। वर्ष के दौरान कुल 12,808 शिकायतों का निपटारा किया गया है। 31 मार्च, 2023 तक कुल 220 शिकायतें लंबित थीं।

31 मार्च, 2023 तक शिकायतों की आयु-वार लंबित स्थिति इस प्रकार है:

सारणी II.20: डीएआरपीजी पोर्टल में पंजीकृत और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें

शिकायत के स्रोत	वर्ष 2022-23 के प्रारम्भ में शिकायतें	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त की गई शिकायतें	वर्ष 2022-23 की कुल शिकायतें	वर्ष 2022-23 के दौरान निस्तारित की गई शिकायतें	वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर शेष शिकायतें
डीपीजी	19	298	317	305	12
डीएआरपीजी	16	160	176	176	-
स्थानीय/इंटरनेट	338	10,137	10,475	10,324	151
राष्ट्रपति सचिवालय	2	89	91	83	8
पेंशन	-	10	10	10	-
पीएमओ	111	1,848	1,959	1,910	49
कुल	486	12,542	13,028	12,808	220

डीपीजी- लोक शिकायत निदेशालय; डीएआरपीजी - प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग; पीएमओ- प्रधानमंत्री कार्यालय
स्रोत: सीपीजीआरएमएस पोर्टल

सारणी II.21: शिकायतों का लंबित स्थिति

लंबित	शिकायतों की संख्या
0-15 दिन	149
16 - 30 दिन	37
31 - 45 दिन	10
46 - 60 दिन	9
> 60 दिन	15
कुल	220

बीमा सलाहकार समिति ऐसे अन्य मामलों पर आईआरडीएआई को सलाह दे सकती है जो निर्धारित किए किये जाते हैं।

आईआरडीएआई बैठक	तिथि
आईएसी की 45वीं बैठक	18 अक्टूबर, 2022
आईएसी की 46वीं बैठक	14 नवंबर, 2022

पुनर्बीमा सलाहकार समिति

II.7.2 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी (1) के अधीन डीएफएस, भारत सरकार के दिनांक 06 दिसंबर 2018 के अनुमोदन के आधार पर, आईआरडीएआई ने आदेश संख्या आईआरडीएआई/आरईआईएन/एनओटी/आरआईएन/10 1/5/2022 दिनांक 19 मई, 2022 के द्वारा पुनर्बीमा सलाहकार समिति (आरएसी) का पुनर्गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था।

II.7 सलाहकार समिति की कार्य-पद्धति:

बीमा सलाहकार समिति

II.7.1 बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) में वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता मंचों, सर्वेक्षणकर्ताओं, एजेंटों, मध्यस्थों, सुरक्षा और हानि की रोकथाम, अनुसंधान निकाय और बीमा क्षेत्र के कर्मचारी संघ के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 25 सदस्य (पदेन सदस्यों को छोड़कर) होते हैं। आईआरडीएआई के अध्यक्ष और सदस्य बीमा सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होते हैं। बीमा सलाहकार समिति का उद्देश्य, नियम बनाने से संबंधित मामलों पर आईआरडीएआई को सलाह देना है।

II.8. लोकपाल की कार्य-पद्धति

II.8.1 बीमा लोकपाल के कार्यालय बीमा लोकपाल परिषद (सीआईओ) के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जिसका गठन बीमा लोकपाल नियम, 2017 के तहत किया गया है। सीआईओ नियमित अंतराल पर जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा

परिषद के साथ निकट समन्वय में काम करता है।

11.8.2 बीमा लोकपाल कार्यालय एक वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच है जिसे बीमा कंपनियों और उसके मध्यस्थों या बीमा ब्रोकरों के खिलाफ पीड़ित पॉलिसीधारकों की शिकायतों को त्वरित और लागत प्रभावी तरीके से हल करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। देश भर में 17 लोकपाल केंद्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, पटना और नोएडा। सभी आवश्यकताओं की प्राप्ति के बाद, बीमा लोकपाल तीन महीने की अवधि के भीतर एक पुरस्कार के माध्यम से शिकायत का निपटारा करेगा और ऐसा निर्णय बीमा कंपनियों और उसके मध्यवर्तियों या बीमा दलालों, जैसा भी मामला हो, पर बाध्यकारी होगा।

11.8.3 जहां शिकायत का समाधान पॉलिसीधारक के पक्ष में नहीं हुआ है या आंशिक रूप से पॉलिसीधारक के पक्ष में हुआ है, बीमाकर्ता शिकायतकर्ता को सक्षम क्षेत्राधिकार के लोकपाल के नाम और पते का विवरण देते हुए बीमा लोकपाल के समक्ष मामले को उठाने के विकल्प के बारे में सूचित करेगा।

11.8.4 बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 19 के अनुसार, एक सलाहकार समिति, जिसमें केंद्र सरकार के एक नामित व्यक्ति सहित 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे, को आईआरडीएआई द्वारा 27.04.2022 को कार्यालय आदेश संदर्भ संख्या आई आर डी ए आई / सीएडी / ओआरडी / एमआईएससी/75/4/2022 के माध्यम से समय-समय पर बीमा लोकपाल प्रणाली के प्रदर्शन की समीक्षा करने और सभी बीमा लोकपालों की दक्षता बढ़ाने से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए पुनर्गठित किया गया था। यह समिति बीमा लोकपाल परिषद (सीआईओ) के लिए एक मार्गदर्शक निकाय के रूप में कार्य करती है।

11.9 बीमा संघ और बीमा परिषदें

11.9.1 जीवन बीमा परिषद

जीवन बीमा परिषद बीमा अधिनियम 1938 की धारा 6 4 सी के तहत एक वैधानिक निकाय है जो भारत में कार्यरत सभी जीवन बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है।

11.9.2 2022-23 में परिषद द्वारा की गई गतिविधियों की संक्षिप्त रूपरेखा।

• विभिन्न विनियम दिशानिर्देशों और परिपत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए विनियमन समीक्षा समिति और विभिन्न उपसमूह -

विनियामक ढांचे के पहलुओं की जांच करने और व्यवसाय के लिए उचित निर्देश सुझाने के लिए विनियमन समीक्षा समिति और उसके उप-समूहों का गठन किया गया था। जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद के महासचिव दोनों विनियमन समीक्षा समिति का हिस्सा हैं।

• बीमा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन एजेंडा -

जीवन बीमा परिषद ने, सामान्य बीमा परिषद के साथ, निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में 'बीमा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन एजेंडा' पर कार्यशील हैं

- सेक्टर बेंचमार्किंग और गैप विश्लेषण
- समावेशन एजेंडा
- डिजिटल एजेंडा
- विधिक, विनियामक और पूंजी

• एनएसईआईटी एजेंट परीक्षा -

वर्ष 2015 में बीमा अधिनियम में संशोधन और उसके बाद आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियमन 2016 की अधिसूचना के साथ, 1 अप्रैल 2016 से आईआरडीएआई द्वारा बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई और बीमा एजेंटों की नियुक्ति की भूमिका बीमा कंपनियों को सौंप दी गई। चूंकि एजेंटों की नियुक्ति की जिम्मेदारी व्यवसाय पर स्थानांतरित कर दी गई है, इसलिए आईआरडीएआई ने निर्णय लिया है कि एजेंटों के लिए ऑनलाइन परीक्षाओं की प्रणाली को दोनों बीमा परिषदों यानी जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद द्वारा प्रबंधित किया जाना उचित होगा। जीवन बीमा परिषद, सामान्य बीमा परिषद, आईआईआई और एनएसई आईटी ने 06 दिसंबर, 2022 को एक चतुर्पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और यह समझौता 21 दिसंबर, 2022 से प्रभावी है और एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

• बीमा जागरूकता उप-समिति -

वर्ष 2022-23 के लिए बीमा जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस बात पर सहमति हुई कि परिषद द्वारा

आईआरडीएआई के परामर्श से प्रसंग(थीम) आधारित अभियान और प्रमाणक विकसित करने की आवश्यकता है।

- परिषद की वेबसाइट सांख्यिकीय आँकड़ा, नवीनतम समाचार और अन्य जानकारी जारी रखती है। इसके डिज़ाइन को अपग्रेड करने और इसे आईआरडीएआई और सभी जीवन बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों के साथ जोड़ने के बाद विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय - से हिट की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नवंबर 2011 से जीवन परिषद की वेबसाइट अपने सभी सदस्यों के दैनिक एनएवी को होस्ट करती है।
- महासचिव भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों के भी सदस्य हैं। जन सुरक्षा पोर्टल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आदि को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। परिषद सीआईआई, एफआईसीसीआई, एएसएसओसीएचएएम आदि द्वारा आयोजित बैठकों और सम्मेलनों में सक्रिय रूप से शामिल रही है।

साधारण बीमा परिषद

11.9.3 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 सी के तहत गठित साधारण बीमा परिषद (जीआई काउंसिल) साधारण बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय है, जिसमें भारत में कार्यरत स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, विशिष्ट बीमाकर्ता, पुनर्बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाएं (एफआरबी) और लॉयड्स इंडिया शामिल हैं।

11.9.4 वर्ष 2022-23 में साधारण बीमा परिषद की गतिविधियाँ:

- साधारण बीमा परिषद ने प्रस्तावित विभिन्न नए विनियमों और मौजूदा विनियमों में किए गए संशोधनों के संबंध में आईआरडीएआई और/या भारत सरकार को व्यवसाय के विचार प्रस्तुत किए।
- 2047 तक सभी के लिए बीमा प्रदान करने और व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करने के अपने नेक दृष्टिकोण के तहत आईआरडीएआई द्वारा की गई पहल के अनुसरण में, साधारण बीमा परिषद लगातार विभिन्न मामलों पर आईआरडीएआई के साथ जुड़ी हुई है।

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन और केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियमों की अधिसूचना के आलोक में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने बीमित और गैर-बीमाकृत दोनों तरह के दुर्घटना पीड़ितों के स्वर्णिम घंटा (गोल्डन ऑवर) उपचार के लिए विशेष निधि बनाने का प्रस्ताव रखा है। वाहनों और साधारण बीमा परिषद को धन के वितरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- संशोधित सीएमवी नियम मौजूदा हिट एंड रन दुर्घटना निधि को साधारण बीमा परिषद को हस्तांतरित करते हैं, जिसे निधि का प्रबंधन करना होगा और पूरे देश में ऐसी दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावों का भुगतान भी करना होगा। साधारण बीमा परिषद एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है जो भारत में संबंधित जिलों से आने वाले दावों को संभाल सके और समय पर भुगतान कर सके।
- साधारण बीमा परिषद के साथ जीवन बीमा परिषद और इंडियन बैंक एसोसिएशन(आईबीए) मिलकर एक जन सुरक्षा प्लेटफार्म विकसित कर रही है जो पीएमजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना)/पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के तहत बेची जा रही जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना दावों को देखेगी।
- साधारण बीमा परिषद ने आईआरडीएआई, एफआईसीसीआई, सीआईआई, एएसएसओसीएचएएम आदि जैसे विभिन्न व्यवसाय निकायों द्वारा गठित विभिन्न समूहों, समितियों और उप-समितियों में सक्रिय रूप से बातचीत की, जिसका उद्देश्य पॉलिसी धारकों/बीमा लाभार्थियों के अनुभव को समग्र रूप से बढ़ाना था।

11.10. बीमा बाज़ार से सम्बंधित अन्य गतिविधियाँ

11.10.1 आईआरडीएआई समय-समय पर जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों के लिए बाजार में किसी भी नए उत्पाद को प्रारम्भ करने के लिए वीनियामक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन उल्लब्ध करता है / करता है।

2022-23 के दौरान आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की बीमा कंपनी-वार कुल संख्या अनुबंध 7 में दी की गई है।

III



आईआरडीएआई के सांविधिक और विकासात्मक कार्य



भाग-III: आईआरडीएआई के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

आईआरडीए अधिनियम, 1999(आईआरडीए अधिनियम) की धारा 14 बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों को निर्धारित करती है। उक्त धारा की उप-धारा (2) प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है। वार्षिक रिपोर्ट के भाग III में प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों का निर्वहण और अपने को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2022-23 में संपन्न की गई प्राधिकरण की गतिविधियों को शामिल किया गया है।

III.1 आवेदक को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना, नवीकरण करना, संशोधित करना, वापस लेना, निलंबित करना या ऐसे पंजीकरण को रद्द करना

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, तीन बीमा कंपनियाँ, अर्थात्; जनरल इश्योरेंस कंपनी के रूप में 'क्षेमा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' और जीवन बीमा कंपनियों के रूप में 'एको लाइफ इश्योरेंस लिमिटेड' और 'क्रेडिट एक्सेस लाइफ इश्योरेंस लिमिटेड' को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इन तीन बीमाकर्ताओं के जुड़ने से, जीवन बीमाकर्ताओं और साधारण बीमाकर्ताओं की कुल संख्या क्रमशः 25 और 27 हो गई। इसके अलावा, एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र (एआईसी), पंजीकरण संख्या-126 को 28.04.2022 से व्यवसाय की श्रेणी के लिए "फसल बीमा" से "कृषि बीमा (स्वास्थ्य बीमा शामिल किए बिना) व्यवसाय" में संशोधित किया गया है।

आईआरडीएआई ने, आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और हस्तांतरण की योजना) विनियम, 2013 के संदर्भ में, 13 अक्टूबर, 2022 को एक्साइड लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय को कुछ शर्तों के अधीन मंजूरी दे दी।

सहारा लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) के पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52 ख की उप-धारा (2) के तहत शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, आईआरडीएआई ने 02 जून, 2023 को एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय को एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) में स्थानांतरित कर दिया।

III.2 पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण।

III.2.1 आईआरडीएआई ने पॉलिसीधारक के हितों की रक्षा करने और बीमाकर्ताओं द्वारा पॉलिसीधारक केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जो शिकायतों के निवारण पर अधिक जोर देता है बिक्री के बिंदु के साथ-साथ दावे के बिंदु पर बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों के लिए आचार संहिता प्रदान करने वाले आईआरडीएआई विनियम, 2017 को अधिसूचित किया है। आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं के लिए पॉलिसीधारकों के संरक्षण हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्रचलित रखने के लिए निदेश दिया है जिसमें पॉलिसीधारकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा मानदंड और समय-सीमाएँ (टर्नअराउंड टाइम), शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रक्रिया, उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम तथा अपविक्रय (मिस-सेलिंग) को रोकने के लिए उपाय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियम पॉलिसीधारकों की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए बीमाकर्ताओं को उचित कार्यविधियाँ और एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने का भी अधिदेश देते हैं।

इसके अलावा, आईआरडीएआई ने सभी बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न अनुपालन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति बनाने का आदेश दिया है। समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ लागू करनी चाहिए कि पॉलिसीधारकों के पास शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच हो और बीमा क्षेत्र में भरोसा और विश्वास बढ़ाने के लिए पॉलिसीधारक की शिकायतों को गंभीरता, तत्परता और

सहानुभूति के साथ संभालना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

III.2.2 आईआरडीएआई ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, जैसे उत्तराखंड राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में धंसाव एवं भूस्खलन, चक्रवात बिपरजॉय (ओडिशा में), सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में बाढ़ के पीड़ितों के दावों के शीघ्र निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ओडिशा राज्य में बालासोर ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के दावों के शीघ्र निपटान के लिए भी निर्देश जारी किए गए। बीमाकर्ताओं को दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करके प्रभावित बीमित आबादी की कठिनाइयों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया।

III.3 मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए अपेक्षित योग्यताएं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण निर्दिष्ट करना।

III.3.1 बीमा व्यवसाय में सभी मध्यवर्तियों के लिए लाइसेंसिंग और आचार संहिता आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताएं और आचार संहिता) विनियम, 2015, आईआरडीएआई (बीमा) विनियम, 2018, आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 और आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के तहत बनाए गए नियमों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं।

III.3.2 वितरण के विभिन्न चैनलों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा आवश्यकताओं के सामंजस्य पर परिपत्र आईआरडीए / आईएनटी/सीआईआर/टी&ई/136/07/2016 जारी करके विनियामक पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा एक विनियामक ढांचा निर्धारित किया गया है।

III.4 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण संहिता विनिर्दिष्ट करना

III.4.1 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के अध्याय IV में विनिर्दिष्ट हैं, जिसका संशोधन 2020 में किया गया है।

III.4.2 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के व्यावसायिक कार्य के संचालन के लिए व्यावसायिक और नैतिक आवश्यकताओं के संबंध में आचरण संहिता उक्त विनियमों के अध्याय VI में विनिर्दिष्ट है और विनियम 16 उस कूट के संबंध में विस्तार से बताता है।

III.4.3 इसके अलावा, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए, प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 अधिसूचित किया है जो आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करता है। साधारण बीमा पॉलिसी के संबंध में दावों के निपटान से संबंधित व्यवहार करते समय, उक्त विनियम के विनियम 15 के अंतर्गत सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों द्वारा आचरण संहिता के पालन पर और बल दिया गया है।

III.4.4 आईआरडीएआई को सर्वेक्षकों से सर्वेक्षण कार्यों के लिए पैनाल में शामिल होने, बीमा कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान न करने, आंतरिक सर्वेक्षकों और व्यपगत लाइसेंसों के धारकों को आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यता को अस्वीकार करने, आई आई आई एस एलए द्वारा सदस्यता के स्तर से इनकार करने आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है। ऐसी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों और आईआईआईएसएलए को उनके स्तर पर समाधान के लिए अग्रेषित की जाती हैं। पॉलिसीधारक भी सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्राप्त न होने, सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलंब, कदाचार, आईआरडीए सर्वेक्षक विनियमों के उल्लंघन आदि पर सर्वेक्षकों/सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध शिकायत करते हैं। ऐसी शिकायतें मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए सर्वेक्षकों के साथ उठाई जाती हैं। उपर्युक्त के अलावा, प्राधिकरण को सर्वेक्षकों और कॉर्पोरेट सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध विभिन्न आरटीआई और संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, प्राधिकरण को सीपीजीआरएमएस पोर्टल पर 84 शिकायतें प्राप्त हुईं, 80 का समाधान किया गया और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 7 शिकायतें लंबित हैं।

भारतीय बीमा क्षेत्र में सुधार और विनियामक पहल

'सभी के लिए बीमा' की दिशा में 2022 में घोषित आईआरडीएआई के विज़न 2047' पर वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान आगे काम करना जारी रखा गया है। बीमा पैठ बढ़ाने और सभी नागरिकों और व्यवसायों के लिए बीमा की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आगे की जमीनी कार्यवाही मोटे तौर पर 3 विषयों पर की गई है:

- 'व्यापार में आसानी' के लिए विनियामक ढांचे को और तर्कसंगत बनाने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए विनियामक सुधार।
- पूर्ण 'बीमा समावेशन' हासिल करने के लिए 'राज्य बीमा योजना' शुरू की गई।
- बीमा व्यवसाय के डिजिटलीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी पहल।

आईआरडीएआई की हितधारक भागीदारी को थीम-आधारित 'बीमा मंथन' में विशिष्ट रूप से औपचारिक रूप दिया गया, जो साझा दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में सभी बीमा व्यवसाय के नेताओं को एक साथ लाता है, जिसका तीसरा संस्करण मार्च 2023 में आयोजित किया जाएगा। इस संलग्नता प्रक्रिया को संपूरित करते हुए बीमा व्यवसाय के प्रतिभागियों के लिए हर महीने की 15 तारीख को 'ओपन हाउस' बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें परिचालन संबंधी चिंताओं को हल करने के साथ-साथ सेवा प्रक्रियाओं और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने वाले विचारों या समाधानों का प्रस्ताव करने के लिए सीधे तौर पर भाग लिया जाता है।

राज्य बीमा योजना

बीमा समावेशी भारत की ओर एक कदम

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरडीएआई ने "2047 तक सभी के लिए बीमा" के उद्देश्य से राज्य बीमा योजना (एसआईपी) शुरू की है। योजना में राज्य सरकार मशीनरी के साथ निकट समन्वय में देश के विभिन्न हिस्सों में बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों और गतिविधियों के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।

राज्य बीमा योजना बीमा पैठ को गहरा करने के लिए संपूर्ण बीमा व्यवसाय का एक सहयोगात्मक और परामर्शात्मक प्रयास है। प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को विभिन्न बीमाकर्ताओं को सौंपा गया है और उन्हें प्रमुख बीमाकर्ताओं के रूप में नामित किया गया है। बीमाकर्ताओं से राज्य प्रशासन और अन्य बीमाकर्ताओं को शामिल करते हुए राज्य स्तरीय बीमाकर्ताओं की समितियों (एसएलआईसी) और जिला स्तरीय बीमाकर्ताओं की समितियों (डीएलआईसी) का गठन करने की उम्मीद की जाती है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य-विशिष्ट रणनीतियाँ विकसित और सक्षम की जाएंगी, जिसमें उन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जहां अब तक बीमाकर्ताओं की पहुंच नहीं थी या जहां महत्वपूर्ण 'बीमा कवरेज अंतराल' मौजूद हैं।

राज्य बीमा योजना समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों में सुरक्षा अंतराल को ठीक करने वाले समावेशी बीमा पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे प्राकृतिक आपदाओं और तबाही के खिलाफ लचीलापन बढ़ाने और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वंचित आबादी को कवर करने वाले सामाजिक सुरक्षा जाल से लैस करने की उम्मीद है। इसका प्रयास देश भर में बीमा कवरेज के लिए जागरूकता और पहुंच के स्तर को बढ़ाना है।

III.5 बीमा व्यवसाय के संचालन में दक्षता का संवर्धन

III.5.1 परिपत्र संख्या आईआरडीएआई /एफ&ए/सी आईआर/विविध/99/5/2022 दिनांक 12 मई, 2022 के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटीकरण पर अनुपालन आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाना।

(i) विदेशी पुनर्बीमा शाखा (एफआरबी) और लॉयड्स इंडिया द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन

एफआरबी और लॉयड्स इंडिया को समाचार पत्रों में अर्धवार्षिक और वार्षिक राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा, बैलेंस शीट और विश्लेषणात्मक अनुपात आदि प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। संशोधन से अनुपालन बोझ कम होगा और व्यापार में आसानी होगी।

(ii) एफआरबी और लॉयड्स इंडिया द्वारा स्टीवर्डशिप रिटर्न और सार्वजनिक प्रकटीकरण:

अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, प्रकटीकरण से संबंधित स्टीवर्डशिप कोड की आवश्यकता उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती है जिनकी निवेश नीति इक्विटी में निवेश की अनुमति नहीं देती है। संशोधनों का सार इस प्रकार है:

- वे संस्थाएँ, जिनकी निवेश नीति इक्विटी में निवेश की अनुमति नहीं देती है, उन्हें कॉमन स्टीवर्डशिप कोड, प्रकटीकरण आवश्यकताओं और रिटर्न के आवेदन से छूट दी गई है। तदनुसार, सार्वजनिक प्रकटीकरण को 'लागू नहीं' के रूप में दिखाया जा सकता है।
- वे संस्थाएँ, जिनकी निवेश नीति इक्विटी निवेश की अनुमति देती है लेकिन उन्होंने इक्विटी में कोई निवेश नहीं किया है - संहिता लागू है। हालाँकि, शून्य रिटर्न इसके लिए पर्याप्त अनुपालन होगा।
- अन्य संस्थाओं को निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

(iii) साधारण बीमाकर्ताओं, एफआरबी और लॉयड्स इंडिया द्वारा अंडरराइटिंग प्रदर्शन पर फॉर्म - 40 का सार्वजनिक प्रकटीकरण

अंडरराइटिंग प्रदर्शन से संबंधित प्रारूप एनएल -40 का सार्वजनिक प्रकटीकरण बंद कर दिया गया था और उक्त प्रारूप को केवल आईआरडीएआई के साथ दाखिल करने की सलाह दी गई थी।

III.5.2 (क) परिपत्र संख्या आई आर डीए आई/एफ &ए/सी आईआर/विविध/98/5/2022 दिनांक 12 मई, 2022 के माध्यम से बीमाकर्ताओं के मासिक शोधनक्षमता रिटर्न को बंद करना।

परिपत्र में बीमाकर्ताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा मासिक शोधनक्षमता रिटर्न दाखिल करने को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालाँकि, जिन बीमाकर्ताओं का शोधनक्षमता अनुपात किसी भी तिमाही के अंत में 1.55 से कम है, वे मासिक शोधनक्षमता स्थिति की रिपोर्ट करना जारी रखेंगे जब तक कि शोधनक्षमता स्थिति 1.55 पर बहाल न हो जाए।

(ख) परिपत्र आईआरडीए / एसीटी/सीआईआर / जीईएन / 74/4/2022 दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के माध्यम से बीमांकिक संबंधित रिटर्न के संबंध में अनुपालन आवश्यकताओं का युक्तिकरण:

बीमाकर्ताओं के अनुपालन बोझ और बीमित आबादी के लिए उच्च पैठ और निर्बाध सेवाओं के लिए व्यापार करने में आसानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की छूट दी गई है:

- सहकर्मी समीक्षक की रिपोर्ट और त्रैमासिक एएलएम रिटर्न-डीएसआईआई को छोड़कर
- उत्पाद योजनाकार
- बीमांकिक विभाग को अकेक्षित वित्तीय विवरण पुनरावृत्त प्रस्तुत करना।
- मुद्रा बाज़ार लिखतों पर प्रमाणीकरण

III.5.3 पुनर्बीमा में नियामक रिटर्न का युक्तिकरण

व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने जीवन बीमाकर्ताओं के लिए कुछ विनियामक पुनर्बीमा रिटर्न को तर्कसंगत बनाया है और

परिपत्र संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/आरईआईएन/सीआईआर/आरटी/1/1/2023 दिनांक 03-01-2023 के माध्यम से कुछ रिटर्न को समाप्त कर दिया है।

III.5.4 एफआरबी/लॉयड्स इंडिया द्वारा निर्दिष्ट पूंजी का प्रत्यावर्तन

विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी) और लॉयड्स इंडिया को परिपत्र संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/आरईआईएन/सीआईआर/विविध/224/10/2022 दिनांक 26-10-2022 के माध्यम से प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के साथ अतिरिक्त सौंपी गई पूंजी को कुछ शर्तों के अधीन वापस करने की अनुमति दी गई है। यह प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पुनर्बीमा की पेशकश और विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए निर्दिष्ट पूंजी की मुक्त आवाजाही के लिए अधिक पुनर्बीमा खिलाड़ियों को आकर्षित करेगा।

III.5.5 परिपत्र संख्या - आईआरडीएआई/ एफ & आई / सीआईआर / विविध / 183/9/2022 दिनांक 02 सितंबर, 2022 के माध्यम से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 48क के तहत सामान्य निदेशकों की नियुक्ति या निरंतरता।

परिपत्र आईआरडीएआई बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 48क के तहत सामान्य निदेशक की नियुक्ति के लिए रूपरेखा प्रदान करता है:

जिन बीमाकर्ताओं के पास बीमा मध्यस्थ के साथ सामान्य निदेशक होते हैं, उन्हें मामले दर मामले के आधार पर अनुमोदन प्राप्त करना होता है। व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए, बीमा कंपनी के बोर्ड में बीमा एजेंट, मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले सामान्य निदेशक की नियुक्ति या निरंतरता को परिपत्र में निर्धारित विभिन्न शर्तों के अधीन अनुमति माना जाएगा।

III.5.6 परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/एफ&आई / सीआईआर / विविध / 123/6/2022 दिनांक 15 जून, 2022 के माध्यम से अनुमान के आधार पर प्रीमियम, दावों और संबंधित खर्चों का लेखा।

समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने और वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष तस्वीर को प्रतिबिंबित करने के लिए एफआरबी/पुनर्बीमाकर्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की कम से कम तीसरी तिमाही तक अनुमान के आधार पर कोई प्रीमियम अर्जित/लेखा नहीं किया जाए। हालाँकि, 31 मार्च को समाप्त होने वाली चौथी तिमाही के लिए, जहाँ खातों का विवरण समय पर प्राप्त नहीं हुआ है, प्रीमियम, हानि और संबंधित खर्चों का अनुमान के आधार पर हिसाब लगाया जा सकता है।

III.5.7 गैर-कार्यकारी निदेशकों को लाभ संबंधी कमीशन

परिपत्र संख्या- आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/विविध/26/01/2023 दिनांक 30 जनवरी, 2023 के माध्यम से आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 48क के तहत नियुक्त गैर-कार्यकारी निदेशक सहित गैर-कार्यकारी निदेशक को लाभ से संबंधित कमीशन का भुगतान करने की अनुमति दी है:

1. बीमाकर्ता ने उस अवधि के लिए कर के बाद सकारात्मक लाभ की सूचना दी है जिसके लिए उक्त कमीशन का भुगतान प्रस्तावित है।
2. बीमाकर्ता के बोर्ड ने इस तरह के भुगतान को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है।
3. कमीशन सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
4. उक्त भुगतान के संबंध में प्रकटीकरण किया जाएगा।

III.5.8 भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कंपनी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय की स्थापना और बंद करने पर दिशानिर्देश

आईआरडीएआई ने भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कंपनी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय (एलओ) खोलने की मंजूरी के लिए रूपरेखा तैयार की थी (परिपत्र संदर्भ: 30/ आईआरडीए/सीआईआर/एलआइएऑफ/दिस.-05 दिनांक 07.12.2005) और भारत में स्थापित संपर्क कार्यालय को बंद करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए थे। (संदर्भ: आईआरडीए/024/क्लोजर-एफएलओ/2007-08 दिनांक 17.07.2007)।

शर्तों/निर्देशों की समीक्षा की गई है और परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/एफ&आई /जी डी एल/219/10/2022 के माध्यम से संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए हैं। नए ढांचे ने संपर्क कार्यालयों के उद्घाटन और समापन को समेकित किया और एलओ की गतिविधियों पर उचित पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया। नया ढांचा वैश्विक बीमा कंपनियों को भारत के बीमा क्षेत्र में व्यापक शोध करने में सक्षम बनाएगा और उन्हें भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम के साथ-साथ नई बीमा कंपनियां स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा। शर्तों/निर्देशों की समीक्षा की गई है और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य संशोधन निम्नलिखित हैं:

- दिशानिर्देश भारत में संपर्क कार्यालय खोलने और संचालित करने की अनुमति की वैधता और विस्तार का प्रावधान करते हैं।
- दिशानिर्देशों में संपर्क कार्यालय खोलने और बंद करने दोनों के निर्देश शामिल हैं।
- अनुमोदन के लिए शर्तें दिशानिर्देशों के भाग के रूप में प्रस्तावित हैं।
- भारत में एलओ खोलने के लिए विदेशी बीमाकर्ता के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता आइएनआर (65 मिलियन यूएसडी) के बजाय अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में निर्दिष्ट की गई है।
- रिकॉर्ड के रखरखाव और आईआरडीएआई को फाइलिंग/प्रस्तुति देने की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।
- एलओ द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में एलओ को बंद करना और कार्यवाही करना। एलओ के लिए अपना परिचालन बंद करते समय सार्वजनिक सूचना जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- एलओ की वैधता की अवधि अधिकतम 4 (3+1) वर्ष तक सीमित है।
- एक संक्रमण प्रावधान के रूप में, जिन एलओ को इन दिशानिर्देशों की तारीख से पहले तीन साल की अवधि के भीतर विस्तार दिया गया है, उन्हें तीन साल का एक बार और विस्तार मिलेगा।
- इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख पर भारत में

एलओ रखने वाले और भारत में बीमा कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार होने वाले विदेशी बीमाकर्ता को इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर एलओ बंद करना होगा।

मोटर थर्ड पार्टी दायित्वों की रिपोर्ट करते समय आवक सह-बीमा का उपचार

III.5.9 आईआरडीएआई ने परिपत्र आईआरडीएआई/एनएल / सीआईआर / एमटीपी / 54/02/2023 दिनांक 20.02.2023 के माध्यम से स्पष्ट किया कि जहां बीमाकर्ता जोखिम साझाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सह-बीमा व्यवस्था करते हैं, मोटर थर्ड पार्टी दायित्वों के अनुपालन की गणना के उद्देश्य से आवक सह-बीमा पर विचार नहीं किया जाएगा।

उत्पाद दाखिल करने की प्रक्रिया में बदलाव

III.5.10 आईआरडीएआई ने इस वित्तीय वर्ष में सभी उत्पादों के लिए गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया को फाइल एंड यूज (आईआरडीएआई की मंजूरी के साथ लॉन्चिंग) से बदलकर यूज एंड फाइल (बिना मंजूरी के लॉन्चिंग) कर दिया है। यह सामान्य बीमा कंपनियों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप नए और अभिनव उत्पादों को डिजाइन करने और समय पर लॉन्च करने और पॉलिसीधारकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने, भारत में बीमा पैठ को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए किया गया है। परिपत्र आईआरडीएआई /एसीटीएल /सीआईआर / पीआरओ /81/3/2023 दिनांक 31/03/2023 के माध्यम से, आईआरडीएआई ने मौजूदा 'उपयोग और फाइल' प्रक्रिया को और सरल बना दिया है जिससे बीमा उत्पादों को बाजार में गत्यात्मकता के साथ-साथ गति भी मिल सकेगी।

मोटर बीमा में नए ऐड-ऑन की शुरुआत

III.5.11 प्रौद्योगिकी सक्षम कवर की सुविधा प्रदान करने और बीमा पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में, आईआरडीएआई ने परिपत्र आईआरडीएआई / एनएल / सीआईआर/मोटर/136/07/2022 दिनांक 05.07.2022 के माध्यम से सामान्य बीमा कंपनियों को मोटर ओन डैमेज

(ओडी) कवर के लिए निम्नलिखित तकनीक-सक्षम अवधारणाओं को पेश करने की अनुमति दी है:

1. गाडी चलाते हुए भुगतान करें
2. आप जैसे गाडी चलाते हैं वैसे भुगतान करें
3. दोपहिया वाहनों और निजी कारों के लिए एक ही व्यक्तिगत मालिक के वाहनों के लिए फ्लोटर पॉलिसी।

ये उपर्युक्त कवर मोटर ओडी की मूल पॉलिसी में ऐड-ऑन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

आवास, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के लिए बीमा उत्पाद दाखिल करना

III.5.12 आईआरडीएआई ने आवासों, सूक्ष्म और छोटे व्यवसायों के लिए आग और संबद्ध खतरों के लिए मानक उत्पादों, अर्थात् भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश संदर्भ आईआरडीए / एनएल /जीडीएल / एमआईएससी / 004 /01/2021 और आईआरडीए /एनएल /जीडीएल/ एमआईएससी /005/01/2021 दिनांक 4 जनवरी, 2021 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए। इन मानक उत्पादों ने नामित जोखिमों के लिए मानक अग्नि और विशेष खतरे (एसएफएसपी) नीति को प्रतिस्थापित कर दिया और अग्नि और संबद्ध जोखिमों के लिए मानक उत्पादों के अलावा किसी अन्य उत्पाद की अनुमति नहीं थी। पॉलिसीधारकों को व्यापक विकल्प प्रदान करने और उपयुक्तता और सामर्थ्य के संदर्भ में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आईआरडीएआई ने परिपत्र आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/96/05 /2022 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से बीमा कंपनियों को आवासों, अग्नि और संबद्ध खतरों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए वैकल्पिक और अनुकूलित उत्पाद डिजाइन करने की अनुमति दी है। ऐसे वैकल्पिक उत्पाद मानक उत्पाद के भिन्न रूप हो सकते हैं और आधार उत्पाद के हिस्से के रूप में पहले से ही स्वीकृत ऐड-ऑन शामिल हो सकते हैं या मौजूदा प्रावधान को हटा सकते हैं। हालाँकि, मानक उत्पाद में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएँ और शब्द वैकल्पिक उत्पादों में उपयोग किए जाने पर उन शब्दों के लिए संदर्भ बिंदु होंगे।

भविष्य के लिए तैयार बीमा व्यवसाय की दिशा में काम करना

भारतीय बीमा क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर है। आईआरडीएआई ने 2047 तक सभी के लिए बीमा का दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि प्रत्येक भारतीय के पास उचित जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा कवर हो और प्रत्येक उद्यम को उचित बीमा समाधानों द्वारा समर्थित किया जा सके। जैसा कि व्यवसाय एक सिद्धांत-आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, आईआरडीएआई ने मिशन मोड में निम्नलिखित टीमों का गठन किया है:

जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचा (आरबीएसएफ):

'सिद्धांत आधारित विनियामक व्यवस्था' को बढ़ावा देने, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, अनुपालन बोझ को कम करने और सक्रिय जोखिम पहचान और प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, आईआरडीएआई ने जून 2022 में भारत में बीमा क्षेत्र के लिए 'जोखिम आधारित पर्यवेक्षण' (आरबीएस) ढांचे के विकास और कार्यान्वयन को 'मिशन मोड' परियोजना के रूप में मान्यता दी। आरबीएस एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य जोखिमों को कम करना, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और अंततः जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन के तरीके पर पर्यवेक्षी फोकस बढ़ाकर बीमा क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखना है।

सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आईआरडीएआई निरंतर आधार पर विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ रहा है। आरबीएस के लिए पायलट परीक्षण का पहला चरण जुलाई 2023 से शुरू हो गया है।

जोखिम आधारित पूंजी (आरबीसी):

वर्तमान शोधनक्षमता व्यवस्था दो कारक-आधारित मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत जीवन बीमा व्यवसाय के लिए विनियामक न्यूनतम पूंजी (आरएसएम - आवश्यक शोधनक्षमता अनुपात) गणितीय रिजर्व और सम-एट-रिस्क पर कारकों को लागू करके निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार, सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए आरएसएम लिखित प्रीमियम और किए गए दावों पर कारकों को लागू करके प्राप्त किया जाता है।

जोखिम आधारित पूंजी के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के उद्देश्य से, आईआरडीएआई ने जून, 2022 के महीने में एक आरबीसी मिशन मोड टीम का गठन किया। आरबीसी ढांचा बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं को बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय में निहित जोखिमों के अनुरूप पूंजी का उचित स्तर बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में काम करेगा। इंड-आरबीसी (भारतीय जोखिम आधारित पूंजी) फ्रेमवर्क का उद्देश्य बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और संभाव्य दृष्टिकोण का पालन करते हुए प्रत्येक जोखिम की मात्रा निर्धारित करना है।

आईएफआरएस/इंडएस कार्यान्वयन:

जून 2022 में, आईआरडीएआई ने बीमा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) / इंडएस के प्रभावी कार्यान्वयन पर काम करने के लिए एक समर्पित मिशन मोड टीम का गठन किया, जिसमें लेखांकन और बीमांकिक पृष्ठभूमि के अधिकारी शामिल थे।

जबकि इंड एस 117, आईएफआरएस 17 के समतुल्य मानक को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, आईआरडीएआई आईएफआरएस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए व्यवसाय को प्रेरित करने के लिए बीमाकर्ताओं और हितधारकों के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। आईएफआरएस के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्राधिकारों के अनुभवों को समझने के लिए अध्ययन किया गया और कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

आईआरडीएआई द्वारा एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का भी गठन किया गया है जिसमें आईएफआरएस/इंडएस कार्यान्वयन में शामिल चिंताओं को दूर करने के लिए आई सी ए आई, आई ए आई, बीमा व्यवसाय और आईआरडीए आई का प्रतिनिधित्व है।

III.6 बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना

III.6.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)

III.6.1.1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स (आईआईआईएसएलए) आई आर डी ए आई द्वारा प्रवर्तित और स्थापित एक संस्थान है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत शामिल है। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) (च) के अंतर्गत आई आई आई एस एल ए को प्रवर्तित और विनियमित करने के लिए प्राधिकरण को अधिदेश (मैडेट) दिया गया है जो बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के संबंध में कार्यवाही करता है।

III.6.2 भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई)

III.6.2.1 भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक कंपनी के रूप में जुलाई 2001 को निगमित है। प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत दलालों से अपेक्षित है कि वे आवश्यक रूप से भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) के सदस्य हों।

III.6.3 भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी)

III.6.3.1 विभिन्न नए युग की प्रौद्योगिकियों के आगमन और बीमाकर्ताओं द्वारा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को सख्ती से अपडेट करने के साथ, भारत में बीमा व्यवसाय से संबंधित डेटा रखरखाव में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन डेटा सेटों की धुरी होने के नाते आईआईबी ने डेटा को केंद्रीकृत करने और उसका विश्लेषण करने में भारी अवसर देखा है ताकि बढ़ते बीमा व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं में सशक्तिकरण के लिए डेटा से अंतर्दृष्टि पूरे व्यवसाय में पहुंच सके।

III.6.3.2 भारत के आईआईबी- आईआरडीएआई द्वारा प्रवर्तित डेटा एनालिटिक्स निकाय द्वारा प्रस्तुत ऐसी प्रमुख पहलों की सूची नीचे दी गई है।

जीवन बीमा

आईआईबी के लाइफ वर्टिकल ने वर्ष 2022-23 में

निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित कीं:

- जीवन बीमा हामीदारी एवं दावा खोज उपकरण (क्लेस्ट) वर्ष के दौरान आईआईबी ने एक करोड़ से अधिक प्रश्नों का निपटारा किया। यह टूल प्रस्तावकों का बीमा इतिहास और जीवन बीमा/दावों में संभावित धोखाधड़ी की चेतावनी प्रदान करता है।
- पूर्वानुमानित जीवन जोखिम स्कोरिंग मॉडल (प्रिज्म) जीवन बीमाकर्ताओं के पूछे गए प्रस्तावों के विरुद्ध 0 से 1000 के पैमाने पर जोखिम स्कोर उत्पन्न किया और बीमाकर्ताओं को प्रवेश/अंडरराइटिंग चरण में संभावित प्रतिकूल जोखिमों को फ़िल्टर करने में मदद की।
- **पर्सिस्टेंसी मॉडल:** आईआईबी ने एक पर्सिस्टेंसी मॉडल विकसित किया और दो जीवन बीमाकर्ताओं के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया। मॉडल दृढ़ता के लिए प्रस्ताव की प्रवृत्ति को इंगित करता है।
- दावा न की गई रकम की निकासी: आईआईबी ने जीवन बीमा पॉलिसियों पर नवीनतम संपर्क विवरण प्रदान करके लावारिस राशियों की निकासी में जीवन बीमाकर्ताओं की सहायता की, जिसका उपयोग 16 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किया गया था।

मोटर बीमा

आईआईबी बीमाकर्ताओं को निजी कारों के लिए जोखिम स्कोर के साथ पिछले कई वर्षों के लिए किसी भी वाहन की पॉलिसी और दावा इतिहास प्रदान करने के लिए सुदर्शन नामक एक वास्तविक समय खोज सेवा प्रदान करता है। आज, आईआईबी वाहन डेटाबेस से पंजीकृत वाहनों का डेटा प्राप्त करता है और वाहन वर्ग/उप-वर्ग की गलतबयानी को संबोधित करता है। आईआईबी ने वाहन विवरण साझा करने के लिए उदयन नामक एक वास्तविक समय एपीआई विकसित की है। इसके अतिरिक्त, आईआईबी बिना बीमा वाले वाहनों की सूची तैयार कर रहा है।

प्रतिबिंब नीति और दावों के आँकड़ों का दैनिक दृश्य प्रतिनिधित्व है। यह 5 वित्तीय वर्षों के रुझानों के साथ भूगोल, पीएसयू और पीवीटी की हिस्सेदारी, हानि की प्रकृति आदि के आधार पर अलग-अलग भारत भर में मोटर व्यवसाय का एक

सिंहावलोकन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, स्वयं बनाम साथियों के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण है।

स्वास्थ्य बीमा

बीमा व्यवसाय को समर्थन देने के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:

1. सुवाह्यता प्रस्तावों के दौरान सुवाह्यता का विकल्प चुनने वाले बीमाधारकों के दावे के इतिहास की जांच करने के लिए व्यवसाय जोखिम-अंकन की सहायता करना
2. रोहिणी एक एप्लिकेशन है जो पूरे व्यवसाय में उन अस्पतालों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है जो अपने ग्राहकों को कैशलेस सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस रोहिणी आईडी का सभी विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए पूरे व्यवसाय में एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाता है।
3. बीमा सतर्क आईआरडीआई के मार्गदर्शन में आईआईबी द्वारा विकसित एक स्वास्थ्य धोखाधड़ी विश्लेषण प्रणाली है, जो बीमाकर्ताओं को ग्राहकों के दावों, जोखिम-अंकन और डिजिटल खरीद यात्रा पर एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

ओएलबी (व्यवसाय के अन्य क्षेत्र)

अग्नि बीमा में निम्नलिखित पेशकशों के साथ रोडमैप की योजना बनाई गई है।

आई-प्रान - जोखिम जिला स्तरीय अग्नि बीमा जोखिम और 5 वर्षों का दावा अनुभव विवरण प्रदान किया गया है।

आई-दर्पण - प्रमुख अधिभागों और जोखिम स्थानों पर नज़र रखते हुए सभी बीमाकर्ताओं के 5 वर्षों के दावों के इतिहास की तुलना में अग्नि बीमा में कॉर्पोरेट ग्राहक स्तर के एक्सपोज़र का अध्ययन किया जा सकता है।

प्रज्ञा- अक्षांश और देशांतर की मदद से लाइव मानचित्र पर संपत्ति स्तर की पहचान और विश्लेषण और जोखिम सांद्रता और अन्य भू-स्थानिक परतों को चिह्नित करने के लिए उपयोगी है जो जोखिम स्कोर विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

उपरोक्त के अलावा, आईआईबी बीमाकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित रिपोर्ट भी प्रदान करता है। ये रिपोर्टें बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रुझानों, पैठ,

दावों के अनुभव आदि के लिए निर्देशित हैं। इससे न केवल बीमाकर्ताओं को लाभ होगा, बल्कि अन्य हितधारकों के लिए एक अनुकूलित वातावरण भी तैयार होगा, जिससे धोखाधड़ी को कम करने और कम पैठ को संबोधित करने में मदद मिलेगी।

III.6.4 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आई आई आर एम)

III.6.4.1 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम) आईआरडीआई और पूर्व की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक व्यावसायिक निकाय है जो बीमा शिक्षण के संवर्धन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षण और अनुसंधान संगठन के रूप में कार्यरत है तथा यह संस्थान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित है। आईआईआरएम के समग्र कार्यचालन का पर्यवेक्षण आईआरडीआई के अध्यक्ष की अध्यक्षता में निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही

III.7.1 वर्ष 2022-23 के दौरान शुल्क संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सभी विनियमित संस्थाओं के संबंध में कुल शुल्क ₹217.51 करोड़ है। विस्तृत शुल्क संरचना अनुबंध 8 पर प्रदान की गई है।

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना

III 8.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 और आईआरडीआई अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) (ज) बीमा कंपनियों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की जाँच-पड़ताल सहित उनसे सूचना माँगने तथा उनका आनसाइट निरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक उपबंध निर्धारित करती हैं। पर्यवेक्षी निरीक्षण कम से कम एक दो-मुखी दृष्टिकोण – अर्थात् परोक्ष (ऑफ़-साइट) जाँच और स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण, को संबद्ध करता है।

ऑफ-साइट निरीक्षण

III.8.2 ऑफ-साइट निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य उन संस्थाओं की पहचान करने के लिए वित्तीय स्वास्थ्य और विनियमित संस्थाओं के बाजार आचरण की निगरानी करना है जो वित्तीय गिरावट दिखाती हैं और जो पर्यवेक्षी चिंताओं का कारण होंगी, विनियमित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और बाजार व्यवहार की निगरानी करना है। यह समय पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रेरक (ट्रिगर) के रूप में कार्य करता है। परोक्ष जाँच का संचालन आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अंतर्गत आवधिक विवरणों विवरणियों, रिपोर्टों, नीतियों और अधिदेशात्मक किये गये अनुपालन प्रमाणपत्रों का विश्लेषण करने के द्वारा किया जाता है।

ऑन-साइट निरीक्षण

III.8.3 प्राधिकरण, पर्यवेक्षण विभाग के माध्यम से, संबंधित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों / परिपत्रों, निदेशों, मानकों आदि के प्रावधानों के पालन/अनुपालन के संबंध में विनियमित संस्थाओं का अपना ऑन-साइट पर्यवेक्षण करता है।

विनियमित संस्थाओं के स्थान पर उनकी वित्तीय स्थिति, बाजार व्यवहार, कारपोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंध और संबंधित विषयों के संबंध में विभिन्न विनियामक उपबंधों और अन्य प्रयोज्य विधियों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए नमूना आधार पर संबंधित अभिलेखों, लेखा-बहियों और व्यावसायिक कार्यकलापों की जाँच के द्वारा उनकी कार्य-पद्धति के आकलन के लिए सामान्य, विषयपरक और संकेन्द्रित निरीक्षण किये जाते हैं।

III.8.4 वर्ष 2022-23 के दौरान आईआरडीएआई द्वारा कुल 48 ऑनसाइट निरीक्षण किए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी III.1: ऑनसाइट निरीक्षण का विवरण

निरीक्षण का प्रकार	निरीक्षण की गई संस्थाओं की संख्या
सामान्य निरीक्षण	36
केंद्रितनिरीक्षण	12
कुल	48

क) सामान्य निरीक्षण:

संस्था के प्रकार	निरीक्षण की गई संस्थाओं की संख्या
बीमा दलाल	16
कॉर्पोरेट एजेंट	07
अन्य पक्ष प्रबंधक	01
कॉर्पोरेट सर्वेक्षक	01
बीमा विपणन फर्म	11
कुल	36

ख) संकेन्द्रित निरीक्षण:

संस्था के प्रकार	निरीक्षण की गई संस्थाओं की संख्या
जीवन बीमाकर्ता	02
साधारण बीमाकर्ता	05
स्वास्थ्य बीमाकर्ता	01
आउटसोर्स पार्टनर	01
टेलीमार्केटर	01
कॉर्पोरेट एजेंट	02
कुल	12

III.8.5 सहायक साक्ष्यों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ निरीक्षण की गई संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, और कार्यवाही का एक प्रस्तावित तरीका निर्धारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यवाही के आधार पर, निरीक्षण की गई इकाई पर या तो आरोप लगाया जाता है या सलाह दी जाती है और/या अवलोकन बंद कर दिया जाता है। जिस इकाई पर कुछ विनियामक उल्लंघन/गैर-अनुपालन के लिए आरोप लगाया जाता है, उसे व्यक्तिगत सुनवाई के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अपना सबमिशन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है और फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सलाह, निर्देश, सावधानी, चेतावनी, जुर्माना आदि जैसी अंतिम कार्यवाही की जाती है।

- इसके अलावा, कुछ मामलों में जहां उल्लंघन बिलकुल गंभीर हैं कि जिनके लिए पंजीकरण/लाइसेंस आदि को निरस्त करने की आवश्यकता होती है, वहाँ प्राधिकरण

उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद पंजीकरण/लाइसेंस को निरस्त कर देता है।

- आईआरडीएआई द्वारा की गई विनियामक कार्यवाहियों में शामिल उपरोक्त उल्लिखित पद्धतियों / प्रक्रिया के अलावा, विनियामक कार्यवाहियों का एक और पहलू भी है अर्थात् न्यायनिर्णयन प्रक्रिया। उक्त प्रक्रिया के अनुसार, बीमा अधिनियम की कुछ निर्दिष्ट धाराओं के उल्लंघन से न्यायनिर्णयन प्रक्रिया का पालन करके निपटा जाना है। उक्त उद्देश्य के लिए, अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि जिस अधिकारी को निर्णय की प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वह महाप्रबंधक या उससे ऊपर के पद का

होना चाहिए। अधिनियम उन बुनियादी कारकों को भी निर्दिष्ट करता है जिन्हें निर्णय लेने वाले अधिकारी द्वारा अनुशंसित दंड की मात्रा पर निर्णय लेने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- आईआरडीएआई द्वारा पारित सभी आदेशों के संबंध में प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है।

III.8.6 वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रवर्तन और अनुपालन विभाग द्वारा संपन्न ऑन-साइट और रिमोट निरीक्षण के 72 रिपोर्ट हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी III.2: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रवर्तन और अनुपालन विभाग द्वारा संपन्न ऑन-साइट और दूरस्थ निरीक्षण रिपोर्ट

क्र. सं.	संस्था का प्रकार	समाप्त निरीक्षण रिपोर्ट
1	दलाल	17
2	कॉर्पोरेट एजेंट	36
3	विदेशी पुनर्बीमा शाखा	1
4	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)	4
5	बीमा विपणन फर्म	10
6	बीमा भंडार (रिपोजिटरी)	4
	कुल	72

सारणी III.3: टिप्पणियों पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण

क्र. सं.	विनियामक कार्यवाही की प्रकृति	टिप्पणियों की संख्या
1	परामर्शी	322
2	निदेश	42
3	सतर्कता	142
4	चेतावनी	0
5	अर्थदंड	0
6	कुल	506

III.8.7 दूरस्थ निरीक्षण और संकेन्द्रित निरीक्षणों के आधार पर प्रवर्तन और अनुपालन विभाग के अलावा अन्य विभागों के द्वारा भी विनियामक कार्रवाइयों की गई हैं। 2022-23 के दौरान आईआरडीएआई द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।

III.9 बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन प्रशुल्क परामर्शदात्री समिति के द्वारा इतना नियंत्रित और विनियमित नहीं किये जानेवाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन ।

III.9.1 जहां तक कीमत-निर्धारण का संबंध है, मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय को छोड़कर प्रशुल्क (टैरिफ) से युक्त साधारण बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों को 01 जनवरी, 2007 से प्रशुल्क-रहित (डी-टैरिफ) कर दिया गया था। चूंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अंतर्गत मोटर अन्य पक्ष कवर एक सांविधिक बीमा है, अतः मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरों को इसके पूर्व प्रत्येक वर्ष आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत, वर्तमान में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अंतर्गत, केंद्र सरकार एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (1) के अंतर्गत एक मोटर वाहन (अन्य पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता) नियम, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से परामर्श करने के उपरांत निर्धारित करेगी। अतः, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 394 (ई) दिनांक 25 मई, 2022 के द्वारा मोटर यान (परपक्षकार प्रीमियम मूल और देयता) नियम, 2022 प्रकाशित किये हैं जो 01 जून, 2022 से लागू होंगे।

III.9.2 मौजूदा प्रशुल्क की अधिसूचना रद्द करने पर कार्य समूह

परिपत्र संदर्भ संख्या: आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/विविध/242/12/2022 दिनांक 07/12/2022, आईआरडीएआई ने गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, दलालों और आई आर डी ए आई के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य समूह का गठन किया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा प्रशुल्क अर्थात् आग, इंजीनियरिंग और मोटर (खुद की क्षति) की अधिसूचना रद्द करने के बाद एक प्रभावी विनियामक ढांचा तैयार करना है।

III.10 उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे।

III.10.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत भी निर्धारित रूप और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित मदें प्रस्तुत करने के लिए रखी जाती हैं।

III.10.2 मध्यवर्तियों के मामले में अपेक्षित है कि लेखा-बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव संबंधित विनियमों/परिपत्रों/दशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में और तरीके से किया जाएगा।

III.10.3 जहाँ कहीं भी प्राधिकरण ने वह रूप और तरीका निर्धारित नहीं किया है जिसमें लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए, वहाँ कंपनी अधिनियम/नियमों और अन्य प्रयोज्य अधिनियमों/नियमों के उपबंध लागू होंगे।

III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन

मास्टर परिपत्र और समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों के साथ पठित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 बीमाकर्ताओं के निवेशों का विनियमन करते हैं।

III.11.1 आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआई आर/ आईएनवी/81/04/2022 (वित्तीय और बीमा गतिविधियों के लिए बीमाकर्ताओं का एक्सपोजर)

व्यवसायवार एक्सपोजर मानदंड आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट हैं। बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार पॉलिसीधारकों को रिटर्न प्रदान करने के लिए, बेंचमार्क सूचकांकों पर बीएफएसआई के भार में वृद्धि के अनुरूप, बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई- एनआईसी वर्गीकरण क्षेत्र के अनुभाग के अनुसार) के एक्सपोजर को निवेश परिसंपत्तियों के 25 से 30 तक संशोधित किया गया है।

III.11.2 आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर /आईएनवी/165/8/2022 (निवेश-मास्टर परिपत्र 2016 में संशोधन)

III.11.2.1 ईटीएफ के वर्गीकरण के लिए लाभांश मानदंड

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश के नियमों में ढील दी गई। इस परिपत्र ने निवेश मास्टर परिपत्र के पैरा 1.3(ए) को संशोधित किया है जो दर्शाता है कि, इक्विटी बास्केट में कम से कम 85 प्रतिशत (पहले 100 प्रतिशत) प्रतिभूतियां आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियमन 3 (क) (5) के अनुसार लाभांश वितरण मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि "स्वीकृत निवेश" के एक भाग के रूप में अर्हता प्राप्त की जा सके।

इससे बीमाकर्ताओं को बड़ी संख्या में ईटीएफ में निवेश करने की सुविधा मिली है जो अन्यथा अनुमोदित निवेश के रूप में योग्य नहीं थे।

III.11.2.2 म्यूचुअल फंड में निवेश

250000 करोड़ रुपये से अधिक एयूएम वाले जीवन बीमाकर्ताओं के लिए गिल्ट/जी सेक/लिक्विड/ऋण/आय म्यूचुअल फंड (सभी को मिलाकर) में निवेश सीमा 3 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। उच्च सीमा से जीवन बीमाकर्ताओं को निवेश में अधिक लचीलापन और तरलता प्राप्त करने में सुविधा होगी।

III.11.2.3 बैंकों द्वारा दीर्घकालिक बॉन्ड - बुनियादी ढांचे और किफायती आवास का वित्तपोषण

बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के वित्तपोषण के लिए बैंकों द्वारा जारी किए गए दीर्घकालिक बॉन्ड का एक्सपोजर बीएफएसआई के एक्सपोजर का हिस्सा नहीं होगा। यह परिवर्तन बीमाकर्ताओं को बेंचमार्क सूचकांकों के अनुरूप बीएफएसआई क्षेत्र में अधिक निवेश करने में सक्षम बनाएगा।

III.11.2.4 अतिरिक्त श्रेणी I (बेसल III अनुपालन) सतत बांड में निवेश

अतिरिक्त श्रेणी 1 (बेसल III अनुरूप) नित्य बॉन्ड [एटी1 बॉन्ड] में बीमाकर्ताओं के निवेश के लिए, निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने

के अधीन किसी विशेष बैंक के कुल बकाया एटी1 बॉन्ड में से 10 की समग्र सीमा जारी रखने के साथ एटी1 बॉन्ड के एकल आईपीओ में 10 निवेश की सीमा हटा दी गई है। इसने बीमाकर्ताओं को एटी1 बॉन्ड में निवेश करते समय अधिक लचीलापन प्रदान करने में सक्षम बनाया है।

III.11.2.5 ऋण लिखतों और आईएनवीआईटी/ आरईआईटी की इकाइयों के लिए अलग-अलग सीमाएँ

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश को अब आरईआईटी और आईएनवीआईटी की इकाइयों के अलावा निर्दिष्ट एकल निवेश कंपनी के लिए एक्सपोजर मानदंडों के अधीन अनुमति दी गई है। इससे बीमाकर्ताओं को बुनियादी ढांचे में अधिक धन निवेश करने की सुविधा मिली है और निवेश करते समय लचीलापन भी आया है।

III.11.2.6 अनुमोदित निवेश के तहत इक्विटी निवेश के लिए लाभांश मानदंड।

स्वीकृत निवेश के हिस्से के रूप में वरीयता शेयरों और इक्विटी शेयरों में निवेश को वर्गीकृत करने के लिए लाभांश मानदंड को लगातार 2 वर्षों से तुरंत पहले के 3 लगातार वर्षों में से 2 में संशोधित किया गया है। इस तरह की छूट ने बीमाकर्ताओं को इक्विटी और तरजीही शेयरों में निवेश करते समय व्यापक विकल्प रखने की अनुमति दी।

III.11.2.7 परिपत्र संख्या आईआरडीएआई / एफ & आई/ सीआईआर / आईएनवी / 226 / 10 /2022 दिनांक 27 अक्टूबर 2022 और अनुवर्ती स्पष्टीकरणों के माध्यम से जारी मास्टर परिपत्र के माध्यम से किए गए संशोधन।

संशोधनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- आईपीओ में निवेश के लिए फाइनेंशियल साउंड ग्रुप का हिस्सा बनने की आवश्यकता में छूट दी गई है और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन बीमाकर्ता के बोर्ड के अपने मानदंड हो सकते हैं। इससे बीमाकर्ताओं को आईपीओ में निवेश करते समय अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ है।

- ii. म्यूचुअल फंड में निवेश - एकाग्रता जोखिम से बचने के लिए बीमाकर्ता 1 अप्रैल, 2023 से किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस में कुल निवेश में से 20 से अधिक निवेश नहीं करेंगे।
- iii. एआईएफ में निवेश-बीमाकर्ताओं को प्राथमिकता वितरण मॉडल वाली एआईएफ की किसी भी योजना में निवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसमें ऐसे एआईएफ ने इस तरह से एक वितरण झरना अपनाया है जिससे समान वर्ग से संबंधित अन्य निवेशकों की तुलना में उनकी हिस्सेदारी में आनुपातिक से अधिक नुकसान हो सकता है। यह प्रावधान एआईएफ में निवेश पर रोक लगाता है जिसमें एआईएफ में एक ही वर्ग के निवेशकों के लिए अलग-अलग व्यवहार होता है और बदले में बीमाकर्ताओं के निवेश की रक्षा होती है।
- iv. अब आईएल एंड एफएस एएमसी के किसी भी निवेश या उसके द्वारा प्रबंधित किसी भी निवेश की अनुमति नहीं है।
- v. एकल सुरक्षा ब्रोकरों के माध्यम से निवेश के संकेंद्रण प्लेसमेंट से बचने के लिए ब्रोकरों के माध्यम से किए गए 5 लेनदेन तक सीमित है।

III.11.2.8 आईआरडीआई/एफ&आई/सीआई आर/आईएनवी/248/12/2022 (तिमाही समाप्त होने वाले दिन एनएवी की घोषणा)

मौजूदा विनियमों के अनुसार बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के लिए एनएवी घोषित करेंगे, भले ही वह गैर-व्यावसायिक दिन हो। आईआरडीआई गैर-व्यावसायिक दिन पर तिमाही समाप्त होने पर एनएवी की घोषणा के लिए बीमाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार कर रहा है। व्यवसाय करने में आसानी के हिस्से के रूप में, बीमाकर्ताओं को अब तिमाही के अंत में एनएवी घोषित करने की अनुमति है, भले ही ऐसी तिमाही गैर-व्यावसायिक दिन पर समाप्त हो ताकि ऐसे गैर-व्यावसायिक दिन पर लेनदेन यूएलआईपी फाइनेंसियल के एनएवी पर हो सके।

III.11.2.9 सॉवरेन ग्रीन बांड में निवेश पर परिपत्र संदर्भ संख्या आईआरडीआई/ आईएनवी/ सीआई आर/आईएनवी/16/01/2023 दिनांक 13 जनवरी, 2023।

सॉवरेन ग्रीन बांड में निवेश को "बुनियादी ढांचे में निवेश" के रूप में माना जाएगा और इसे "केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिक निवेश हो सकेगा।

III.11.2.10 परिपत्र संख्या आईआरडीआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/20/1/01/2023 दिनांक 19 जनवरी, 2023 का संक्षिप्त विवरण, अलग इकाई में निवेश।

आईआरडीआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 3(क)(4) और 3(क)(5) के अनुसार, 27 अक्टूबर, 2022 के आईआरडीआई निवेश मास्टर परिपत्र के खंड 1.11 के साथ पठित, बीमाकर्ता प्राथमिकता शेयरों और इक्विटी शेयरों में निवेश को "अनुमोदित निवेश" के हिस्से के रूप में वर्गीकृत करेंगे यदि ऐसे शेयरों पर "तुरंत पूर्ववर्ती 3 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों के लिए" लाभांश का भुगतान किया जाता है। यह परिपत्र स्पष्ट करता है कि ये मानदंड "अलग की गई कंपनी" पर लागू होते हैं और प्रारंभिक दो वित्तीय वर्षों के लिए परिणामी निवेशित कंपनी में इक्विटी और वरीयता शेयरों में निवेश को "स्वीकृत निवेश" के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

इससे बीमाकर्ताओं को अलग की गई इकाई में ऐसे निवेशों को समाप्त नहीं करने में मदद मिलेगी, जो विशिष्ट अवधि के लिए लाभांश मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और ऐसे निवेशों को स्वीकृत निवेशों में शामिल करना जारी रखेंगे।

III.12 शोधन-क्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमन:

III.12.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित शोधन-क्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन का अनुरक्षण करे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीआई द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून

देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के आधिक्य का अनुरक्षण करेगा, जो अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन के रूप में जाना जाता है। आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016, आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 एवं आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 में अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति का विस्तार से वर्णन किया गया है।

बीमा अधिनियम, 1938 (समय-समय पर संशोधित) शोधनक्षमता अनुपात के एक स्तर को निर्दिष्ट करता है जिसे शोधनक्षमता के नियंत्रण स्तर के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में आवश्यक शोधनक्षमता अनुपात का 150 है। जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सार) विनियम, 2016 के अनुसार आवश्यक शोधनक्षमता मार्जिन, उपलब्ध शोधनक्षमता मार्जिन और शोधनक्षमता अनुपात निर्धारित करेगा।

III.12.2 साधारण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के मामले में, अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता अथवा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा/ समनुदेशित पूँजीगत अपेक्षा के पचास प्रतिशत का अधिकतम; अथवा निम्नानुसार व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग से संगणित आरएसएम-1 और आरएसएम-2 का उच्चतर होगा:

- आरएसएम-1 से अभिप्रेत है, निवल प्रीमियमों पर आधारित अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के बीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक ए और निवल प्रीमियमों द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों का उच्चतर है। आरएसएम1 के परिकलन के प्रयोजन के लिए 'पिछले 12 महीनों के प्रीमियम' को हिसाब में लिया जाएगा।
- आरएसएम-2 से अभिप्रेत है, निवल उपगत दावों पर आधारित अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, तथा यह उस

राशि के तीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक बी और निवल उपगत दावों के द्वारा गुणा किये गये सकल उपगत दावों का उच्चतर है। आरएसएम2 के परिकलन के प्रयोजन के लिए 'पिछले 12 महीनों के दावों' और '3 से विभाजित पिछले 36 महीनों के दावों' के अधिकतम के रूप में दावों को हिसाब में लिया जाएगा।

III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन

III.13.1 आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 59(2) के अनुसार, किसी बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाला कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उस शिकायत की जाँच कर सकता है एवं यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

III.14 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.14.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 को 24 अगस्त, 2015 को आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 को अधिक्रमित कर अधिसूचित किया गया। इन नियमों में बताया गए दायित्व वित्तीय वर्ष 2016- 17 से लागू हैं। विनियामक प्रावधानों के अनुसार, बीमाकर्ताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को पूरा करना चाहिए।

IV



संगठनात्मक विषय



भाग IV संगठन

IV. 1. संगठन

IV.1.1 श्री देबाशीष पण्डा आईएएस (यूपी: 87) (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को भारत सरकार द्वारा 14 मार्च, 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा, पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक) और श्रीमती एस एन राजेश्वरी, पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) भी इस अवधि के दौरान प्राधिकरण में बने रहे।

श्रीमती टी.एल. अलमेलु, पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन), श्री के. गणेश, पूर्णकालिक सदस्य (जीवन) पद पर बने रहे और क्रमशः 06 मई, 2022 और 30 जुलाई, 2022 तक कार्यालय में रहे।

श्री राकेश जोशी को 22 मार्च, 2022 से पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं निवेश) के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री थॉमस एम. देवासिया को 19 सितंबर, 2022 से पूर्ण सदस्य (गैर-जीवन) के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री बी.सी. पटनायक को 1 मई, 2023 से पूर्ण सदस्य (जीवन) के रूप में नियुक्त किया गया।

IV.1.2 श्री अमित अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 25 जून, 2021 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 3 जुलाई, 2022 तक कार्यालय संभाला।

श्री सुचिन्द्र मिश्रा, अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 04 जुलाई, 2022 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 28 जून, 2023 तक कार्यालय संभाला।

डॉ. मारुति प्रसाद तंगिरला अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 28 जून, 2023 से प्राधिकरण के अंशकालिक के रूप में नियुक्त किया गया।

सीए (डॉ.) देबाशीष मित्रा, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, 12 फरवरी, 2022 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य बने और 11 फरवरी, 2023 तक बने रहे। तदुपरांत, सीए अनिकेत सुनील तलाटी, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को 12 फरवरी, 2023 से प्राधिकरण के अंशकालिक के रूप में नियुक्त किया गया।

सारणी IV.1: 31 मार्च 2023 को प्राधिकरण की संरचना

नाम	पद	प्रावधान
श्री देबाशीष पण्डा	अध्यक्ष	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4 (क) के अधीन नियुक्त
श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा	पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्रीमती एस. एन. राजेश्वरी	पूर्णकालिक सदस्य (वितरण)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्री राकेश जोशी	पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं निवेश)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्री थॉमस देवासिया	पूर्णकालिक सदस्य (गैर जीवन)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्री सुचिन्द्र मिश्रा (अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय)	अंशकालिक सदस्य	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ग) के अधीन नियुक्त
सी ए अनिकेत सुनील तलाटी (अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार, संस्थान)	अंशकालिक सदस्य	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ग) के अधीन नियुक्त

प्राधिकरण की बैठकें

IV.1.3 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राधिकरण की तीन बार बैठक हुई।

प्राधिकरण की बैठक	तिथि
प्राधिकरण की 119वीं बैठक	26 जुलाई, 2022
प्राधिकरण की 120वीं बैठक	25 नवंबर, 2022
प्राधिकरण की 121वीं बैठक	25 मार्च, 2023

प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थित बैठकों का विवरण सारणी IV.2 में नीचे दिया गया है।

सारणी IV.2: वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित प्राधिकरण की बैठकों का विवरण

नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री देवाशीष पण्डा	3	3
श्री के. गणेश	1**	1
श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा	3	3
श्रीमती एस.एन. राजेस्वरी	3	3
श्री राकेश जोशी	3	3
श्री थॉमस देवासिया	2*	2
श्री सुचिन्द्र मिश्रा (अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय)	3	3
सीए (डॉ.) देबाशीष मित्रा (अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान)	2**	2
सीए अनिकेत सुनील तलाटी (अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान)	1*	1

टिप्पणी: * कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोजित बैठकों की संख्या।

** कार्यभार छोड़ने के पूर्व वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या।

IV.2 मानव संसाधन

IV.2.1 सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन विभाग (जीए एंड एचआर) मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है और इसमें कर्मचारियों के हित के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाना, विकास करना और प्रशासन करना, मानव संसाधनों की आवश्यकता को संबोधित करना शामिल है। नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को मजबूत करने और अधिकारियों के निरंतर व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं को नियमित आधार पर लागू किया जाता है।

वर्ष के दौरान, बीमा क्षेत्र की गतिशील रूप से बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए मिशन मोड टीमों के रूप में केंद्रित टीमों का एक नया ढांचा पेश किया गया था।

कर्मचारियों की संख्या

IV.2.2 कर्मचारियों की संख्या और अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। 31 मार्च 2023 तक स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या की स्थिति सारणी IV.3 में दी गई है।

सारणी IV.3: आईआरडीएआई में स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या

वर्ग	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
I	319	193	336	201
III और IV	17	15	0	0
कुल	336	208	336	201

26 जुलाई, 2022 को आयोजित 119वीं बैठक में वरिष्ठ सहायक और सहायक वर्ग के संबंध में प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी के बाद; और 2022-23 में पदोन्नति अभ्यास के बाद, III और IV श्रेणी के पद वापस ले लिए गए हैं और प्राधिकरण अधिकारी-उन्मुख संगठन बन गया है।

श्रेणी-वार कर्मचारियों की संख्या

IV.2.3 स्टाफ सदस्यों का श्रेणी-वार वितरण सारणी IV.4 में दिया गया है।

सारणी IV.4: आईआरडीएआई में श्रेणी-वार कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी वर्ग	31 मार्च, 2022 को स्थिति				31 मार्च, 2023 को स्थिति			
	अजा	अजजा	अन्य	कुल	अजा	अजजा	अन्य	कुल
I	21 (10.88)	7 (3.63)	165 (85.49)	193 (100.00)	24 (11.94)	8 (3.98)	169 (84.08)	201 (100.00)
III और IV	1 (6.67)	1 (6.67)	13 (86.67)	15 (100.00)	0	0	0	0
कुल	22 (10.58)	8 (3.85)	178 (85.58)	208 (100.00)	24 (11.94)	8 (3.98)	169 (84.08)	201 (100.00)

कर्मचारियों का लिंग और आयु रूपरेखा

IV.2.4 201 कर्मचारियों में से 46 महिलाएँ हैं जो 22.89 प्रतिशत हैं। आईआरडीएआई एक युवा और गतिशील संगठन है जिसके कर्मचारियों की औसत आयु लगभग 42 वर्ष है। 2022-23 में स्टाफ सदस्यों का आयु-वार वितरण सारणी IV.5 में दिया गया है।

सारणी IV.5: आईआरडीएआई में कर्मचारियों का आयु-वार वितरण

आयु (वर्ष)	कर्मचारियों की संख्या	कुल में से प्रतिशत
< 30	36	18.05
31 - 40	52	26.34
41 - 50	85	41.46
51 - 60	28	14.15
Total	201	100


ग्रेड-वार स्टाफ संख्या

IV.2.5 स्टाफ सदस्यों का ग्रेड-वार वितरण तालिका IV.6 में दिया गया है।

सारणी IV.6: आईआरडीएआई में कर्मचारियों की ग्रेड-वार संख्या

ग्रेड	2021-22	2022-23
कार्यकारी निदेशक (ईडी)	1	4
मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)	6	10
महाप्रबंधक (जीएम)1	9	26
उप महाप्रबंधक (डीजीएम)	23	45
सहायक महाप्रबंधक (एजीएम)	45	29
प्रबंधक (एमजीआर)	27	71
सहायक प्रबंधक (एएम)	72	16
सहायक (एएसएसटी)	14	0
वरिष्ठ सहायक (एसए)	1	0
कुल	208	201

चार्ट IV.1: आईआरडीएआई में कर्मचारियों का ग्रेड-वार वितरण (2022-23)



प्रशिक्षण एवं विकास

IV.2.6 प्रशिक्षण और विकास, कर्मचारियों के वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान के आधार को बढ़ाने और व्यापक करने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है। स्टाफ सदस्यों के ज्ञान, कौशल और कार्यक्षमताओं में वृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान प्रशिक्षण की अनेक पहलें की गई थीं।

आंतरिक प्रशिक्षण

ज्ञान मंच - आईआरडीएआई का ज्ञान साझा करने वाला मंच

IV.2.7 परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई /प्रशा./सीआईआर/विविध/208/10/2022 दिनांक: 10 अक्टूबर, 2022 को पहले 'स्टडी फोरम' में सुधार करते हुए जारी किया गया था। नए, संशोधित मंच को "ज्ञान मंच" कहा जाता है।

ज्ञान मंच में प्रस्तुतिकरण के विषय बीमा और प्रौद्योगिकी पर असर के साथ समग्र अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित हैं। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक मुद्दे, वैश्विक रुझान और विकास, नवाचार और बीमा को प्रभावित करने वाले उभरते जोखिम भी शामिल हैं।

घरेलू प्रशिक्षण

IV.2.8 कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस), आरबीआई द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम - विभागों / मिशन मोड टीमों के अधिकारियों को कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स, आरबीआई द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों

में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

IV.2.9 टोरंटो सेंटर, आरबीएसएफ -

आईआरडीएआई ने भारत में बीमा क्षेत्र के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचे (आरबीएसएफ) के विकास और कार्यान्वयन के लिए टोरंटो सेंटर (टीसी) के साथ एक समझौता किया है। सहभागिता के भाग के रूप में, टीसी ने जनवरी 2023 में 2 दिनों के लिए क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए हैं। सत्र आगामी महीनों में भी जारी रहेंगे। प्राधिकरण के लगभग 40 अधिकारियों ने सत्र में भाग लिया, जिसमें आरबीएस के सिधांत, आरबीएस में बाहरी और अंतर्निहित जोखिमों के चालक आदि विषय और संबंधित मामले के अध्ययन शामिल थे।

अन्य गतिविधियां

वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण

IV.2.10 परिपत्र संदर्भ आईआरडीएआई/एचआर/सीआईआर/पीईआर/064/04/2022 दिनांक: 11 अप्रैल, 2022 के अनुसार, कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया गया। कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतनमान के आधार पर निकाला जाएगा। वेतन और भत्ते का बकाया 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी हैं।

यंग प्रोफेशनल को शामिल करना

IV.2.11 यंग प्रोफेशनल कार्यक्रम के तहत, आईआरडीएआई ने अपनी अधिसूचना दिनांक 02.08.2022 के तहत 7 क्षेत्रों यानी बीमांकिक, वित्त और निवेश, कानून, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, ग्रामीण प्रबंधन और संचार के तहत यंग प्रोफेशनल से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें दो वर्ष तक विस्तार का प्रावधान है। इसके बाद, आईआरडीएआई ने 28 उम्मीदवारों को यंग प्रोफेशनल के रूप में शामिल किया। यंग प्रोफेशनल की 10 टीमों को परियोजनाएं सौंपी गईं और सौंपी गई परियोजनाओं के पूरा होने पर, उन्हें विभिन्न विभागों को आवंटित किया गया। 31.03.2023 तक 26 युवा पेशेवर विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं।

पदोन्नति प्रक्रिया

IV.2.12 आईआरडीएआई कर्मचारी (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न ग्रेडों पर कर्मचारियों की पदोन्नति मई 22 और जनवरी 23 में

की गई और योग्यता के क्रम में पात्र कर्मचारियों को अगले ग्रेड में पदोन्नत किया गया।

बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) समिति

IV.2.13 एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण- '2047 तक सभी के लिए बीमा' के साथ सुधार एजेंडे के एक भाग के रूप में, प्रोफेसर वेंकट चंगावल्ली, प्रबंधन सलाहकार और सदस्य (आईएसी) की अध्यक्षता में 'बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग' पर एक समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य प्राधिकरण में वर्तमान संगठनात्मक संरचना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बेहतर संरक्षण प्राप्त करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना है। समिति ने विभिन्न विभागों और कर्मचारियों से व्यापक बातचीत की, और 31 दिसंबर, 2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

IV.2.14 प्रोफेशनल और अन्य क्षेत्रों में महिला अधिकारियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) 2023 उत्साह के साथ मनाया गया।

मिशन मोड टीम:-

IV.2.15 2047 तक "सभी के लिए बीमा" के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, और सुधार लाने और एक एजेंडा निर्धारित करने के लिए, उद्देश्यों में एकता के लिए सहभागी ढांचे पर आधारित संगठनात्मक संरचना पर फिर से विचार करने पर विचार किया गया। अधिकारियों को मौजूदा कार्य क्षेत्रों और/या गतिविधियों में अपनी रुचि के क्षेत्रों को इंगित करने के लिए कहा गया था जहां वे काम करना और योगदान देना चाहते हैं, साथ ही एक योजना के साथ उन लक्ष्यों को इंगित करना था जिन्हें वे प्राप्त करेंगे और साथ ही एक कार्य योजना भी प्रस्तुत करनी थी। केंद्रित परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

- बीमा क्षेत्र के लिए इंशोरटेक और संबद्ध प्रौद्योगिकियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना;
- शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित उचित निगरानी और फीडबैक ढांचे का विकास;
- जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचे (आरबीएसएफ) का

विकास और कार्यान्वयन;

- जोखिम आधारित पूंजी (आरबीसी) के लिए ढांचा स्थापित करना;
- लागू आईएफआरएस/इंड एस को लागू करने की रणनीतियाँ;

विभागों का विलय एवं पुनः नामकरण

IV.2.16 आईआरडीएआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 के विनियम 4(3) (ख) के संदर्भ में, निम्नलिखित विभागों का विलय और/या पुनः नामकरण किया गया है: -

- वित्त एवं लेखा (जीवन), वित्त एवं लेखा (गैर-जीवन) और निवेश विभागों को विलय कर दिया गया है और उनका नाम बदलकर वित्त एवं निवेश विभाग कर दिया गया है।
- उपभोक्ता मामले और संचार विभागों का विलय कर दिया गया है और उनका नाम बदलकर पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग कर दिया गया है।
- प्रशासन, मानव संसाधन, संपदा, पुस्तकालय, आईटी, ओएलआई और लेखा विभाग को विलय कर दिया गया है और सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन विभाग का नाम बदल दिया गया है।
- क्षेत्रीय विकास विभाग का नाम बदलकर बीमा समावेशन एवं विकास विभाग कर दिया गया है।
- कॉर्पोरेट सेवा विभाग का नाम बदलकर बोर्ड सचिवालय कर दिया गया है।

महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति

IV.2.17 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, इस संबंध में शिकायतों के निवारण के साथ-साथ अधिनियम में निर्धारित विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 27 अगस्त, 2020 के कार्यालय आदेश संदर्भ संख्या आईआरडीए/एचआर/पीईआर ओआरडी / 222 / 08 /2020 के द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति को वर्ष 2022-23 में एक शिकायत प्राप्त हुई और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण ने वर्ष 2021-22 में सभी स्टाफ सदस्यों के लिए 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम' पर एक सत्र सहित व्यवहारिक प्रशिक्षण/प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया है और समय-समय पर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयोजन रखना।

शिकायत निवारण समिति

IV.2.18 शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का गठन 04 फरवरी, 2011 को आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्त) विनियम, 2000 के विनियमन 72 के अनुसार, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई हो उसकी जांच की जा सके। आईआरडीएआई कर्मचारी (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 का विनियमन 78 कर्मचारियों की शिकायत निवारण और कल्याण के लिए प्रावधान और प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की सिफारिश के अनुसरण में, 05 नवंबर, 2021 को अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित कर्मचारियों के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति (आईजीसी) का गठन किया गया है।

IV.3 राजभाषा का प्रचार

IV.3.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपने संगठित प्रयास को करना जारी रखा है। राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न उपबंधों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग राजभाषा कार्यान्वयन विभाग कार्यरत है। वित्तीय वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, हिन्दी के प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये वार्षिक कार्यक्रम तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों सहित भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये गये। वर्ष 2022-23 के लिए हिन्दी के प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम अनुपालन के लिए कार्यालय आदेश के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

IV.3.2 संसद के पटल पर रखे जानेवाले सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में तैयार किये गये। राजभाषा नियम, 1976 के

नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हिन्दी में प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों/अपीलों/ आरटीआई आवेदनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया।

प्रगति प्रतिवेदन

IV.3.3 राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में आईआरडीएआई के सभी विभागों से तिमाही प्रगति प्रतिवेदन से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण किया गया। उक्त प्रतिवेदन को निर्धारित समयावधि में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। तिमाही प्रगति प्रतिवेदन के अलावा, छमाही प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन और मूल्यांकन प्रतिवेदन भी तैयार की गई और उपर्युक्त विभागों के अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भी प्रस्तुत की गई।

उपलब्धियाँ और पुरस्कार

IV.3.4 हिंदी टंकण के संबंध में 55 प्रतिशत और हिंदी टिप्पण के संबंध में 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत, 31 मार्च 2023 तक हिंदी पत्राचार का प्रतिशत 77.23 और हिंदी टिप्पण का प्रतिशत 83.28 प्रतिशत था।

IV.3.5 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद को राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य प्रदान करने के लिए 14 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022, क्षेत्र 'ग' में तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भा.बी.वि.वि. प्रा. को राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। टीओएलआईसी के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छह कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते हैं।

IV.3.6 आईआरडीएआई द्वारा 26 दिसंबर 2022 को टोलिक के सदस्य कार्यालयों के लिए एक राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, सिटी ओएलआईसी के सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आईआरडीएआई के शीर्ष स्तर के कार्यकारी अधिकारियों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद की 74वीं और 75वीं अर्धवार्षिक बैठक में भाग लिया। इसके अलावा, आईआरडीएआई ने सिटी

ओएलआईसी द्वारा आयोजित सभी सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। 03 मार्च 2023 को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के राजभाषा अधिकारियों के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में "आधिकारिक अनुवाद और नोट्स की प्रक्रिया" विषय पर आईआरडीएआई के ओएलआई विभाग द्वारा एक अतिथि व्याख्यान दिया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यालय ज्ञापन संख्या 12027/03/2021-ओएल (ओ-2) दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में शामिल होने के संबंध में (बीमा कंपनियों को संबोधित बैंक) आईआरडीएआई के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने नई दिल्ली के टोलिक (बैंकों) की सदस्यता ले ली है और आईआरडीएआई के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मुंबई के टोलिक (बैंकों) की सदस्यता ले ली है।

IV.3.7 आईआरडीएआई के दो अधिकारियों ने 06 मई 2022 को एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया और आईआरडीएआई के 3 अधिकारियों ने 23 सितंबर 2022 को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला में भाग लिया। आईआरडीएआई के राजभाषा अधिकारी ने 14-15 सितंबर 2022 को सूरत में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा, आईआरडीएआई ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 03 नवंबर 2022 को अमृतसर में आयोजित उत्तरी क्षेत्र-1 और उत्तरी क्षेत्र-2 के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया।

हिन्दी प्रशिक्षण

IV.3.8 कर्मचारियों की हिन्दी भाषा ज्ञान और प्रशिक्षण के अनुसार उनके हिन्दी ज्ञान के रोस्टर को अद्यतन किया गया। विशेष रूप से इसका उपयोग कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्राज्ञ और पारंगत के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नामित करने के लिए किया गया। 2022-23 के दौरान 37 कर्मचारियों को प्राज्ञ एवं पारंगत हिन्दी ज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यालय में हिन्दी प्रशिक्षण के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त सभी कर्मचारियों को मानदेय दिया गया। हिंद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, 09 कर्मचारियों को डेस्क ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है, आईआरडीएआई के राजभाषा अधिकारी ने 9 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023

तक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा आयोजित एडवांस अनुवाद में प्रशिक्षण लिया है।

हिन्दी कार्यशालाएँ एवं बैठकें

IV.3.9 अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सभी विभाग-प्रमुखों को सदस्यों के रूप में लेते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है तथा प्रत्येक तिमाही में समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ नई दिल्ली कार्यालय और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में भी गठित की गई हैं। कर्मचारियों को हिन्दी से संबंधित नियमों से परिचित कराने एवं अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का अधिक व्यापक प्रयोग करने के लिए यूनिकोड की सहायता से हिन्दी टंकण और सुगमतापूर्वक प्रयोग की जानेवाली अन्य पद्धतियों का उनसे अभ्यास कराने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित रूप से संचालन किया गया। 2022-23 के दौरान, हैदराबाद में स्थित प्रधान कार्यालय के 98 कर्मचारियों को इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जिनमें क्रमशः 23 और 12 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हिंदी कार्यशालाओं के दौरान हिंदी के संबंध में नियमों, जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा सामान्य हिंदी टिप्पण (नोटिंग्स) की सामग्री वितरित की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण

IV.3.10 प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग ने फरवरी - मार्च 2023 में प्रधान कार्यालय के सभी विभागों के अलावा मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय और नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया।

हिंदी पखवाड़ा

IV.3.11 14 से 30 सितंबर 2022 तक प्रधान कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान निबंध लेखन, कहानी लेखन, अनुवाद, राजभाषा नीति और हिंदी टिप्पण प्रतियोगिता (उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर के ग्रेड के लिए), कविता पाठ, तात्कालिक भाषण, प्रश्नोत्तरी (प्रश्नोत्तरी), अंताक्षरी, सार्थक हिंदी शब्द, गीत गायन /आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित संक्षिप्त नाटकों के साथ-साथ ऑनलाइन टाइपराइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और पखवाड़ा के समापन समारोह में 83 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।

अन्य सूचना

IV.3.12 हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, इस वर्ष प्रमुख लेखकों द्वारा लिखित 109 हिंदी पुस्तकें आईआरडीएआई की सम्मिलित की गईं और निरंतर हर वर्ष हिंदी पुस्तकों के बजट में वृद्धि की जा रही है। राजभाषा कार्यान्वयन विभाग हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता जागरूकता सामग्री प्रकाशित करने के लिए आईआरडीएआई के संचार विभाग के साथ नियमित रूप से परस्पर सक्रियता सहित संपर्क में रहा। आईआरडीएआई में कुल विज्ञापन व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक की राशि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापन पर व्यय की गई।

IV.4 सूचना प्रौद्योगिकी

IV.4.1 आईटी प्रणालियों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के निरंतर प्रयास के तहत, आईआरडीएआई ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कई कदम उठाए हैं।

व्यावसायिक विश्लेषण-पद्धति परियोजना (बीएपी)

IV.4.2 बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट आईआरडीएआई द्वारा विकसित ऑफसाइट विनियामक निगरानी के लिए एप्लिकेशन है जिसे सेवा प्रदाता द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। उक्त एप्लिकेशन के लिए हार्डवेयर और सहायक सॉफ्टवेयर को बी ए पी उपयोगकर्ताओं के सहज अनुभव के लिए नवीनतम तकनीक में अपग्रेड किया गया था।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)

IV.4.3 एसएपी ईआरपी एएमसी और एचआरएमएस एप्लिकेशन के लिए एफआईओआरआई कार्यान्वयन सेवाओं के लिए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) के माध्यम से एक नए विक्रेता का चयन किया गया था।

आंतरिक अनुप्रयोग

IV.4.4 वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

- आईआरडीएआई की नई वेबसाइट लाइव हो गई।
- सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं, बीमा विपणन फर्म

(आईएमएफ), आइएसएनपी अनुप्रयोगों का अनुरक्षण और उनके लिए समर्थन

बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा

IV.4.5 आईआरडीएआई के आईटी विभाग ने बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित पहल/कदम उठाए हैं:

- 07 अप्रैल, 2017 को आईआरडीएआई के सूचना और सुरक्षा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। अद्यतन आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2023 जारी किए गए।
- वार्षिक एश्योरेंस लेखा-परीक्षा के समय पर प्रस्तुति हेतु बीमाकर्ताओं के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई से बीमाकर्ताओं की आईटी सुरक्षा को मजबूती प्रदान किया।
- उभरती चुनौतियों और साइबर सुरक्षा खतरों के बेहतर प्रबंधन के लिए बीमाकर्ताओं को समय-समय पर परामर्शक जारी की गई।

आंतरिक सूचना और साइबर सुरक्षा का सुदृढीकरण

IV.4.6 आईआरडीएआई के लोकाभिमुख और आंतरिक अनुप्रयोगों के साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए आईआरडीएआई संपूर्ण आईसीटी बुनियादी संरचना के लिए वीएपीटी (असुरक्षितता का आकलन और व्यापन परीक्षा) का संचालन किया गया था।

IV.4.7 आईआरडीएआई आईटी सुरक्षा और क्रियाविधियों को मजबूत करने के लिए आईआरडीएआई सूचना सुरक्षा नीतियों और क्रियाविधियों, साइबर संकट प्रबंध योजना तैयार की गई है।

IV.4.8 साइबर सुरक्षा स्वच्छता और सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में कर्मचारियों की जागरूकता में सुधार के लिए साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।

IV.5 लेखा

IV.5.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकरण के लेखे

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) को लेखा-परीक्षा और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये हैं।

आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 17 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखा-परीक्षित लेखे लोकसभा के समक्ष 20 दिसम्बर, 2021 को तथा राज्यसभा के समक्ष 14 दिसम्बर, 2023 को प्रस्तुत किये गये।

IV.6 स्वीकृतियां

IV.6.1 आईआरडीएआई प्राधिकरण के सदस्यों, बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों, पुनर्बीमा सलाहकार समिति, वित्तीय सेवाएँ विभाग (वित्त मंत्रालय), परामर्शदात्री समिति के सदस्यों, सभी बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को अपने समुचित कार्यसंचालन में उनके अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए; तथा आईआरडीएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुसंबद्ध टीम को उनके कर्तव्यों के कुशल निर्वहण के लिए अपनी सराहना और हार्दिक कृतज्ञता को अभिलेखबद्ध करना चाहता है। प्राधिकरण जनसाधारण के सदस्यों, प्रेस, सभी व्यावसायिक निकायों और अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) सहित अपनी परिषदों के माध्यम से बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी समय-समय पर दिये गये उनके मूल्यवान सहयोग के लिए अपने विशेष आभार अभिलिखित करता है।



विवरण



बीमा पैठ की अंतर्राष्ट्रीय तुलना

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	देश*	2021			2022		
		जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
	अमेरिका						
1	यूएसए	2.6	9.1	11.7	2.6	9.0	11.6
2	कैनेडा	3.3	4.8	8.1	3.3	4.6	8.0
3	ब्राज़िल	2.1	1.7	3.9	2.1	1.9	4.0
4	मेक्सिको	1.2	1.3	2.5	1.1	1.3	2.4
5	अर्जेटीना	0.3	1.9	2.2	0.2	1.8	2.0
	यूरोप-मध्य पूर्व-अफ्रीका						
6	दक्षिण अफ्रीका	10.0	2.2	12.2	9.1	2.2	11.3
7	यूके	8.9	2.2	11.1	8.1	2.4	10.5
8	स्वीडन	5.8	1.9	7.6	7.5	1.8	9.3
9	फ्रांस	6.1	3.4	9.5	5.5	3.3	8.7
10	नीदरलैंड	1.4	7.7	9.1	1.2	7.3	8.5
11	इटली	6.9	2.2	9.1	5.8	2.2	8.0
12	स्विट्ज़रलैंड	3.1	4.0	7.1	3.0	4.0	6.9
13	जर्मनी	2.6	3.9	6.5	2.4	3.5	5.9
14	स्पेन	2.0	3.2	5.1	2.0	2.8	4.9
15	टर्की	0.2	1.1	1.3	0.2	1.3	1.5
16	सऊदी अरब	0.1	1.3	1.3	0.0	1.2	1.3
17	रूस	0.4	0.9	1.3	0.3	0.6	0.9
	एशिया प्रशांत						
18	ताइवान	11.6	3.2	14.8	8.2	3.1	11.4
19	दक्षिण कोरिया#	5.8	5.2	10.9	5.4	5.8	11.1
20	सिंगापुर	7.5	1.8	9.3	7.4	1.8	9.2
21	जापान#	6.1	2.2	8.4	5.9	2.3	8.2
22	थाईलैंड	3.4	1.9	5.4	3.4	1.9	5.3
23	मलेशिया#	3.9	1.4	5.3	3.7	1.3	5.0
24	ऑस्ट्रेलिया	1.0	3.5	4.4	0.9	3.3	4.2
25	भारत#	3.2	1.0	4.2	3.0	1.0	4.0
26	चीन	2.1	1.9	3.9	2.0	1.9	3.9
27	न्यूज़ीलैंड	0.8	4.0	4.8	0.8	3.0	3.8
28	इंडोनेशिया	1.1	0.5	1.6	0.9	0.5	1.4
29	पाकिस्तान	0.5	0.2	0.7	0.6	0.3	0.8
	विश्व	3.0	3.9	7.0	2.8	4.0	6.8

* डेटा कैलेंडर वर्ष 2021 और 2022 से संबंधित है।

डेटा वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित है

टिप्पणी: बीमा पैठ को प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) और सकल घरेलू उत्पाद (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

स्रोत: विश्व बीमा पर स्विस रे, सिग्मा रिपोर्ट 4/2022 और 3/2023

विवरण 2

बीमा घनत्व की अंतर्राष्ट्रीय तुलना

(अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	देश*	2021			2022		
		जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
	अमेरिका						
1	यूएसए	1,837	6,356	8,193	2,017	6,868	8,885
2	कैनेडा	1,697	2,520	4,217	1,840	2,552	4,392
3	ब्राज़िल	160	130	290	184	168	352
4	अर्जेंटीना	31	207	238	29	252	281
5	मेक्सिको	115	131	247	118	146	265
	यूरोप-मध्य पूर्व-अफ्रीका						
6	स्विट्ज़रलैंड	2,866	3,744	6,610	2,730	3,634	6,364
7	स्वीडन	3,478	1,119	4,597	4,203	976	5,180
8	यूके	4,234	1,039	5,273	3,669	1,111	4,781
9	नीदरलैंड	805	4,497	5,301	657	4,074	4,731
10	फ्रांस	2,654	1,486	4,140	2,239	1,339	3,578
11	जर्मनी	1,321	1,992	3,313	1,182	1,699	2,881
12	इटली	2,467	785	3,253	1,966	750	2,716
13	स्पेन	591	960	1,551	601	832	1,433
14	दक्षिण अफ्रीका	698	154	852	614	149	764
15	सऊदी अरब	13	299	312	14	393	407
16	टर्की	22	102	124	21	133	154
17	रूस	49	111	160	47	87	134
	एशिया प्रशांत						
18	सिंगापुर	5,414	1,327	6,742	6,074	1,489	7,563
19	ताइवान	3,772	1,032	4,804	2,656	1,006	3,662
20	दक्षिण कोरिया#	1,971	1,764	3,735	1,705	1,836	3,541
21	ऑस्ट्रेलिया	623	2,195	2,817	609	2,149	2,758
22	जापान#	2,347	855	3,202	1,942	748	2,690
23	न्यूज़ीलैंड	403	1,936	2,339	373	1,395	1,768
24	मलेशिया#	444	157	600	432	159	592
25	चीन	253	229	482	255	234	489
26	थाईलैंड	246	141	387	235	134	369
27	भारत#	69	22	91	70	22	92
28	इंडोनेशिया	48	22	70	43	26	68
29	पाकिस्तान	7	4	11	8	4	12
	विश्व	382	492	874	354	499	853

* डेटा कैलेंडर वर्ष 2021 और 2022 से संबंधित है।

डेटा वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित है

टिप्पणी: बीमा घनत्व को कुल जनसंख्या के प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

स्रोत: स्विस रे, सिग्मा खंड 4/2022 और 3/2023

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा लिखित प्रीमियम

(₹ करोड़)

क्र.सं.	बीमाकर्ता	2021-22	2022-23
1	आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	12,140.23	15,069.69
2	एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	416.46	369.95
3	एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,207.30	2,289.00
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,268.15	1,317.45
5	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	16,127.05	19,461.43
6	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,601.56	2,920.58
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,889.92	7,197.38
8	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,464.20	1,690.47
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	3,767.96	NA*
10	फ्यूचर जेनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,433.54	1,758.01
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	45,962.83	57,533.42
12	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	37,457.99	39,932.78
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,186.56	6,074.53
14	कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	13,015.11	15,320.46
15	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	22,414.17	25,341.91
16	पीएनबी मेटलाइफ लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7,348.26	8,785.21
17	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,098.78	1,495.39
18	रिलायंस निष्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,036.57	5,122.10
19	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	61.44	44.19
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	58,759.64	67,315.60
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,349.60	2,546.40
22	स्टार यूनिनन दार्-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,136.80	5,746.37
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14,445.03	20,503.50
	निजी कुल	264,589.17	307,835.83
		(17.36)	(16.34)
24	भारतीय जीवन बीमा निगम	428,024.97	474,668.14
		(6.13)	(10.90)
	उद्योग कुल	692,614.14	782,503.97
		(10.16)	(12.98)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

*एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण।

^ भारत के भीतर प्रीमियम हामीदारी

2022-23 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम

(रु करोड़)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	संबद्ध प्रीमियम			असंबद्ध प्रीमियम			कुल प्रीमियम			कुल प्रीमियम			
		प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष + एकल)	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष + एकल)	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष + एकल)				
1	आदित्य बिदला सन लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	523.59	1,367.26	1,890.84	1,944.95	3,835.79	2,712.39	3,069.51	5,452.00	11,233.90	4,436.77	7,672.74	7,396.94	15,069.69
2	एगॉन लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.04	0.03	0.07	71.94	72.00	1.70	9.68	11.38	286.56	297.94	9.71	11.45	369.95
3	एजेस फेडरल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	111.92	206.79	318.72	337.91	656.63	338.16	254.53	592.68	1,039.69	1,632.37	450.08	911.40	2,289.00
4	अबीवा लाइफ इश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड	129.15	5.49	134.64	224.66	359.30	170.07	34.35	204.42	753.73	958.15	299.22	339.06	1,317.45
5	बजाज आलियांज लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,613.77	572.95	2,186.72	3,500.69	5,687.41	3,544.39	5,006.68	8,551.07	13,774.03	5,158.16	10,737.79	8,723.65	19,461.43
6	भारती एक्सा लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	66.34	38.60	104.94	177.43	282.37	696.05	215.29	911.35	1,726.86	2,638.21	762.39	1,016.29	2,920.58
7	केनरा एयएसबीसी ओबीसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	649.01	26.51	675.52	1,301.06	1,976.58	988.44	2052.68	3041.12	2,179.69	5,220.80	1,637.45	3,716.64	7,197.38
8	एडलवाइस टोकियो लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	57.45	13.91	71.35	256.54	327.90	443.96	28.27	472.23	890.34	1,362.57	501.41	543.59	1,690.47
9	फ्यूजर जेनरली इंडिया लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	23.37	3.62	26.99	69.60	96.59	652.87	19.21	672.07	989.35	1,661.42	22.83	699.07	1,758.01
10	एवडीएफसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,067.64	1,524.23	3,591.87	8,807.73	12,399.60	9,256.28	16,236.99	25,493.27	19,640.56	45,133.83	11,323.93	17,761.22	57,533.42
11	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,834.88	1,431.03	4,265.91	14,368.67	18,634.58	3,658.95	9,487.66	13,146.61	8,151.59	21,298.20	6,493.83	10,918.69	39,932.78
12	इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	424.91	95.10	520.01	1,018.19	1,538.19	1,277.79	1,160.88	2,438.67	2,097.67	4,536.34	1,702.70	2,958.68	6,074.53
13	कोटक महिंद्रा लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,162.06	798.62	1,960.67	1,394.69	3,355.36	2,551.14	3,146.86	5,708.00	6,257.10	11,965.10	3,723.19	7,688.67	15,320.46
14	मेक्स लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,724.81	57.97	1,782.78	4,742.40	6,525.18	4,174.77	3,002.05	7,176.82	11,639.91	18,816.73	5,899.58	3,060.02	25,341.91
15	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	554.91	63.11	618.02	1,010.85	1,628.87	1,758.65	842.75	2,601.40	4,554.94	7,156.34	2,313.56	905.86	8,785.21
16	प्रामोरिका लाइफ इश्योरेंस लिमिटेड	11.36	6.28	17.64	24.21	41.85	142.12	538.65	680.76	772.78	1,453.54	153.48	544.93	1,495.39
17	रिलायंस निर्यात लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	248.24	7.65	255.89	787.56	1,043.45	833.50	36.12	869.62	3,209.03	4,078.65	1081.74	43.77	5,122.10
18	सहारा इंडिया लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	43.08	43.08	0.00	0.00	44.19
19	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9,033.49	2,143.03	11,176.52	24,876.97	36,053.49	6,163.58	12,248.50	18,412.08	12,850.04	31,262.12	15,197.07	14,391.53	67,315.60
20	श्रीराम लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20.44	17.20	37.64	23.03	60.66	665.22	449.83	1,115.05	1,370.88	2,485.73	685.66	467.03	2,546.40
21	स्टार यूनिवर्सल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	187.77	59.05	246.83	351.22	598.04	2,008.26	862.93	2,871.18	2,277.14	5,148.32	2,196.03	921.98	5,746.37
22	टाटा एआईएफ लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,076.69	129.61	2,206.30	2,626.20	4,832.50	5,264.62	1,069.04	6,333.66	9,337.34	15,671.00	7,341.32	1,198.65	20,503.50
23	निजी कुल	2,3521.84	8,568.02	32,089.86	67,917.59	10,0007.45	47,312.91	59,772.45	10,7085.36	10,0743.02	20,7828.38	70,834.75	68,340.47	3,07,835.83
	भारतीय जीवन बीमा निगम	588.82	3,197.66	3,786.49	1,161.96	4,948.45	38,501.12	18,9762.99	22,8264.11	24,1455.58	46,9719.69	39,089.94	1,92,960.65	4,74,668.14
	उद्योग कुल	24,110.66	11,765.68	35,876.35	69,079.55	1,04,955.90	85,814.03	2,49,535.44	3,35,349.47	6,77,548.07	1,09,924.69	2,61,301.13	3,71,225.82	7,82,503.97

जीवन बीमाकर्ताओं का खंड-वार कुल प्रीमियम(2023)

(रु करोड़)

संबद्ध (वैयक्तिक एवं सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित			सहभागी			दोनों		
	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	कुल
वार्षिकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य	(0.01)	146.61	146.60	-	-	-	-	-	146.60
जीवन	20,329.47	60,615.30	10,533.97	-	0.78	0.78	-	0.78	91,479.51
पेंशन	3,781.20	8,316.82	1,231.71	-	0.05	0.05	-	0.05	13,329.79
परिवर्ती	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	24,110.66	69,078.73	11,765.68	-	0.83	0.83	-	0.83	104,955.90

असंबद्ध (वैयक्तिक एवं सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित			सहभागी			दोनों		
	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	कुल
वार्षिकी	2,206.54	536.33	30,891.98	-	2.48	2.48	-	-	33,637.33
स्वास्थ्य	104.60	484.15	5.84	-	-	-	-	-	594.58
जीवन	35,639.49	64,211.90	82,177.44	42,701.72	273,017.07	7,993.95	323,712.74	323,712.74	505,741.57
पेंशन	4,884.22	2,419.64	126,764.05	35.11	1,176.54	16.12	1,227.76	1,227.76	135,295.68
परिवर्ती	36.17	48.03	1,673.44	206.18	302.46	12.62	521.27	521.27	2,278.91
कुल	42,871.02	67,700.06	241,512.75	42,943.01	274,498.54	8,022.70	325,464.25	325,464.25	677,548.07

संबद्ध और असंबद्ध (वैयक्तिक एवं सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित			सहभागी			दोनों		
	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	कुल
वार्षिकी	2,206.54	536.33	30,891.98	-	2.48	2.48	-	-	33,637.33
स्वास्थ्य	104.59	630.76	5.84	-	-	-	-	-	741.18
जीवन	55,968.95	124,827.20	92,711.41	42,701.72	273,017.85	7,993.95	323,713.52	323,713.52	597,221.08
पेंशन	8,665.43	10,736.46	127,995.77	35.11	1,176.59	16.12	1,227.81	1,227.81	148,625.46
परिवर्ती	36.17	48.03	1,673.44	206.18	302.46	12.62	521.27	521.27	2,278.91
कुल	66,981.68	136,778.78	253,278.43	42,943.01	274,499.37	8,022.70	325,465.08	325,465.08	782,503.97

विवरण 6

जीवन बीमाकर्ताओं की इक्विटी शेयर पूंजी

(रु करोड़)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	31 मार्च, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च, 2023 को	भारतीय प्रवर्तक	विदेशी निवेशक	विदेशी निवेश %
1	आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,901.21	37.02	1,938.23	988.50	949.73	49.00
2	एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,477.73	-	1,477.73	753.64	724.09	49.00
3	एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	800.00	-	800.00	208.00	592.00	74.00
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,004.90	185.00	2,189.90	569.37	1,620.53	74.00
5	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	150.71	-	150.71	111.52	39.18	26.00
6	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,426.20	280.00	3,706.20	1,890.16	1,816.04	49.00
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	950.00	-	950.00	703.00	247.00	26.00
8	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	665.55	250.00	915.55	687.43	228.12	24.92
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	1,850.00	(1,850.00)	-	-	-	-
10	फ्यूचर जेनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,145.82	300.00	2,445.82	675.86	1,769.96	72.37
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,112.62	36.78	2,149.40	1,464.03	685.37	31.89
12	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,437.31	1.27	1,438.57	870.73	567.84	39.47
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	663.46	90.91	754.37	558.23	196.14	26.00
14	कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	510.29	-	510.29	510.29	-	-
15	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,918.81	-	1,918.81	1,918.81	-	-
16	पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,012.88	-	2,012.88	1,028.27	984.61	48.92
17	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	374.06	-	374.06	190.77	183.29	49.00
18	रिलायंस निप्यॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,196.32	-	1,196.32	610.13	586.20	49.00
19	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	232.00	-	232.00	232.00	-	-
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,000.04	0.85	1,000.89	696.16	304.73	30.45
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	179.38	(1.53)	177.85	102.46	75.39	42.39
22	स्टार यूनिनन दार्ड-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	258.96	80.00	338.96	183.24	155.72	45.94
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,953.50	-	1,953.50	996.28	957.22	49.00
	निजी कुल	29,221.75	(589.70)	28,632.05	15,948.91	12,683.15	44.30
24	भारतीय जीवन बीमा निगम	6,325.00	-	6,325.00	6,325.00	-	-
	कुल	35,546.75	(589.70)	34,957.05	22,273.90	12,683.15	36.28

*एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)

(रु करोड़)

क्र.सं.	बीमाकर्ता	2021-22	2022-23
1	एको जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	988.21	1,509.41
2	बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	13,688.59	15,336.64
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,824.12	6,155.99
4	फ्यूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,137.98	4,546.24
5	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,673.94	6,160.08
6	एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	13,497.55	16,635.81
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	17,976.87	21,025.09
8	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8,452.91	9,870.95
9	कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	742.47	1,134.09
10	क्षेमा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	-
11	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,506.46	1,957.33
12	मैग्मा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,757.17	2,534.12
13	नवी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	106.57	70.59
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	375.83	379.94
15	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9,408.96	10,339.01
16	रॉयल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,866.59	3,379.75
17	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9,166.22	10,828.40
18	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,752.95	2,265.78
19	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10,024.97	13,176.01
20	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,456.12	4,103.09
21	जूनो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	348.88	533.51
	निजी कुल	109,753.37	131,941.83
		(11.99)	(20.22)
22	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	13,076.83	15,205.85
23	द न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	35,515.93	37,482.04
24	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14,020.43	15,992.61
25	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15,722.25	17,644.31
	सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का कुल	78,335.45	86,324.81
		(4.15)	(10.20)
26	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	13,940.21	14,619.79
27	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,106.62	1,197.53
	विशिष्ट बीमाकर्ता कुल	15,046.83	15,817.32
		(14.73)	(5.12)
28	आदित्य बिरला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,726.67	2,717.03
29	'केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,880.91	5,141.53
30	'मणिपालसिग्ना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	986.18	1,359.79
31	निवा ब्रूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,809.97	4,073.03
32	'रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड #	(0.02)	-
33	स्टार हेल्थ एंड अलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11,463.47	12,952.47
	एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की कुल संख्या	20,867.18	26,243.85
		(32.45)	(25.77)
	कुल योग	224,002.82	260,327.82
		(10.85)	(16.22)

टिप्पणी:

लागू नहीं यह दर्शाता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन में नहीं था। बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्समूहीकरण, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।# रिलायंस जनरल इश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण\$ वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यवसाय संचालन प्रारंभ किया। टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

विवरण 8

सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर)

(रु करोड़)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	अग्नि		मेरीन		मोटर		स्वास्थ्य+व्यक्तिगत दुर्घटना		अन्य		कुल	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
		0.02	(0.02)	-	-	510.75	659.96	407.12	736.00	70.32	113.47	988.21	1,509.41
1	एको जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,916.44	2,158.64	211.75	286.60	4,844.52	3,381.26	3,372.78	3,334.62	4,170.07	13,688.59	15,336.64	
2	बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	495.11	660.56	94.52	123.04	3,427.13	691.17	893.28	116.21	133.99	4,824.12	6,155.99	
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	456.49	481.82	84.44	109.39	1,617.00	669.58	879.61	1,310.47	1,374.36	4,137.98	4,546.24	
4	फ्यूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	260.36	417.36	13.97	34.66	3,008.77	675.94	933.33	714.91	774.45	4,673.94	6,160.08	
5	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,330.35	1,710.01	173.44	219.85	3,549.00	4,940.65	5,716.43	3,504.10	4,345.13	13,497.55	16,635.81	
6	एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,749.52	3,052.48	625.04	744.29	8,280.09	4,006.91	5,592.29	2,315.31	3,053.76	17,976.87	21,025.09	
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	924.72	944.73	252.19	302.13	3,702.65	1,859.56	2,169.52	1,713.79	2,321.01	8,452.91	9,870.95	
8	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	50.95	70.42	4.90	17.59	388.03	275.53	483.37	23.06	46.83	742.47	1,134.09	
9	कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	क्षेमा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड#	92.13	82.93	39.12	38.84	994.97	274.63	313.11	105.60	139.91	1,506.46	1,957.33	
11	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	229.78	317.68	23.91	33.26	1,316.02	112.88	251.99	74.57	70.70	1,757.17	2,534.12	
12	मैयमा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	18.59	(0.69)			43.00	42.46	43.55	2.52	0.02	106.57	70.59	
13	नवी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15.08	22.29	0.01	0.01	277.36	5.06	14.56	78.31	69.43	375.83	379.94	
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	938.13	1,004.32	108.20	128.47	3,844.50	1,120.93	1,560.54	3,397.19	3,609.45	9,408.96	10,339.01	
15	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	290.46	294.91	45.97	51.66	2,025.96	425.72	475.98	78.48	86.27	2,866.59	3,379.75	
16	रॉयल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,350.94	1,618.94	62.24	84.02	2,517.07	2,735.09	3,293.86	2,500.88	3,120.91	9,166.22	10,828.40	
17	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	55.55	79.60	1.64	2.01	1,631.15	31.71	60.78	32.90	38.17	1,752.95	2,265.78	
18	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,633.08	1,880.38	543.30	679.75	5,131.61	1,930.04	2,770.21	786.94	1,152.82	10,024.97	13,176.01	
19	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	211.19	222.87	45.62	46.49	1,357.46	548.15	488.88	1,293.70	1,525.73	3,456.12	4,103.09	
20	यूनिकर्सल सोमो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	17.20	27.20	2.91	1.12	197.48	126.40	197.37	4.90	8.18	348.88	533.51	
21	जूनो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	13,036.08	15,046.44	2,333.18	2,903.17	48,664.50	24,260.83	30,247.44	21,458.78	26,154.66	109,753.37	131,941.83	
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल												

सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	अग्नि		मेरीन		मोटर		स्वास्थ्य+व्यक्तिगत दुर्घटना		अन्य		कुल	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
		(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)
22	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,104.10	1,180.00	224.37	275.94	4,645.95	5,087.80	6,075.14	7,403.16	976.18	1,201.10	13,025.74	15,148.00
23	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,959.27	4,238.05	848.96	977.83	8,240.52	8,974.60	15,830.28	17,338.57	3,694.85	2,955.00	32,573.88	34,484.05
24	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,608.11	1,589.10	386.31	465.38	3,405.74	3,642.23	6,642.20	8,747.80	1,668.61	1,170.40	13,710.97	15,614.91
25	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,843.48	1,882.54	374.79	436.34	5,476.76	5,985.27	6,826.65	7,682.68	1,200.57	1,657.47	15,722.25	17,644.31
	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	8,514.95	8,889.69	1,834.43	2,155.49	21,768.98	23,689.90	35,374.27	41,172.21	7,540.22	6,983.97	75,032.84	82,891.26
26	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13,940.21	14,619.79	13,940.21	14,619.79
27	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,106.62	1,197.53	1,106.62	1,197.53
	विशिष्ट बीमाकर्ता कुल	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15,046.83	15,817.32	15,046.83	15,817.32
28	आदित्य बिरला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,726.67	2,717.03	NA	NA	1,726.67	2,717.03
29	केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3,880.91	5,141.53	NA	NA	3,880.91	5,141.53
30	मणिपालसिमा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	986.18	1,359.79	NA	NA	986.18	1,359.79
31	निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,809.97	4,073.03	NA	NA	2,809.97	4,073.03
32	रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड@	NA	NA	NA	NA	NA	NA	(0.02)	NA	NA	NA	(0.02)	NA
33	स्टार हेल्थ एंड अलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11,463.47	12,952.47	NA	NA	11,463.47	12,952.47
	एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20,867.18	26,243.85	NA	NA	20,867.18	26,243.85
	कुल योग	21,551.03	23,936.12	4,167.61	5,058.66	70,433.48	81,280.04	80,502.27	97,663.50	44,045.82	48,955.94	220,700.21	256,894.27

टिप्पणी:

लागू नहीं यह दर्शाता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान या संबंधित खंड में परिचालन में नहीं था।

बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्संभूहीकरण, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

@रिलायंस जनरल इश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण

वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यवसाय संचालन प्रारंभ किया

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं की इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2022 तक	वर्ष के दौरान निवेश	'31 मार्च 2023 तक	प्रवर्तक			गैर-प्रवर्तक (विदेशी सहित) कुल	एफडी आई %
				भारतीय	विदेशी	कुल		
एको जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	1,146.00	1,000.00	2,146.00	2,146.00	-	2,146.00	-	0.00
बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	110.23	-	110.23	81.57	28.66	110.23	-	26.00
चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	298.81	-	298.81	179.28	119.52	298.81	-	40.00
एडलवाइस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	513.00	165.00	678.00	678.00	-	678.00	-	0.00
फ्यूचर जेनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	904.80	-	904.80	447.82	456.98	904.80	-	50.51
गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	859.01	15.01	874.02	729.57	-	729.57	144.45	0.00
एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	712.78	-	712.78	356.31	349.20	705.51	7.27	48.99
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	490.89	0.24	491.13	235.84	-	235.84	255.28	0.00
इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	280.25	7.56	287.82	146.79	141.03	287.82	-	49.00
कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	455.00	225.00	680.00	680.00	-	680.00	-	0.00
क्षेमा जनरल इश्योरेंस लिमिटेड#	0.00	111.29	111.29	111.29	-	111.29	-	0.00
लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	1,086.23	-	1,086.23	557.41	528.81	1,086.23	-	48.68
मैम्मा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	154.71	91.96	246.67	210.50	32.00	242.50	4.17	12.97
नवी जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	495.79	-	495.79	495.79	-	495.79	-	0.00
रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	296.04	75.08	371.12	189.27	181.85	371.12	-	49.00
रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	251.81	0.26	252.07	251.55	-	251.55	0.52	0.00
रॉयल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	449.00	-	449.00	269.40	179.60	449.00	0.00	40.00
एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	215.62	0.03	215.65	190.56	25.09	215.65	0.00	11.63
श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	259.16	-	259.16	172.71	59.40	232.11	27.05	22.92
टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	994.46	-	994.46	735.90	258.56	994.46	-	26.00
यूनियर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	368.18	-	368.18	240.74	127.44	368.18	-	34.61
निजी क्षेत्र कुल (ए)	10,341.76	1,691.43	12,033.19	9,106.29	2,488.15	11,594.45	438.74	20.68
नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9,375.00	-	9,375.00	9,375.00	-	9,375.00	-	0.00
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	824.00	-	824.00	584.00	-	584.00	240.00	0.00
ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,620.00	-	4,620.00	4,620.00	-	4,620.00	-	0.00
यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,905.00	-	3,905.00	3,905.00	-	3,905.00	-	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र कुल (बी)	18,724.00	-	18,724.00	18,484.00	0.00	18,484.00	240.00	0.00
कुल (निजी + सार्वजनिक) (ए+बी)	29,065.76	1,691.43	30,757.19	27,590.29	2,488.15	30,078.45	678.74	8.09
एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	-	0.00
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,950.00	388.00	4,338.00	4,338.00	-	4,338.00	-	0.00
विशिष्ट बीमाकर्ता कुल (सी)	4,150.00	388.00	4,538.00	4,538.00	0.00	4,538.00	-	0.00
आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	435.12	72.46	507.58	233.01	223.87	456.87	50.71	44.10
केयर हेल्थ इश्योरेंस लिमिटेड	908.57	33.66	942.23	817.73	0.00	817.73	124.50	0.00
मणिपालसिन्ना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,117.62	226.42	1,344.04	685.46	658.58	1,344.04	-	49.00
निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,408.60	102.08	1,510.68	822.60	670.32	1,492.92	17.76	44.37
रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस लिमिटेड@	193.90	-	193.90	193.90	-	193.90	-	-
स्टार हेल्थ एंड अलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	575.52	6.16	581.68	319.92	-	319.92	261.75	0.00
एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल (डी)	4,639.33	440.77	5,080.10	3,072.61	1,552.77	4,625.38	454.72	30.57
सामान्य, विशिष्ट और स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल (ए+बी+सी+डी)	37,855.09	2,520.21	40,375.29	35,200.91	4,040.92	39,241.83	1,133.47	10.01
पुनर्बीमाकर्ता								
भारतीय सामान्य बीमा निगम	877.20	-	877.20	877.20	-	877.20	-	0.00
कुल पुनर्बीमाकर्ता (ई)	877.20	-	877.20	877.20	0.00	877.20	0.00	0.00
कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	38,732.29	2,520.21	41,252.49	36,078.11	4,040.92	40,119.03	1,133.47	9.80

* अप्रत्यक्ष एफडीआई को नहीं गिना जाएगा।

बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्बीमाकरण/पुनर्समूहीकरण, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान निवेश में शेयरों को रद्द करना, कटौती करना और ताज़ा जारी करना शामिल है

@रिलायंस जनरल इश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण

वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यवसाय संचालन प्रारंभ किया

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का अर्जित दावा अनुपात (भारत के अंदर)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	अग्नि		मेरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
1	एको जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	97.16	94.50	0.00	-	86.87	86.94	103.75	83.88	83.21	70.37	97.83	84.28
2	बजाज अलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	57.04	35.23	63.89	64.95	68.53	74.48	90.64	74.27	56.03	74.53	72.96	72.92
3	चोलांमडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	33.48	39.49	61.87	62.85	65.05	75.33	117.08	67.88	28.59	18.17	70.29	71.24
4	एयूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	65.76	36.33	61.87	86.58	62.43	64.72	88.44	79.18	71.73	62.31	68.62	65.91
5	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	51.61	38.20	31.56	91.11	79.54	68.76	48.94	71.87	58.48	56.41	74.02	67.23
6	एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	62.60	58.44	94.05	136.43	74.66	78.09	97.47	79.04	69.44	84.28	84.04	79.94
7	आईसीआईसीआईलॉम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	53.05	49.32	77.60	72.42	70.88	72.40	91.67	77.33	63.38	65.64	75.06	72.36
8	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	63.61	53.48	104.62	83.46	84.12	83.34	130.65	111.18	60.35	68.28	94.10	88.57
9	कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	29.96	50.69	300.00	138.48	82.67	80.53	72.11	56.01	36.23	35.56	77.01	69.50
10	क्षेमा जनरल इश्योरेंस लिमिटेड#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8.63	26.98	105.89	105.82	62.84	73.73	89.30	74.17	28.39	42.93	66.74	72.30
12	मैमा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	34.97	26.55	11.24	187.70	69.37	73.36	66.42	72.10	186.05	422.87	68.65	72.62
13	नवी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-8.32	6.08	0.00	-	117.97	136.77	28.56	59.28	102.51	81.79	66.29	76.11
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	92.82	119.94	-245.96	-358.18	92.55	83.02	109.54	138.67	31.24	40.98	81.21	78.48
15	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	38.19	28.98	93.31	94.27	75.57	79.62	98.76	86.31	78.40	77.43	77.53	77.20
16	रॉयल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30.49	34.19	80.97	62.93	85.76	79.29	90.22	83.36	19.88	-94.73	84.21	76.99
17	एचबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	53.91	51.70	133.63	134.13	93.58	89.97	81.92	73.92	99.83	74.99	86.31	78.73
18	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	39.20	29.03	24.00	-94.29	72.97	69.86	37.07	51.53	72.10	31.08	72.35	68.33
19	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	56.39	46.77	91.50	89.81	74.51	73.81	86.53	78.33	10.05	47.54	75.01	73.60
20	यूनिवर्सल सोमो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	17.62	55.33	80.61	77.54	91.32	83.46	113.39	82.84	11.43	54.08	77.77	78.18
21	जूनी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	77.82	2.95	170.92	482.79	84.61	79.83	112.32	89.59	134.37	104.18	96.71	82.21
	निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता औसत	51.27	44.11	85.78	87.90	74.53	75.60	94.66	80.09	64.96	69.58	77.95	75.13

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का अर्जित दावा अनुपात (भारत के अंदर)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	अग्नि		समुद्री		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
22	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	87.54	53.47	93.05	23.42	90.68	108.81	125.53	102.35	68.21	117.20	104.05	100.85
23	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	62.27	71.34	80.41	65.24	91.00	97.52	124.54	103.33	68.78	68.88	101.23	95.59
24	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	61.73	58.12	91.50	61.20	97.95	106.66	139.86	130.09	58.21	51.00	112.27	112.14
25	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	58.47	69.91	88.50	59.16	98.90	103.43	120.21	89.57	14.48	90.63	98.57	92.85
	सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का औसत	66.96	66.21	86.02	56.89	94.03	102.55	126.80	105.77	58.54	78.15	103.17	99.02
26	एजीकल्बर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96.41	94.35	96.41	94.35
27	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	61.92	-74.70	61.92	-74.70
	विशिष्ट बीमाकर्ता औसत	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	92.47	73.71	92.47	73.71
28	आदित्य बिरला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	69.56	64.68	0.00	NA	69.56	64.68
29	केयर हेल्थ इश्योरेंस लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	65.07	53.82	0.00	NA	65.07	53.82
30	मणिपालसिन्हा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	76.17	64.66	0.00	NA	76.17	64.66
31	निवा बूना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	62.12	54.05	0.00	NA	62.12	54.05
32	रिलायंस हेल्थ इश्योरेंस लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	196.55	NA		NA	196.55	NA
33	स्टार हेल्थ एंड अलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	87.06	65.00	0.00	NA	87.06	65.00
	स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता औसत	NA	NA	NA	NA	NA	NA	79.06	61.44		NA	79.06	61.44
	उद्योग औसत	60.33	57.99	85.88	75.13	81.30	84.48	105.68	87.27	72.72	73.10	89.08	82.95

टिप्पणी:

स्वास्थ्य में व्यक्तिगत दुर्घटना भी शामिल है
 लागू नहीं यह दर्शाता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान या संबंधित खंड में परिचालन में नहीं था।
 बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्संभूतिकरण, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।
 # वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यवसाय संचालन प्रारंभ किया

जीवन बीमाकर्ताओं की शोधनक्षमता स्थिति (2022-23)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	जून 2022	सितंबर 2022	दिसंबर 2022	मार्च 2023
	निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता				
1	एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3.29	3.23	3.14	2.75
2	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.87	1.85	1.86	1.84
3	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5.27	5.32	5.29	5.16
4	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.64	1.68	1.61	1.63
5	आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.81	1.73	1.85	1.73
6	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3.02	2.90	2.68	2.52
7	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4.26	4.25	4.20	3.69
8	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.00	2.11	2.19	2.20
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.11	2.16	**	**
10	फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.28	2.04	2.06	1.96
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.78	2.10	2.09	2.03
12	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.04	2.01	2.12	2.09
13	एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3.20	3.07	3.17	3.24
14	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.66	2.25	2.22	2.18
15	कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.72	2.79	2.88	2.83
16	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.96	1.96	2.00	1.90
17	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.09	1.98	1.94	1.86
18	रिलायंस निष्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.34	2.35	2.33	2.29
19	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.21	2.19	2.25	2.15
20	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.18	2.18	2.03	2.10
21	स्टार यूनिनन दार्-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.21	2.09	2.31	2.20
22	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.91	1.79	1.76	1.86
	सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता				
23	भारतीय जीवन बीमा निगम	1.89	1.88	1.85	1.87

* 14 अक्टूबर 2022 के अंत से एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय के कारण लागू नहीं है।

विवरण 12

साधारण, स्वास्थ्य, विशेषीकृत और पुनर्बीमा कंपनियों की शोधन स्थिति (2022-23)

क्र. सं	बीमाकर्ता	जून 2022	सितंबर 2022	दिसंबर 2022	मार्च 2023
	निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता				
1	एको जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	6.01	4.55	3.73	2.75
2	बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3.49	3.62	3.73	3.91
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.08	2.13	2.06	2.01
4	फ्यूचर जेनराली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.67	1.75	1.93	2.10
5	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	2.18	2.00	1.90	1.78
6	एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.68	1.78	1.74	1.81
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.61	2.47	2.45	2.51
8	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.64	1.77	1.79	1.72
9	कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.55	2.14	2.30	1.83
10	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	2.69	2.44	2.20	2.05
11	मैग्मा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.77	2.19	1.70	2.10
12	नवी जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	2.55	2.60	2.72	2.88
13	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.79	1.82	2.21	2.03
14	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.60	1.58	1.59	1.57
15	रॉयल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.16	2.09	2.14	2.27
16	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.94	1.91	1.85	1.72
17	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4.48	4.60	4.63	4.91
18	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.02	1.98	1.95	1.94
19	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.78	1.70	1.71	1.74
20	जूनो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.71	1.65	1.73	1.80
	सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता				
21	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.63	0.24	0.05	(0.29)
22	द न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.72	1.77	1.91	1.87
23	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.10	(0.76)	(0.90)	(0.96)
24	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.43	0.35	0.12	(0.29)
	विशिष्ट बीमाकर्ता				
25	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2.51	2.34	2.48	2.49
26	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	34.40	40.20	43.89	47.93
	एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ता				
27	आदित्य बिरला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.16	1.67	3.03	2.63
28	केयर हेल्थ इश्योरेंस लिमिटेड	1.64	1.97	1.90	1.82
29	मणिपालसिग्ना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.59	1.56	1.55	1.56
30	निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.89	1.77	1.81	1.67
31	स्टार हेल्थ एंड अलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.87	1.95	2.17	2.14
	पुनर्बीमाकर्ता				
32	जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	2.14	2.25	2.38	2.61

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की शोधन क्षमता की स्थिति

क्र.सं.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक
1	एलियांज ग्लोबल	2.43	2.64
2	एक्सा फ़्रांस वी	2.69	2.42
3	फ़ैक्टरी म्युचुअल	2.20	2.92
4	जेन रे	2.05	2.06
5	हनोवर रे	2.15	2.25
6	लॉयड ऑफ़ इंडिया	2.13	2.53
7	म्यूनिख रे	1.74	1.79
8	आरजीए लाईफ	2.34	2.41
9	स्कोर एसई	3.25	4.01
10	स्विस रे	2.90	3.88
11	एक्सएल एसई इंश्योरेंस	2.15	3.00

विवरण 14

एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम

(रु करोड़)

क्र. सं.	पुनर्बीमाकर्ता	भारतीय व्यवसाय		विदेशी व्यवसाय		कुल	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
1	जीआईसी रे	28,018.79	25,384.50	15,189.67	11,207.09	43,208.46	36,591.59
	एफआरबी						
2	म्यूनिख रे	7,581.73	9,410.89	104.12	119.82	7,685.85	9,530.71
3	हनोवर रे	1,420.81	2,558.26	17.42	0.55	1,438.23	2,558.81
4	स्विस रे	4,324.01	2,377.17	-1.95	-1.81	4,322.05	2,375.36
5	एक्सा फ्रांस वी	1,005.87	979.25	0.00	0.00	1,005.87	979.25
6	जेन रे	521.10	870.55	0.00	0.00	521.10	870.55
7	स्कोर एसई	1,997.41	761.70	0.00	0.00	1,997.41	761.70
8	आरजीए लाइफ	439.03	310.84	1.15	0.63	440.18	311.47
9	एलियांज ग्लोबल	159.88	189.77	42.12	55.83	202.00	245.59
10	एक्सएल एसई	446.83	185.49	3.00	0.00	449.83	185.49
11	फ़ैक्टरी म्युचुअल	0.00	135.17	0.00	0.00	0.00	135.17
12	लॉयड ऑफ इंडिया	65.44	131.91	0.60	0.00	66.04	131.91
	एफआरबी कुल	17,962.10	17,910.99	166.45	175.01	18,128.55	18,085.99
	कुल योग	45,980.89	43,295.49	15,356.12	11,382.10	61,337.01	54,677.58

एफआरबी की समुनदेशित पूंजी (रु करोड़)

क्र. सं.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ	31 मार्च 2022 तक	वर्ष के दौरान निवेश	31 मार्च 2023 तक
1	एलियांज ग्लोबल	200.24	86.73	286.97
2	एक्सा फ्रांस	909.46	-178.70	730.76
3	फ़ैक्टरी म्युचुअल	117.00	43.80	160.80
4	जेन रे	861.44	98.26	959.70
5	हनोवर रे	568.78	318.08	886.86
6	लॉयड्स ऑफ इंडिया	105.00	0.00	105.00
7	म्यूनिख रे	3,989.90	651.20	4,641.10
8	आरजीए लाइफ	3,390.09	73.88	3,463.97
9	स्कोर एसई	975.16	0.00	975.16
10	स्विस रे	3,126.87	0.01	3,126.88
11	एक्सएल इंश्योरेंस	233.35	0.00	233.35
	कुल	14,477.29	1,093.26	15,570.55

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के तहत आस्तियाँ (31 मार्च तक)

(₹ करोड़)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	जीवन निधि											
		'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ		'राज्य सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास एवं अवसंरचना निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (जीवन निधि)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	आदित्य बिरला सन लाइफ	11,568.18	16,059.28	1,236.88	1,669.28	6,009.00	6,953.56	3,754.38	4,298.12	348.09	575.67	2,2916.53	29,555.91
2	एगॉन	1,190.08	1,183.31	384.54	498.61	626.50	670.91	412.60	756.38	10.62	25.02	2,624.34	3,134.23
3	एजेस फेडरल	2,926.96	3,011.66	2,585.94	3,517.80	1,682.60	1,854.33	1,404.48	1,345.39	82.71	77.95	8,682.69	9,807.13
4	अवीवा	4,829.87	5,047.38	1,345.61	1,804.48	1,184.50	1,466.44	170.56	254.08	19.20	19.10	7,549.74	8,591.48
5	बजाज आलियांज	20,243.05	19,325.61	1,954.17	4,209.50	6,042.20	6,581.41	8,272.84	11,376.08	639.90	873.67	37,152.16	42,366.27
6	भारती एक्सा	4,076.31	5,218.28	1,271.08	1,818.31	1,490.20	1,936.96	1,679.91	1,308.74	283.94	265.32	8,801.44	10,547.62
7	केनरा एचएसबीसी	3,552.08	4,363.04	2,121.35	3,232.44	1,915.10	2,486.75	1,468.89	1,716.50	101.82	141.75	9,159.24	11,940.49
8	एडलवाइस टोकिओ	2,004.59	2,384.27	7.30	106.39	597.40	729.84	580.77	851.67	226.94	484.10	3417.00	4,556.28
9	एचएनएल	2,978.61	3,528.61	197.60	392.89	688.70	918.24	426.13	420.51	7.24	2.24	4,298.28	5,262.48
10	एचडीएफसी लाइफ	4,255.29	5,830.52	11,176.66	10,888.03	14,091.70	19,217.11	23,604.10	19,729.44	1,855.00	2,453.18	93,278.75	11,0592.27
11	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	41,158.05	49,060.76	4,560.30	5,863.60	11,594.50	13,823.73	12,658.01	15,047.08	2,490.60	2,197.10	72,461.46	85,992.27
12	इंडिया फर्स्ट	1,713.08	2,471.37	1814.32	2,705.33	899.00	1,656.71	888.82	1,144.57	52.23	71.59	5,367.45	8,049.57
13	कोटक महिंद्रा	21,569.43	24,503.26	435.40	1,653.22	4,926.10	6,543.82	2,880.79	4,661.72	654.87	738.96	30,466.59	38,100.98
14	मैक्स लाइफ	37,431.93	44,935.22	7,012.29	7,516.72	11,411.40	13,592.36	12,002.58	13,811.04	2,501.65	2,315.77	70,359.85	82,171.12
15	पीएनबी मेटलाइफ	10,608.38	12,438.72	3,511.39	5,064.19	5,863.60	7,462.50	4,278.54	3,798.30	211.96	255.32	2,4473.87	29,019.04
16	प्रामेरिका	2,595.64	2,984.52	244.07	476.69	1,056.90	1,284.03	691.12	647.35	47.93	37.10	4,635.66	5,429.69
17	रिलायंस निपॉन	11,219.37	13,725.38	3,453.67	3,663.89	3,436.00	3,906.44	1,816.78	1,748.48	232.46	125.74	20,158.28	23,169.94
18	सहारा इंडिया	558.82	671.60	252.21	196.94	465.80	449.67	117.69	87.38	21.13	17.62	1,415.65	1,423.21
19	एसबीआई	35,028.78	41,780.24	5,280.54	5,643.23	12,657.90	15,232.49	17,231.85	19,077.33	1,886.71	2,308.97	72,085.78	84,042.26
20	श्रीराम	2,354.02	2,634.56	1,758.74	2,053.84	1,450.80	2,051.73	848.54	950.08	96.17	58.30	6,508.27	7,748.52
21	स्टार यूनिफाइड-इची	4,843.04	6,052.11	1,244.33	1,684.49	1,429.50	1,878.45	793.47	1051.46	76.50	94.09	8,386.84	10,760.60
22	टाटा एआईए	2,4270.36	30,673.74	97.91	88.12	5,578.80	8,035.26	4,370.94	5,073.14	515.09	649.39	34,833.10	44,519.65
	निजी कुल	2,89,271.92	35,0357.44	51,946.30	64,747.98	95,098.20	11,8732.76	1,00,353.79	10,9154.85	12,362.72	13,787.95	5,49,032.93	6,56,780.99
23	एलआईसी	11,44,537.17	12,71,063.52	5,86,336.47	6,02,679.07	2,14,463.16	2,15,210.22	5,57,603.24	6,45,442.42	1,42,978.50	1,27,204.88	26,45,918.54	28,61,600.11
	उद्योग कुल	14,33,809.09	16,21,420.96	6,38,282.77	6,67,427.05	3,09,561.36	3,33,942.98	6,57,957.03	7,54,597.27	1,55,341.22	1,40,992.84	31,94,951.47	35,18,381.10

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के तहत आस्तियाँ (31 मार्च तक)

(रु करोड़)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	पेंशन और सामान्य वार्षिकी और समूहिक निधि							
		केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ		'राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		अनुमोदित निवेश		'कुल (पेंशन एवं सामान्य वार्षिकी एवं समूहिक निधि)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	आदित्य बिरला सन लाइफ	2,811.32	4,438.32	678.37	979.92	3,990.22	4,405.46	7,479.91	9,823.70
2	एगॉन	6.62	4.19	0.00	0.00	0.74	0.98	7.36	5.17
3	एजेस फ्रेडरल	245.71	327.02	169.10	226.81	273.37	357.20	688.18	911.03
4	अवीवा	214.63	217.08	19.56	13.89	44.92	44.90	279.11	275.86
5	बजाज आलियांज	6,984.96	7,504.17	2,335.51	1,888.51	3,747.03	4,051.04	13,067.50	13,443.72
6	भारती एक्सा	166.35	180.76	79.14	136.54	270.00	307.20	515.49	624.50
7	केनरा एचएसबीसी	1,315.24	1,211.95	959.59	1,283.13	1,835.81	2,791.85	4,110.64	5,286.93
8	एडलवाइस टोकियो	200.84	211.63	7.26	6.02	85.91	60.78	294.01	278.43
9	फ़्यूचर जनरली	221.26	270.01	271.72	288.48	485.11	577.95	978.09	1,136.45
10	एचडीएफसी लाइफ	19,531.23	24,155.59	11,049.64	10,563.35	15,461.30	12,481.68	46,042.17	47,200.62
11	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	8,565.29	10,250.67	731.26	2,127.40	3,317.34	4,014.05	12,613.89	16,392.12
12	इंडिया फर्स्ट	1,587.56	1,771.54	2,285.68	2,258.18	2,339.88	1,612.30	6,213.12	5,642.02
13	कोटक महिंद्रा	1,430.93	1,958.85	13.33	478.20	701.55	683.29	2,145.81	3,120.33
14	मैक्स लाइफ	1,075.90	1,871.41	656.56	1,106.33	1,255.84	1,680.57	2,988.30	4,658.30
15	पीएनबी मेटलाइफ	1,015.40	1,512.50	237.82	353.55	296.06	341.03	1,549.28	2,207.08
16	प्रामेरिका	535.26	600.90	52.37	129.66	531.68	703.46	1,119.31	1,434.03
17	रिलायंस निरपॉन	173.72	176.45	105.20	135.48	27.54	29.85	306.46	341.78
18	सहारा इंडिया	3.53	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	3.23
19	एसबीआई	19,611.28	26,620.13	14,340.77	14,599.67	15,386.29	16,896.06	49,338.34	58,115.86
20	श्रीराम	182.61	230.35	192.91	247.25	266.63	321.77	642.15	799.37
21	स्वार यूनिनयन दाई-इची	1,305.01	1,447.49	935.94	1,873.62	1,187.42	1,854.97	3,428.37	5,176.07
22	टाटा एआईए	1,706.96	2,666.42	62.51	62.28	348.31	557.32	2,117.78	3,286.02
	निजी कुल	68,891.61	87,630.66	35,184.24	38,758.26	51,852.95	53,773.70	1,55,928.80	1,80,162.61
23	एलआईसी	3,92,373.577	4,73,237.81	4,05,632.92	4,54,229.43	2,11,750.09	2,28,408.24	10,09,756.59	1,15,5875.49
	उद्योग कुल	4,61,265.19	5,60,868.46	4,40,817.16	4,92,987.69	2,63,603.04	2,82,181.95	1,165,685.39	13,36,038.10

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के तहत आस्तियाँ (31 मार्च तक)

(रु करोड़)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	यूनित सहबद्ध निधि						कुल (सभी निधियाँ) (ए+बी+सी)	
		स्वीकृत निवेश		अन्य निवेश		कुल (यूलिप निधि) (सी)		2022	2023
		2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1	आदित्य बिरला सन लाइफ	28,520.33	28,965.03	1,639.86	1,542.38	30,160.19	30,507.41	60,556.63	69,887.02
2	एगोन	938.53	841.24	108.17	115.18	1,046.70	956.42	3,678.40	4,095.82
3	एजेस फ्रेडरल	3,764.12	3,727.79	379.59	236.02	4,143.71	3,963.81	13,514.58	14,681.97
4	अवीवा	3,283.34	3,130.24	447.58	344.83	3,730.92	3,475.07	11,559.77	12,342.41
5	बजाज आलियांज	30,409.34	30,518.59	2,813.27	3,067.58	33,222.61	33,586.17	83,442.27	89,396.16
6	भारती एक्सा	1,465.90	1,584.78	245.63	181.37	1,711.53	1,766.14	11,028.46	12,938.26
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी	11,375.68	11,752.65	1,622.51	1,186.80	12,998.19	12,939.45	26,268.07	30,166.88
8	एडलवाइस टोकियो	1,513.47	1,567.42	193.08	178.58	1,706.55	1,746.00	5,417.56	6,580.71
9	प्रयुवर जनरली	655.81	626.87	76.58	65.89	732.39	692.76	6,008.76	7,091.69
10	एचडीएफसी लाइफ	73,768.09	71,368.11	9,165.50	7,833.36	82,933.59	79,201.47	2,22,254.51	2,36,994.36
11	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	1,26,595.44	1,22,498.98	24,270.86	21,559.07	1,50,866.30	1,44,058.06	2,35,941.65	2,46,442.45
12	इंडिया फर्स्ट	6,150.02	7,119.65	1,027.66	619.15	7,177.68	7,738.81	18,758.25	21,430.40
13	कोटक महिंद्रा	19,695.26	20,809.61	2,857.12	1,931.83	22,552.38	22,741.44	55,164.78	63,962.74
14	मैक्स लाइफ	29,864.10	32,940.95	3,579.08	2,309.29	33,443.18	35,250.23	1,06,791.33	1,22,079.65
15	पीएनबी मेटलाइफ	7,056.79	7,925.28	1,024.31	468.59	8,081.10	8,393.87	34,104.25	39,619.99
16	प्रामेरिका	363.68	333.85	47.46	25.13	411.14	358.98	6,166.11	7,222.69
17	रिलायंस निरपॉन	5,984.68	6,347.60	914.21	617.76	6,898.89	6,965.35	27,363.63	30,477.08
18	सहारा इंडिया	63.74	66.61	22.60	4.59	86.34	71.20	1,505.52	1,497.64
19	एसबीआई	1,30,725.34	1,51,231.09	11,899.97	12,024.45	1,42,625.31	1,63,255.54	2,64,049.43	3,05,413.66
20	श्रीराम	442.76	406.48	26.82	22.35	469.58	428.83	7,620.00	8,976.71
21	स्वार यूनियन टाई-इची	2,454.83	2,540.37	244.58	240.82	2,699.41	2,781.19	14,514.62	18,717.86
22	टाटा एआईए	17,012.13	18,801.21	3,040.65	3,135.63	20,052.78	21,936.84	57,003.66	69,742.51
	निजी कुल	5,02,103.38	5,25,104.38	65,647.09	57,710.65	5,67,750.47	5,82,815.03	12,72,712.20	14,19,758.63
23	एलआईसी	23,101.28	25,419.06	698.56	760.86	23,799.84	26,179.92	36,79,474.96	40,43,655.51
	उद्योग कुल	5,25,204.66	5,50,523.44	66,345.65	58,471.51	5,91,550.31	6,08,994.95	49,52,187.17	54,63,414.15

साधारण, स्वास्थ्य, पुनर्बीमाकर्ता और एफआरबी के प्रबंधन के तहत आस्तियाँ (31 मार्च तक)

क्र. सं.	बीमाकर्ता	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास तथा राज्य सरकारों को आवास और एफएफई के लिये ऋण		द्वितीय श्रेणी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	एको जनरल	326.20	546.35	131.20	153.33	108.60	277.17	145.50	265.11	196.30	693.20	0.00	0.00	907.80	1,935.16
2	बालक आलियाज	9,041.70	15,393.86	3,264.60	3,440.04	1,747.20	2,476.93	3,193.60	1,838.33	6,126.00	3,477.28	381.30	157.49	23,754.40	26,783.94
3	चोलामिडम एमएस	5,165.40	6,460.68	3,124.90	3,117.87	1,036.28	2,055.74	1,569.92	2,059.83	1,546.07	892.61	61.65	96.19	12,504.22	14,682.91
4	फायर जनरल	1,368.90	1,669.09	1,593.61	1,838.26	673.31	795.96	1,081.18	1,353.16	986.58	1,090.43	51.61	26.19	5,755.19	6,773.11
5	गो डिजिट	4,613.60	8,415.89	313.36	241.54	1,089.83	956.00	1,618.87	1,390.01	1,512.56	1,240.06	13.86	56.44	9,162.08	12,299.93
6	एचडीएफसी एगो	3,648.80	4,686.39	4,297.70	4,694.16	1,497.82	2,007.87	3,954.21	4,702.70	4,524.82	5,894.81	208.42	18,331.77	22,214.33	22,299.93
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	1,151.00	14,107.09	5,193.90	5,460.16	2,856.21	3,748.86	6,370.60	6,166.80	10,194.36	11,653.61	2,666.36	1,839.18	38,432.43	42,975.70
8	इफको टोकियो	3214.70	5,395.73	2,305.65	3,213.33	1,830.23	1,839.21	3,702.67	3,527.74	2,389.82	2,602.18	3.17	3.22	13,446.24	16,581.41
9	कोटक महिंद्रा	796.80	875.10	136.60	187.42	116.74	323.83	92.14	39.99	60.49	317.46	26.71	-	1,229.48	1,743.80
10	लिबर्टी	765.00	836.49	674.71	769.76	436.32	449.54	644.68	675.07	805.87	977.54	-	-	3,326.58	3,708.40
11	मेसा एचडीआई	1,648.90	2,064.52	545.79	778.75	294.64	452.85	448.65	1,025.92	816.45	847.06	89.95	89.94	3,844.38	5,259.04
12	नेबी जनरल	174.60	169.05	67.82	107.52	34.84	59.66	89.78	103.24	138.99	192.17	47.63	37.04	553.66	489.56
13	रहेया स्टूडी	294.00	363.40	-	-	110.63	120.34	217.74	204.26	192.17	162.08	10.00	-	824.54	850.08
14	रिलायंस	3,975.90	5,301.03	2,670.14	2,912.85	1,355.50	1,343.55	1,233.95	1,726.62	4,895.93	5,284.58	345.59	439.41	14,477.01	17,008.04
15	रॉयल सुंदरम	1,666.10	1,833.76	1,081.06	1,366.37	764.87	901.43	1,635.19	1,486.80	1,566.27	1,677.18	272.16	369.85	6,985.65	7,635.38
16	एसबीआई जनरल	2,550.00	3,467.31	1,233.75	1,932.39	1,331.78	1,393.38	2,310.92	2,410.83	2,919.10	3,664.48	480.62	215.40	10,826.17	13,083.79
17	श्रीराम जनरल	3,630.90	3,615.54	5.26	5.30	2,331.49	2,200.14	3,790.76	2,675.79	1,089.71	2,813.73	13.14	4.66	10,861.26	11,315.16
18	टाटा एआईबी	4,513.70	5,196.80	3,411.71	3,873.90	980.52	1,459.19	2,660.95	3,383.63	5,970.05	7,488.99	1,297.71	1,163.41	18,834.64	22,565.92
19	यूनिसॉल सोमो	1,188.10	1,275.99	476.77	451.56	504.35	573.36	723.84	744.02	833.70	1,322.98	21.94	18.61	3,748.70	4,386.52
20	जूनो जनरल	109.00	151.60	109.54	42.98	40.89	96.36	59.82	114.18	76.39	176.97	47.89	68.02	443.53	650.11
21	निजी क्षेत्र कुल	60,043.30	81,825.66	30,638.07	34,587.51	19,142.05	23,531.35	35,544.02	46,841.63	52,290.28	6,039.71	4,813.45	198,249.73	2,32,942.29	2,32,942.29
22	नेपाल	6,493.52	6,228.15	6,195.82	6,441.15	1,928.82	2,454.52	2,908.65	2,749.95	12,307.50	9,431.66	883.06	1,215.50	30,719.37	28,520.92
23	न्यू इंडिया	12,945.82	16,839.99	18,995.10	18,928.37	2,494.31	3,151.89	6,342.21	7,284.92	9,710.20	7,900.46	2,402.22	2,239.01	52,889.86	56,350.64
24	ओरिएंटल	4,609.49	4,865.45	8,272.58	8,445.84	1,187.28	1,278.23	2,360.89	2,229.93	5,143.90	3,506.18	1,116.07	914.66	22,690.21	21,084.29
25	यूनिटेड इंडिया	8,099.20	8,539.22	8,938.01	8,715.28	2,320.63	2,098.81	3,271.40	3,978.21	9,862.00	7,639.10	2,253.94	1,789.34	34,745.18	32,759.96
26	सार्वजनिक क्षेत्र कुल	32,148.03	36,472.81	42,401.51	42,530.64	7,931.04	9,104.72	14,883.15	16,243.02	37,023.60	28,327.40	6,657.29	6,159.86	141,044.62	1,38,715.82
27	आदिल बिरला हेल्थ	570.80	1,189.87	571.30	898.30	65.00	118.57	93.90	59.82	224.50	653.23	-	-	1,525.50	2,953.87
28	मणिपाल सिग्ना	233.10	341.16	220.10	365.51	102.40	126.15	226.30	264.45	222.30	322.59	1.30	7.24	1,005.50	1,427.10
29	निवा बुपा	503.30	692.58	276.60	360.69	279.60	393.66	588.40	831.85	744.90	881.91	10.50	208.44	2,403.30	3,369.14
30	केयर हेल्थ (पूर्व में रेलीयर हेल्थ)	1,002.00	1,565.56	1,222.00	275.85	203.90	386.56	1,191.90	1,568.43	1,032.20	1,272.81	14.30	12.74	3,566.50	5,081.95
31	स्वार हेल्थ	2,651.10	3,118.74	1,671.70	1,619.60	843.00	936.23	1,703.20	1,666.11	4,096.50	5,512.96	497.60	536.11	11,463.10	13,389.76
32	एकर स्वास्थ्य कुल	4,960.30	6,907.92	2,861.90	3,519.95	1,493.90	1,961.17	3,803.70	4,424.76	6,320.40	8,643.49	523.70	764.53	19,963.90	26,221.81
33	जीआईसी ऑफ इंडिया	20066.61	21,917.08	21,031.22	24,449.86	5,854.94	6,289.70	7,076.84	8,236.00	19,390.92	21,356.13	3,928.24	3,926.63	77,348.77	86,175.41
34	पुनर्बीमाकर्ता कुल	20066.61	21,917.08	21,031.22	24,449.86	5,854.94	6,289.70	7,076.84	8,236.00	19,390.92	21,356.13	3,928.24	3,926.63	77,348.77	86,175.41
35	एआईबी	2,789.73	4,240.98	4,508.87	4,377.51	1,724.27	2,047.57	877.00	998.16	2,190.52	4,158.74	53.08	52.04	12,143.47	15,875.00
36	ईसीजीसी	3,188.19	3,326.90	3,080.85	3,448.01	831.00	1,181.66	3,293.00	3,218.05	4,248.39	4,234.73	163.16	166.46	14,804.59	15,575.82
37	कुल विशिष्ट बीमाकर्ता	59,779.92	7,567.89	7,589.72	7,825.52	2,555.27	3,229.22	4,170.00	4,216.22	6,438.91	8,393.47	216.24	218.50	26,948.06	31,450.82
38	एफआरबी	136.00	155.82	59.56	122.21	44.95	60.90	60.90	157.40	35.14	44.71	-	-	336.55	480.14
39	एलियाज रॉबल	935.70	1,133.10	42.24	26.66	141.61	110.89	94.49	150.61	118.11	150.61	-	-	1,332.15	1,421.26
40	एफसा फ्रांस	-	144.14	-	-	-	-	167.27	247.77	-	-	-	-	144.14	-
42	जनरल आई	865.43	917.29	-	-	-	-	167.27	247.77	-	-	-	-	1,032.70	1,165.06
43	होनोर रे	1,137.29	1,831.33	21.10	15.77	218.09	283.69	392.00	318.16	318.16	371.42	-	-	1,978.33	2,610.52
44	म्युनिख रे	4,971.54	5,767.60	-	-	396.75	334.19	658.09	1,899.91	-	-	-	-	6,026.38	8,001.70
45	आरबीए लाइफ	2,291.73	2,721.57	-	-	-	-	467.02	611.13	225.75	30.75	-	-	2,984.50	3,363.45
46	स्कोर से	1,737.82	1,851.15	-	-	155.96	-	221.18	225.05	-	-	-	-	2,114.96	2,296.26
47	स्विस रे	3,507.52	3,899.59	-	-	478.88	650.46	678.08	647.06	-	-	-	-	4,664.48	5,197.11
48	एक्सएल इन्श्योरेंस	387.28	457.87	-	-	56.08	80.46	71.72	71.46	-	-	-	-	515.08	609.79
49	कुल एफआरबी	15,970.31	18,879.46	122.90	164.64	1,492.32	1,176.00	2,702.44	4,251.78	697.16	817.55	-	-	20,985.13	25,289.43
50	कुल योग	13,916.67	17,570.81	104,645.32	113,078.12	38,469.52	45,170.89	68,181.10	73,265.79	116,712.62	119,828.33	17,365.18	15,882.99	4,84,540.21	5,40,795.58



अनुबंध



भारत में कार्यरत पंजीकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची (31 मार्च 2023 तक)

जीवन बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र

1. भारतीय जीवन बीमा निगम

निजी क्षेत्र

1. एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2. आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6. बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7. भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9. क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
10. एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11. फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
13. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
14. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
15. कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
16. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
17. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
18. प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
19. रिलायंस निष्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
20. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
21. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
22. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
23. स्टार यूनिजन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
24. Vटाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सामान्य बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र

1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

निजी क्षेत्र

1. एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
2. बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3. चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
6. एचडीएफसी एगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9. कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10. क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11. लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12. मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
13. नावी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती डीएचएफएल)
14. रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
15. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
16. रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
17. एसबीआई जनरल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
18. श्रीराम जनरल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
19. टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
20. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
21. जूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विशिष्ट बीमाकर्ता (सार्वजनिक क्षेत्र)

22. ईसीजीसी लिमिटेड
23. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (निजी क्षेत्र)

1. आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड
3. मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड
6. स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

\$ प्राधिकरण ने 06 नवंबर, 2019 के आदेश संदर्भ संख्या आईआरडीए/एफ&ए/ओआरडी/एसओएलपी/200/11/2019 के माध्यम से रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को नई पॉलिसियां बेचने से रोकने के निर्देश जारी किए।

भारत में कार्यरत पंजीकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची (31 मार्च 2023 तक)

पुनर्बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र

- 1 भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी आरई)

निजी क्षेत्र

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखाएँ

1. एलियांज ग्लोबल कॉर्पोरेट एंड स्पेशलिटी एसई, भारत शाखा
2. एक्सा फ्रांस वी - भारत पुनर्बीमा शाखा
3. जनरल रीड्श्योरेंस एजी - भारत शाखा
4. हनोवर रूक एसई - भारत शाखा
5. मुंचनर रूकवर्सिचेरुंग्स-गेसेलशाफ्ट अक्तीएंजेसेलशाफ्ट - भारत शाखा
6. आरजीए लाइफ रीड्श्योरेंस कंपनी ऑफ़ कनाडा, भारत शाखा
7. स्कोर एसई - भारत शाखा
8. स्विस रीड्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारत शाखा
9. एक्सएल इश्योरेंस कंपनी एसई, भारत पुनर्बीमा शाखा
10. फ़ैक्टरी म्यूचुअल इश्योरेंस कंपनी, भारत शाखा

लॉयड

11. लॉयड की भारत पुनर्बीमा शाखा
- । मार्केल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

भारतीय बाज़ार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह में सदस्यों की अंश (2022-23)

क्र.सं.	सदस्य कंपनी	प्रति जोखिम क्षमता (₹ करोड़)	अंश (% में)
1	बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	106.28	5.31
2	चोलामंडलम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	39.06	1.95
3	फ्यूचर जेनराली जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	28.16	1.41
4	भारतीय साधारण बीमा निगम	333.69	16.68
5	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10.00	0.50
6	सरकारी बीमा कोष, गुजरात	20.00	1.00
7	एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15.00	0.75
8	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	180.84	9.04
9	इफको-टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	78.64	3.93
10	कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10.00	0.50
11	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20.81	1.04
12	मैग्मा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।	10.32	0.52
13	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	167.62	8.38
14	नवी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.00	0.10
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.00	0.05
16	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	39.72	1.99
17	रॉयल सुंदरम इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	27.72	1.39
18	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15.62	0.78
19	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20.00	1.00
20	टाटा-एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	31.46	1.57
21	द न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	333.69	16.68
22	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	238.31	11.92
23	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	250.05	12.50
24	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10.00	0.50
25	जूनो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10.00	0.50
	कुल	2000	100.00

अनुबंध- 2 (ii)

भारतीय नाभिकीय बीमा समूह में सदस्यों की अंश (2022-23)

क्र.सं.	सदस्य कंपनी	प्रति जोखिम क्षमता (₹ करोड़)	अंश (% में)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	600	40.00
2	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	300	20.00
3	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	200	13.33
4	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	100	6.67
5	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	100	6.67
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल कंपनी लिमिटेड	100	6.67
7	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20	1.33
8	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20	1.33
9	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20	1.33
10	चोलामंडलम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15	1.00
11	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15	1.00
12	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10	0.67
	कुल	1500	100.00

मेरीन कार्गो अपवर्जित क्षेत्र समूह में सदस्यों का अंश

क्र.सं.	सदस्य कंपनी	2022-23	
		प्रति जोखिम क्षमता	अंश (% में)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	250	51.57
2	नेशनल इश्योरेंस कंपनी इंडिया	30	6.19
3	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	40	8.25
4	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30	6.19
5	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी	20	4.13
6	बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.5	0.52
7	चोलामंडलम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	0.21
8	जूनो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एडेलवाइस)	0.3	0.06
9	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस कंपनी	3	0.62
10	एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6	1.24
11	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी	30	6.19
12	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8	1.65
13	कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	0.21
14	मैग्मा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।	5	1.03
15	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8	1.65
16	रॉयल सुंदरम इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4	0.83
17	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5	1.03
18	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	0.21
19	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30	6.19
20	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी	2	0.41
21	फ्यूचर जेनराली जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8	1.65
	कुल योग	484.8	100.00

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मोटर टीपी दायित्व का परिकलन करने के लिए डेटा (रु करोड़)

क्र.सं.	बीमाकर्ता	वित्तीय वर्ष 2022-23			
		मोटर ओडी जीडीपी	मोटर तृतीय पक्ष जीडीपी	कुल मोटर जीडीपी	कुल जीडीपी
1	एको जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	215.66	444.30	659.96	1509.41
2	बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2351.43	2997.11	5348.54	15336.64
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1675.20	2669.92	4345.12	6155.99
4	फ्यूचर जेनराली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	792.54	908.52	1701.06	4546.24
5	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	1339.67	2660.60	4000.27	6160.08
6	एचडीएफसी एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2089.62	2554.77	4644.39	16635.81
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4151.38	4430.89	8582.27	21025.09
8	इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1916.79	2216.77	4133.56	9870.95
9	कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	264.12	251.76	515.88	1134.09
10	लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	707.21	675.33	1382.54	1957.33
11	मैग्मा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	587.18	1273.32	1860.50	2534.12
12	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1694.25	3393.55	5087.80	15147.99
13	नवी जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	2.602	5.10	27.70	70.59
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	190.41	83.252	73.66	379.94
15	रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1590.02	2446.21	4036.23	10339.00
16	रॉयल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1032.87	1438.06	2470.93	3379.75
17	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1001.37	1709.30	2710.67	10828.39
18	श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	424.86	1659.40	2084.26	2265.78
19	टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2854.56	3838.29	6692.85	13176.00
20	द न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3153.55	5821.80	8975.35	34487.48
21	द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	977.56	2664.67	3642.23	15614.91
22	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1678.70	4306.57	5985.27	17644.30
23	यूनिवर्सल सोम्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	937.88	881.23	1819.11	4103.09
24	ज़ूनो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	154.17	145.46	299.63	533.50
	कुल योग	31783.60	49496.18	81279.78	214836.47

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जारी परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/निर्देश

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	तिथि	विभाग	अधिसूचना प्रकार	विषय
1	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/74/4/2022	27-04-2022	बीमांकिक	परिपत्र	बीमांकन एवं पुनर्बीमा विवरणियाँ -- हार्ड प्रति की प्रस्तुति समाप्त करना
2	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/77/4/2022	27-04-2022	गैर जीवन	परिपत्र	कुछ गैर-जीवन बीमा रिटर्न का वितरण
3	आईआरडीएआई/एफ&एल/सीएलआर/एलएनवी/81/04/2022	29-04-2022	एफ एंड आई	परिपत्र	वित्तीय और बीमा गतिविधियों के लिए बीमाकर्ताओं का एक्सपोजर
4	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/88/5/2022	11-05-2022	बीमांकिक	परिपत्र	बीमांकन एवं पुनर्बीमा विवरणियाँ – हार्ड प्रति की प्रस्तुति समाप्त करना
5	आईआरडीएआई/एफ&ए/सीआईआर/विविध/98/5/2022	12-05-2022	एफ एंड ए	परिपत्र	मासिक शोधनक्षमता विवरणियाँ समाप्त करना
6	आईआरडीएआई/एफ&ए/सीआईआर/विविध/99/5/2022	12-05-2022	एफ एंड ए	परिपत्र	अनुपालन की अपेक्षाओं का यौक्तिकीकरण
7	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/96/05/2022	12-05-2022	गैर जीवन	परिपत्र	निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के लिए अग्नि बीमा उत्पादों की फाइलिंग
8	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/95/05/2022	12-05-2022	गैर जीवन	परिपत्र	अग्नि से सम्बंधित खतरों को कवर करने वाले उत्पादों का मूल्य निर्धारण
9	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/100/05/2022	19-05-2022	गैर जीवन	परिपत्र	निम्नलिखित के संबंध में साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किये गये मोटर बीमा विज्ञापन (i)अन्य पक्ष सेवा प्रदाताओं की अतिरिक्त सेवाएँ (ii)छूटें, राशियों की बचत आदि
10	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/102/5/2022	23-05-2022	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा विनियामक विवरणियों का संशोधन
11	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/106/5/2022	31-05-2022	बीमांकिक	परिपत्र	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए शोधनक्षमता मार्जिन
12	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/108/06/2022	01-06-2022	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सभी श्रेणियों के उत्पादों के लिए यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया – के संबंध में
13	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/107/6/2022	01-06-2022	गैर जीवन	परिपत्र	उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया
14	आईआरडीएआई/एफ&ए/ओआरडी/विविध/109/6/2022	02-06-2022	एफ एंड ए	परिपत्र	आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में – धारा 40सी छूट आदेश
15	आईआरडीएआई/आरईआईएन/सीआईआर/विविध/112/6/2022	03-06-2022	पुनर्बीमा	परिपत्र	एफआरबीएस/लायड्स इंडिया द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण
16	आईआरडीएआई/आईएनटी/विविध/सीआईआर/113/6/2022	06-06-2022	मध्यस्थ	परिपत्र	आईआईबी के एनवाय पोर्टल पर स्वयं-निष्क्रियकरण (सेल्फ-डीएक्टिवेशन) का प्रारंभ करना
17	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/118/6/2022	10-06-2022	जीवन	परिपत्र	विनियामक विवरणियों और अन्य अनुपालन की अपेक्षाओं का युक्तीकरण
18	आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/विविध/115/06/2022	10-06-2022	बीमांकिक	परिपत्र	जीवन बीमा उत्पादों और राइडर्स के लिए उपयोग और फाइल प्रक्रिया
19	आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एसएलएम/122/06/2022	13-06-2022	बीमांकिक	परिपत्र	फ़सल बीमा व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
20	आईआरडीएआई/एफ&ए/सीआईआर/विविध/123/6/2022	15-06-2022	एफ एंड ए	परिपत्र	अनुमान के आधार पर प्रीमियम, दावों और संबंधित खर्चों का लेखा-जोखा
21	आईआरडीएआई/एचआर/ओआरडी/पीईआर/125/06/2022	16-06-2022	एचआर	आदेश	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त करना
22	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/131/6/2022	29-06-2022	स्वास्थ्य	आदेश	पुराने परिपत्रों का निरसन
23	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/मोटर/136/07/2022	05-07-2022	गैर जीवन	आदेश	मोटर बीमा में नये ऐड-आनों का प्रारंभ
24	आईआरडीएआई/आरईआईएन/ओआरडी/आरआईएन/141/7/2022	07-07-2022	पुनर्बीमा	आदेश	जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए कार्य-बल का गठन
25	आईआरडीएआई/आरईआईएन/ओआरडी/आरआईएन/142/7/2022	07-07-2022	पुनर्बीमा	परिपत्र	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए कार्य-बल का गठन
26	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/पीआरओ/146/07/2022	14-07-2022	गैर जीवन	परिपत्र	कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए खुदरा उत्पादों हेतु यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया
27	आईआरडीएआई/लाइफ/सीआईआर/विविध/147/7/2022	15-07-2022	जीवन	परिपत्र	परिपत्रों का निरसन

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जारी परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/निर्देश

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	तिथि	विभाग	अधिसूचना प्रकार	विषय
28	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/150/7/2022	20-07-2022	स्वास्थ्य	परिपत्र	सेवाप्रदाता नेटवर्क में विद्यमान अस्पतालों के लिए मानक और न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क)
29	आईआरडीएआई/एफ&आई/ओआरडी/विविध/152/7/2022	21-07-2022	एफ एंड आई	आदेश	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबी) द्वारा अनुमान के आधार पर प्रीमियम, दावों और संबंधित व्ययों के लेखांकन एवं अधिशेष के प्रत्यावर्तन संबंधी कार्य-दल
30	आईआरडीएआई/आईआईडी/जीडीएल/विविध/160/8/2022	01-08-2022	आईआईडी	दिशा-निर्देश	एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के काउंटर फाइनेंसिंग (एएमएल/सीएफटी), 2022 पर मास्टर दिशानिर्देश
31	आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/165/8/2022	03-08-2022	एफ एंड आई	परिपत्र	निवेश-मास्टर परिपत्र में संशोधन
32	आईआरडीएआई/जीए&एचआर/सीआईआर/विविध/167/8/2022	09-08-2022	जीए एंड एचआर	परिपत्र	बी ए पी का नए हार्डवेयर और नवीनतम सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण
33	आईआरडीएआई/जीए&एचआर/सीआईआर/विविध/172/8/2022	11-08-2022	जीए एंड एचआर	परिपत्र	बीमा मध्यस्थों को आईआरडीएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर/जीएसटी की प्रयोज्यता
34	आईआरडीएआई/जीए&एचआर/सीआईआर/विविध/171/8/2022	11-08-2022	जीए एंड एचआर	परिपत्र	बीमाकर्ताओं को आईआरडीएआई द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर जीएसटी से छूट को वापस लेना
35	आईआरडीएआई/आईएफआरएस/ओआरडी/विविध/177/08/2022	22-08-2022	आईएफआरएस	आदेश	बीमा क्षेत्र में इंड एएस/आईएफआरएस के कार्यान्वयन पर आदेश-विशेषज्ञ समिति
36	आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/विविध/183/9/2022	02-09-2022	एफ एंड आई	परिपत्र	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 48ए के तहत सामान्य निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति या निरंतरता
37	आईआरडीएआई/जीए&एचआर/जीडीएल/विविध/184/09/2022	02-09-2022	जीए एंड एचआर	दिशा-निर्देश	सूचना और साइबर सुरक्षा पर दिशानिर्देश
38	आईआरडीएआई/जीए&एचआर/सीआईआर/विविध/189/09/2022	06-09-2022	जीए एंड एचआर	परिपत्र	साइबर जागरूकता दिवस मनाना
39	आईआरडीएआई/जीए&एचआर/ओआरडी/विविध/186/09/2022	06-09-2022	जीए एंड एचआर	आदेश	आईआरडीएआई सूचना और सुरक्षा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए समिति का पुनर्गठन
40	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/190/9/2022	13-09-2022	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा विनियामक रिटर्न का संशोधन
41	आईआरडीएआई/लाइफ/सीआईआर/विविध/188/09/2022	13-09-2022	जीवन	परिपत्र	तत्काल वार्षिकी उत्पाद
42	आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/विविध/191/9/2022	13-09-2022	एफ एंड आई	परिपत्र	सामान्य निदेशक की नियुक्ति या बने रहने पर परिपत्र पर स्पष्टीकरण
43	आईआरडीएआई/एचएलटी/ओआरडी/विविध/203/09/2022	27-09-2022	स्वास्थ्य	आदेश	मेसर्स रोथशील्ड इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड के मामले में आदेश
44	आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/207/10/2022	04-10-2022	बीमाकिक	परिपत्र	जीवन बीमा व्यवसाय के लिए उत्पाद/राइडर्स दाखिल करने पर परिपत्र
45	आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/विविध/202/9/2022	10-10-2022	मध्यस्थ	दिशा-निर्देश	मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ के बीच हितों के टकराव और सामान्य निदेशक पद के संबंध में दिशानिर्देश
46	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/212/10/2022	13-10-2022	गैर जीवन	परिपत्र	उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया
47	आईआरडीएआई/जीए&एचआर/जीडीएल/विविध/211/10/2022	13-10-2022	जीए एंड एचआर	परिपत्र	सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन
48	आईआरडीएआई/एचआर/वाईपीपी/08/2022	13-10-2022	एचआर	आदेश	युवा व्यावसायिक कार्यक्रम (वाईपीपी) के अंतर्गत युवा पेशेवरों का चयन
49	आईआरडीएआई/एफ&ए/ओआरडी/एफए/ 214 /10/2022	14-10-2022	एफ एंड ए	आदेश	मेसर्स मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में आदेश
50	आईआरडीएआई/एफ&ए/ओआरडी/एफए/ 215/10/2022	14-10-2022	एफ एंड ए	आदेश	मेसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड के मामले में आदेश
51	30/आईआरडीएआई/एचएलटी/जनरल/मंत्रालय/2022-23	17-10-2022	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत नवजात/शिशुओं के लिए बीमा कवर
52	आईआरडीएआई/एफ&आई/जीडीएल/विविध/219/10/2022	17-10-2022	एफ एंड आई	दिशा-निर्देश	भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कंपनी द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय की स्थापना और बंद करने पर दिशानिर्देश
53	327/आईआरडीएआई/एचएलटी/एमएचसीए/सीआईआर/ 220/10/2022	18-10-2022	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत मानसिक बीमारी के लिए कवर प्रदान करना

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जारी परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/निर्देश

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	तिथि	विभाग	अधिसूचना प्रकार	विषय
54	आईआरडीएआई/जीवन/ओआरडी/विविध/223/10/2022	21-10-2022	जीवन	आदेश	बीमा वाहक और बीमा विस्तार पर अध्ययन और सिफारिश करने के लिए समिति
55	आईआरडीएआई/आईआईडी/जीडीएल/विविध/225/10/2022	26-10-2022	आईआईडी	परिपत्र	एमएल_सीएफटी संबंधी मास्टर दिशानिर्देश 2022 - कार्यान्वयन के लिए समय का विस्तार
56	आईआरडीएआई/आर ई आई एन/सीआईआर/विविध/224/10/2022	26-10-2022	पुनर्बीमा	परिपत्र	एफआरबी/लॉयड्स इंडिया द्वारा निर्दिष्ट पूंजी का प्रत्यावर्तन
57	आईआरडीएआई/एचएलटी/ओआरडी/जनरल/221/10/2022	26-10-2022	स्वास्थ्य	आदेश	स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन
58	आईआरडीए/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/226/10/2022	27-10-2022	एफ एंड आई	परिपत्र	निवेश मास्टर परिपत्र -आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016
59	आईआरडीएआई/आईआईडी/सीआईआर/विविध/229/11/2022	14-11-2022	आईआईडी	परिपत्र	लेखा संग्राहक ढाँचे में सहभागिता
60	आईआरडीएआई/जीए&एचआर/सीआईआर/विविध/230/11/2022	15-11-2022	जीए एंड एचआर	परिपत्र	पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) एवं आईटी उपकरणों के उपयोग के संबंध में
61	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/231/11/2022	22-11-2022	गैर जीवन	परिपत्र	डॉक्टरों द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को अपनाना
62	आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/233/12/2022	01-12-2022	एफ एंड आई	परिपत्र	एनडीएस-ओएम - निवेश के संबंध में स्पष्टीकरण
63	आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/विविध/234/12/2022	06-12-2022	बीमांकिक	परिपत्र	आईआईबीआई पोर्टल में मोटर थर्ड पार्टी डेटा अपलोड करना
64	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/235/12/2022	06-12-2022	स्वास्थ्य	परिपत्र	प्राधिकरण को स्वास्थ्य त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा का विस्तार
65	आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/विविध/242/12/2022	07-12-2022	गैर जीवन	आदेश	मौजूदा टैरिफ की अधिसूचना रद्द करने के बाद विनियामक ढाँचे का सुझाव देने के लिए कार्य समूह का गठन
66	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/आईएनवी/244/12/2022	08-12-2022	स्वास्थ्य	परिपत्र	नवजात शिशुओं के लिए बीमा कवर
67	आईआरडीएआई/आईआईएन/सीआईआर/विविध/247 /12/2022	19-12-2022	पुनर्बीमा	परिपत्र	व्यवसाय के अग्नि और इंजीनियरिंग क्षेत्रों को कवर करने वाले पुनर्बीमा संधि समझौते
68	आईआरडीएआई/एफ&आई/आईएनवी/सीआईआर/248/12/2022	26-12-2022	एफ एंड आई	परिपत्र	तिमाही समाप्त होने वाले दिन, जिस दिन छुट्टी है, एनएवी की घोषणा
69	आईआरडीएआई/पीपी&जीआर/सीआईआर/विविध/249/12/2022	26-12-2022	पीपी एंड जीआर	परिपत्र	भारत की अध्यक्षता की अवधि के दौरान जी20 लोगो और थीम पर परिपत्र
70	आईआरडीएआई/आईआईएन/सीआईआर/आरटी/1/1/2023	03-01-2023	पुनर्बीमा	परिपत्र	पुनर्बीमा विवरणियों का प्रस्तुतीकरण
71	आईआरडीएआई/आईआईएन/जीडीएल/विविध/2/1/2023	03-01-2023	पुनर्बीमा	दिशा-निर्देश	सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं को एफआरएन के निर्गम संबंधी दिशानिर्देश
72	आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/विविध/4/1/2023	10-01-2023	बीमांकिक	परिपत्र	परिपत्र नियुक्त बीमांकिक विनियमन
73	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/7/1/2023	12-01-2023	गैर जीवन	परिपत्र	प्रतिभू बीमा संबंधी दिशानिर्देशों का आशोधन
74	आईआरडीएआई/आईएनवी/सीआईआर/16/01/2023	13-01-2023	निवेश	परिपत्र	सावरिन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबीएस) - श्रेणीकरण और वर्गीकरण
75	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/21/01/2023	19-01-2023	गैर जीवन	परिपत्र	उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अवतलनों और भूस्खलनों के पीड़ितों के बीमा दावों के संबंध में दिशानिर्देश
76	आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/20/1/2023	19-01-2023	एफ एंड आई	परिपत्र	डीमर्जर के कारण जारी किये गये शेयरों के वर्गीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण
77	आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/विविध/26/01/2023	30-01-2023	एफ एंड आई	परिपत्र	गैर-कार्यकारी निदेशक(को) को लाभ संबंधी कमीशन
78	आईआरडीएआई/एफ&आई/आईएनवी/सीआईआर/027/01/2023	31-01-2023	एफ एंड आई	परिपत्र	आईआरडीएआई निवेश - मास्टर परिपत्र के संबंध में स्पष्टीकरण
79	आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/42/02/2023	09-02-2023	एफ एंड आई	आदेश	निवेश पर परामर्शदात्री समिति का गठन

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जारी परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/निर्देश

क्र. सं.	संदर्भ संख्या	तिथि	विभाग	अधिसूचना प्रकार	विषय
80	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमटीपी/54/02/2023	20-02-2023	गैर जीवन	परिपत्र	एमटीपी दायित्व सूचित करते समय आवक सह-बीमा का व्यवहार
81	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/58/2/2023	27-02-2023	स्वास्थ्य	परिपत्र	नियोग्यताओं से युक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्तियों, तथा मानसिक बीमारी से युक्त व्यक्तियों के लिए उत्पाद
82	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/59/2/2023	28-02-2023	स्वास्थ्य	परिपत्र	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 में उल्लिखित शब्दावली "अवमानक जीवन" का आशोधन
83	आईआरडीएआई/जीए&एचआर/ओआरडी/पीईआर/67/03/2023	15-03-2023	जीए एंड एचआर	आदेश	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पदनामित करना
84	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/एमआईएसपी/083/03/2023	31-03-2023	मध्यस्थ	परिपत्र	मोटर बीमा सेवा प्रदाता को वितरण शुल्क का भुगतान
85	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/विविध/82/3/2023	31-03-2023	मध्यस्थ	परिपत्र	मार्गदर्शी नोट - कमीशन संरचना के संबंध में बीमाकर्ता की बोर्ड नीति
86	आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/81/3/2023	31-03-2023	बीमांकिक	परिपत्र	उत्पादों के लिए उपयोग और फ़ाइल प्रक्रिया
87	आईआरडीएआई/आई&एटी/जीडीएल/विविध/77/3/2023	31-03-2023	इंश्योरटेक	दिशा-निर्देश	विनियामक सैंडबॉक्स से संबंधित परिचालनगत विषयों संबंधी दिशानिर्देश
88	आईआरडीएआई/आई&एटी/ओआरडी/विविध/78/3/2023	31-03-2023	इंश्योरटेक	आदेश	विनियामक सैंडबॉक्स संबंधी समिति

31 मार्च, 2023 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए विनियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) विनियम, 2000
2	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000
3	आईआरडीए (बीमांकक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000
4	आईआरडीए (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) विनियम, 2000
5	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की संपत्ति, देनदारियां और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
6	आईआरडीए (साधारण बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2000
7	आईआरडीए (भारतीय बीमा सलाहकार समिति) (संशोधन), 2000
8	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000
9	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2000
10	आईआरडीए (बैठकें) विनियम, 2000
11	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000
12	आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000
13	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2000
14	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता-लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताएं और आचरण संहिता) विनियम, 2000
15	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
16	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2001
17	आईआरडीए (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001
18	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001
19	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2002
20	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002
21	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002
22	आईआरडीए (बीमा ब्रोकर्स) विनियम, 2002
23	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002
24	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसिकरण) विनियम, 2002
25	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसिकरण) (संशोधन) विनियम, 2002
26	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) (संशोधन) विनियम, 2002
27	आईआरडीए (प्रीमियम की प्राप्ति की विधि) विनियम, 2002
28	आईआरडीए (अधिशेष का वितरण) विनियम, 2002
29	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003
30	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004
31	आईआरडीए (बीमांकक की योग्यता) विनियम, 2004
32	आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2004
33	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005

31 मार्च, 2023 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए विनियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
34	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2005
35	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं का दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2005
36	आईआरडीए (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
37	आईआरडीए (कॉर्पोरेट एजेंटों की लाइसेंसिकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
38	आईआरडीए (बीमा ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2007
39	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं का दायित्व) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008
40	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं का दायित्व) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
41	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008
42	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2008
43	आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
44	आईआरडीए (बीमा उत्पादों के लिए आंकड़ा कोष का आदान-प्रदान) विनियम, 2010
45	आईआरडीए (वैधता-अवधि समाप्ति संबंधी बीमा पॉलिसी आचरण) विनियम, 2010
46	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
47	आईआरडीए (कॉर्पोरेट एजेंटों की लाइसेंसिंग) (संशोधन) विनियम, 2010
48	आईआरडीए (साधारण बीमा कारोगार के समामेलन और अंतरण की योजना) 2011
49	आईआरडीए (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी निर्गम) विनियम, 2011
50	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012
51	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012
52	आईआरडीए (घरेलू या विदेशी इकाई से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा करना) विनियम, 2012
53	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013
54	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
55	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
56	आईआरडीए (बीमा ब्रोकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
57	आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की स्कीम) विनियम, 2013
58	आईआरडीए (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
59	आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्रपत्र) विनियम, 2013
60	आईआरडीए (व्यापार स्थल) विनियम, 2013
61	आईआरडीए (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई पूंजी) विनियम, 2013
62	आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
63	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013
64	आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
65	आईआरडीए (निवेश) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013
66	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
67	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसिकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013

31 मार्च, 2023 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए विनियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
68	आईआरडीए (बीमा दलालों के रूप में बैंकों को लाइसेंसिकरण) विनियम, 2013
69	आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013
70	आईआरडीए (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
71	आईआरडीए आईएसी (बैठकें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
72	आईआरडीए (बीमा ब्रोकर्स) विनियम, 2013
73	आईआरडीए (अन्य पक्ष स्वास्थ्य-सेवाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
74	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013
75	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसिकरण) (संशोधन) विनियम 2013
76	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता- लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताएं और अंशकरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
77	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014
78	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2014
79	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) (पहला संशोधन) विनियम, 2014
80	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015
81	आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015
82	आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015
83	आईआरडीएआई (नामांकन के रद्दकरण अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
84	आईआरडीएआई (नियुक्ति या स्थानांतरण की सूचना की प्राप्ति की लिखित पावती देने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
85	आईआरडीएआई (मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015
86	आईआरडीएआई (व्यापार स्थल) विनियम, 2015
87	आईआरडीएआई (बीमा लेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015
88	आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
89	आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015
90	आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015
91	आईआरडीएआई (अभ्यर्ण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015
92	आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा बीमा सीमाएँ) विनियम, 2015
93	आईआरडीएआई (लॉयड के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और संचालन) विनियम, 2015
94	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015
95	आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015
96	आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015
97	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015
98	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015
99	आईआरडीएआई (लॉयड के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016

31 मार्च, 2023 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए विनियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
100	आईआरडीएआई (विवरणियों का निरीक्षण और प्रतियो की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015
101	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016
102	आईआरडीएआई (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016
103	आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष - स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2016
104	आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
105	आईआरडीएआई (बीमांकक की योग्यता) (निरसन) विनियम, 2016
106	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन क्षमता सीमा) विनियम, 2016
107	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016
108	आईआरडीएआई (बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2016
109	आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2016
110	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016
111	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2016
112	आईआरडीएआई (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2016
113	आईआरडीएआई (ई-बीमा पॉलिसी निर्गमन) विनियम, 2016
114	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016
115	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (आठवां संशोधन) विनियम, 2016
116	आईआरडीएआई कर्मचारी (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016
117	आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016
118	आईआरडीएआई (ई-बीमा पॉलिसी निर्गमन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
119	आईआरडीएआई (लॉयड के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और संचालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016
120	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यस्थों को आयोग या पारिश्रमिक या पुरस्कार का भुगतान) विनियम, 2016
121	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
122	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
123	आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017
124	आईआरडीएआई (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017
125	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017
126	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
127	आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017
128	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017
129	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018
130	आईआरडीएआई (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) (निरसन) विनियम, 2018

31 मार्च, 2023 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए विनियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
131	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018
132	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2018
133	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) (संशोधन) विनियम, 2019
134	आईआरडीएआई (यूनिट संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
135	आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
136	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019
137	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019
138	आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2019
139	आईआरडीएआई (सामान्य लोक सेवा केंद्र) विनियम, 2019
140	आईआरडीएआई (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019
141	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) (संशोधन) विनियम, 2019
142	आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएं) (संशोधन) विनियम, 2019
143	आईआरडीएआई (जाँच और निरीक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी) विनियम, 2020
144	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2020
145	आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021
146	आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021
147	आईआरडीएआई (शेयरधारकों या सदस्यों को समामेलन पर मुआवजे के आकलन का तरीका) विनियम, 2021
148	आईआरडीएआई (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (पहला संशोधन) विनियम, 2021
149	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों) (संशोधन) विनियम, 2021
150	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकक रिपोर्ट और सारांश) (संशोधन) विनियम, 2022
151	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022
152	आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की अस्तियाँ, देयताएँ और शोधन - क्षमता मार्जिन) विनियम, 2022
153	आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022
154	आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2022
155	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022
156	आईआरडीएआई (बीमा मध्यवर्तियों) (संशोधन) विनियम, 2022
157	आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2023
158	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2023
159	आईआरडीएआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023

जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची (31 मार्च, 2023 तक)

क्र.सं.	बीमाकर्ता	व्यक्तिगत श्रेणी	समूहिक श्रेणी
1	आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		एबीएसएलआई ग्रुप बीमा योजना
2	एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		एगॉन लाइफ ग्रुप माइक्रो इंश्योरेंस योजना
3	'एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		ग्रुप माइक्रोश्योरेंस योजना II
4	'अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड'		अवीवा ग्रुप माइक्रो इंश्योरेंस योजना
5	'बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		बजाज आलियांज लाइफ ग्रुप संपूर्ण सुरक्षा कवच बजाज आलियांज लाइफ ग्रुप संपूर्ण जीवन सुरक्षा
6	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारती एक्सा लाइफ ग्रामीण जीवन बीमा	भारती एक्सा लाइफ ग्रुप टर्म माइक्रो इंश्योरेंस योजना
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस सम्पूर्ण कवच योजना
8	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एडलवाइस टोकियो लाइफ - रक्षा कवच (सूक्ष्म बीमा योजना)	एडलवाइस टोकियो लाइफ - जन सुरक्षा
9	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		जीवन सुरक्षा - क्रेडिट पर अवधि ग्रुप सुरक्षा ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस
10	'आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत	आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा क्रेडिट आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा वन आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा लाइफ
11	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	इंडियाफर्स्ट लाइफ "इंश्योरेंस खाता" योजना (माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट) इंडियाफर्स्ट लाइफ माइक्रो बचत प्लान	
12	कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कोटक संपूर्ण बीमा माइक्रो इंश्योरेंस योजना	कोटक रक्षा ग्रुप माइक्रो इंश्योरेंस प्लान
13	भारतीय जीवन बीमा निगम	एलआईसी की भाग्य लक्ष्मी (939) एलआईसी का नया जीवन मंगल (940) एलआईसी का माइक्रो बचत (951)	एलआईसी का एक वर्षीय नविकरणीय ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान
14	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		मैक्स लाइफ समूह सरल सुरक्षा योजना (सूक्ष्म बीमा उत्पाद)
15	पीएनबी मेटलाइफ लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		पीएनबी मेटलाइफ बीमा योजना - (समूह सूक्ष्म बीमा)
16	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		प्रामेरिका जीवन सर्व सुरक्षा प्रामेरिका जीवन संपूर्ण सुरक्षा
17	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सहारा सुरक्षित परिवार जीवन बीमा सहारा सहयोग	
18	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एसबीआई लाइफ - ग्रामीण बीमा	एसबीआई लाइफ - ग्रामीण सुपर सुरक्षा एसबीआई लाइफ - ग्रुप माइक्रो शीलड - एसपी एसबीआई लाइफ - ग्रुप माइक्रो शीलड
19	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	श्रीराम ग्रामीण सुरक्षा	श्रीराम जन सहाय श्रीराम जीवन सुजाना
20	'टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस सात साथ - सूक्ष्म बीमा उत्पाद टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस पीओएस सात साथ - माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट	

2022-23 के दौरान उत्पादों और राइडर्स की संख्या

क्र. सं.	जीवन बीमाकर्ता	उत्पादों और राइडर्स की संख्या
	सार्वजनिक क्षेत्र	
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	16
	निजी क्षेत्र	
2	आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	24
3	एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6
4	एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10
5	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9
6	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30
7	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8
8	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11
9	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5
10	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1
11	एचएनए जेनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2
12	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	35
13	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	27
14	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7
15	कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	16
16	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	24
17	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	12
18	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3
19	रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4
20	सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0
21	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11
22	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7
23	स्टार यूनिनन दार्-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7
24	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25
	कुल	300

क्र. सं.	साधारण बीमाकर्ता का नाम	उत्पादों और ऐड-ऑन की संख्या	
		साधारण बीमा	स्वास्थ्य बीमा
	सार्वजनिक क्षेत्र		
1	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	32	15
2	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	117	5
3	द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30	9
4	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	13	1
	निजी क्षेत्र		
5	एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	1	3
6	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	215	19
7	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	94	5
8	एचएनए जेनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	257	11
9	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	40	6
10	एचडीएफसी एगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	41	6
11	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	63	7
12	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	123	10
13	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	88	3
14	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	-
15	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	27	3
16	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	52	5
17	नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	2
18	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9	2
19	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	77	4
20	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	43	8
21	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	255	5
22	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	12	18
23	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	31	26
24	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	612	3
25	जूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	32	7
	विशेषीकृत बीमाकर्ता		
26	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2	-
27	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	-
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
28	आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	6
29	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड	-	7
30	मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	2
31	निवा ब्रूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	8
32	स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	14
	कुल योग	2267	220

टिप्पणी: उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आईआरडीएआई वेबसाइट देखें

बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों के लिए शुल्क संरचना
और 2022-23 में एकत्रित शुल्क

क्र.सं.	बीमाकर्ता/ मध्यवर्ती	शुल्क संरचना				कुल एकत्रित शुल्क (₹)
		प्रसंस्करण शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क	नवीकरण की आवधिकता	
1	बीमाकर्ता (जीवन/ साधारण/ स्वास्थ्य)	-	500,000	न्यूनतम ₹10,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/20वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)	2,029,913,815
2	पुनर्बीमाकर्ता/एफआरबी	-	500,000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (जीआईसी आरई के लिए 31 जनवरी तक) प्रत्येक वर्ष (एफआरबी के लिए 31 दिसंबर तक)	22,234,950
3	लायड्स की सेवा कंपनी	-	50,000	50,000	प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर तक)	
4	साधारण/ जीवन बीमा व्यवसाय का सम्मेलन और अंतरण	न्यूनतम ₹50 लाख और अधिकतम ₹5 करोड़ के अधीन प्राधिकरण के पास आवेदन दाखिल करने के वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन करनेवाली संस्थाओं द्वारा भारत में जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/10वाँ भाग		-	-	शून्य
5	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)	100,000	200,000	150,000	3 वर्ष	1,800,000
6	दलाल-प्रत्यक्ष	25,000	50,000*	100,000	3 वर्ष	26,159,350
	दलाल-पुनर्बीमा	50,000	1,50,000*	300,000	3 वर्ष	
	दलाल-सम्मिश्र	75,000	2,50,000*	500,000	3 वर्ष	
7	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (वैयक्तिक और कारपोरेट)	-	वैयक्तिक: ₹1000, कारपोरेट: ₹5000	i. नवीकरण शुल्क यदि आवेदन समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दाखिल किया गया हो: वैयक्तिक- ₹1000 कारपोरेट- ₹5000 ii. नवीकरण शुल्क यदि नवीकरण आवेदन समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दाखिल नहीं किया गया हो: वैयक्तिक- ₹1100 कारपोरेट- ₹5100 iii. नवीकरण शुल्क यदि नवीकरण आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद परंतु लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से छह महीने के अंदर दाखिल किया गया हो: वैयक्तिक- ₹1750 कारपोरेट- ₹5750	3 वर्ष	4,836,630
8	कारपोरेट एजेंट	10000#	i. संस्था के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र: ₹25000 ii. पीओ/एसपी/एवी को प्रमाणपत्र: ₹500	पंजीकरण प्रमाणपत्र नवीकरण: ₹25000 पीओ/एसपी/एवी को प्रमाणपत्र का नवीकरण: ₹500	3 वर्ष	88,238,436
9	वेब संग्राहक	10,000	25,000	25,000	3 वर्ष	240,100
10	सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सीपीएससी)	-	10,000	2,000	3 वर्ष	शून्य
11	रिफ़रल	-	10,000	10,000	3 वर्ष	24,000
12	बीमा विपणन फ़र्म	-	5,000	2,000	3 वर्ष	825,473
13	बीमा भंडार (रिपोजिटरी)	10,000	100,000	50,000	3 वर्ष	100,000
14	आईएसएनपी (बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफ़ार्म)	0	10,000	-	-	770,000
	कुल					2,175,142,754

* सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करने के बाद

वापस न करने योग्य शुल्क

सीओआर - पंजीकरण प्रमाणपत्र

पीओ- प्रधान अधिकारी, एसपी- विनिर्दिष्ट व्यक्ति और एवी- प्राधिकृत सत्यापक

भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (आईएएलएम) - 2012-14 मानक दरें-
पुरुष बीमाकृत जीवन जो प्रारंभ में स्वास्थ्य की दृष्टि से जोखिम - अंकित हैं

आयु	qx (क्रमशः परिवर्तित)	आयु	qx (क्रमशः परिवर्तित)	आयु	qx (क्रमशः परिवर्तित)
2	0.000915	40	0.00168	78	0.051024
3	0.00047	41	0.001815	79	0.056231
4	0.000271	42	0.001969	80	0.061985
5	0.000185	43	0.002144	81	0.068338
6	0.000152	44	0.002345	82	0.07535
7	0.000149	45	0.002579	83	0.083082
8	0.000167	46	0.002851	84	0.091601
9	0.000206	47	0.003168	85	0.100979
10	0.000265	48	0.003536	86	0.111291
11	0.000341	49	0.003958	87	0.122616
12	0.000429	50	0.004436	88	0.135037
13	0.000522	51	0.004969	89	0.148639
14	0.000614	52	0.00555	90	0.163507
15	0.000698	53	0.006174	91	0.179726
16	0.00077	54	0.006831	92	0.19738
17	0.000829	55	0.007513	93	0.216547
18	0.000874	56	0.008212	94	0.237302
19	0.000905	57	0.008925	95	0.259706
20	0.000924	58	0.009651	96	0.283813
21	0.000934	59	0.010393	97	0.309659
22	0.000937	60	0.011162	98	0.337265
23	0.000936	61	0.011969	99	0.36663
24	0.000933	62	0.012831	100	0.397733
25	0.000931	63	0.013765	101	0.430529
26	0.000931	64	0.014792	102	0.46495
27	0.000934	65	0.015932	103	0.500904
28	0.000942	66	0.017206	104	0.538278
29	0.000956	67	0.018635	105	0.576942
30	0.000977	68	0.02024	106	0.616752
31	0.001005	69	0.02204	107	0.657553
32	0.001042	70	0.024058	108	0.699191
33	0.001086	71	0.026314	109	0.741515
34	0.00114	72	0.028832	110	0.784383
35	0.001202	73	0.031638	111	0.827673
36	0.001275	74	0.034757	112	0.871285
37	0.001358	75	0.038221	113	0.915145
38	0.001453	76	0.042061	114	0.959214
39	0.00156	77	0.046316	115	1

टिप्पणी:

1. पिछले जन्मदिन के अनुसार यथाविधमान
2. qx (क्रमशः परिवर्तित) दरें क्रमशः परिवर्तित मृत्यु दरें हैं

अनुबंध 9 (ii)

भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीग्राही की मृत्यु तालिका (2012-15)
समग्र/संयुक्त मृत्यु - दरें

[आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की अस्तियाँ, देनदारियाँ और शोधनक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के विनियम 4 के अर्थ के भीतर]

आयु	परिवर्तित मृत्यु-दरें	आयु	परिवर्तित मृत्यु-दरें
20	0.000284	68	0.013447
21	0.000305	69	0.01484
22	0.000328	70	0.016393
23	0.000353	71	0.018128
24	0.000379	72	0.020067
25	0.000407	73	0.022236
26	0.000438	74	0.024662
27	0.000471	75	0.027379
28	0.000507	76	0.030422
29	0.000545	77	0.03383
30	0.000586	78	0.037651
31	0.000631	79	0.041932
32	0.000679	80	0.04673
33	0.000731	81	0.052106
34	0.000787	82	0.058127
35	0.000847	83	0.064868
36	0.000913	84	0.07241
37	0.000984	85	0.08084
38	0.001061	86	0.090252
39	0.001144	87	0.100746
40	0.001234	88	0.112428
41	0.001332	89	0.125408
42	0.001438	90	0.139798
43	0.001553	91	0.155712
44	0.001679	92	0.17326
45	0.001815	93	0.192548
46	0.001964	94	0.213673
47	0.002125	95	0.236719
48	0.002302	96	0.261749
49	0.002495	97	0.288807
50	0.002705	98	0.317906
51	0.002936	99	0.349031
52	0.003188	100	0.382129
53	0.003464	101	0.417111
54	0.003768	102	0.453851
55	0.004101	103	0.49219
56	0.004468	104	0.531933
57	0.004871	105	0.572866
58	0.005316	106	0.614755
59	0.005807	107	0.657357
60	0.006349	108	0.700435
61	0.006948	109	0.743762
62	0.007612	110	0.787136
63	0.008347	111	0.830382
64	0.009163	112	0.873364
65	0.01007	113	0.915987
66	0.011077	114	0.958198
67	0.012198	115	0.99999

ANNUAL REPORT 2022-23



INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Head Office

Survey No. 115/1, Financial District
Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032, India
Phone: +91-40-20204000



This Report is in conformity with the format as per the
Insurance Regulatory and Development Authority
[Annual Report-Furnishing of Return, Statements and
Other Particulars] Rules, 2000.



पारगमन पत्र


संदर्भ सं. 101/10/ आर&डी/एसडीडी/एआर 2021-22/01/ नवंबर-22

28 नवम्बर, 2023

सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये, बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टियों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं।

भवदीय,

देबाशीष/पण्डा
अध्यक्ष

Letter of Transmittal


Ref. No. 101/12/R&D/IIDD/ AR 2022-23

28th November, 2023

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi-110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith the Annual Report of the Authority for the financial year ended March 31, 2023 in the Form as prescribed in the Appendix of IRDA (Annual Report-Furnishing of return, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,

Debasish Panda
Chairperson



Mission Statement	ix
Members of the Authority	xi
Senior Officials of IRDAI	xiii

PART – I

POLICIES AND PROGRAMMES

I.1	Review of General Economic Environment	1
I.2	Appraisal of Insurance Market	3
I.3	Number and Details of Authorised Insurers/Reinsurers	22
I.4	Policies and Measures to Develop Insurance Market	23
I.5	Research and Development Activities Undertaken by the Insurers	29
I.6	Review	31
I.6.1	Protection of Interests of Policyholders	31
I.6.2	Maintenance of Solvency Margins of Insurers	32
I.6.3	Monitoring of Reinsurance	33
I.6.4	Monitoring Investments of the Insurers	36
I.6.5	Health Insurance	39
I.6.6	Specified Percentage of Business to be done in Rural and Social Sector	47
I.6.7	Accounts and Actuarial Standards	48
I.6.8	Directions, Orders and Regulations Given by the Authority	49
I.6.9	Powers and Functions Delegated by the Authority	49
I.6.10	Other Policies and Programmes having Bearing on the Working of the Insurance Market	49

PART – II

REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

II.1	Regulation of Insurance and Reinsurance Companies	55
II.2	Insurance Agents and Intermediaries Associated with Insurance Business	59
II.3	Professional Institutes connected with Insurance Education	70
II.4	Litigations, Appeals and Court Pronouncements	71
II.5	International Cooperation in Insurance	72
II.6	Grievances	75
II.7	Functioning of the Advisory Committee	77
II.8	Functioning of Ombudsman	77
II.9	Insurance Associations and Insurance Councils	78
II.10	Other Activities having a Bearing on the Insurance Market	80



PART – III STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

III.1	Issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration	83
III.2	Protection of the interests of policyholders in matters concerning assigning of policy, nomination by policyholders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance	83
III.3	Specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediaries or Insurance Intermediaries and agents	84
III.4	Specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors	84
III.5	Promoting efficiency in the conduct of insurance business	87
III.6	Promoting and regulating professional organisations connected with the insurance and reinsurance business	92
III.7	Levying fees and other charges for carrying out the purposes of the Act	93
III.8	Calling information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organisations connected with the insurance business	93
III.9	Control and Regulation of Rates, Advantages, Terms and Conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business not so controlled and regulated by the Tariff Advisory Committee under section 64U of the Insurance Act, 1938 [4 of 1938]	96
III.10	Specifying the form and manner in which books of accounts shall be maintained and statements of accounts shall be rendered by Insurers and other insurance intermediaries	96
III.11	Regulating investment of funds by insurance companies	96
III.12	Regulating maintenance of margin of solvency	98
III.13	Adjudication of disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries	99
III.14	Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the Insurers in the rural and social sector	99

PART – IV ORGANISATIONAL MATTERS

IV.1	Organisation	103
IV.2	Human Resources	104
IV.3	Promotion of Official Language	108
IV.4	Information Technology	110
IV.5	Accounts	111
IV.6	Acknowledgements	111



BOX ITEMS

I.1	Participation of Women in Life Insurance	7
I.2	Use and File (U&F) - Simplification of Product Filing Procedure	20
I.3	Surety Insurance	27
I.4	InsurTech Initiatives	28
III.1	Reforms and Regulatory Initiatives in Indian Insurance Sector	85
III.2	State Insurance Plan	86
III.3	Working towards a Future Ready Insurance Industry	91

TABLES

I.1	National Income Estimates of India	1
I.2	Estimates of Gross Value Added (GVA) by Economic Activity	1
I.3	Financial Saving of the Household Sector	3
I.4	Growth in Real Premium by Region in the World in 2022	3
I.5	Premium Volume by Region in the World in 2022	4
I.6	Performance of Life Insurance Business	9
I.7	Financial Performance Indicators of Life Insurers	10
I.8	Death Claims of Life Insurers	11
I.9	Performance of General, Health & Specialised Insurers	14
I.10	Financial Performance of General, Health and Specialised Insurers	15
I.11	Segment-wise Incurred Claims Ratio of General, Health & Specialised Insurers	17
I.12	Offices of Life Insurers	21
I.13	Office of General, Health, and Specialized Insurers	22
I.14	Number of Registered Insurers and Reinsurers	22
I.15	Grievances on Unfair Business Practices (UFBP) registered against Life Insurers	31
I.16	Net Retention of General and Health Insurers	33
I.17	Reinsurance Placement by General and Health Insurers	33
I.18	Investments of Life Insurers: Category-wise	37
I.19	Investments of General, Health, Specialized Insurers & Reinsurers: Category wise	37
I.20	Investments of Insurance Industry	38
I.21	Investments of Life Insurers: Fund-wise [As on March 31]	38
I.22	Health Insurance Premium Underwritten by General and Health Insurers	39
I.23	Policies, Lives Covered and Premium under Health Insurance Business of General and Health Insurers	40
I.24	Incurred Claims Ratio under Health Insurance Business of General and Health Insurers	41
I.25	Claims Paid under Health Insurance Business of General and Health Insurers	43
I.26	Status of Claims under Health Insurance Business of General and Health Insurers	43
I.27	Policies, Lives Covered and Premium under Health Insurance Business of Life Insurers	44



I.28	Status of Claims under Health Insurance Business of Life Insurers	44
I.29	Business under Personal Accident Insurance	45
I.30	Coverage under Government Sponsored Personal Accident Schemes	45
I.31	Business under Overseas Travel Insurance	46
I.32	Business under Domestic Travel Insurance	46
I.33	Health, PA and Travel Insurance Business Underwritten Outside India	46
II.1	Insurance Agents Associated with Life Insurers	60
II.2	Gender-wise Distribution of Individual Agents associated with Life Insurers as on 31st March 2023	60
II.3	Insurance Agents Active with General & Health Insurers	61
II.4	Gender-wise Distribution of Insurance Agents associated with General and Health Insurers (2022-23)	61
II.5	Corporate Agents Active with Insurance Business (As on March 31, 2023)	62
II.6	Performance of Micro Insurance Business in Life Insurance Sector (2022-23)	62
II.7	Micro Insurance Agents of Life Insurers	63
II.8	Number of Micro insurance Policies Issued	63
II.9	Business Performance of IMFs	64
II.10	Number of POSPs with various Sponsoring Agencies	64
II.11	Number of MISPs with various Sponsoring Agencies	65
II.12	Number of ISNP applications	65
II.13	Surveyor and Loss Assessor Licenses Issued	66
II.14	Business Performance of Intermediaries in Life Insurance (2022-23)	67
II.15	Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries associated with General Insurers (2022-23)	69
II.16	Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Health Insurance (Excl. PA and Travel Insurance) (2022-23)	70
II.17	Details of the cases filed during 2022-23	72
II.18	Details of Cases Disposed for the period 2022-23	72
II.19	Status of Grievances as per Bima Bharosa portal	76
II.20	Grievances Registered in DARPG Portal and Referred to IRDAI	77
II.21	Pendency of Grievances	77
III.1	Details of Onsite Inspections	79
III.2	On-site and remote inspection reports concluded by Enforcement and Compliance Department during FY 2022-23	95
III.3	Details of Regulatory actions taken on the Observations	95
IV.1	Composition of the Authority as on March 31, 2023	103
IV.2	Details of Meetings of the Authority held during 2022-23	104
IV.3	Sanctioned and Actual Staff Strength in IRDAI	104
IV.4	Category-wise Staff Strength in IRDAI	105
IV.5	Age-wise Distribution of Staff in IRDAI	105
IV.6	Grade-wise Staff Strength in IRDAI	105



CHARTS

I.1	Percentage Shares of Sectors in GVA at Current Price in 2022-23	2
I.2	Domestic Savings in Indian Economy	2
I.3	Trend in Insurance Penetration in India	4
I.4	Insurance Density in India	5
I.5	Insurance Penetration in Select Countries in 2022	5
I.6	Insurance Density In Select Countries 2022	5
I.7	Proportion of Policies on Women in Life Insurance sector	8
I.8	Performance of Life Insurance Sector	12
I.9	Segment wise Share in Life Insurance Premium	12
I.10	New Business Premium of Life Insurers	12
I.11	Profit after Tax of Life Insurers	13
I.12	Benefits Paid by Life Insurers	13
I.13	Premium underwritten within India by Non-Life Insurers	18
I.14	Segment wise Share of premium of General and Health Insurers	18
I.15	Operating Expenses of General and Health insurers	19
I.16	Net Incurred Claims of General and Health Insurers	19
I.17	Tier wise Distribution of Offices of Life Insurers	22
I.18	Tier wise Distribution of Offices of Non-Life Insurers	22
I.19	Gross Reinsurance Premium of Reinsurers including FRBs	35
I.20	Sector-Wise Share In Premium Of Health Insurance [2022-23]	39
I.21	Trend In Health Insurance Premium [Excl. Pa & Travel Insurance]	40
I.22	Lives Covered (in lakhs) and Premium under Health Insurance [2022-23] excl. PA & Travel	40
I.23	Share of top 5 states in Total Health Insurance Premium 2022-23	41
I.24	Net Incurred Claims Under Health Insurance	41
I.25	Trend in Incurred Claim ratio under Health Insurance: Sector wise	42
I.26	Trend in Incurred Claim Ratio under Health Insurance:Segment wise	42
I.27	Health Insurance Premium of Life Insurers	43
II.1	Channel-wise Individual New Business Performance in Life Insurance Business	68
II.2	Channel-wise Group New Business Performance in Life Insurance Business	68
II.3	Channel-Wise Performance Of Health Insurance Business[2022-23]	69
II.4	Channel-Wise Performance Of General Insurance Business[2022-23]	69
II.5	Classification of Life Insurance Complaints	76
II.6	Classification of General Insurance Complaints	76
IV.1	Grade-wise Distribution of Staff in IRDAI [2022-23]	105



STATEMENTS

1	International Comparison of Insurance Penetration	115
2	International Comparison of Insurance Density	116
3	Premium Underwritten by Life Insurers	117
4	Linked and Non-Linked Premium of Life Insurers	118
5	Segment-wise Total Premium of Life Insurers	119
6	Equity Share Capital of Life Insurers	120
7	Gross Direct Premium of General and Health Insurers (Within and Outside India)	121
8	Segment-wise Gross Direct Premium of General & Health Insurers (Within India)	122
9	Equity Share Capital of General, Health and Reinsurers	124
10	Incurred Claims Ratio of General and Health Insurers (Within India)	125
11	Solvency Position of Life Insurers	127
12	Solvency Position of General, Health, Specialised, and Reinsurance Companies	128
13	Solvency Position of Branches of Foreign Reinsurers (FRBs)	129
14	Assigned Capital of Branches of Foreign Reinsurers (FRBs)	130
15	Assigned Capital of FRBs (₹ Crore)	131
16	Assets Under Management of Life Insurers	132
17	Assets Under Management of General, Health, Specialized, and Reinsurers	135

ANNEXURES

1	List of Registered Insurers/Reinsurers Operating In India (as On 31 st March 2023)	139
2	(i) Share of Members in Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool (IMTRIP)	141
	(ii) Share of Members in Indian Nuclear Insurance Pool (INIP)	142
	(iii) Marine Cargo Excluded Territories Pool (MCET Pool)	143
3	Data for calculating Motor TP Obligations for 2023-24	144
4	Circulars/Orders/Guidelines/Instructions issued from April 01, 2022 to March 31, 2023	145
5	Regulations framed under the IRDA Act, 1999 up to March 31, 2023	149
6	List of Micro Insurance Products of Life Insurers	154
7	Number of Products and Riders Approved by IRDAI in 2022-23	155
8	Fee Structure for Insurers and Intermediaries & Fee Collected in FY 2022-23	156
9	(i) Indian Assured Lives Mortality (IALM) - 2012-14	157
	(iii) Indian Individual Annuitant's Mortality Table (2012-15)	158



ABBREVIATIONS

AFIR	:	Asian Forum of Insurance Regulators
AML	:	Anti-Money Laundering
ASSOCHAM	:	Associated Chambers of Commerce & Industry of India
CAD	:	Consumer Affairs Department
CBR	:	Cross Border Reinsurer
CFT	:	Countering the Financing of Terrorism
CII	:	Confederation of Indian Industry
CoR	:	Certificate of Registration
CPIO	:	Central Public Information Officer
CPSC	:	Common Public Service Center
CSC	:	Common Service Centre
DARPG	:	Department of Administrative Reforms and Public Grievances
DCF	:	District Consumer Forum
DFS	:	Department of Financial Services
FAA	:	First Appellate Authority
FATF	:	Financial Action Task Force
FICCI	:	Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry
FIU-IND	:	Financial Intelligence Unit- India
FRB	:	Foreign Reinsurance Branch
FRN	:	Filing Reference Number
FSB	:	Financial Stability Board
FoF	:	Fund of Funds
GDP	:	Gross Domestic Product
GNDI	:	Gross National Disposable Income
GVA	:	Gross Value Added
HOD	:	Head of Department
IAC	:	Insurance Advisory Committee
IAIS	:	International Association of Insurance Supervisors
ICR	:	Incurred Claims Ratio
IFRS	:	International Financial Reporting Standard
IGCC	:	IRDAI Grievance Call Centre
IGMS	:	Integrated Grievance Management System
IIB	:	Insurance Information Bureau of India
IIISLA	:	Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors
IIRM	:	Institute of Insurance and Risk Management
IMCC	:	Inter-Ministerial Co-ordination Committee
IMFs	:	Insurance Marketing Firms
INFE	:	International Network on Financial Education
IRCTC	:	Indian Railway Catering and Tourism Corporation
IRDAI	:	Insurance Regulatory and Development Authority of India
ISNP	:	Insurance Self-Network Platform



InvITs	:	Infrastructure Investment Trusts
KMP	:	Key Managerial Personnel
KYC	:	Know Your Customer
LPA	:	Letter Patent Appeal
MACT	:	Motor Accident Claims Tribunal
MFI	:	Micro Finance Institution
MISP	:	Motor Insurance Service Provider
MoRTH	:	Ministry of Road Transport & Highways
NBFC	:	Non-Banking Financial Company
NCDRC	:	National Consumer Disputes Redressal Commission
NGOs	:	Non-Government Organizations
NOC	:	No Objection Certificate
NSO	:	National Statistical Office
OECD	:	Organization for Economic Co-operation and Development
OMOP	:	One More Option Plan
PM-JAY	:	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
PMFBY	:	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMJDY	:	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
PMJJBY	:	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
PMLA	:	Prevention of Money Laundering Act
PMSBY	:	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PMVVY	:	Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
POSP	:	Point of Sales Person
PSU	:	Public Sector Undertaking
RAP	:	Rural Authorized Person
RBI	:	Reserve Bank of India
RBSF	:	Risk Based Supervisory Framework
RBC	:	Risk Based Capital
REITs	:	Real Estate Investment Trusts
RSM	:	Required Solvency Margin
RTI	:	Right to Information
SAHI	:	Stand-alone Health Insurer
SCDR	:	State Consumer Disputes Redressal Commission
SEBI	:	Securities and Exchange Board of India
SHGs	:	Self Help Groups
SLA	:	Surveyors and Loss Assessors
SPV	:	Special Purpose Vehicle
TOLIC	:	Town Official Language Implementation Committee
TPA	:	Third Party Administrator
UFBP	:	Unfair Business Practices
ULIP	:	Unit-Linked Product
USD	:	United States Dollar
VLE	:	Village Level Entrepreneur



MISSION STATEMENT

- To protect the interest of and secure fair treatment to policyholders;
- To bring about speedy and orderly growth of the insurance industry (including annuity and superannuation payments), for the benefit of the common man and to provide long term funds for accelerating growth of the economy;
- To set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates;
- To ensure speedy settlement of genuine claims, to prevent insurance frauds and other malpractices and put in place effective grievance redressal machinery;
- To promote fairness, transparency and orderly conduct in financial markets dealing with insurance and build a reliable management information system to enforce high standards of financial soundness amongst market players;
- To take action where such standards are inadequate or ineffectively enforced;
- To bring about optimum amount of self-regulation in day-to-day working of the industry consistent with the requirements of prudential regulation.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

MEMBERS OF THE AUTHORITY

CHAIRPERSON

Shri Debasish Panda

WHOLE-TIME MEMBERS

Ms. T L Alamelu

[Upto 06.05.2022]

Shri K Ganesh

[Upto 30.07.2022]

Shri Parmod Kumar Arora

Ms. S N Rajeswari

Shri Rakesh Joshi

Shri Thomas Devasia

[From 19.09.2022]

Shri B C Patnaik

[From 01.05.2023]

PART-TIME MEMBERS

Shri Amit Agrawal

[Upto 03.07.2022]

Shri Suchindra Misra

[From 04.07.2022 up to 28.06.2023]

Shri Maruthi Prasad Tangirala

[From 28.06.2023]

CA (Dr.) Debashis Mitra

[Up to 11.02.2023]

CA Aniket Sunil Talati

[From 12.02.2023]

SENIOR OFFICIALS OF IRDAI

[As on March 31, 2023]

EXECUTIVE DIRECTORS

Shri Suresh Mathur

On deputation at IIRM,
Hyderabad

Shri Randip Singh Jagpal

Policyholder Protection &
Grievance Redressal

Dr Mamta Suri

Enforcement and Compliance,
Finance and Investment, Internal Audit

Smt. J. Meena Kumari

Life

CHIEF GENERAL MANAGERS

Shri A. R. Nithyanantham,

Legal

Smt. Yegna Priya Bharath

Health

Shri S. N. Jayasimhan

Economic & Policy Analysis & Research

Shri A. Ramana Rao

Non-Life

Shri Shyama Prasad Chakraborty

Actuarial

Shri Raj Kumar Sharma

On deputation to Sahara
India Life Insurance Co. Ltd.

Shri D. V. S. Ramesh

Insurance Inclusion and Development

Shri G. R. Suryakumar

Supervision

Shri P. S. Jagannatham

General Administration and
Human Resources

Smt. Anita Josyula

Intermediaries

GENERAL MANAGERS

Shri T. S. Naik,

Life

Shri A. Venkateswara Rao

Policyholder Protection and
Grievance Redressal

Shri Prabhat Kumar Maiti

Actuarial and Chief Vigilance Officer

Smt. K.G. P. L. Ramadevi

General Administration and HR

Shri Sudipta Bhattacharya

Intermediaries

Shri M. S. Jayakumar

Supervision

Shri K. Mahipal Reddy

Intermediaries

Shri T. Venkateswara Rao

Enforcement and Compliance, Internal Audit

Shri Pankaj Kumar Tewari

Health

Shri Ammu Venkata Ramana

Finance and Investment

Shri C. Srinivas Kumar

Actuarial

Shri N. S. K. Prabhakar

Life

Shri Manoj Kumar

Finance and Investment

Shri Mahesh Agarwal

Finance and Investment

Shri Shardul Admane

Reinsurance

Smt. B. Padmaja

Chairman's Secretariat and
Board Secretariat

Shri D. S. Murthy

Non-Life

Shri Deepak Khanna

General Administration and
Human Resources

Shri Deepak Gaikwad

Intermediaries

Shri Prasad Rao Kalayru

Legal

Shri Suresh Nair

Non-Life

Smt. Nimisha Srivastava

Insurance Inclusion and Development

Smt. R. Uma Maheswari

Intermediaries

Smt. Latha C

Economic and Policy
Analysis and Research

ANNUAL REPORT TEAM

Shri D V S Ramesh

Chief General Manager

Smt. Nimisha Srivastava

General Manager

Shri M. N. Munshi

Deputy General Manager

Shri D. S. Murali Mohan

Manager

Shri Rupesh Dhinde

Manager

Smt. Arundhati Chakraborty

Assistant Manager

Shri Pranav V

Assistant Manager

Shri Ravi Ranjan

Assistant Manager

I



POLICIES AND PROGRAMMES



PART I: POLICIES AND PROGRAMMES

1.1 Review of General Economic Environment

1.1.1. As per provisional estimates of National Income released by National Statistical Office (NSO), India's Gross Domestic Product (GDP) at current prices in the year 2022-23 is estimated at ₹272.41 lakh crore, as against ₹234.71 lakh crore in 2021-22, showing a growth rate of 16.1 percent. The Gross National Disposable Income (GNDI) at current prices is estimated at ₹273.36 lakh crore during 2022-23, as compared to ₹236.06 lakh crore during 2021-22, showing a rise of 15.8 per cent.

The per capita GDP at current prices is ₹1,96,983 during 2022-23 as compared to ₹1,71,498 in 2021-22 showing a growth of 14.9 per cent. Per Capita Private Final Consumption Expenditure increased to ₹1,19,277 in 2022-23 from ₹1,04,811 in 2021-22 registering a 13.8 per cent increase.

1.1.2. Aggregate supply, measured by Gross Value Added (GVA) at basic prices, expanded by 15.4 percent in 2022-23 after registering an expansion of 17.9 percent in 2021-22.

Table I.1: National Income Estimates of India

(at current prices)

Item	2021-22*	2022-23#	Growth [%]	
			2021-22	2022-23
Gross Value Added (GVA) at basic prices (₹ lakh crore)	214.39	247.43	17.9	15.4
Gross Domestic Product (GDP) (₹ lakh crore)	234.71	272.41	18.4	16.1
Gross National Disposable Income (GNDI) (₹ lakh crore)	236.07	273.36	17.4	15.8
Per Capita GDP (₹)	1,71,498	1,96,983	17.2	14.9
Per Capita GNDI (₹)	1,72,490	1,97,676	16.2	14.6
Per Capita Private Final Consumption Expenditure (PFCE) (₹)	1,04,811	1,19,277	16.9	13.8

*First Revised Estimates, #Provisional Estimates
Source: NSO, Press Note dated May 31, 2023.


Table I.2: Estimates of Gross Value Added (GVA) by Economic Activity

(At current prices) (₹ lakh crore)

Industry	2021-22*	2022-23#	Growth [%]	
			2021-22	2022-23
I. Agriculture, Forestry and Fishing	40.67	45.58	10.0	12.1
II. Industry				
Mining & Quarrying	4.29	5.84	35.8	35.9
Manufacturing	33.97	36.36	21.3	7.0
Electricity, Gas, Water Supply & Other Utility Services	5.56	7.42	10.9	33.5
III. Services				
Construction	17.38	20.28	29.3	16.7
Trade, Hotels, Transport, Communication & Services related to Broadcasting	36.12	44.48	25.8	23.1
Financial, Real Estate & Professional Services	46.12	53.00	14.3	14.9
Public Administration, Defence & Other Services	30.29	34.48	15.4	13.8
GVA at Basic Prices	214.39	247.43	17.9	15.4

*First Revised Estimates; #Provisional Estimates;
Source: NSO, Press Note dated May 31, 2023.

Chart I.1: Percentage Shares of Sectors in GVA at Current Price in 2022-23



I.1.3 The rate of gross domestic saving as per cent to gross national disposable income (GNDI) surged to 30 per cent in 2021-22 from 28.4 per cent in the preceding year, led by lower dissaving of the general government sector, which offset the drop in household savings.

The net financial savings of the household sector – the most important source of funds for the two

deficit sectors, namely, the general government sector and the non-financial corporations – moderated to 7.6 per cent of GNDI in 2021-22. The moderation in household financial saving in India is reflective of the release of pent-up demand, and the associated drawdown in precautionary saving as concerns relating to income flows subsided in 2021-22.

Chart I.2: Domestic Savings in the Indian Economy

(Per cent of Gross National Disposable Income)




Table I.3: Financial Saving of the Household Sector

(Per cent of Gross National Disposable Income)

Item	2020-21	2021-22
Household sector savings	22	19.6
I Net financial savings [A-B]	11.3	7.6
ii. Savings in physical assets	10.5	11.7
iii. Savings in the form of valuables	0.2	0.3
A. Gross Financial Savings	15.2	11
of which:		
1. Currency	1.9	1.1
2. Deposits	6.2	3.5
3. Shares and Debentures	0.5	0.9
4. Claims on Government	1.3	1.2
5. Insurance Funds	2.8	1.9
6. Provident & Pension Funds	2.4	2.4
B. Financial Liabilities	3.9	3.4

Source: RBI Annual Report 2022-23.(Table II.2.2)

I.2 Appraisal of Insurance Market

I.2.1 Appraisal of global insurance market

I.2.1.1 As per Swiss Re Sigma Report (No. 03/2023), the global economy continues to slow down and inflation remains a primary global macroeconomic concern. Despite such challenges, the insurance industry is expected to remain resilient in 2023 as the global economy is projected to grow by 2.3 per cent during the year.

I.2.1.2 Swiss Re forecasts global premiums for life insurance to grow by 0.7 per cent in real terms in 2023 in comparison to the 10-year trend of 1.3 per cent growth. High inflation leading to high level of policy surrenders is likely to impact the profitability of the sector.

I.2.1.3 Whereas, global insurance premium for non-life insurance is estimated to grow by 1.4 per cent in real terms in 2023. Within non-life sector, motor insurance segment is anticipated to rebound with a 2.8 per cent growth in global premiums in real terms in 2023 whereas Health insurance premiums are estimated to fall by 0.6 per cent during the same period.

I.2.1.4 Overall, the global insurance premium volumes (non-life and life) are projected to grow by 1.1 per cent in 2023 and 1.7 per cent in 2024 in real terms, below the 10-year trend of 2.6 per cent.

I.2.1.5 As per the Report, the United States is the largest insurance market with total premiums close to USD 3 trillion in 2022 and followed by China with total premium volume of USD 698 billion. United Kingdom (USD 363 billion), Japan (USD 338 billion) and France (USD 261 billion) are third, fourth and fifth largest insurance markets.

Table I.4: Growth in Real Premium by Region in the World in 2022

(In per cent)

Regions	Life	Non-Life	Total
Advanced markets	-4.4	0.0	-1.8
Emerging markets	1.4	2.8	2.1
Asia-Pacific	-2.0	2.9	-0.1
India#	8.2	6.0	7.7
World	-3.1	0.5	-1.1

Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report (No. 03/2023) #FY 2022-23

Indian Insurance in the Global Scenario

I.2.1.6 In 2022, India was ranked as 10th largest insurance market in the world with a premium volume of USD 131 billion (with 1.9 per cent share in global insurance premium) and it is projected to become the sixth largest by the year 2032 as India's insurance market is one of the fastest growing insurance markets in the world. The growth outlook for India is based on strong economic growth, rising disposable incomes, a young population, increased risk awareness, digital penetration, and regulatory developments.

Insurance Penetration and Density

I.2.1.7 Insurance penetration and density are two metrics, among others, often used to assess the level of development of the insurance sector

in a country. While insurance penetration is measured as the percentage of insurance premiums to GDP, insurance density is calculated as the ratio of premium to population (per capita premium).

I.2.1.8 As per Swiss Re Sigma Report, the insurance penetration of Life Insurance sector in India is reduced from 3.2 per cent in 2021-22 to 3 per cent in 2022-23 and the same for Non-Life Insurance sector remained at 1 per cent in both these years. As such, India's overall insurance penetration reduced to 4 per cent in 2022-23 from the level of 4.2 per cent in 2021-22.

I.2.1.9 In 2022-23, the life insurance density increased to USD 70 from USD 69 in 2021-22. Whereas, non-life insurance density remained stable.

In 2022-23, the insurance density in India increased from USD 91 in 2021-22 to USD 92 in 2022-23.

I.2.1.10 As per Swiss Re Sigma World Insurance Report, globally insurance penetration and density were 2.8 per cent and USD 354 for the life segment and 4 per cent and USD 499 for the Non-life segment. Overall, insurance penetration and density were 6.8 per cent and USD 853 respectively in 2022.

Table I.5: Premium Volume by Region in the World in 2022


(USD Billions)

Region	Life	Non-Life	Total
Advanced Markets	2,140.47 (38.93)	3,356.40 (61.07)	5,496.87 (100)
Emerging markets	672.56 (52.32)	612.80 (47.67)	1,285.35 (100)
Asia-Pacific	1,032.81 (59.87)	692.16 (40.12)	1,724.97 (100)
India	99.50 (75.60)	31.53 (24.40)	131.60 (100)
World	2,813.03 (41.47)	3,969.20 (58.52)	6,782.23 (100)

Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report (No. 03/2023)
Note: Figures in bracket represent percent to total


Insurance penetration in selected countries are reproduced from Swiss Re Sigma World Insurance Report in Statement 1 and 2, respectively.

A long term trend in the insurance penetration and insurance density of India is provided in the Charts I.3 & I.4. Trends in penetration and densities across the world in select countries is depicted in Charts I.5 & I.6.




Source: Swiss Re, Sigma World Insurance Report, various issues (Penetration - in per cent)

Chart I.4: Insurance Density in India




Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report, Various issues (Density In USD)

Chart I.5: Insurance Penetration in select Countries in 2022



Data Relates to financial year
 Note: Insurance Penetration is measured as percentage of Insurance premium to GDP

Chart I.6: Insurance Density in select Countries in 2022



Data Relates to financial year
 Note: Insurance Density is measured as ratio of Insurance premium to population
 Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report (No 03/2023)

I.2.2 Appraisal Of Indian Insurance Market

Business Performance of Life Insurance Sector

I.2.2.1 The Life Insurance market in India has recorded a consistent premium growth over the years. During 2022-23, the Life insurance industry recorded premium income of ₹7.83 lakh crore registering 12.98 per cent growth. The private sector life insurers have clocked a growth of 16.34 per cent in premium, while the public sector life insurer recorded 10.90 per cent growth in premium.

I.2.2.2 Renewal premium continues to contribute majority of total premium underwritten by Life insurers in 2022-23 at 52.56 per cent. The balance 47.44 per cent is contributed by the new business premium. However, the growth in new business premium was higher at 17.90 per cent compared to renewal business at 8.88 per cent. Single premium products continue to play a major role for public sector with a contribution of 40.65 per cent of its total premium while it was 22.20 per cent for private life insurers. The insurer-wise data for life insurance premium is provided in Statement 3. The bifurcation of total premium underwritten into linked and Non-linked is provided at Statement 4.

I.2.2.3 Life Insurance Corporation of India (LIC) is the only life insurer underwriting business outside of India and collected a total premium of ₹404.78 crore during 2022-23.

I.2.2.4 Traditional products contributed ₹6.77 lakh crore, constituting 86.59 per cent of total premium and the share of ULIPs stood at 13.41 per cent. The business from traditional products grew by 14.40 per cent and the same for Unit-linked products (ULIPs) is 4.61 per cent.

I.2.2.5 Life insurance segment constitutes 77 per cent of total life insurance premium followed by pension and annuity segments together about 23 per cent. A detailed statement is provided at Statement 5


I.2.2.6 During 2022-23, life insurers issued 284.70 lakh new policies under individual business, out of which the public sector insurer issued 204.29 lakh policies (71.75 per cent) and the private life insurers issued 80.42 lakh policies (28.25 per cent). The private sector insurers registered a growth of 8.76 per cent, the public sector insurer registered a de-growth of 5.94 per cent and the Industry registered a de-growth of 2.21 per cent in the number of new policies issued against the previous year.

PARTICIPATION OF WOMEN IN LIFE INSURANCE

Women comprise roughly 49 per cent of the total population in India. Their contribution to the economic activity of the country is significant and is increasing every year. Life insurers are rising to the occasion by catering to the the growing demands of the women population, and are offering suitable product solutions to provide adequate life insurance coverage.

A brief study is made on the share of female lives covered in life insurance business. Only individual new business data – number of policies and first year premium for the year 2022-23 has been considered for the purpose.

- The number of policies issued to women in the year 2022-23 is around 97.38 lakhs which is 34.20 per cent of 2.84 crore total policies as against a share of 34.7 per cent in 2021-22.
- The proportion of policies on women amongst private life insurers and Public.



[Approximately 0.01 per cent of Policies were sold in the 'others' gender category in FY 2022-23]

In 15 States/UTs, the share in number of policies bought by women to the total policies sold is higher than the all-India average of 34.20 per cent.

Top 5 States/UT	
State	Share to total Policies in the State (%)
KARNATAKA	44.23
KERALA	43.96
MIZORAM	42.97
SIKKIM	42.60
MEGHALAYA	41.81
Bottom 5 States/UT	
State	Share to total Policies in the State (%)
GUJARAT	29.59
UTTAR PRADESH	29.53
JAMMU & KASHMIR	28.07
HARYANA	27.16
LADAKH	23.10

Participation of women in Life Insurance Marketing

7.45 lakh number of women are working as agents in the life insurance industry, making it 28.35 per cent of the total individual agency force as at March 31, 2023. Out of the total number of women agents in the industry, the share of private life insurers was 57.33 per cent and public sector was 42.67 per cent.

Financial Performance of Life Insurers

1.2.2.7. As of March 31, 2023, total paid-up capital of the life insurance sector stood at ₹34,957 crore, reflecting a 1.66 percent decline compared to the previous year. This decrease was primarily attributed to an ₹1,850 crore reduction in the paid-up capital of Exide Life Insurance Company Limited due to its acquisition by HDFC Life Insurance Co. Ltd. Nevertheless, ten other insurers injected an additional ₹1,262 crore into the life insurance industry. Consequently, the net impact on the total paid-up capital for the fiscal year 2022-23 was a decrease of ₹590 crore.

During the year, two private life insurers have raised a total of amount of ₹838 crore under Other Forms of Capital and one private insurer has redeemed Other Forms of Capital by ₹100 crore. As on March 31, 2023, the total amount of Other Forms of Capital with life insurers was ₹4,932 crore.

1.2.2.8 Investment income (Policyholder's and Shareholder's) including capital gains and other income of life insurance industry declined by 6.63 per cent to ₹3.89 lakh crore as on 31st March 2023. While the public sector insurer recorded 7.25 per cent growth, private sector insurers experienced 39.86 per cent decline in investment income in the year 2022-23.

1.2.2.9 Out of the 24 life insurers in operation during 2022-23, 17 companies reported profits. Profits of life insurance industry grew by 452 per cent in 2022-23 with profit after tax (PAT) of ₹42,788 crore as against ₹7,751 crore in 2021-22. The public sector reported increase in profits by 800 per cent while private insurers together

reported an increase in profit by 72.36 per cent in 2022-23. The dividend paid by private life insurers stands at ₹925.88 crore for FY 2022-23. The public sector has paid ₹948.75 crore in dividend to its shareholders for the year 2022-23.

1.2.2.10 IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business) Regulations, 2016 prescribe the allowable limits of expenses of management taking into account, inter alia the type and nature of product, premium paying term and duration of insurance business. During the year 2022-23, out of 24 life insurers, 18 were compliant with the aforementioned regulations. Six life insurers had exceeded the limits of expenses on an overall basis or segmental basis and their request for forbearance is under examination. The life insurance industry reported gross expenses of management of ₹1.31 lakh crore during 2022-23 which was 16.88 per cent of total gross premium.

1.2.2.11 During 2022-23, life insurers paid total amount of ₹42,322 crore as commission. The commission expenses ratio (commission expenses expressed as a percentage of premium) slightly increased to 5.41 per cent in 2022-23 from 5.18 per cent in 2021-22. However, total commission outgo increased by 17.93 per cent (total premium growth 12.98 per cent) during 2022-23 as compared to previous year.

1.2.2.12 The operating expenses of the life insurers increased by 25.21 per cent to ₹89,443 crore in 2022-23 and operating expenses ratio (operating expenses as a per cent of gross premium underwritten) of life insurance industry increased from 10.31 per cent in 2021-22 to 11.43 per cent in 2022-23.

Table I.6: Performance of Life Insurance Business

(₹ Crore)

S. No.	Particulars	2021 -22			2022-23		
		Public Sector	Private Sector	Industry Total	Public Sector	Private Sector	Industry Total
1	Premium Underwritten within India (₹ Crore)						
1 (a)	First Year Premium	36,649.35 (8.01)	73,943.39 (57.77)	1,10,592.74 (36.87)	39,089.94 (6.66)	70,834.75 (-4.20)	1,09,924.69 (-0.60)
1 (b)	Single Premium	1,62,282.83 (7.83)	41,992.25 (-11.41)	2,04,275.08 3.22	1,92,960.65 (18.9)	68,340.47 (62.75)	2,61,301.13 (27.92)
1 (c)	New Business (FY+Single Premium)	1,98,932.18 (7.86)	1,15,935.64 (22.98)	3,14,867.82 (12.98)	2,32,050.60 (16.65)	1,39,175.22 (20.05)	3,71,225.82 (17.9)
1 (d)	Renewal Premium	2,29,092.80 (4.68)	1,48,653.53 (13.33)	3,77,746.32 (7.92)	2,42,617.54 (5.9)	1,68,660.61 (13.46)	4,11,278.15 (8.88)
1 (e)	Total Premium (New + Renewal)	4,28,024.97 (6.13)	2,64,589.17 (17.36)	6,92,614.14 (10.16)	4,74,668.14 (10.9)	3,07,835.83 (16.34)	7,82,503.97 (12.98)
2	Premium from Outside India (₹ Crore)	419.7	0	419.7	404.78	0	404.78
3	New Individual Policies issued (in lakh)	217.19 (-3.54)	73.94 (-3.38)	291.13 (-3.51)	204.24 (-5.96)	80.42 (8.77)	284.7 (-2.21)
4	Segment-wise Premium Underwritten (₹ crore)	Linked	Non-Linked	Industry Total	Linked	Non-Linked	Total
4(a)	Annuity	-	27,855.71	27,855.71	-	33,637.33	33,637.33
4(b)	Health	163.64	634.04	797.68	146.6	594.58	741.18
4(c)	Life	88,625.45	4,45,678.26	5,34,303.71	91,479.51	5,05,741.57	5,97,221.08
4(d)	Pension	11,537.61	1,12,987.92	1,24,525.52	13,329.79	1,35,295.68	1,48,625.46
4(e)	Variable	-	5,131.51	5,131.51	-	2,278.91	2,278.91
4(f)	Total	1,00,326.69	5,92,287.45	6,92,614.14	1,04,955.90	6,77,548.07	7,82,503.97
5	Benefits Paid (₹ crore)	Public Sector	Private Sector	Industry Total	Public Sector	Private Sector	Industry Total
5(a)	Death Claim	35,720.29	25,101.57	60,821.86	23,423.34	18,034.00	41,457.34
5(b)	Maturity	2,05,526.54	34,129.53	2,39,656.07	1,85,043.90	27,941.45	2,12,985.34
5(c)	Surrender/Withdrawals	95,118.04	63,166.90	1,58,284.94	1,11,896.15	86,943.27	1,98,839.42
5(d)	Annuities/ Pensions	16,257.21	1,990.77	18,247.97	17,892.71	2,803.55	20,696.26
5(e)	Others	815.51	24,270.57	25,086.08	1,056.57	21,830.19	22,886.77
5(f)	Total	3,53,437.58	1,48,659.34	5,02,096.92	3,39,312.67	1,57,552.46	4,96,865.13

Note: 1. Figures in bracket indicates growth over the previous year in per cent.

2. Death Claim is net of Reinsurance

Table I.7: Financial Performance of Life Insurers

1	Paid up Capital (₹ Crore)	2021-22			2022-23		
		Public Sector	Private Sector	Industry Total	Public Sector	Private Sector	Industry Total
1(a)	Beginning of the FY	100.00	28,246.37	28,346.37	6,325.00	29,221.75	35,546.75
1(b)	Additions during the FY	6,225.00	975.38	7,200.38	0.00	(-) 589.70	(-) 589.70
1(c)	End of the Financial Year	6,325.00	29,221.75	35,546.75	6,325.00	28,632.05	34,957.05
2	Commission Expenses (and Rewards) in ₹ crore						
2(a)	First Year Commission	9,730.97	8,088.84	17,819.80	10,791.81	11,175.84	21,967.65
	In per cent	26.55	10.94	16.11	27.61	15.78	19.98
2(b)	Commission on Single Premium	490.27	829.73	1,320.01	514.77	1,085.84	1,600.6
	In per cent	0.3	1.98	0.65	0.27	1.59	0.61
2(c)	Rewards on New Business Commission	1,099.57	441.61	1,541.18	1,766.81	696.21	2,463.02
	In per cent	0.55	0.38	0.49	0.76	0.5	0.66
2(d)	New Business Commission (a+b+c)	11,320.81	9,360.18	20,680.99	13,073.39	12,957.88	26,031.28
	In per cent	5.69	8.07	6.57	5.63	9.31	7.01
2(e)	Renewal Commission	11,850.65	3,355.68	15,206.33	12,506.97	3,783.67	16,290.65
	In per cent	5.17	2.26	4.03	5.16	2.24	3.96
2(f)	Total Commission (d+e)	23,171.46	12,715.86	35,887.31	25,580.37	16,741.56	42,321.92
	In per cent	5.41	4.81	5.18	5.39	5.44	5.41
3	Operating Expenses (₹ crore)	38,890.68	32,544.34	71,435.02	48,145.60	41,297.02	89,442.62
	In per cent	9.09	14.44	10.31	10.14	13.42	11.43
4	Investment Income (₹ crore)	2,93,875	1,22,835	4,16,711	3,15,189	73,873	3,89,062
5	Profit after Tax (₹ crore)	4,043	3,708	7,751	36,397	6,391	42,788
6	Dividend Paid (₹ crore)	0.00	381.53	381.53	948.75	925.88	1,874.63

Benefits Paid by Life Insurers

I.2.2.13 The life insurance industry paid total benefits of ₹4.96 lakh crore in 2022-23 which constitutes 64.08 per cent of the net premium. The benefits paid on account of surrenders / withdrawals increased by 25.62 per cent to ₹1.98 lakh crore in 2022-23 of which public sector insurer accounted for 56.27 per cent. During the current year, out of the total surrender benefits, benefits for ULIP policies accounted for 62.51 per cent for private insurers and 1.56 per cent for the public life insurer.

I.2.2.14 In case of individual life insurance business, during the year 2022-23, out of the 10.76 lakh total death claims, the life insurance companies paid 10.60 lakh death claims, with a total benefit amount of ₹28,611 crore. The number of claims repudiated was 10,822 for an

amount of ₹1,026 crore and the number of claims rejected was 4,340 for an amount of ₹24 crore. The claims pending at the end of the year were 833 for ₹350 crore. The claim settlement ratio of the public sector insurer was 98.52 per cent as at March 31, 2023 compared to 98.74 % as at March 31, 2022. The claim settlement ratio of private insurers was 98.02 per cent during 2022-23 compared to 98.11 per cent during the previous year. The industry's settlement ratio decreased to 98.45 per cent in 2022-23 from 98.64 per cent in 2021-22.

I.2.2.15 In case of group life insurance business, out of 12.48 lakhs total claims during 2022-23, life insurance companies paid 12.40 lakh claims with a settlement ratio of 99.35 per cent. While the public sector insurer paid 98.97 per cent of the claims, the private life insurers paid 99.41 per cent of the claims.

Table I.8: Actual Death Claims of Life Insurers

(₹Crore)

Segment	Particulars	Total Claims	Claims paid	Claims Repudiated	Claims rejected	Claims Unclaimed	Claims pending at end of FY
Individual Business:	Number of Policies	10,76,467	10,59,776	10,822	4,340	696	833
	In per cent	100	98.45	1.01	0.40	0.06	0.08
	Amount Paid (₹ crore)	30,216	28,611	1,026	24	206	350
	In per cent	100	94.69	3.39	0.08	0.68	1.16
Group Business	Number of Lives	12,48,378	12,40,247	3,183	849	13	4,086
	In per cent	100	99.35	0.25	0.07	0.001	0.33
	Amount Paid (₹ crore)	17,769	17,178	393	23	2	174
	In per cent	100	96.67	2.21	0.13	0.01	0.98

Note: Claims rejected are those claims that cannot be considered due to policy terms and conditions.

Claims repudiated are claims that cannot be considered as per the provisions of section 45 of Insurance Act, 1938.

Chart I.8: Performance of Life Insurance Sector

Total Premium of Life Insurers (₹ Crore)




Chart I.9: Segment wise Share in Life Insurance Premium




Chart I.10: New Business Premium of Life Insurers (₹ Crore)




Chart I.11: Profit After Tax of Insurers (₹ Crore)




Chart I.12: Benefits Paid by Life Insurers (₹ Crore)




Table I.9: Performance of General, Health and Specialised Insurers

(₹ crore)

SN	Particulars	2021-22					2022-23				
		Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized Insurers	Industry Total	Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized Insurers	Industry Total
1	Gross Direct Premium within India	75,032.84 (4.44)	1,09,753.37 (11.99)	20,867.18 (32.45)	15,046.83 (14.73)	2,20,700.21 (11.06)	82,891.26 (10.47)	1,31,941.83 (20.22)	26,243.85 (25.77)	15,817.32 (5.12)	2,56,894.27 (16.4)
2	Gross Direct Premium outside India	3,302.61	-	-	-	3,302.61	3,433.55	-	-	-	3,433.55
3	Segment-Wise Premium (Within India) Underwritten (₹ crore)										
3(a)	Fire	8,514.95	13,036.08	NA	NA	21,551.03	8,889.69	15,046.44	NA	NA	23,936.12
3(b)	Marine	1,834.43	2,333.18	NA	NA	4,167.61	2,155.49	2,903.17	NA	NA	5,058.66
3(c)	Motor	21,768.98	48,664.50	NA	NA	70,433.48	23,689.90	57,590.14	NA	NA	81,280.04
3(d)	Health (including Personal Accident)	35,374.27	24,260.83	20,867.18	NA	80,502.27	41,172.21	30,247.44	26,243.85	NA	97,663.50
3(e)	Others	7,540.22	21,458.78	NA	15,046.83	44,045.82	6,983.97	26,154.66	NA	15,817.32	48,955.94
3(f)	Total	75,032.84	1,09,753.37	20,867.18	15,046.83	2,20,700.21	82,891.26	1,31,941.83	26,243.85	15,817.32	2,56,894.27
4	New Policies Issued (in lakhs)	631.93 (7.65)	1,423.53 (13)	125.94 (19.47)	475.3 (13.73)	2,656.7 (7.68)	603.74 (-4.46)	1,699.84 (19.41)	138.26 (9.78)	576.26 (21.24)	3,018.1 (13.6)
5	Net Incurred Claims	67,986.46	52,713.97	12,7818.95	7,146.94	1,40,565.96	70,643.49	60,201.57	12,787.28	5,680.40	1,49,312.74

Note: Figures in Brackets indicate growth (in per cent) over the previews year

Table I.10: Financial Performance of General, Health and Specialised Insurers

(₹ Crore)

S.N	Particulars	2021-22					2022-23						
		Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized Insurers	Total	Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized Insurers	Total		
1	Paid-up Capital												
	At the beginning of the FY	13,724.00	11,493.19	4,235.06	3,390.00	32,842.24	18,724.00	10,341.76	4,639.33	4,150.00	37,855.09		
	Additions during the year	5,000.00	1,151.43	44.27	760.00	5,012.84	0	1,691.43	440.77	388	2,520.20		
	End of the FY	18,724.00	10,341.76	4,639.33	4,150.00	37,855.09	18,724.00	12,033.19	5,080.10	4,538.00	40,375.29		
2	Commission Expenses												
2(a)	Fire	990.04	1,171.05	NA	NA	2,161.09	1,051.91	1,322.54	NA	NA	2,374.45		
2(b)	Marine	179.27	256.61	NA	NA	435.88	193.4	324	NA	NA	517.4		
2(c)	Motor	1,940.11	4,053.25	NA	NA	5,993.36	2,355.06	4,890.36	NA	NA	7,245.42		
2(d)	Health	1,890.39	2,117.16	2,758.69	NA	6,766.24	1,958.56	2,732.89	3,486.64	NA	8,178.09		
2(e)	Others	746.02	776.53	NA	51.98	1,574.53	781.96	922.54	NA	124.84	1,829.34		
2(f)	Total	5,745.83	8,374.60	2,758.69	51.98	16,931.10	6,340.89	10,192.33	3,486.64	124.84	20,144.7		
3	Operating Expenses	14,149.65	21,689.65	4,925.24	690.74	41,455.29	21,012.59	27,169.30	5,955.18	719.00	54,856.06		
4	Investment Income	14,609.74	14,654.42	1,277.19	2,005.15	32,546.49	19,655.63	15,585.69	1,551.59	2,046.48	38,839.38		
5	Profit After Tax	-6,761.16	4,098.77	-1,808.01	1,613.46	-2,856.93	-10,607.44	4,664.69	447.21	2,929.84	-2,565.7		
6	Underwriting Experience	-20,443.55	-8,158.25	-3,263.34	55.56	-31,809.59	-25,316.56	-8,698.81	-528.8	1,746.69	-32797.47		
7	Dividends Paid	0	1,197.70	0	0	1,197.70	0	1,166.20	0	40.00	1,206.20		

Appraisal Of Non-life Insurance Market

Business Performance of General, Health and Specialised Insurers

I.2.2.16 During 2022-23, the non-life insurance industry underwrote a total direct premium of ₹2.57 lakh crore in India registering a growth of 16.40 per cent from previous year. Out of which, 27 private sector insurers (including standalone health insurers) have underwritten ₹1.58 lakh crore as against ₹1.30 lakh crore in 2021-22. The specialized insurers underwrote gross direct premium amounting to ₹15,818 crore. The public sector general insurers together contributed to 38.42 per cent of the market share while the private sector general insurers contributed to the remaining 61.58 per cent.

I.2.2.17 Three public sector insurers except United India are underwriting general insurance business outside India. The total premium underwritten outside the country by the three public sector insurers stood at ₹3,434 crore in 2022-23 as against ₹3,303 crore in 2021-22 registering a growth of 3.96 percent.

I.2.2.18 Among various segments under non-life insurance business, health insurance business is the largest segment with a contribution of 38.02 percent (36.48 percent in 2021-22) of the total premium. Health Insurance Segment reported growth of 21.32 percent (26.27 percent growth in 2021-22) with the premium amounting to ₹97,633 crore from ₹80,502 crore in 2021-22. The Motor segment witnessed a year-on-year growth of 15.40 percent with premium collection amounted to ₹81,280 crore in 2022-23 from ₹70,433 crore of 2021-22. However, the share of the Motor segment in the total premium slightly decreased to 31.64 percent from 31.91 percent of previous year. The premium collection in fire segment increased by 11.07 percent to ₹23,936 crore and in Marine segments increased by 21.38

per cent to ₹5,059 crore in 2022-23. The non-life insurers have issued 30.18 crore policies in the year 2022-23 reporting an increase of 13.60 percent.

Financial Performance of General, Health Insurers and Specialised Insurers

I.2.2.19 As of March 31, 2023, the combined paid-up capital of all non-life insurers amounted to ₹40,375 crore, an increase from the previous year's amount of ₹37,855 crore. Over the course of 2022-23, general and health insurers added ₹2,520 crore to their equity capital base. Private sector general insurers alone infused ₹1,691 crore in 2022-23, while standalone health insurers and specialized insurers injected capital amounts of ₹441 crore and ₹388 crore, respectively.

I.2.2.20 During 2022-23, the non-life insurers have redeemed Other Forms of Capital amounting to ₹824 crore. Total other forms of capital as on 31st March 2023 was ₹4,327 crore.

I.2.2.21 Commission expenses and operating expenses constitute a major part of the total expenses. The gross commission expenses of public sector general insurers, private general insurers, standalone health insurers and specialized insurers stood at ₹6,341 crore, ₹10,192 crore, ₹3,487 crore and ₹125 crore respectively for 2022-23, thus cumulatively amounting to a total gross commission expense of ₹20,145 crore for the non-life insurance industry. The operating expenses of non-life insurers stood at ₹54,856 crore in 2022-23 as against ₹41,455 crore in 2021-22, showing an overall increase of 32.33 percent. The operating expenses of public sector general insurers, private general insurers, standalone health insurers and specialized insurers stood at ₹21,013 crore, ₹27,169 crore, ₹5,955 crore and ₹719 crore respectively for 2022-23.

1.2.2.22 During 2022-23, four private insurers were under exemption period of the norms pertaining to expenses of management (EoM) as the insurers were yet to complete the first five years of their operations. Out of remaining insurers, 14 insurers were compliant. 13 insurers were non-compliant and their request for forbearance is under examination. In case of Reliance Health Insurance Ltd., its business portfolio has been transferred to Reliance General Insurance Co. Ltd and one new insurer which has not started operations in FY 2022-23.

1.2.2.23 The investment income of all general insurers during 2022-23 was ₹38,839 crore (₹32,546 crore in 2021-22) registering a growth of 19.34 percent. The growth in investment income of public sector insurers, private sector insurers, standalone health insurers and specialized insurers was 34.54 percent, 6.35 percent, 21.48 percent and 2.06 percent respectively.

1.2.2.24 The underwriting losses of non-life insurers increased to ₹32,797 crore in 2022-23 (₹31,810 crore in the previous year). The losses increased by 3.11 percent over the previous year. The public sector insurers' underwriting losses

constituted 77 percent of non-life industry losses amounting to ₹25,317 crore and remaining by private sector insurers amounting to ₹8,699 crore. Standalone health insurers reported a decrease in underwriting losses in 2022-23 which is ₹529 crore as compared to underwriting loss of ₹3,263 crore in 2021-22. The underwriting profit of Specialized insurers increased to ₹1,747 crore in 2022-23 from ₹56 crore in 2021-22.

1.2.2.25 During the year 2022-23, the net loss of the non-life insurance sector marginally decreased to ₹2,566 crore as against a net loss of ₹2,857 crore in 2021-22. The public sector companies reported a loss of ₹10,607 crore. The profit after tax for private sector general insurers was ₹4,665 crore, specialized insurers was ₹2,930 crore and the standalone health insurers was ₹447 crore.

1.2.2.26 During the year 2022-23, none of the public sector general insurers paid dividends. However, seven private sector general insurers paid dividends with total amounting to ₹1,166.20 crore. None of the stand-alone health insurers paid dividends in both 2022-23 and 2021-22. AIC of India Ltd paid ₹40 crore dividend in 2022-23.

Table I.11: Segment-wise Incurred Claims Ratio of General, Health and Specialised Insurers

(in per cent)

S. No	Segments	2021-22					2022-23				
		Public Sector	Private Sector	Stand-alone Health Insurers	Specialized Insurers	Total	Public Sector	Private Sector	Stand-alone Health Insurers	Specialized Insurers	Total
a.	Fire	66.96	51.27	NA	NA	60.33	66.21	44.11	NA	NA	57.99
b.	Marine	86.02	85.78	NA	NA	85.8	56.89	87.9	NA	NA	75.13
c.	Motor	94.03	74.53	NA	NA	81.3	102.55	75.6	NA	NA	84.48
d.	Health	126.8	94.66	79.06	NA	105.68	105.77	80.09	61.44	NA	87.27
e.	Others	58.54	64.96	NA	92.47	72.72	78.15	69.58	NA	73.71	73.1
f.	Total	103.17	77.95	79.06	92.47	89.08	99.02	75.13	61.44	73.71	82.95

Claims of General Insurers, Health Insurers and Specialised Insurers:

I.2.2.27 During 2022-23, the aggregate net incurred claims reported an increase by 6.22 per cent over the previous year amounted to ₹1,49,313 crore (₹1,40,566 crore during previous year), Separately, the public sector general insurers, private sector general insurers and standalone health insurers reported an increase in the incurred claims amount of 3.91 per cent, 14.20 per cent and 0.54 per cent respectively, while the specialized insurers reported a decrease of 20.52 per cent.

I.2.2.28 The incurred claims ratio [net incurred claims to net earned premium] of the non-life insurance industry was 82.95 per cent during 2022-23 against 89.08 per cent of previous year. The incurred claims ratio for public sector insurers was 99.02 per cent for the year 2022-23 as against the previous year's incurred claims ratio of 103.17 percent. Whereas for the private sector general insurers, standalone health insurers and specialized insurers have improved ICR with 75.13 per cent, 61.44 per cent and 73.71 per cent respectively for the year 2022-23 as compared to the previous year's ratio of 77.95 per cent, 79.06 per cent and 92.47 per cent respectively.

Chart I.13: Premium underwritten within india by Non-Life Insurers (₹crore)




Chart I.14: Segment wise share of premium of General and Health Insurers




Chart I.15: Operating Expenses of General and Health Insurers





Chart I.16: Net Incurred Claims of General and Health Insurers



Use and File (U&F) - Simplification of Product Filing Procedure

1. IRDAI has implemented a significant change in the product filing process for non-life insurers during the financial year 2022-23. The transition is from the traditional "File & Use" procedure (which requires approval from IRDAI before launch) to the "Use & File" procedure (where products can be launched without prior approval). This change has been made to assist general insurers in designing and promptly launching new and innovative products that align with to the market requirements and better serve the policyholders, thereby furthering the insurance penetration in India.
2. The circular IRDAI/CIR/Misc/115/06/2022 dated 10.06.2022 brought a significant number of Life Insurance products under 'Use & File' approach where the insurers can launch in the market both new products and modifications of existing products without going through the approval process. Necessary provisions have been incorporated in the circular to safeguard interest of stakeholders including the protection of policyholders' interest. This initiative facilitates ease of doing business by enabling the insurers to quickly launch the products or modify the products as per the emerging needs of the market and policyholders.
3. IRDAI in its sustained endeavour to promote creative innovation and ease of doing business in the Indian Insurance Sector, has extended the 'Use and File' procedure, i.e. launching of all products by general insurers under Fire, Marine, Motor and Engineering lines of business for both Retail and Commercial categories without prior approval vide circular IRDAI/NL/CIR/MISC/107/06/2022 dated 01/06/2022. However, the retail products of Miscellaneous lines of business (including modifications of current products) having initial sum insured up to ₹5 crores were to be continued to be filed with the Authority under the F&U Procedure. The scope was further extended for general Insurers where they were additionally allowed to file retail products for agriculture & allied activities under the U&F procedure vide circular IRDAI /NL /CIR /PRO /146/07/2022 dated 14/07/2022.
4. Subsequently, the general Insurers were allowed to file all products under Miscellaneous lines of business (including modifications of current products) under U&F procedure for both retail and commercial categories vide circular IRDAI/NL/CIR/MISC/212/10/2022 dated 13/10/2022. With this move, all general insurance products, are permitted to be filed under 'Use and File' procedure and can be launched without any prior approval.
5. IRDAI, in an endeavour to simplify product filing has further modified the U&F procedure vide circular IRDAI /ACTL /CIR /PRO / 81/3/2023 dated 31/03/2023 to enable dynamism and to speed up the marketing of insurance products as under:
 - The documents that are required to be submitted under the above-mentioned U&F circulars shall hereafter be submitted to the Product Management Committee (PMC), instead of being filed with IRDAI. The PMC shall be responsible for the final approval of the products.
 - The PMC shall be responsible to ensure that the entire set of documents required under U&F Procedure is complete, correct, digitally signed and are in compliance with the extant applicable legal and regulatory framework, and maintained by the PMC.

- IRDAI may call for documents in respect of a few products identified on monthly basis and insurer shall submit the entire set of documents to IRDAI, whenever called for, within a period of 2 days.
 - The insurer is required to file with the IRDAI, a Compliance certificate signed by the CEO and Quarterly report on the products launched signed by Chief Compliance Officer, in the specified format.
 - The insurers to upload on their website the policy wordings/documents, sales literature, and the premium calculator, before the product is launched or within seven days of allotment of UIN, whichever is earlier.
 - Insurers to further ensure that the essential infrastructure required for launching the product and maintenance of insurance policies is in place.
6. It is envisaged that the above initiatives will enable the insurance industry in launching customized and innovative products in a timely manner in order to address the dynamic needs of the market, which will further help in making insurance inclusive and enhancing insurance penetration in India.

Places of Business of Insurers

Life Insurance Sector:

I.2.2.29 The number of life insurance offices stood at 11,256 as on March 31, 2023 which is 196 more than the previous year. Around 59 per cent of life insurance offices are located in Tier I centres where the population is one lakh and above. About 0.76 per cent of life insurance offices are in Tier VI centres with a population of less than 5,000.

I.2.2.30 As at March 31, 2023, the public sector life insurer had offices in 688 districts out of 750

districts in the country, covering 92 per cent of all districts in the country, whereas the private sector insurers had offices in 604 districts covering 81 per cent of all districts in the country. The public and private insurers together have covered 92 per cent of all districts in the country. In 21 out of 36 states/UTs, all the districts were covered through life insurance offices. The number of districts without a life insurance office stood at 59 in the country, out of which 49 districts belong to the north eastern states.

Table I.12: Offices of Life Insurers

Location	as on 31 st March, 2022			as on 31 st March, 2023		
	Public Sector	Private sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
Tier I	1,848	4,746	6,594	1,855	4,834	6,689
Tier II	561	706	1,267	562	749	1,311
Tier III	1,357	458	1,815	1,360	496	1,856
Tier IV	1,042	106	1,148	1,043	114	1,157
Tier V	123	30	153	126	31	157
Tier VI	54	29	83	55	31	86
Total	4,985	6,075	11,060	5,001	6,255	11,256

Chart I.17: Tier-wise Distribution of Offices of Life Insurers




Chart I.18: Tier-wise Distribution of Offices of Non-Life Insurers




Table I.13 Office of General, Health, and Specialized Insurers

Location	As on March 31, 2022					As on March 31, 2023				
	Public	Private	SAHI	Specialized	Total	Public	Private	SAHI	Specialized	Total
Tier I	3,995	2,363	1,085	73	7,516	3477	2449	1220	72	7218
Tier II	779	144	156	-	1,079	783	170	177	-	1130
Tier III	1,040	39	104	-	1,183	781	48	107	-	936
Tier IV	632	14	19	-	665	405	14	22	-	441
Tier V	216	11	-	-	227	124	16	0	-	140
Tier VI	98	6	1	-	105	42	9	1	-	52
Total	6,760	2,577	1,365	73	10,775	5612	2706	1527	72	9917

Non-Life Insurers:

I.2.2.31 As on March 31, 2023, the general and health insurers were operating from 9,917 offices as against 10,775 offices as on March 31, 2022. When compared to the previous year, for public sector general insurers, there is decrease of 1,148 offices, for private sector general insurers, there is increase of 129 offices, for Specialized insurers there is a decrease of 1 office and 162 for stand-alone health insurers. Overall, there is decrease of 858 non-life insurance offices as compared to previous year.

I.3 Number and Details of Authorized Insurers/Re-Insurers

I.3.1 As at March 31, 2023, the insurance sector in India comprises a total of 55 insurers, 1 reinsurer, 2 specialized insurers and 11 FRBs.

Among 55 insurers, there are 25 life insurers, 25 general insurers, and 5 stand-alone health insurers.

Table I.14: Number of Registered Insurers and Reinsurers

Type of Insurer	Public Sector	Private Sector	Total
Life	1	24	25
General	4	21	25
Stand-alone Health	-	5	5
Specialized	2	-	2
Re-insurers	1	11	12
Total	8	61	69

Note: The IRDAI vide order ref. No. IRDA/F&A/ORD/SOLP/200/11/2019 dated November 06, 2019 issued directions to the Reliance Health Insurance Ltd. to stop selling new policies.

I.4 Policies and Measures to Develop Insurance Market

I.4.1 IRDAI is on a mission to revamp and reform the insurance sector in the country and increase penetration. The primary objective of these efforts is to enhance availability, accessibility, and affordability of insurance for all citizens and businesses. Towards this objective, IRDAI has taken various steps to promote healthy growth of the insurance industry, rationalise the regulatory framework, and reduce the compliance burden of regulated entities. The reforms focussed on facilitating product launches, flexible capital raising, efficient management of expenses, expanding distribution channels, enhancing reinsurance accessibility and facilitating entry of new players. IRDAI, during 2022-23, has implemented the following important regulatory measures:-

- i. Entry of new players into the insurance sector made easy: A Single Window NOC Portal (www.noc.irdai.gov.in) was launched to facilitate the incorporation of an insurer by making the NOC available in a hassle-free and timely manner.
- ii. Quick launch of Insurance Products: Insurers can now launch all Health & General Insurance products, as well as the majority of Life Insurance products, without seeking prior approval from IRDAI, thereby reducing the time taken to launch a new product in the market.
- iii. Ease of doing business: IRDAI has taken several actions to lessen the burden of compliance. In this direction, so far, 70 returns have been rationalised, and about

167 circulars have been repealed while dispensing with the prior approval requirements in certain identified areas.

- iv. Addressing dynamic needs of the industry: IRDAI has facilitated various measures as per the evolving needs of the sector, such as Tech-based add-ons [General insurers have been permitted to introduce tech-enabled concepts for Motor Insurance such as Pay as You Drive, Pay How You Drive, etc.], expansion in the scope of the cashless facility in health insurance, Innovative products in Fire Insurance, Ease of living for Senior Citizen.

I.4.1.1 In addition to above, IRDAI has brought in following key changes in the regulatory framework to promote ease of doing business and reduction in compliance burden:-

- i. The IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022 introduced flexibility for insurers by making Special Purpose Vehicle (SPV) investments optional for Private Equity (PE). It also raised the individual investment limit, allowed subsidiary companies to promote insurers with conditions, permitted promoters to dilute their stake, included 'fit and proper' criteria, and specified lock-in periods based on an insurer's age.
- ii. IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2022- With a view to increase crop insurance penetration and efficient use of capital by general insurers, the period for considering State/ Central Government premium dues for

calculation of solvency margin has been increased from 180 days to 365 days. Solvency factor related to crop insurance reduced to 0.50 from 0.70.

- iii. IRDAI [Actuarial report and Abstract for Life Insurance Business] [Amendment] Regulations, 2022- In order to enable efficient utilization of capital by life insurers, the factors for calculation of solvency has been reduced for Unit Linked Business [Without Guarantees] from 0.80 per cent to 0.60 per cent and for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana [PMJJBY] from 0.10 per cent to 0.05 per cent.
- iv. IRDAI [Appointed Actuary] Regulations, 2022 expands the eligibility criteria for the appointment of Appointed Actuary to align with the changing needs of the industry and emerging areas of actuarial applications.
- v. IRDAI [Other Forms of Capital] Regulations, 2022 - Requirement of prior approval from IRDAI for raising other forms of capital (viz., subordinated debt and/or preference shares) has been dispensed with to meet the dynamic capital needs. The threshold for raising such capital has been increased to 50 per cent from 25 per cent of the paid up capital & premium subject to 50 per cent of the Net worth of the company.
- vi. IRDAI [Regulatory Sandbox] [Amendment] Regulations, 2022, allowed the insurers/intermediaries to do experimentation on an ongoing basis by increasing the experimentation period

from '6 months' to 'upto 36 months' and moving from batch-wise (cohort approach) clearances/approvals to clearances/approvals on a continuous basis. A provision for review of rejected applications under sandbox has also been introduced as part of amendments.

- vii. The IRDAI [Insurance Intermediaries] [Amendment] Regulations, 2022, aimed to expand choices and access to insurance through various distribution channels. The maximum number of tie ups for Corporate Agents [CA] and Insurance Marketing Firms [IMF] have been increased. Now, a CA can tie up with 9 insurers (earlier 3 insurers) and IMF can tie up with 6 insurers (earlier 2 insurers) in each line of business of life, general and health for distribution of their insurance products. The area of operation of IMF has also been expanded to cover entire state (earlier district level) in which they are registered.
- viii. "Guidelines on issuance of File Reference Numbers [FRN] to Cross Border Reinsurers" - In India, Cross Border Reinsurers are reinsurance companies that operate outside the country but provide reinsurance services to Indian insurance companies. Indian Insurers required to fulfil certain regulatory requirements for placing of reinsurance business with CBRs. Under the revised Guidelines on CBR IRDAI has streamlined the regulatory process which enabled a system driven simplified renewal process for those CBRs who fulfil the necessary conditions.

- ix. Separate Expenses of Management (EoM) Regulations for Life and General Insurers (applicable to Health Insurers) - These new regulations enable and provide flexibility to the insurers to manage their expenses within the overall limits based on their gross written premium to optimally utilize their resources for enhancing benefits to policyholders. Some of the salient features of these regulations are –
 - In case of life insurance, expenses of management (EoM) caps are linked to product categories (participating and non-participating).
 - In case of general and health insurers, Single limit of EoM are set out as against existing segmental /sub-segmental limits.
 - These regulations permitted insurers to incur additional allowable expenses and required a well-documented EOM policy and business plan.
 - Extra allowances for EOM is now permitted to promote InsurTech, insurance awareness, rural sector, and government sponsored schemes.
 - x. IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023, Commission and remuneration payments to insurance agents and insurance intermediaries are now aligned to Expenses of Management limit and shall be as per Board approved policy of the Insurers. Previously, there was segment-wise limits for such payments.
 - xi. Surety Insurance Guidelines modified to widen the scope of surety insurance products.
 - xii. Amendments to Investment Norms: Allowed increased investment in the BFSI sector from 25% to 30% to align with benchmark indices, flexibility in dividend eligibility criteria for insurers' investments in preference and equity shares and allowed more investments by life insurers in Mutual Funds and Real Estate Investment Trusts (REITs)/Infrastructure Investment Trusts (INVITs). These changes aimed to encourage more investments in housing and infrastructure sectors.
 - xiii. On-boarding of Insurers on Account Aggregator Framework- IRDAI is actively ensuring on-boarding of the insurance companies on the Account Aggregator Framework. IRDAI is also working with ReBIT to finalize the Financial Information Schemas.
 - xiv. On-boarding of Insurers on UIDAI - IRDAI is continuously engaging with UIDAI for various activities of India Stack as well as for ease of doing KYC by the insurance companies.
- 1.4.1.2** Besides, IRDAI has taken up few projects which are currently work-in progress. These include;
- i) The concept of 'Trinity of Bima Sugam, Bima Vahak and Bima Vistaar' is being worked out towards reaching the last mile, leveraging technology, community centric intermediaries and simplicity of the products to ensure universal coverage. The Bima Sugam is a unique platform integrated with India Stack,

expected to provide end to end solution for purchase, service and settlement of policies, thereby democratizing and universalizing insurance. Bima Vahak is aimed to be a tech led women centric distribution force. Bima Vistaar is a multiline product (life, health, property & belongings) with parametric insurance solutions.

- ii) Towards reaching the last mile, during FY 2022-23, IRDAI introduced State Insurance Plan as the core framework to enhance the insurance penetration by engaging state governments and other regulatory agencies. Under this plan, Lead insurers accompanied by other insurers are encouraged to work to deepen insurance coverage and penetration in each of the states.
- iii) In order to engage with the insurance industry and other stakeholders, 'open house' is convened on 15th of every month. Insurance companies and other stakeholders are encouraged to bring forth innovative ideas to deepen insurance penetration.
- iv) As part of collaborative and consultative approach, periodical meetings, 'Bima Manthan' are conducted with the CEOs of insurance and reinsurance companies. Important matters relating to the insurance sector are deliberated in these meetings.
- v) An all-inclusive review of the regulations pertaining to insurance sector is taken up. The evaluation is predicated on giving the

industry more momentum, ensuring ease of doing business, and protecting policyholder interests.

- vi) To align the insurance sector with global needs and industry dynamics, IRDAI has formed Mission Mode teams to implement Risk Based Capital Regime, Risk Based Supervisory Framework and equivalent of International Financial Reporting Standards. Another Mission Mode team InsurTech and allied technologies is working on mainstreaming technology into the sector.
- vii) Single Intermediary Portal - A Single Intermediary Portal for various regulatory compliance along with registration is being developed. It is envisaged that the portal would bring down the turn-around time of various activities and will facilitate ease of doing business.

The above regulatory changes are expected to have a significant impact on the insurance industry, promoting growth, efficiency, and competitiveness.

Surety Insurance

Industries such as infrastructure require to submit bank guarantees for bid security and performance guarantees prior to execution of projects. In order to obtain bank guarantees, the concessionaires are required provide for sufficient collaterals to the banks and required to pay the bank charges for guarantee. As a result of which a significant amount of assets is being held up as collaterals thereby creating, in certain cases, a liquidity crunch for execution of projects by these concessionaires. Cost of bank guarantees, requirement of providing collaterals, non-availability of bank guarantees and also to augment the growing needs of infrastructure sector under the National Infrastructure Pipeline, necessitated the need to look for an alternative to bank guarantees for bid security and performance guarantees. In the search for an alternative arrangement, Surety Bonds have emerged as better replacements for bank guarantees.

Surety insurance (or Surety Bond) is historically recognized world over as an alternative to bank guarantee by providing guarantee against the performance obligations of a contractor in execution of a project. Surety Bonds are widely prevalent in countries such as US, Canada, Brazil, Mexico, Germany, Australia and Philippines. In India Legal/Regulatory framework did not permit Surety Bonds as they were treated as financial instruments and non-conventional insurance products.

Considering proposals from various stakeholders such as National Highways Authority of India [NHAI] supported by the Ministry of Road Transport and Highways [MoRTH], IRDAI constituted a working group, vide order ref no.

IRDA/NL/ORD/MISC/170/07/2020 dated 1st July, 2020 to study the suitability of offering Surety Insurance by Indian Insurance Industry. The Working Group submitted its report dated 30th September, 2020 with recommendations on

1. Regulatory framework - Separate Guidelines on Surety Insurance business with special focus on capital requirement, limit on exposure and risk assessment mechanism
2. Underwriting Philosophy of the insurance companies
3. Reinsurance Capacity
4. Additional Legal framework and Ecosystem necessary for Surety market in India
5. Partnership approach with Banks for sharing of risk and/or for sharing risk information
6. Offering of Surety Bonds only to Construction Companies
7. Issue of Other types of Surety bonds such as customs or tax bonds, Court Bonds etc.
8. Centralized Data Base of the bonds issued
9. Registration as General/specialist insurance company to carryout Surety Insurance Business in India.

After examination of the recommendations of the Working Group, the IRDAI notified IRDAI [Surety Insurance Contracts] Guidelines, 2022 on 3rd January, 2022 setting the stage for Surety Insurance Business in the Country. The guidelines came into force with effect from 1st April, 2022 specifying various requirements for launching/introducing Surety Insurance Product by insurers catering to the needs of infrastructure projects to begin with.

Subsequently, proposals from various entities/regulatory bodies were received expressing the need for expanding the scope for Surety Insurance in commercial lines also. The proposal from Warehouse Development and Regulatory Authority (WDRA) is one such kind, requesting IRDAI to facilitate surety bonds for its registered warehouses. Accordingly, a working group was constituted, vide order No. IRDAI/NL/SI/288/2022-23 dated 2nd December, 2022, to study the feasibility of providing Surety insurance to WDRA registered warehouses.

Meanwhile, recognizing the increasing demand

from various project owners, contractors and other commercial entities, the IRDAI, vide circular dated 12th January, 2023, permitted Insurers to service all commercial surety and contract surety requirements and removed the premium cap to overall GDP in case of mono-line surety insurers.

Further, IRDAI relaxed the restrictions such as higher solvency margin and confinement of surety bond value to 30% of contract value, vide Circular dated 15th May, 2023 which will help insurance companies in designing surety-based insurance solutions to cater to the requirements of entities/regulatory bodies such as WDRA.

BOX 1.4

INSURTECH INITIATIVES

1. BIMA Sugam

BIMA Sugam, is an electronic/digital insurance market place, which would enable and empower all insurance stakeholders across the insurance value chain. The main objectives of BIMA Sugam is (i) Act as a single window for the policyholder to manage his/her insurance coverage; (ii) End-to-end solutions for customers' insurance needs i.e., purchase, service, and settlement in a seamless manner; (iii) Facilitate Insurance companies to access the validated and authentic data from various touch points on a real-time basis; (iv) Interface for the Intermediaries/Agents to sell policies and provide services to policyholders. This initiative is a step towards achieving the vision of "Insurance for All by 2047".

2. IRDAI Hackathon

IRDAI organized its first hackathon with the theme 'Innovation in Insurance'. The hackathon

invited participants to identify and develop solutions that have the potential to make the insurance available to every individual in a seamless and swift manner with the use of technology and protecting the interests of the policyholders. The solutions were invited in the areas of (i) Automated Death Claim settlement using technology (ii) Tech-based solution to curtail miss-selling of Insurance products; (iii) Tech enabled solution to identify uninsured motor vehicles and ensure issuance of mandatory Motor Third Party Insurance; (iv) Technology based distribution of insurance products including micro insurance in "difficult terrains and less penetrable areas"; and (v) Fraud mitigation/prevention in motor insurance by using technology.

I.4.2 Policies in Health Insurance Business

A circular was issued with reference to designing a specific product for Persons with Disabilities (PWD), Persons afflicted with HIV/AIDS, and those with Mental Illness, vide Circular ref. IRDAI/HLT/CIR/MISC/58/2/2023 dated 27th February 2023 to provide insurance coverage for these individuals.

Another circular was issued concerning 'Insurance cover for new-borns/infants under health insurance policies' vide ref: 30/IRDAI/HLT/GEN/ministry/2022-23 dated 12th October, 2022, to extend insurance coverage to new-borns with internal congenital birth defects from day one [1].

I.5 Research and Development Activities

Undertaken by the Insurers

Every year insurers carry out various research and development activities to promote ease of accessibility, understanding and usage of insurance solutions for consumers. Below are some of the innovative activities undertaken during 2022-23:

I.5.1 Life Insurers

- Study mapping over 40 Life Goals such as financial security, retirement planning, children's education etc. to evaluate how Indians are preparing to achieve these goals.
- Research and design of exclusive Term Plan for diabetic patients.
- Process re-engineering for enablement of Pre-Approved Sum Assured (PASA).
- Automation of Incentives & commissions.
- Launch of smart multilingual video/flyer catalogue for ease of access to product information.
- Evaluation of various generative AI platforms like ChatGPT, Bard and AWS

Generative AI on possible use cases to improve Customer experience and Training support.

- AI based solution for auto evaluation and clearance of video's submitted as part of VideoVC process.
- Digital access for various types of policy transactions.
- Tool for providing instant customised customer proposal during prospecting.
- Seamless customer journey with consent-based pre-population of application and instant fulfilment of KYC requirement with CERSAI integration.
- Integration with the Account Aggregator Framework.
- Ensuring critical decision-making steps by Digital Rating sheets that accelerate the process and fetches the relevant information and documents for scrutiny or finding purposes.
- Lapse prediction model to mitigate persistency risk by giving early notification and recommendation at on boarding stage.
- Digital claim registration process and assistance through chat-bot or WhatsApp
- Voice Command initiatives to enhance the customer experience and redefine the customer interaction with Insurance markets.
- Humanoid bot technology for better engagement with advisor base.
- Dashboard to provide real time status of insurance proposals till issuance.
- Surveys in the protection and retirement spaces to establish indicators for financial and retirement preparedness of Indians.
- Exploratory research to deep-dive into the awareness, adoption, triggers and barriers of National Pension Scheme and Pension Fund Management.

- Analytics based customer campaigns programmes that focus on pre-approved sum assured offerings for a better customer management experience. Also customised offers to customers, and by tele/video verification triggers.
- Predictive Model using machine learning algorithms like Random Forest, Gradient learning and also Deep learning algorithms that predicts the policies where there are high chances of fraudulent claims.
- Geo-Tagging of field Investigators where cases are assigned through digital platforms to field investigators ensuring better control, risk mitigation & faster processing.

1.5.2 General Insurers

- Leveraging state-of-the-art remote sensing technology and harnessing satellite imagery & weather data that remotely assesses crop health in real time, detection of losses and disbursement of claims enabling provision of unparalleled convenience and efficiency to farmers.
- Mobile app for swift enrolment in crop insurance and instant delivery of e-policy documents via SMS, thereby reducing turn-around time.
- Reduction of operational costs by establishing modern cloud infrastructure, embracing a comprehensive technology stack and harnessing remote sensing capabilities.
- Focused research for defining the pain points & the needs of the Pet parents.
- Artificial Intelligence assisted highly accurate tools which uses multiple computer vision algorithms to provide the best possible vehicle inspection results even with very challenging image inputs

like correlation of images in tight spaces, dust layer, mud splashes, rain water layer, surrounding reflections and over exposure due to Sunlight.

- Natural Language Processing (NLP)-enabled bot to serve customers across various platforms such as Website, Mobile app, WhatsApp, etc. where customers can avail of rich features such as policy download, policy purchase and renewal, claim intimation, claim status, document submission using Do-It-Yourself (DIY) solutions.
- Extending OCR capabilities to automate various processes and enabling e-verification and diligence solutions to reduce investigation time for both Motor and Non-Motor Claims.
- Home Claims AI solution where customers can intimate and capture damages to their homes using Mobile app. The solution identifies damages and generates estimates by analyzing the images uploaded.
- Technology tools were introduced for agent microsites, a streamlined agent on-boarding process reducing on-boarding time by 70%, and mobile app for investigators introduced to handle cases efficiently.
- Developments in motor claim settlements by network expansion by tie ups with garages and workshops.
- AI-powered premium calculators for Health, Motor, Travel, and Non-Motor products were made accessible to partners, resulting in generation of over 50,000 quotes.
- Customer services were enhanced with features like WhatsApp notifications for health claims, a revamped health claims

journey, policy renewal suggestions and pre-policy medical check-up appointments facilitated by an AI-powered chat-bot.

- Telematics-based distance and driving risk scoring solution that helps customers in understanding and improving their driving behaviour and also rewards customers for good driving behaviour through lower insurance premiums.
- Intelligent virtual assistant on MS Teams, utilizing Natural Language Processing (NLP) and Machine Learning (ML) algorithms designed to streamline human resources related queries and provide accurate and prompt responses to employees.
- Fraud solution based on video and audio responses furnished by the customer while intimating a claim is in pilot stage.
- Two Industry reports are conducted in collaboration with research organisations, one focused on the consumer concerns about Electric Vehicles (EVs) and the need for EV-specific insurance,
- Introducing Technological tools and services for partners, including agent microsites, a streamlined agent on-boarding process reducing on-boarding time by 70 per cent, and a mobile app for investigators to handle cases efficiently.

- The industry explored post-pandemic travel behaviours in 2023 and assessed changes in travel habits and attitudes, ultimately helping insurance companies to better serve consumer needs in these areas.

I.6 Review

I.6.1 Protection of Interests of Policyholders

I.6.1.1 The basic framework for protection of policyholder's interests is contained in the IRDA (Protection of policyholder's Interests) Regulations 2017. IRDAI facilitates resolution of policyholder grievances by monitoring the insurers' policy of Grievance Redressal and takes suitable initiatives towards protecting the interests of the insurance consumers.

I.6.1.2 In order to provide a channel to receive grievances against insurers, IRDAI has set up IRDAI Grievance Call Centre (IGCC). IRDAI has also put in place the Bima Bharosa portal as an online system for grievance management that is not only a gateway for registering and tracking grievances online but also acts as an industry-wide grievance repository for IRDAI to monitor disposal of grievances by insurers. The total number of grievances registered against life insurers was reduced by about 17.73 per cent in 2022-23 from previous year and the ratio of total Unfair Business Practices grievances to new policies issued remained at 0.09 per cent in 2022-23.

Table I.15: Grievances on Unfair Business Practices (UFBP) registered against Life Insurers

Grievances	2021-22			2022-23		
	Public	Private	Total	Public	Private	Total
Total No. of grievances on Life Insurers	1,14,202	40,624	1,54,826	81,494	45,884	1,27,378
No. of UFBP grievances	3,509	22,207	25,716	2,978	23,129	26,107
Share of UFBP grievances to total grievances [%]	3.07	54.66	16.61	3.65	50.41	20.50
Share of UFBP to new policies sold [%]	0.02	0.3	0.09	0.04	0.11	0.09

I.6.1.2 Spurious calls as reported in the name of officials of IRDAI/IGMS, various government agencies and other financial institutions is a matter of concern for the insurance industry. IRDAI has issued several public notices, press releases, advertisements in leading TV Channels, newspapers, and directions to insurance companies to caution public against spurious calls etc. at various touch points and in the media as well—IRDAI has also cautioned the public not to transact with spurious callers in any manner.

I.6.1.3 Insurers have been advised to take up the issue of mis-selling seriously by doing a root cause analysis to identify the major causes. Some of them are: ascertain suitability of product, place controls on various channels based on the vulnerability of the channel and have a strategy on dealing with complaints of mis-selling.

Consumer Education

I.6.1.4 The definitive way of reducing mis-selling is to make the members of the public aware of the concept of insurance, kinds of insurance policies, risks covered, benefits offered, exclusions, and conditions etc. This is sought to be achieved through various efforts of financial education to improve financial literacy.

Implementation of National Strategy for Financial Education

I.6.1.5 IRDAI continues to play an active role as a Member of the Core Committee of the National Centre for Financial Education (NCFE), an institution comprising representatives of all the financial sector regulators in India with an aim to implement the National Strategy for Financial Education (NSFE) 2019-2024. The present chair of NCFE is being honoured by Executive Director, IRDAI. NCFE in coordination with IRDAI has conducted One-Day Principals' conclave with the theme 'Integration of Financial Education in school curriculum'.

I.6.2 Maintenance of Solvency Margin of Insurers

1.6.2.1 Every insurer and reinsurer shall at all times maintain an excess of value of assets over the amount of liabilities of, not less than fifty per cent of the amount of minimum capital as stated under Section 6 of the Insurance Act, 1938 and arrived at in the manner specified by the regulations. The IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016 and the IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 describe in detail the method of computation of the Available and Required Solvency Margin.

The Insurance Act, 1938 (as amended from time to time) specifies a level of solvency margin known as control level of solvency, which currently is 150 per cent of Required Solvency Margin.

I.6.2.2 Solvency Position of Life Insurers:

At the end of March 2023, all the life insurers complied with the stipulated solvency ratio of 1.5. Insurance company wise solvency ratio for life insurers is provided in Statement 11.

I.6.2.3 Solvency Position of Non-Life Insurers

As at 31st March, 2023, all 25 private sector general insurers (including the standalone health insurers) have complied with the stipulated Solvency Ratio of 1.50. The business portfolio of Reliance Health Insurance Ltd. was transferred to Reliance General Insurance Co. Ltd vide IRDAI Order IRDA/F&A/ORD/SOLP/200/11/2019 dated 6th November 2019.

For computation of solvency ratio as on 31st March, 2023 three public sector general insurance companies viz. National Insurance Co.

Ltd. (National) , The Oriental Insurance Co. Ltd. (Oriental) and The United India Insurance Co. Ltd. (United) have been granted forbearance of 75 per cent of Fair Value Change Account as on 31st March, 2023 Further, all the four public sector general insurance companies have been allowed to amortise their pension liability towards OMOP over a period not exceeding 5 years from financial year 2019-20. Without aforesaid forbearance, National, Oriental and United have reported solvency ratio of (-)0.29, (-)0.96 and (-) 0.29 respectively, as on 31st March, 2023. New India Assurance Co. Ltd. (New India) has reported solvency ratio of 1.87 as on 31st March 2023. As at 31st March, 2023, the specialized insurers, i.e. AIC and ECGC reported a solvency ratio of 2.49 and 47.93 respectively. (Statement -12)

Solvency Position of Reinsurers

General Insurance Corporation of India (GIC Re) reported a solvency ratio of 2.61 as on 31st March

2023. All Foreign Reinsurance Branches have reported solvency ratio above 1.5 as on 31st March, 2023. (Statement -12 and 13)

I.6.3. Monitoring of Reinsurance:

As at 31st March, 2023, there is only one Indian Reinsurer registered with IRDAI, namely General Insurance Corporation of India (GIC Re). GIC Re has been providing reinsurance support to direct insurers in India and foreign Insurers/reinsurers. GIC Re is managing the Nuclear Pool, Terrorism Pool and Marine Cargo Excluded Territories Pool (MCET Pool). As sole Indian Reinsurer, GIC Re receives obligatory cessions on each and every policy issued by domestic general insurers subject to certain limits and leads most of the treaty programs and facultative programs of these insurers. This obligatory cession for 2022-23 is four percent.

Table I.16: Net Retention of General and Health Insurers

(in per cent)

Financial Year	Sector	Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Motor	Aviation	Engineering	Other Misc	Total
2021-22	Public	43.68	72.4	31.5	94.64	51.86	18.67	80.15	78.29
	Private	23.57	64.98	2.33	84.88	22.53	15.79	65.55	67.43
	Total	31.39	67.26	26.77	87.87	37.59	18.07	72.29	71.85
2022-23	Public	40.82	67.15	34.71	95.79	52.26	25.33	78.76	77.53
	Private	21.19	62.41	5.14	83.57	21.26	8.07	69.1	68.44
	Total	28.39	63.72	30.54	87.09	37.42	19.88	73.29	71.93

Table I.17: Reinsurance Placement by General and Health Insurers

(₹ crore)

Particulars		Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Motor	Aviation	Engineering	Other Misc	Total
Reinsurance Premium placed within India	2021-22	10,797.82	604.87	410.26	8,050.45	449.17	1,521.33	23,533.36	45,367.26
		46.11	18.47	38.42	11.33	45.2	40.76	19.37	20.16
	2022-23	12,968.32	723.9	413.98	10,223.57	362.36	1,918.1	22,597.88	49,208.12
		49.42	18.54	32.48	12.46	34.33	42.26	15.85	18.81
Reinsurance Premium placed outside India	2021-22	5,268.62	467.7	371.7	566.62	365.02	808.08	10,144.01	17,991.75
		22.5	14.28	34.81	0.8	36.73	21.65	8.35	7.99
	2022-23	5,823.89	694.73	471.36	367.43	483.29	922.55	15,481.55	24,244.79
		22.19	17.79	36.98	0.45	45.79	20.32	10.86	9.27

Note: Figures in second row indicate growth percentage

Foreign Reinsurance Branches (FRBs)

1.6.3.1 With the view to make India a Reinsurance hub, the Insurance Law (Amendment) Act, 2015 has allowed Foreign Reinsurers and the Society of Lloyd's to open their Branches in India to transact reinsurance business in India. The FRBs have to adhere to IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of foreign reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 & Lloyd's and its service companies have to adhere with IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016 and any other circulars/guidelines issued by IRDAI from time to time. As on 31st March, 2023, there are eleven Foreign Reinsurance Branches (FRBs) including Lloyd's operating in India. Lloyd's India is operating through one Service Company.

The details of reinsurance business booked by these FRBs are as under;

Particulars	2021-22	2022-23
Gross RI Premium Income- Indian Business (₹ crore)	17,962	17,911

Cross Border Reinsurers

1.6.3.2 "Cross Border Reinsurers" (CBR) are the reinsurers, who do not have any physical presence in India but carry on reinsurance business with Indian insurers. The Cross Border Reinsurers (CBRs) play a significant role in reinsurance market in providing reinsurance support/capacity to the Insurers. The ceding insurers have to ensure that CBRs meet the necessary qualifying criteria as per IRDAI (Reinsurance) Regulations, 2018 and have File Reference Number (FRN) issued by IRDAI, before placing any business with them.

1.6.3.3 IRDAI in its continued endeavour to improve the ease of doing business has extended the facility of auto-renewal of FRNs from the FY

2022-23, provided such CBRs meet the required criteria as specified in IRDAI (Reinsurance) Regulations, 2018. With aim to streamline the regulatory process with respect to cross border reinsurers, IRDAI, under provisions of Insurance Act, 1938 has revised the guidelines on "Cross Border Reinsurers" and these guidelines are effective from January 3rd, 2023.

1.6.3.4 As per these guidelines, an Insurer can generate FRNs every year on their own for the CBRs which qualify for auto-renewal. The CBRs, which do not qualify for auto-renewal, have to obtain FRN on annual basis by making an application through the CBR portal. IRDAI, on examination of application made by the insurer on behalf of the CBR, may allot FRN. The CBRs are provided with a Filing Reference Number (FRN) by IRDAI, which is valid for one financial year, enabling the CBR to transact reinsurance business with Indian Insurers/ Reinsurers. In FY 2022-23, 283 CBRs participated in Indian reinsurance business as against 290 CBRs in the FY 2021-22.

Appraisal of Reinsurance Business

1.6.3.5 In India, reinsurance business is being written by the Indian reinsurer, FRBs and CBRs. Out of the gross reinsurance premium of ₹54,677.58 crore written in the year 2022-23 by Indian reinsurer and FRBs, the Indian business accounted for about 79 percent and foreign business accounted for the rest. Out of the total Indian business of ₹43,295 crore in the year 2022-23, GIC Re accounted for about 59 percent and remaining was written by FRBs.


A summary of gross reinsurance premium of reinsurers including FRBs is provided in Statement 14.

Retention and Reinsurance placement:

I.6.3.6 In 2022-23, reinsurance premium ceded by general insurers within and outside India remained 18.81 per cent and 9.27 per cent of gross premium respectively. There has been a marginal increase in the Net retention by the general insurers from 71.85 percent in 2021-22 to 71.93 percent in 2022-23.

Reinsurance placement by Life Insurers:

I.6.3.7 During 2022-23, an amount of ₹663.53 crore was ceded as reinsurance premium by the public sector insurer (₹605.76 crore in 2021-22). The private life insurers together ceded ₹6,451.02 crore (₹5,190.21 crore in 2021-22) as premium towards reinsurance. Retention ratio of life insurance sector was 99.09 per cent for 2022-23 as against 99.16 per cent for 2021-22.



Insurance Pools

Terrorism Risk Pool

I.6.3.8 The Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool (IMTRIP) was formed with the initiative of all non-life insurers in India in April 2002, after terrorism cover was withdrawn by international reinsurers post 9/11 incident. The pool is administered by GIC Re. The Pool provides support to insurance of terrorism risks covered under property insurance policies, including cover to dwellings and fixed assets in multiple locations. The Pool's premium income for 2022-23 was ₹1,809 crore as against ₹1,226.80 crore in 2021-22. The claims paid by the Pool during 2022-23 were ₹2.10 crore.

Nuclear Insurance Pool

I.6.3.9 The enactment of Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 mandates protection of unknown and potentially catastrophic risk arising out of nuclear events. Generally, nuclear perils are excluded from conventional insurance covers as it requires a large insurance capacity. Therefore, to protect the liability arising out of nuclear perils, Indian Nuclear Insurance Pool (INIP) was formed in 2015 which is also managed by GIC Re. The pool provides coverage to nuclear operators in the country and also to suppliers. The Pool's premium income for 2022-23 has been same as that of previous year i.e. ₹103.50 crore. No claim has been paid by the pool during the year 2022-23.

Marine Cargo Excluded Territories Pool (MCET Pool)

I.6.3.10 Pursuant to the Russia-Ukraine war, international sanctions were imposed on doing

business with Russia. Due to the same, reinsurance capacity was not available for Marine Cargo shipments of fertilizers and other commodities for Indian Insured's from the territories of the Republic of Belarus, Ukraine and/or the Russian Federation (called as 'Excluded Territories'). Hence, to address the issue, Marine Cargo Excluded Territories Pool (MCET Pool) was formed in the year 2022 with the initiative of the General Insurance Council and the pool is managed by GIC Re. The main objectives of the Pool are to enable pool members to provide insurance cover for Marine Cargo shipments of fertilizers imports and exports only for Indian Insured's from Excluded Territories and to cover other commodities for Indian Insureds as may be required and with rates/terms to be agreed in consultation with the Underwriting Committee of the Pool. The Pool's premium income for 2022-23 was ₹26.59 crore. No claim has been paid by the pool during the year 2022-23.

I.6.4 Monitoring Investments of the Insurers

I.6.4.1 Insurers have been mandated to follow the pattern of investment, as required under IRDAI (Investment) Regulations 2016. As on March 31, 2023, the investments made by the insurance industry stood at ₹60.04 lakh crore as against ₹54.36 lakh crore as on March 31, 2022 registering a growth of 10.44 per cent. The share of Life insurers stood at 91 per cent, General insurers including Specialized insurers and Stand-Alone Health Insurers (SAHI) constituted 7.15 per cent and Reinsurers including branches of foreign reinsurers constituted 1.85 per cent as on March 31, 2023. The share of PSU Insurers stood at 72 per cent and private sector constituted 28 per cent in the same period. The details of investments are provided in Table I.20.

Table I.18: Investments of Life Insurers: Category-wise

(₹ crore)

S. no	Category	2021-22	2022-23
A	Traditional Fund		
1	Central Government Securities	18,95,074	21,82,289
		(43.46)	(44.95)
2	State government and other approved securities	10,79,100	11,60,415
		(24.75)	(23.9)
3	Housing and Infrastructure	3,94,524	4,57,272
		(9.05)	(9.42)
4	Approved Investments	8,36,597	9,13,359
		(19.19)	(18.82)
5	Other Investments	1,55,341	1,41,084
		(3.56)	(2.91)
A	Total (1+2+3+4+5)	43,60,637	48,54,419
		(100.00)	(100.00)
B	ULIP Funds		
6	Approved Investments	5,25,205	5,50,523
		(88.78)	(90.4)
7	Other Investments	66,346	58,472
		(11.22)	(9.6)
B	Total (6+7)	5,91,550	6,08,995
		(100.00)	(100.00)
	Grand Total (A+B)	49,52,187	54,63,414

Note: Figures in brackets are percentage to total

Table I.19: Investments of General, Health, Specialized Insurers & Reinsurers: Category wise

(₹ crore)

S. No	Category	As on March 31 , 2022			As on March 31 , 2023		
		Non-Life Insurers	Reinsurers	Total	Non-Life Insurers	Reinsurers	Total
1	Central Government Securities	1,03,130	36,037	1,39,166	1,32,774	40,797	1,73,571
		(26.7)	(36.65)	(28.72)	(30.92)	(36.6)	(32.09)
2	State government and other approved securities	83,491	21,154	1,04,645	88,464	24,614	1,13,078
		(21.62)	(21.51)	(21.6)	(20.6)	(22.08)	(20.9)
3	Housing and Loans to State Govt for Housing & FFE	31,122	7,347	38,470	37,703	7,466	45,169
		(8.06)	(7.47)	(7.94)	(8.8)	(6.7)	(8.37)
4	Infrastructure Investments	58,402	9,779	68,181	60,778	12,488	73,266
		(15.12)	(9.94)	(14.07)	(14.15)	(11.2)	(13.54)
5	Approved Investments	96,625	20,088	1,16,713	97,655	22,174	1,19,829
		(25.02)	(20.43)	(24.09)	(22.74)	(19.89)	(22.15)
6	Other Investments	13,437	3,928	17,365	11,956	3,926	15,883
		(3.48)	(3.99)	(3.58)	(2.78)	(3.52)	(2.94)
	Total	3,86,206	98,334	4,84,540	4,29,330	1,11,465	5,40,795
		(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

Note: 1. General Insurers included Specialized Insurers and SAHI
 2. Reinsurers included Branches of Foreign Reinsurers
 3. Figures in brackets is percentage of respective funds to the total funds

Table I.20: Investments of Insurance Industry

(₹ crore)

Segment	2021-22			2022-23		
	Public	Private	Total	Public	Private	Total
Life Insurers	36,79,475	12,72,712	49,52,187	40,43,655	14,19,759	54,63,414
	[8.29]	[17.61]	[10.54]	[9.9]	[11.55]	[10.32]
General Insurers	1,67,993	2,18,214	3,86,206	1,70,167	2,59,164	4,29,331
	[5.85]	[14.81]	[10.73]	[1.37]	[18.77]	[11.17]
Reinsurers	77,349	20,985	98,334	86,175	25,289	1,11,464
	[12.43]	[33.38]	[16.33]	[11.41]	[20.51]	[13.35]
Total	39,24,816	15,11,911	54,36,727	43,00,119	17,04,212	60,04,209
	[8.26]	[17.39]	[10.65]	[9.56]	[12.72]	[10.44]

Note: 1. Figures in brackets represent growth in percentage over the previous year

2. General Insurers included Specialized Insurers and SAHI

3. Reinsurers included Branches of Foreign Reinsurers

Table I.21: Investments of Life Insurers: Fund-wise (As on March 31)

(₹ crore)

Segment	2021-22			2022-23		
	Public	Private	Total	Public	Private	Total
Life Fund	26,45,919	5,49,033	31,94,952	28,61,600	6,56,781	35,18,381
Pension and General Annuity & Group Fund	10,09,757	1,55,929	11,65,685	11,55,875	1,80,163	13,36,038
Unit Linked Fund	23,800	5,67,750	5,91,550	26,180	5,82,815	6,08,995
Total	36,79,475	12,72,712	49,52,187	40,43,655	14,19,759	54,63,414

Investments of Life Insurers

I.6.4.2 Funds of life insurers are split based on investments made out of traditional products and ULIP products. The total funds of life insurers as on March 31, 2023 was ₹54.63 lakh crore, of which ₹48.54 lakh crore (88.85 per cent to total funds) was from traditional products and balance of ₹6.09 lakh crore (11.14 per cent to total funds) from ULIP products. The category-wise investments of life insurers are provided in Table I.18. Life insurance company-wise investments are provided in Statement 16.

I.6.4.3 Based on the method of classification of funds, Life fund contributed ₹35.18 lakh crore

(64.40 per cent to total funds), Pension and General Annuity & Group fund ₹13.36 lakh crore (24.45 per cent to total funds) and Unit Linked Fund (ULIP) ₹6.09 lakh crore (11.15 per cent to total funds) to total investments as on March 31, 2023. During the FY 2022-23, the share of Pension and General Annuity & Group fund to total investments have gone up from 23.54 per cent to 24.45 per cent and ULIP fund gone down from 11.95 per cent to 11.15 per cent. The share of Life fund has decreased from 64.52 per cent to 64.40 per cent in 2022-23. The volume of Life, Pension/Annuity fund and ULIP fund have increased by ₹3.23 lakh crore, ₹1.70 lakh crore and ₹0.17 lakh crore respectively in FY 2022-23.

Investments of General Insurers and Reinsurers

I.6.4.4 Share of investments by General Insurers and Reinsurers stood at 9.01 per cent in total investments made by the insurance sector. The total amount of investments made by the General Insurers and Reinsurers was ₹5.41 lakh crore as on March 31, 2023 as against ₹4.85 lakh crore of the corresponding period of the previous year, registering an increase of 11.17 per cent.

I.6.4.5 As on March 31, 2023, General insurers and Reinsurers have invested ₹2.87 lakh crore (52.99 per cent) majorly in Central, State Government and other approved securities and ₹1.20 lakh crore (22.15 per cent) in Approved

Investments. The investments made category wise by General insurers and Reinsurers are shown in Table I.19. General Insurance and Reinsurance company-wise investments are provided in Statement 17.

I.6.5. Health Insurance Business of General and Health Insurers

Health Insurance Premium (excluding PA and Travel Insurance)

I.6.5.1 During the year 2022-23, General and Health insurance companies collected ₹89,492 crore as health (excluding Personal Accident and Travel) insurance premium registering a growth of about 23 percent over the previous year.

Table I.22: Health Insurance Premium Underwritten by General and Health Insurers

Sector	2021-22	2022-23
Public Sector	32,942.86 [20.99]	39,058.09 [18.56]
Private Sector	20,107.23 [26.66]	25,182.04 [25.24]
Stand-alone Health	20,001.43 [32.16]	25,251.63 [26.25]
Total	73,051.52 [25.44]	89,491.76 [22.51]

- Note: 1. Figures in bracket indicates growth (in per cent) over previous year.
2. The data does not include the detail of health insurance business carried-out in foreign countries.
3. The above Premium excludes Personal Accident and Travel Insurance Business Premium.
4. Data as per the Health returns submitted by Insurers

Chart I.20: Sector-Wise Share in Premium of Health Insurance (2022-23)





Chart I.21: Trend in Health Insurance Premium (EXCI. PA & Travel Insurance)



Policies and Lives Covered under Health Insurance

I.6.5.2 During 2022-23, the General and Health insurance companies have covered 55 crore lives under 2.26 crore health insurance policies [excl. policies issued under PA and Travel Insurance].

Table I.23: Policies, Lives Covered and Premium under Health Insurance


Business of General and Health Insurers

(₹ crore)

Class of Business	No. of Policies (lakhs)		No. of Lives Covered (lakhs)		Gross Premium (₹ crore)	
	2021 -22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
Government Sponsored Business	0.001	0.001	3,065.08	2,977.48	6,075.87	8,480.28
	(0.00)	(0.00)	(-10.62)	(-2.86)	(41.63)	(39.57)
Group Business	7.00	6.50	1,622.88	1,993.97	36,890.58	46,245.87
	(-36.30)	(-7.07)	(36.73)	(22.87)	(31.25)	(25.36)
Individual Business	219.25	219.92	516.23	528.91	30,085.07	34,765.61
	(-3.96)	(0.31)	(-2.85)	(2.46)	(16.43)	(15.56)
Total	226.25	226.42	5,204.19	5,500.36	73,051.52	89,491.76
	(-5.20)	(0.08)	(1.10)	(5.69)	(25.44)	(22.50)


Note: Figures in bracket indicates growth (in per cent) over previous year. Data excludes PA and Travel Insurance.

Chart I.22: Lives Covered (in Lakhs) and Premium (₹ Crore) under Health Insurance (2022-23) excl. PA & Travel



State-wise Health Insurance Business

I.6.5.3 While Five States/UT namely Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat and Delhi contributed about 64 per cent of total health insurance premium in 2022-23, the rest of the States/UTs have contributed remaining 36 per cent.



Claims under Health Insurance

I.6.5.4 The net incurred claims under health insurance business of general and health insurers stood at ₹64,631 crore in 2022-23 reported an increase of about 2 percent from

previous year. There is a decrease in Net Incurred Claims Ratio (ICR) of health business from 109 percent in 2021-22 to 89 percent in 2022-23 and this decrease is witnessed across all classes/sector of health insurance business.




Table I.24: Incurred Claims Ratio under Health Insurance Business of General and Health Insurers

Sector	Govt. Business		Group Business		Individual Business		Total	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
Public Sector	121.27	101.49	130.33	106.98	117.99	101.65	126.17	104.91
Private Sector	111.71	123.67	106.19	89.38	102.52	79.98	105.11	86.82
Standalone Health	0.00	0.00	87.73	60.60	79.38	62.66	81.18	62.17
Total	119.82	102.28	118.64	95.89	95.54	76.03	109.12	88.89

Note:

1. It is excluding of Personal Accident and Travel Insurance Business
2. Data as per the Health returns submitted by insurers

Chart I.25: Trend in Incurred Claim Ratio under Health Insurance: Sector wise





Chart I.26: Trend in Incurred Claim Ratio under Health Insurance: Segment wise



I.6.5.5 During 2022-23, General and Health Insurers have settled 2.36 crore number of health insurance claims and paid ₹70,930 crore towards settlement of health insurance claims. The average amount paid per claim was ₹30,087. In terms of number of claims settled, 75 per cent of the claims were settled through TPAs and the balance 25 per cent of the claims were settled

through in-house mechanism. In terms of mode of settlement of claims, 56 per cent of total number of claims were settled through cashless mode and another 42 per cent through reimbursement mode. Insurers have settled two per cent of their claims amount through "both cashless and reimbursement mode".

Table I.25: Claims Paid under Health Insurance Business of General and Health Insurers (2022-23)

Mode of Claim Settlement	TPA		In-House		Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
	(lakhs)	(₹ crore)	(lakhs)	(₹ crore)	(lakhs)	(₹ crore)
Only Cashless	103.37	29,192.22	28.03	15,936.60	131.40	45,128.82
	[58.77]	[64.87]	[46.84]	[61.47]	[55.74]	[63.62]
Only Reimbursement	69.03	15,603.52	29.28	9,049.71	98.31	24,653.23
	[39.24]	[34.67]	[48.93]	[34.90]	[41.70]	[34.76]
Both Cashless and Reimbursement	2.92	148.66	0.96	557.49	3.88	706.15
	[1.66]	[0.33]	[1.60]	[2.15]	[1.64]	[1.00]
Benefit Based	0.59	57.66	1.58	383.97	2.17	441.63
	[0.33]	[0.13]	[2.63]	[1.48]	[0.92]	[0.62]
Total	175.90	45,002.05	59.85	25,927.77	235.75	70,929.82
	[100]	[100]	[100]	[100]	[100]	[100]

Note: Figures in bracket are per cent to total.

I.6.5.6 During 2022-23, insurers have settled about 86 per cent of total number of claims registered in their books and have repudiated about eight per cent of them and the remaining about six per cent were pending for settlement as on March 31, 2023.

Table I.26: Status of Claims under Health Insurance Business of General and Health Insurers (2022-23)


number in lakh and amount in (₹ Crore)

Claims outstanding at the beginning of the period		New claims registered during the period		Total Claims		Claims paid during the period		Claims disallowed as per terms and conditions of policy contract		Claims repudiated during the period		Claims outstanding at the end of the year	
No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
20.06	5,978.44	255.18	93,060.46	275.24	99,038.92	235.75	70,929.82	0.00	12,754.95	21.65	9,107.68	17.84	6,246.88
				[100]	[100]	[85.66]	[71.62]	[0]	[12.88]	[7.87]	[9.20]	[6.48]	[6.31]

Note: Figures in brackets are percentage to total

Health Insurance Business of Life Insurers

I.6.5.7 During the year 2022-23, life insurers collected ₹1,483 crore as health insurance premium as against ₹1,303 crore in 2021-22 registering a growth of 13.81 per cent.



**Table I.27: Policies, Lives Covered and Premium under Health Insurance
Business of Life Insurers**

Class of Business	No. of Policies / No. of Riders		No. of Lives Covered ('000)		Gross Premium (₹ crore)	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
Health Insurance Products Marketed by Life Insurers						
New Business	3,37,826	2,86,397	473.08	298.76	129.96	98.86
Renewal Business	9,49,796	6,52,631	1,002.41	1,019.35	646.70	442.03
Health Riders Attached to Life Insurance Products						
New Business	7,61,638	8,19,586	4,695.48	5,861.60	231.63	479.65
Renewal Business	24,67,603	31,09,308	3,379.31	3,441.80	295.06	462.76

Health Insurance Products Marketed by Life Insurers

I.6.5.8 During 2022-23, life insurers have procured a total premium of ₹541 crore from various health insurance products. While renewal premium contributed about 82 per cent of total premium, New Business contributed the remaining 18 per cent. Life insurers have issued 2.86 lakh new policies covering 2.99 lakh lives, while they renewed 6.53 lakh policies covering 10.19 lakh lives during 2022-23.

Health Insurance Riders attached to Life Insurance Products

I.6.5.9 Riders which are attached to the base products are offered as a value addition to policyholders. Premium of ₹942 crore was procured through health insurance riders attached to life insurance policies during 2022-23. Out of the total premium from these riders,

renewals accounted for 49 per cent while the rest 51 per cent was contributed by New Business. During 2022-23, 8.20 lakh health insurance riders were issued along with new life insurance products covering 58.62 lakh lives. During the same period, 31.09 lakh riders attached to life insurance products were renewed which covered 34.42 lakh lives.

Claims under Health Insurance Business of Life Insurers

I.6.5.10 During the year 2022-23, life insurers have paid ₹469 crore as claims towards settlement of 37,976 number of claims (81 per cent of total number of claims registered) with respect of health insurance products. In respect of rider claims, 77 per cent of the claims registered were paid amounting to ₹68 crore by the life insurers towards settlement of 1,955 number of claims.

Table I.28: Status of Claims under Health Insurance Business of Life Insurers (2022-23)

Segment	amount in (₹ Crore)									
	Claims O/S at the start of year		Claims Reported during the Year		Claims Paid during the Year		Claims Repudiated/ Rejected		Claims O/S at the start of year	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Health Insurance Products	1,587	49.60	45,082	517.93	37,967	469.18	8,158	81.31	544	17.04
Health Insurance Riders	103	8.19	2,443	96.47	1,955	68.17	442	24.09	149	12.40

Personal Accident Insurance

I.6.5.11 During 2022-23, the insurance industry has covered a total of 119.01 crore number of lives under Personal Accident Insurance. It includes 70.29 crore number of lives covered under Government sponsored schemes namely Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and IRCTC travel insurance for e-ticket passengers

I.6.5.12 During 2022-23, the gross premium income from Personal Accident insurance business was ₹7,048 crore. While private sector general insurers have contributed about 59 per cent of total premium, public sector general insurers and stand-alone health insurers contributed about 30 per cent and 11 per cent of premium respectively. The Incurred Claim Ratio (ICR) for this line of business was around 61 per cent for the year 2022-23.

Table I.29: Business under Personal Accident Insurance

Insurer	No. of Lives (lakh)		Gross Premium (₹ crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
Public Sector	5,933.13	5,546.56	2,413.82	2,089.75	90.29	96.20
Private Sector	5,381.25	6,082.04	3,722.47	4,171.23	44.62	48.14
Stand-alone Health	251.40	272.30	777.91	786.60	24.37	24.54
Total	11,565.77	11,900.90	6,914.20	7,047.58	60.03	60.77

Note:

1. The data is inclusive of number of lives covered under IRCTC, PMSBY & PMJDY businesses.
2. The data does not include the details of PA business carried-out in foreign countries.
3. It is to be noted that under IRCTC Scheme, PA cover is offered to railway passengers only for a specified journey undertaken by the passenger and one person may undertake multiple journeys during the reported period. In respect of lives covered in any of PA policy/schemes, one person may have been covered multiple times.

Table I.30: Coverage under Government Sponsored Personal Accident Schemes (2022-23)

(₹ crore)

Scheme	No. of persons covered (lakh)	Gross Premium (₹ crore)
IRCTC	2,763.64	8.07
PMJDY	1,721.25	3.63
PMSBY	2,544.31	498.06
Total	7,029.20	509.76

Travel Insurance

I.6.5.13 During 2022-23, 78.71 lakh lives were covered under 21.99 lakh overseas travel insurance policies. The gross premium income from overseas travel insurance business for

2022-23 was ₹906 crore. In this line of business, private general insurers are the major players with a market share of about 83 per cent in gross premium. The ICR for this line of business was 42 per cent for the year 2022-23.

Table I.31: Business under Overseas Travel Insurance

Insurer	No. of Lives (lakh)		Gross Premium (₹ crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
Public Sector	0.20	0.57	11.50	20.05	222.32	41.91
Private Sector	16.85	69.54	325.22	747	65.53	43.68
Stand-alone Health	2.04	8.60	56.14	138.49	27.38	32.10
Total	19.09	78.71	392.86	905.53	65.59	41.59

Note: The data does not include the details of overseas travel insurance business carried-out in foreign countries.

I.6.5.14 During 2022-23, the gross premium collected from domestic travel insurance business was ₹230 crore, registering an increase

of about 68 per cent over the previous year. The general and health insurers have covered 47.95 crore lives under 1.23 lakh policies.

Table I.32: Business under Domestic Travel Insurance

Insurer	No. of Lives (lakh)		Gross Premium (₹ crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2021-22	2021-23	2021-22	2021-23	2021-22	2021-23
Public Sector	0.00	0.01	0.0007	0.01	0.00	0.00
Private Sector	3,067.10	4,776.34	105.43	162.70	18.14	21.94
Stand-alone Health	87.23	18.39	31.70	67.12	105.73	4.94
Total	3,154.32	4,794.74	137.13	229.83	34.23	16.90

Health Insurance Business Underwritten Outside India

I.6.5.15 Public sector general insurers namely New India, National and Oriental Insurance are doing health insurance business in foreign

countries. During 2022-23, they procured gross premium of ₹263 crore from health, PA and travel insurance and have covered 11.47 lakh lives. The ICR of for this business carried out outside India is 85 per cent during 2022-23.

Table I.33: Health, PA and Travel Insurance Business Underwritten Outside India

Insurer	No. of lives Covered ('000)		Gross Premium (₹ crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
National	57.80	98.00	2.88	2.67	195.93	189.96
New India	764.02	1,033.32	167.66	218.80	80.32	81.12
Oriental	22.35	15.45	59.77	41.20	117.85	104.50
Total	844.17	1,146.77	230.31	262.67	90.94	85.24

I.6.6 Specified Percentage of Business to be done in Rural and Social Sector

The IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 stipulated targets of business from rural and social sectors to be fulfilled by insurers on an annual basis.

Regulation on Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors

I.6.6.1 The IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 stipulated targets of business from rural and social sectors to be fulfilled by insurers on an annual basis. In terms of these regulations, Insurers are required to fulfil year wise business target prescribed

- i. in terms of percentage of social sector lives computed on the total business; and
- ii. in terms of percentage of number of policies for life insurers and gross premium written direct, for general and standalone health insurers, from rural areas.

I.6.6.2 The regulations require insurers to underwrite business in these segments based on the number of years of operation. The regulations further provide that, if an insurance company commences operations in the second half of the financial year and is in operation for less than six months as at March 31st of the relevant financial year

- i. no rural or social sector obligations shall be applicable for the said period; and
- ii. the annual obligation as indicated in the Regulations shall be reckoned from the next financial year which shall be considered as the first year of operation for the purpose of compliance.

In cases where a life insurance company commences operation in the first half of the

financial year, the applicable obligations for the first year shall be 50 per cent of the obligations for rural areas and 2500 lives for social sector.

Fulfilment of Obligations by Insurers during 2022-23

Life Insurers

I.6.6.3 During the year 2022-23, the public sector insurer as well as twenty-one private sector life insurance companies have fulfilled their rural and social sector obligations.

I.6.6.4 The Life Insurance Companies underwrote 68.47 lakh policies in the rural sector (i.e., 24.05 per cent as against the stipulated 20%) out of the total 284.70 lakh policies underwritten by them in 2022-23. The public sector insurer underwrote 22.25 per cent of the new policies and private insurers underwrote 28.64 per cent of their new individual policies in the rural sector.

I.6.6.5 The life insurers have covered 4.43 crore lives under Social Sector i.e., 17.74 per cent as against the stipulation of 5 per cent. The public sector insurer achieved 14.05 per cent and the private sector achieved 18.72 per cent.

I.6.6.6 M/s Sahara India Life Insurance Co. Ltd. was directed not to underwrite new business from June 24, 2017 vide the IRDAI Order reference IRDAI/F&A/OR/FA/148/06/2017 under section 52 B (2) of the Insurance Act, 1938. Hence, Sahara India Life Insurance Co. Ltd. is not considered for Rural and Social Sector Obligations.

I.6.6.7 Consequent to the merger of Exide Life Insurance Co. Ltd. (Exide Life) with HDFC Life Insurance Co. Ltd. on 15th October 2022, the rural and social sector obligations are not applicable to Exide Life.

General and Health Insurers

I.6.6.8 During 2022-23, all 24 general insurers (excluding Specialized and Stand Alone Health Insurers) have fulfilled their social sector obligations while one general insurer has not fulfilled its rural sector obligations as stipulated under the Regulations. The matter is under examination from the regulatory perspective. All general insurers (excluding Specialized and Stand Alone Health Insurers) underwrote a premium of ₹ 32,091 crore in the rural sector in 2022-23. Public sector and private sector insurers underwrote 23 per cent and 77 per cent respectively of total gross premium procured in the rural sector. Kshema General Insurance Company Limited has been issued a Certificate of Registration as a General Insurance Company in India, on 11/01/2023 and IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 are not applicable for them for FY 2022-23.

I.6.6.9 The five SAHI insurers procured ₹3,980 crores premium in rural sector constituting 15.16 per cent of gross premium procured by them in the year 2022-23 and have covered 87.99 lakh lives under social sector i.e., 10.19 per cent of total lives covered in the previous year.

Motor Third Party Insurance Business Obligations

Section 32D of Insurance Act, 1938 specifies that every insurer carrying on general insurance business shall, after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, underwrite such minimum percentage of insurance business in third party risks of motor vehicles as may be specified by the regulations. Accordingly, IRDAI (Obligations of Insurers in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015 stipulates minimum obligation of insurers with respect to Motor Third

Party Insurance Business on an annual basis.

In the year 2022-23, out of the 24 general insurers which are operating in FY 2022-23, one insurer did not comply with the minimum obligation with respect to Motor Third Party insurance business. The matter is under examination from the regulatory perspective.

The data for calculating Motor Third Party obligation is published by IRDAI and the same for the year 2023-24 is provided in Annexure 3.

I.6.7 Accounts and Actuarial Standards

The financial statements of insurers are prepared in the form and manner prescribed under the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 amended from time to time and also by various circulars and guidelines issued from time to time. Books of accounts are maintained in order to present various line items as required under these Regulations.

Appointed Actuary System

To regulate the Appointed Actuary system, IRDAI issued IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000. The regulations were amended from time to time in order to keep pace with changing insurance market dynamics. During the last financial year, IRDAI issued the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022, superseding all previous regulations on Appointed Actuary.

The Appointed Actuary is responsible for rendering actuarial advice to the management of the insurer, in particular in the areas of product design and pricing, calculation of technical provisions, insurance contract wording, investments and reinsurance, ensuring solvency of the company and complying with IRDAI's directions from time to time.

The Appointed Actuary has access to all the information or documents in possession or under control of the insurer if such access is necessary for the proper and effective performance of the functions and duties of the Appointed Actuary.

I.6.8 Directions, Orders and Regulations issued by the Authority

I.6.8.1 IRDAI issued a number of orders and circulars during 2022-23, the list of which is placed at Annexure 4. In addition, the list of all regulations notified by IRDAI till March 31, 2023 is placed at Annexure 5.

I.6.9 Powers and Functions delegated by the Authority

During the 120th and 121st meeting of the Authority held on 25th November 2022 and 25th March 2023 respectively, IRDAI has delegated some of its powers under the following provisions of the Insurance Act, 1938/Regulations, to the Chairman/ Whole Time Members/ other senior officials of IRDAI:

- i. Imposition of penalty under section 102, 104, 105C(2) and 105D of the Insurance Act, 1938
- ii. Section 3(3), 3(4) and 3(5) of the Insurance Act, 1938
- iii. IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022
- iv. IRDAI (Other forms of capital) Regulations, 2022
- v. IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019

I.6.10 Other Policies and Programmes having bearing on the working of the insurance Market

A. Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) Programme

I.6.10.1 Empowered by the Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) and the rules framed thereunder, the AML/CFT guidelines (the guidelines) to the insurance sector were first issued in March 2006. Since then the insurance sector has been working towards an effective AML/CFT regime in India.

I.6.10.2 IRDAI has issued Master Guidelines on AML/CFT 2022 on 1st August 2022 for Life, General and Health insurance business. These Master Guidelines replaced the earlier Master Guidelines on AML/CFT dated February 07, 2013 and September 28, 2015 for General insurers and Life insurers respectively. Various circulars issued on the subject were also subsumed into the Master Guidelines of 2022. These Guidelines came into effect for Life Insurers from 1st November 2022 and for General & Health insurers from 1st January 2023.

I.6.10.3 The Master Guidelines prescribes requirements pertaining to Customer Due Diligence processes, reporting obligations and record keeping requirements as required under the PMLA. The Master Guidelines of 2022 mandates Client Due Diligence at the inception of account based relationship for all segments of business. Earlier, General and Health insurers were required to conduct Client Due Diligence at the time of settlement stage where claim payout/premium refund is more than ₹1 lakh.

I.6.10.4 Insurers have laid down systems and processes towards implementation of various requirements under the broad oversight of their board. There is a set process of regular review of the effectiveness of the systems through the insurer's internal audit/inspection departments. Compliance with the guidelines is also monitored by IRDAI through both on-site and off-site processes.

I.6.10.5 IRDAI is in active coordination with various agencies/departments in ensuring effective implementation of AML/CFT regime in India and is part of the Working Group for National Risk Assessment (NRA) on AML/CFT constituted by the Department of Revenue. In addition, IRDAI is also actively associated with the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), a FATF style regional body. IRDAI has also signed MoU with Financial Intelligence Unit – India (FIU-Ind) on Mutual Cooperation on 29th January 2014 as part of continued coordinated efforts in effective implementation of requirements of the Prevention of Money Laundering Act and the rules framed there under.

I.6.10.6 Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India has formed an Inter-Ministerial Co-ordination Committee (IMCC) and subsequently Joint Working Group (JWG) of which IRDAI is a member. The aim of the aforementioned Committees/group is to cooperate / consult/ develop/ implement matters related to anti-money laundering and countering the financing of terrorism laws, regulations and guidelines among the Government, law enforcement agencies, FIU-IND and the regulators. IRDAI is also reporting to the concerned Ministry the preparedness of the insurance sector against the applicable FATF recommendations.

B. Right to Information (RTI) Act, 2005

I.6.10.7 IRDAI designated the officers of IRDAI, Hyderabad as the Central Public Information Officers (CPIOs) in terms of Section 5(1) of the RTI Act, 2005 and officers in its Delhi and Mumbai Office as the Central Assistant Public Information Officer in terms of Section 5(2) of the RTI Act, 2005. Further, during the same period, First

Appellate Authority (FAA) was also designated in terms of Section 19(1) of the RTI Act, 2005 to discharge the functions assigned in terms of the said Section of the RTI Act, 2005.

I.6.10.8 During the year, two training/interactive sessions were organised for CPIOs and Appellate Authority on the provisions of RTI Act, 2005 for effective discharge of duties and responsibilities in accordance with the provisions of the RTI Act, 2005. Further, pursuant to the Section 4(2), Chapter II of RTI Act, 2005, a Committee of CPIOs and FAA was constituted to identify and review periodically, the categories of information frequently asked by the RTI applicants and to disclose such information in the public domain.

Government Sponsored Socially Oriented Insurance Schemes

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

PMJJBY is a one-year Group Term Life Insurance Scheme designed by the Government of India. It is available to people in the age group of 18 to 50 years having a bank account who give their consent to join / enable auto-debit. The life cover of two lakh rupees shall be for the one-year period stretching from 1st June of the year to 31st May of the next year and is auto-renewable every year thereafter. The premium is ₹436 per annum (for Policy Year 2022-23). As on March 31st 2023, this scheme is being offered by the public sector insurer and 13 other life insurers.

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)

To protect elderly persons aged 60 years and above against a future fall in their interest income due to the uncertain market conditions, as also to provide social security during old age,

Government of India launched a simplified scheme of assured pension called the PMVVY in 2017. As per the terms and conditions under this plan, guaranteed rates of pension for policies sold during a year will be decided at the beginning of each year by Ministry of Finance, Government of India. The scheme is being implemented through Life Insurance Corporation of India.

The Government of India has introduced PMVVY with modified rate of pension under this plan in May 2020 and extended the period of sale of this plan for a further period of three years from FY 2020-21 till March 31, 2023. For the financial year 2022-23, the Scheme provided an assured pension of 7.40 per cent per annum payable monthly, for the policy term of 10 years for the policies purchased till 31st March 2023.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

The Scheme is available to people in the age group 18 to 70 years with a bank account who give their consent to join / enable auto-debit on or before 31st May for the coverage period 1st June to 31st May on an annual renewal basis. The risk coverage under the scheme is ₹2 lakh for accidental death and full disability and ₹1 lakh for partial disability. The premium was ₹20 per annum for policy year 2022-23. The scheme is offered by general insurance companies who are having tie up with banks for this purpose.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

PMFBY was launched from Kharif 2016 with an aim to support production in agriculture by providing an affordable crop insurance product to ensure comprehensive risk cover for crops of farmers against all non-preventable natural risks from pre-sowing to post-harvest stage. PMFBY constitutes more than 90 per cent of total crop insurance

business in India. The scheme is implemented by empanelled general insurance companies.

Currently PMFBY is facing following challenges: -

- a. Delay in Claim Settlement
- b. High Financial Liabilities on States
- c. Stakeholder Exit from PMFBY
- d. Lack of Information Access/Farmer awareness
- e. Imperfect Grievance Redressal
- f. Unreliable Loss & Yield Assessment- Concern for Insurers
- g. Inadequate Institutional Framework
- h. Dispute resolution between States & insurance companies
- i. Limited Technical Capabilities with States

To address above mentioned challenges, revision of Operational Guidelines is under process with the Government and advisory to States and Insurance Company has already been issued for tender cycle Kharif 2023 till Rabi 2025-26. Summary of proposed revisions are as under: -

- a) More flexibility to states to choose Risk Transfer Option
 - a. Profit Sharing Model
 - b. Cup and Cap model (60:130)
 - c. Cup and Cap model (80:110)
 - d. This will facilitate state to choose risk transfer option as per their budget and requirement.
- b) To ensure timely release of premium subsidy and to maintain strict financial discipline, Subsidy payment will be streamlined through escrow account jointly administered by State Govt. and Govt. of India. Also all the financial transaction (Subsidy or Claims) shall be routed through National Crop Insurance Portal (NCIP).
- c) To conduct CCEs through Mobile application specially designed by Govt. Of India. This will increase transparency and also help in fast dissemination of data.

- d) To Involve Technological Interventions- YESTECH (Yield Estimation System Through Technology), WINDS (Weather Information Network and Data System), CROPIC (Collection of Real-time Photo and Observation of Crop) for Yield estimation and Crop Health. This will help in confidence building of stakeholders and will reduce delay in availability of actual yield data.
- e) To create Technical Capabilities with States, provision for creation of State Level Project Management unit (SPMU) has been advised.
- f) Dispute resolution will be made through a separate, conflict free independent Authority.

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)

PMJAY is a flagship scheme of Government of India under Ayushman Bharat scheme, was launched on September 23, 2018. The scheme provides a health cover of ₹5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to poor and vulnerable households. The scheme is fully funded by the Government and cost of implementation is shared between the Central and State Governments.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The PMJDY program under the National Mission for Financial Inclusion was launched in the year 2014. It envisages universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension. Later, the Government extended the comprehensive PMJDY program with the modification in the accidental insurance cover wherein accidental insurance cover for new RuPay card holders raised from existing ₹1 lakh to ₹2 lakh to new PMJDY accounts opened after August 28, 2018.

II



REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS



PART II: REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

II.1 Regulation of Insurance and Reinsurance Companies

During the year 2022-23, IRDAI has brought in several regulatory reforms to facilitate the orderly growth and development of the insurance industry. The "sunset clause" has been incorporated in the regulations to ensure timely review of the regulations to address the market dynamics. The brief of regulations framed/amended under the IRDA Act, 1999 during the year under review is as follows.

II.1.1 IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations 2022

The Regulatory sandbox is a framework which provides a testing environment to the companies to enable them to test their innovative products, technologies, etc., in a controlled regulatory setting. It promotes innovation and technological solutions in the industry. Certain amendments were also carried out in the Regulatory Sandbox Regulations to allow the insurers/intermediaries to do experimentation on an ongoing basis by increasing the experimentation period from '6 months' to 'up to 36 months' and moving from the existing batch-wise [cohort approach] clearances/approvals to clearances/approvals on a continuous basis. A provision for review of rejected applications under sandbox has also been introduced as part of amendments.

II.1.2 IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance business) Regulations, 2023

The IRDAI has notified IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance business) Regulations, 2023 which superseded IRDAI (Expenses of

Management of Insurers transacting General or Health Insurance business) Regulations, 2016. The new regulations would reduce the compliance burden on the Non-Life Insurers and give more flexibility to concentrate in the new segments of business. Single limit of EoM would help insurers to focus on their desired line of business as per their business plan. The extra allowance towards the Rural sector and Govt. Welfare oriented schemes would help Insurance penetration. Thrust is given to investment in technology and insurance awareness by giving additional allowance for InsurTech expenses and for awareness by providing extra EoM limits.

Major changes of the Regulations are as follows:

- a. Single limit of Expenses of Management as against existing segmental /sub-segmental limits;
- b. Discontinuation of the requirement of Segmental compliance and reporting;
- c. Limits on expenses of management revised to:
 - i. 30 percent in case General Insurance Business,
 - ii. 35 percent in case of Health Insurance Business, of gross premium written in India in that financial year.
- d. Additional allowances towards
 - i. Rural Sector & Govt. Welfare oriented schemes - 15 per cent of the incremental premium;
 - ii. Expenses towards 'InsurTech' and 'Insurance Awareness'; - up to five percent of allowable expenses.
- e. Manner of transfer of benefits, arising from prudent expenses management to the policyholders.

- f. Glide path of 3 years for existing Insurers to comply with the Limits.
- g. No variable pays to MD/ CEO / WTD and KMPs in case actual expenses deviates more than 10 percent from the projections;
- h. Certification of the Returns and Compliance requirements by the Appointed Actuary.

II.1.3 IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business) Regulations, 2023

IRDAI notified IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business) Regulations, 2023 which superseded the IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business) Regulations, 2016. The Regulations would reduce the compliance burden on the Life Insurers and give more flexibility to concentrate in the new segments of business. The number of segments to comply with the EoM limits have been reduced from Twelve to Two i.e. on Par and Non-Par Basis. The extra allowance towards the Rural sector and Govt. Welfare oriented schemes would help Insurance penetration. Thrust is given to investment in technology and insurance awareness by giving additional allowance for InsurTech expenses and for awareness by providing extra EoM limits. The salient features of the regulation are as under:

- Compliance with expenses of management (EoM) limits to be monitored on overall basis at Participating and Non-Participating (including linked) and not on segmental basis;
- Additional allowances towards: Head office allowance for IIO offices also allowed, Rural Sector & Govt. Welfare oriented schemes - up to 15 per cent of the incremental premium, up to 15 per cent of the total

premium sourced for the year and Expenses towards 'InsurTech' and 'Insurance Awareness'; - up to 5 per cent of allowable expenses.

- Increased the allowable expenditure in respect of: - Deferred annuities, Paid-up policies, Lapsed policies and Individual pure risk single premium policies.
- Board approved policy covering: measures to bring cost effectiveness in the conduct of business and reduction of the EoM on an annual basis and manner of transfer of benefits, arising from reduction of expenses and/or from the directly sourced business to the policyholders by way of reduction in the premium.
- Every insurer shall formulate a business plan in advance on an annual basis, which shall be approved by the respective Board. The plan shall, at the minimum, clearly specify the following:
 - the projected requirements of capital during the said financial year;
 - projection of solvency margin on a quarterly basis;
 - the projection of EoM (in rupees as well as percentage of gross premium written in India) and the compliance or otherwise with the limits of EoM;
 - The Business plan as above shall be monitored by the Board at regular intervals.
- Emphasized on Insurer to have well-documented policy approved by its Board and review on annual basis;
- Forbearance for first 5 years on case to case basis for new Insurers and glide path of 3 years for existing Insurers.
- No variable pay to Managing Director (MD)/Chief Executive Officer (CEO)/ Whole Time Directors (WTD) and

Key Management Persons (KMPs) for the financial year where the actual expenses exceed the projected expenses by 10 percent or more.

II.1.4 IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2022

The IRDAI notified IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2022 and superseded the IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2015. Major changes of the Regulations are as follows:

- The process relating to obtaining prior approval of the IRDAI for issue of other forms of capital (OFC) is discontinued to promote ease of doing business.
- Limit specified for issuance of OFC is revised. The new limit states that the OFC of the insurer shall be lower of the following, at any point in time:
 - (i) 50 per cent of the total paid up equity share capital and securities premium of an Insurer;
 - (ii) 50 per cent of the net worth of the insurer.

The limits will enhance the eligibility limit of OFC for the insurer, which will enable them to raise additional capital.

- As the requirement for obtaining prior approval of the IRDAI is discontinued, regulation 4 on “Conditions for issue of Other forms of Capital” specifies the conditions subject to which insurer can issue OFC.
- The Insurers may exercise call option without seeking prior approval of the IRDAI, provided that after exercising such call option, the insurer's solvency position would be at least 20 per cent more than the control level of solvency.
- New regulation on “Responsibility of the Board” is inserted incorporating the following provisions:

- For issuance of preference shares, Board resolution and special resolution shall be passed in the general body meeting of the shareholders authorizing the issue of such preference shares;
- For issue of the debentures and any other debt instrument, a Board resolution shall be passed authorizing the issue of such debentures and any other debt instrument;
- The Board shall provide rationale for issue of OFC instead of equity share capital.

II.1.5 IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022

Appointed Actuaries (AA) play a pivotal role in the operations of an insurer. To ensure sufficient supply of Actuary professionals in the industry, the experience and qualification requirements have been made flexible. Maintenance of solvency by the insurers is a critical aspect of the health of an insurer and AA play a significant role in maintaining the solvency levels. The responsibility of AA has been enhanced by introducing provisions for identification, monitoring, reporting and recommending actions to be taken for the risks affecting the solvency position of the company. Obligations have also been placed on insurers to ensure that the AA can discharge his responsibilities appropriately.

II.1.6 (a) IRDAI (Assets Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022

With a view to increase crop insurance penetration and efficient use of capital by general insurers, the period for considering State/ Central Government premium dues for calculation of solvency margin has been increased from 180 days to 365 days. Solvency factor related to crop insurance reduced to 0.50 from 0.70.

(b) IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022

In order to enable efficient utilization of capital by life insurers, the factors for calculation of solvency margin were reviewed and revised through amendments of IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022 dated 5th December, 2022]. The amendments are as follows:

- i. For Unit Linked Business (Without Guarantees) – first factor is reduced to 0.60% from 0.80%.
- ii. For PMJJBY – second factor is reduced to 0.05% from 0.10%.

II.1.7 IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022

The IRDAI has notified IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022 which superseded IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulation, 2000. Major changes of the Regulations are as follows:

- a. Definition of “foreign promoter” has been added.
- b. Non-Operative Financial Holding Company registered with RBI can be Indian Promoter.
- c. Subsidiary company is allowed to be promoter if it is listed, has net worth of ₹ 500 crores and has independent source of funds.
- d. Process of registration of insurance company like NOC, validity period specified
- e. Changes in criteria for investment by PE Funds
- f. Promoter being the Special Purpose Vehicle (SPV) conditions are specified.
- g. Lock-in period for promoter and investor has been specified.

- h. Increase in limit as investor: 10 per cent to 25 percent (2 in each class)
- i. Minimum promoter holding: above 50 per cent of equity (26 per cent: If listed + solvency track record)

The above amendments will enable more players into the Insurance sector to provide more choice to the policyholders. Further, it would help increase in foreign investments in insurance sector. The fast track online process of obtaining NOC from IRDAI enables the applicants to establish the Insurance company in a speedy manner. Further, regulations relating to transfer of shares has been subsumed with these Registration regulations.

II.1.8 IRDAI (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022

The amendments in IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 and IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 were brought as an amendment under IRDAI (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022 dated 5th December, 2022.

The objectives of these amendments are to enable the policyholders/prospects to have wider choice and access to insurance through various distribution channels and facilitate the reach of insurance to the last mile. Accordingly, the maximum number of tie ups for Corporate Agents (CA) and Insurance Marketing Firms (IMF) have been increased. Now, a CA can tie up with 9 insurers (earlier 3 insurers) and IMF can tie up with 6 insurers (earlier 2 insurers) in each line of business of life, general and health for distribution of their insurance products. The area of operation of IMF has also been expanded to cover entire state in which they are registered.

II.1.9 IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023

IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023 were notified on 26th March, 2023 to facilitate the insurers in development of new business models, products, strategies, internal processes and enable in easy compliance with the Regulations while fulfilling the regulatory objectives. These regulations are intended to provide the insurers the flexibility to manage their expenses based on their growth aspirations and the ever-changing insurance needs with an objective to improve insurance penetration. Consequent upon notification of IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023 dated 26th March, 2023, the maximum distribution fees payable to Motor Insurance Service Provider (MISP) is as per Board approved policy for payment of commission of the insurer.

Comprehensive Review of Regulatory Framework

II.1.10 With the objective of promoting ease of doing business, reducing compliance costs on the regulated entities and to accelerate growth of the insurance sector, IRDAI constituted thematic working groups through Life and General Insurance Councils which were entrusted with the tasks of deliberating on various topics assigned and submit their recommendations in the matter. The need for review of regulations and the regulatory stipulations was recommended by the working group.

II.1.11 Based on the same and also to cater to the needs of stakeholders of insurance industry in the present economic requirement, the Authority has initiated review of extant regulatory framework. Towards this, under the aegis of both the Life and General Insurance Councils, a Regulation Review Committee (RRC) has been

constituted with representation from various stakeholders to undertake comprehensive review of the regulatory framework and initiate transition to principle based approach.

II.1.12 After extensive consultations with the stakeholders, the IRDAI is working for consolidation of regulations with overall objective of moving towards a principle based regulatory architecture facilitating ease of doing business, reducing compliance burden while protecting policyholders' interest and ensuring orderly growth of the insurance industry.

II.2 Insurance Agents And Intermediaries Associated With Insurance Business

II.2.1 Insurance Agents

An Insurance Agent is an individual appointed by an Insurer for the purpose of soliciting or procuring insurance business including business relating to continuance, renewal or revival of policies of insurance. No individual shall act as an insurance agent for more than one life insurer, one general insurer and one health insurer and one each of the specialised insurers.

Insurance Agents Associated with Life Insurers

II.2.1.1 The number of individual agents as at March 31, 2023 was 26.28 lakhs as against 24.43 lakhs as at March 31, 2022. The life insurance industry showed a growth of 7.60 per cent in number of agents over the previous year. While the private life insurers recorded a growth of 14.76 per cent, the public life insurer recorded a growth of 1.58 per cent. As at March 31, 2023, the number of agents with the public sector stood at 13.47 lakhs and the corresponding number for private sector insurers was 12.80 lakhs.

During the year 2022-23, 8.85 lakh agents were appointed and 7 lakh agents were terminated.

The number of Agents appointed and terminated during the year 2022-23 by the public sector and private sector is shown in Table II.1.

Out of the total 26.28 lakh individual agents of Life insurance industry, male individual agents

form 71.65 per cent and female individual agents are 28.35 per cent. The gender-wise distribution of Agents of the public sector and the private sector is given in Table II.2.

Table II.1: Insurance Agents Associated with Life Insurers

(Number of Agents)

Insurer	As on March 31, 2022	Appointment during 2022-23 *	Termination during 2022-23 *	As on March 31, 2023
Private Sector	11,16,177	4,93,473	3,28,767	12,80,883
Public Sector	13,26,432	3,92,337	3,71,444	13,47,325
Total	24,42,609	8,85,810	7,00,211	26,28,208

*This is effective of the merger of Exide Life with HDFC Life on October 15th, 2023

Table II.2: Gender-wise Distribution of Individual Agents associated with Life Insurers as on 31st March 2023

(Number of Agents)

Insurer	Male	Female	Total
Private Sector	8,53,801 (67)	4,27,082 (33)	12,80,883 (100)
Public Sector	10,29,438 (76)	3,17,887 (24)	13,47,325 (100)
Total	18,83,239 (72)	7,44,969 (28)	26,28,208 (100)

Note: Figures in brackets indicate percentage to total

II.2.1.2 Insurance Agents associated with General and Health Insurers

Number of agents associated with general and health insurers recorded a growth of 6.46 per cent and 20.21 per cent respectively over the previous year. There are no agents associated with specialized insurers. Out of the total 7,27,493 lakh agents of general insurers, 76.76 per cent are

male and 23.24 per cent are female. Out of the total 11,58,294 individual agents of Stand-alone health insurers, 71.77 per cent are male and 28.23 per cent are female. The details of insurance agents engaged in General and Health business is placed at Table II.3. The gender-wise distribution of insurance agents in General and Health business is placed at Table II.4.

Table II.3: Insurance Agents Active with General & Health Insurers

Insurer	As on March 31, 2022	Appointment during 2022-23	Termination during 2022-23	As on March 31, 2023
Public Sector General Insurers	2,99,886	12,084	2,222	3,09,748
Private Sector General Insurers	3,83,489	58,357	24,101	4,17,745
General Insurers Total	6,83,375	70,441	26,323	7,27,493
Stand-alone Health Insurers	9,63,593	2,05,326	10,625	11,58,294
Total	16,46,968	2,75,767	36,948	18,85,787

Table II.4: Gender wise Distribution of Insurance Agents associated with General and Health Insurers (2022-23)

Insurer	Male	Female	Total
Public Sector General Insurers	2,51,806 (81)	57,942 (19)	3,09,748 (100)
Private Sector General Insurers	3,06,644 (73)	1,11,101 (27)	4,17,745 (100)
General Insurers Total	5,58,450 (77)	1,69,043 (23)	7,27,493 (100)
Stand-alone Health Insurers	8,31,290 (72)	3,27,004 (28)	11,58,294 (100)
Grand Total	13,89,740 (74)	4,96,047 (26)	18,85,787 (100)

Note: Figures in brackets indicate percentage to total

II.2.2 Corporate Agents

Corporate Agents are entities holding a valid certificate of registration issued by the IRDAI under IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 for solicitation and servicing of insurance business for any of the specified category of life, general or health. In the interest of providing wider choice of insurers and products to the end customers, IRDAI has amended the Regulations governing Corporate Agents, permitting Corporate Agents to have

arrangements with nine life insurers, nine nonlife insurers and nine stand-alone health insurers. As on March 31, 2023, there were 564 active Corporate Agents, out of which there are 241 banks, 323 NBFCs/ Cooperative Societies / Limited Liability Partnership Firms and other eligible firms.

Corporate Agents Associated with Insurance Business as on 31st March, 2023 is provided at Table II.5.

Table II.5: Corporate Agents Active with Insurance Business (As on March 31, 2023)

Category	Banks	NBFCs & others	Total
Life	9	12	21
General	8	27	35
Health	0	0	0
Composite	224	284	508
Total	241	323	564

II.2.3 Insurance Brokers

The number of registered brokers is 790 as on March 31, 2023. Out of this, the valid brokers stood at 616 and remaining 174 are not in force as on March 31, 2023. The 616 valid brokers comprise of 546 direct brokers, 66 composite brokers and 4 reinsurance brokers.

Total 81 new Certificate of Registrations (CoR) were issued during the period from April 01, 2022 to March 31, 2023 out of which 68 were direct insurance brokers (Life & General) and 13 direct insurance brokers (General). During the period, 128 insurance broker registrations were renewed.

II.2.4 Micro Insurance Agents

II.2.4.1 In order to equip low-income groups and economically disadvantaged sections, micro insurance as a concept had been brought in the

form of affordable insurance products to help them cope with and recover from financial losses.

Initially IRDAI had notified the Micro Insurance Regulations in 2005 and later on modified IRDAI (Micro Insurance) Regulations in 2015 permitting many banking and non-banking financial institutions, cooperative societies to be appointed as Micro Insurance agents.

Micro Insurance in Life Insurance Sector

II.2.4.2 Forty-two (42) micro insurance products of 20 life insurers were available in the market for sale as at March 31, 2023. Of these 42 products, 16 are Individual products and the remaining 26 are Group products (Annexure 6). The performance of micro insurance business in Life Insurance Sector during FY 2022-23 is given in Table II.6.

Table II.6: Performance of Micro Insurance Business in Life Insurance Sector (2022-23)

Insurer	Individual New Business		Group New Business		
	Policies (Lakh)	Premium (₹ Crore)	Schemes	Premium (₹ Crore)	Lives covered (Lakh)
Private sector	1.26	35.45	231	8,541.47	1,554.63
Public Sector	3.24	164.74	4,081	51.14	72.21
Total	4.50	200.19	4,312	8,592.61	1,626.84

Note: New business premium includes first year premium and single premium.

II.2.4.3 The number of micro insurance agents as at March 31, 2023 stood at 1,01,916 of which 82,479 agents pertained to private sector and the remaining 19,437 pertained to public sector life insurers. Out of the total Micro Insurance agents,

NGOs form 4.68 per cent, Self Help Groups (SHGs) form 0.26 per cent, Micro Finance Institutions (MFIs) form 0.25 per cent, Business Correspondents (BCs) form 0.14 per cent and other MI Agents form 94.68 per cent (Table II.7).

Table II.7 Micro Insurance Agents of Life Insurers

Micro Insurance Agents	Public Sector	Private Sector	Total
NGOs	4,759	11	4,770
SHGs	260	0	260
MFIs	221	29	250
Business Correspondents	103	42	145
Other Micro Insurance Agents	14,094	82,397	96,491
Total	19,437	82,479	1,01,916

Micro Insurance in General Insurance Sector

II.2.4.4 General Micro Insurance products are aimed at economically vulnerable segments of the population and cover health insurance, cover for belongings (hut, livestock, tools or instruments), personal accident, on individual or group basis. The IRDAI has permitted Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) covering non-loanee farmers, to be solicited and marketed by Micro Insurance Agents. Further, general insurance policies issued to Micro, Small and Medium Enterprises as classified in MSMED Act, 2006 under various lines of general insurance business will also qualify as general Micro Insurance business up to premium of ₹ 10,000 per annum per MSME. The number of micro insurance policies issued by General Insurers during 2022-23 are as follows.

Table II.8 Number of Micro insurance Policies Issued

Private	Public	Total
1,66,387	21,814	1,88,201

Note: Does not include Micro Insurance policies issued by Stand-alone Health Insurers

II.2.5 Insurance Marketing Firm

II.2.5.1 Insurance Marketing Firm (IMFs) is a distribution channel registered by IRDAI to solicit and procure insurance products, to distribute other financial products regulated by SEBI, RBI, Post Office, NPS etc. by employing individuals licensed to market them. IMFs are registered by the IRDAI under IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015.

II.2.5.2 The NITI Aayog has launched the 'Transformation of Aspirational Districts' programme in January 2018 with the aim to quickly and effectively transform the most under developed districts of the country. Financial Inclusion is one of the 49 key performance indicators for measuring the transformation of the districts. In alignment with this programme, IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) (Amendment) Regulations, 2019 were notified on July 24, 2019. The amendment reduced the net worth requirement for operating in an aspirational district thus incentivizing the prospective applicants to consider these districts as their area of operation.

II.2.5.3 Performance of IMFs channel during the year 2022-23 is as under:

- Certificate of Registrations issued during 2022-23: 85
- Total number of registrations as on March 31, 2023: 609.
- Total premium income generated under IMFs channel (Life / General & Health) during the year 2022-23 is as follows:

Table II.9: Business Performance of IMFs

Insurer	IMFs placing insurance business with number of insurers	No. of Policies Sourced	Premium (₹ Crore)
General and Health Insurers	23	80,254	91.34
Life Insurers	13	76,698	553.62
Total	36	1,56,592	644.96

II.2.6 Common Public Service Centre-SPV

II.2.6.1 The Common Service Centres (CSC) are established under the Digital India programme of the Government of India and implemented by M/s. CSC e-Governance Services India Limited. The IRDAI has notified the IRDAI (Insurance Services by Common Service Centres), Regulations 2015 which was superseded by IRDAI (Insurance Services by Common Public Service Centers) Regulations, 2019.

II.2.6.2 Performance of CPSC-SPV channel during the year 2022-23 is as under:

- Total new business premium procured: ₹ 411.5 crore
- Total renewal premium (Life) collected: ₹ 1656 crore
- No. of RAP who have undergone training and have passed the exam and have been issued certificates in 2022-23: 9,144
- No. of RAP who have undergone training and have passed the exam and have been issued certificates since inception: 99,165
- No. of VLE-Ins who have undergone training and have passed the exam and have been

issued certificates in 2022-23: 39,512

- No. of VLE-Ins who have undergone training and have passed the exam and have been issued certificates since inception: 2,35,429

II.2.7 Insurance Web Aggregators

II.2.7.1 IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017 was notified on April 13, 2017 with an objective to supervise and monitor the Insurance Web Aggregators. Insurance Web Aggregators are allowed to sell Life, General and Health Insurance products through online and distance marketing modes. As on March 31, 2023, the number of certified Insurance Web Aggregators is 25. The performance of web-aggregator channel during 2022-23 is as under:

I	Total premium procured (₹ crore)	59
II.	Total number of policies issued	95,015

II.2.8 Point of Sales Person (POSP)

II.2.8.1 In order to facilitate the growth of insurance business in the country and to enhance insurance penetration and insurance density, the IRDAI as part of its developmental agenda issued guidelines on "Point of Sales Persons".

POSP means an individual who possesses the minimum qualifications, has undergone training and passed the examination as specified in the POSP guidelines and solicits and markets only such products as specified by the IRDAI. The number of POSP as on March 31, 2023 is 20,12,275.

Table II.10: Number of POSPs with various Sponsoring Agencies

Sponsoring agency	No. of sponsoring agencies	No. of POSP
Insurers	46	7,71,433
Insurance Brokers	223	9,62,321
Corporate Agents	57	2,78,521
Total	326	20,12,275

II.2.9 Motor Insurance Service Provider (MISP)

II.2.9.1 The IRDAI has issued Motor Insurance Service Provider (MISP) guidelines in 2017 with an objective to recognize the role of automotive dealer in distributing and servicing motor insurance policies and to have regulatory oversight over their activities connected to insurance. The number of MISP registered as on March 31, 2023 is 23,953.

Table II.11: Number of MISPs with various Sponsoring Agencies

Sponsoring agency	No. of sponsoring agencies	No. of MISP
Insurers	19	9,119
Insurance Brokers	23	14,405
Corporate Agents	6	429
Total	48	23,953

II.2.10 Insurance Repositories

II.2.10.1 The Insurance Repository System is an initiative of the IRDAI to de-materialize insurance policies. To achieve this objective, the IRDAI issued the guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of insurance policies in April, 2011. Subsequently in May, 2015, the IRDAI has issued the "Revised Guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of Insurance policies".

As on 31st March 2023, there were total 1.41 crore eIA (Electronic Insurance Account) created and a total of 1.37 crore policies converted into electronic mode since April 2011.

II.2.10.2 There are four Insurance Repositories approved by the IRDAI as on March 31, 2023.

They are:

- NSDL National Insurance Repository
- CDSL Insurance Repository Limited

- CAMS Repository Services Limited
- Karvy Insurance Repository Limited:

II.2.11 Insurance Self-Network Platform (ISNP)

II.2.11.1 In endeavour to increase the insurance penetration through the medium of e-commerce, the Authority has issued guidelines on Insurance ecommerce on March 09, 2017. The IRDAI has launched ISNP online portal (isnp.irda.gov.in) on April 11, 2017 for the purpose of filing online applications. The status of the ISNP application received from insurers and intermediaries as on March 31, 2023 is as below:

Table II.12: Number of ISNP applications

Description	Numbers
Insurers	53
Brokers	251
Web Aggregators	80
Corporate Agents	24
Total	408

II.2.12 Surveyors and Loss Assessors

II.2.12.1 Surveyors and Loss Assessors (SLA) play an important role in the process of evaluation and settlement of claims pertaining to general insurance policies. Section 64UM of the Insurance Act, 1938 provides that no person shall act as a surveyor or loss assessor in respect of general insurance business unless he holds a valid SLA license issued by IRDAI. No claim in respect of a loss which has occurred in India and requiring to be paid or settled in India equal to or exceeding an amount specified in the regulations by the IRDAI in value on any policy of insurance, arising or intimated to an insurer shall be admitted for payment or settled by the insurer

unless he has obtained a report, on the loss that has occurred, from a person who holds a license to act as a surveyor or loss assessor.

As per Section 64UM of the Insurance Act, 1938 amended vide the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, academic qualification as specified by the IRDAI and membership of Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) are statutory requirements for a person to act as a surveyor and loss assessor. There is a provision of appeal in IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015, as amended from time to time, in respect of applicants who are not able to get membership from IIISLA.

Table II.13: Surveyor and Loss Assessor Licenses Issued

Type of SLA	2021-22	2022-23
Fresh Licenses		
Individual	514	325
Corporate	13	27
Total	527	352
Renewals		
Individual	2,824	3,115
Corporate	47	60
Total	2,871	3,175
Trainee Enrolments	1,384	1,447

II.2.13 Third party Administrators (TPA's)

II.2.13.1 As at March 31, 2023 there are 18 active TPAs. No Certificate of Registration was granted to any new TPA during 2022-23. The TPAs expanded the network of the hospitals by adding 26,717 health services agreements to their networks. After withdrawal/removal of 8,816 the number of agreements in the network remained 1,90,116 as on 31st March 2023.

II.2.14 Performance of Insurance Agents and Intermediaries Associated with Insurance Business

Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Life Insurance Business

Individual New Business

II.2.14.1 The individual agents continue to be the major distribution channel for individual new business. However, the contribution of individual agents to the individual new business premium has decreased to 52.76 per cent during the year 2022-23 compared to 55.01 per cent in 2021-22. For the public sector insurer, individual agents are the dominant channel of distribution with a share of 96.14 per cent in individual new business premium while they contribute 23.08 per cent for the private sector. The second major distribution channel of individual new business is corporate agents. The contribution of corporate agents, which was at 33.91 per cent during 2021-22 has increased to 35.11 per cent in the year 2022-23. The share of corporate agents in the new business premium procured by the private life insurers was significant at 57.02 per cent in 2022-23 (58.23 per cent in 2021-22). On the other hand, the corporate agents' share in individual new business premium in public sector marginally increased from 2.72 per cent in 2021-22 to 3.08 per cent in 2022-23.

II.2.14.2 The share of Insurers' direct sales channel was 7.81 per cent in 2022-23 against 7.16 per cent in 2021-22 under individual new business. While private insurers procured 13.15 per cent of their new business premium through direct sale, no business was attributed to direct sales by the public sector insurer. Online sales channel contributed at 0.84 per cent in the year 2022-23 declined marginally from 1.36 per cent in the year 2021-22. Micro Insurance (MI) agents, Common Service Centres (CSCs), Web Aggregators, Insurance Marketing Firm (IMF) and Point of Sales (POS) channels together contributed less than one per cent (0.41 per cent)

to the individual new business premium in 2022-23, against 0.63 per cent in 2021-22.

Group New Business

II.2.14.3 Direct sales showed a decline but continued to be the dominant channel of distribution for group business, with a share of 84.55 per cent of premium during 2022-23. The corresponding share in 2021-22 was 88.85 per cent. This channel contributed 59.00 per cent and 92.33 per cent of the group new business premium of the private sector insurers and the public sector insurer respectively. Another important distribution channel for Group

business of the private insurers was Corporate Agents-Banks. During the year 2022-23, banks contributed 19.73 per cent and 3.97 per cent of the total group new business premium in case of the private insurers and the public sector insurer respectively as against 21.47 per cent and 1.06 per cent in 2021-22. The public sector insurer procured 3.62 per cent of the group business premium through its individual agency force while private insurers procured 1.38 per cent through this channel. The contribution of brokers channel was 1.67 per cent in 2022-23 which was 1.18 per cent in 2021-22 in the industry new business premium under group business (Table II.15).



Table II.14: Business Performance of Intermediaries in Life Insurance (2022-23)

(Figures in percent of Premium)

Sl. No.	Type of Intermediary	Individual New Business			Group New Business		
		Private Sector	Public Sector	Industry	Private Sector	Public Sector	Industry
1	Individual Agents	23.08	96.14	52.76	1.38	3.62	3.10
2	Corporate Agents-Banks	53.15	2.98	32.77	19.73	3.97	7.65
3	Corporate Agents-others	3.87	0.10	2.34	11.92	0.01	2.79
4	Brokers	5.11	0.10	3.07	6.91	0.07	1.67
5	Direct Business	13.15	0.00	7.81	59.00	92.33	84.55
6	MI agents	0.01	0.28	0.12	1.06	0.00	0.25
7	CSCs	0.01	0.13	0.06	0.00	0.00	0.00
8	Web Aggregators	0.06	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
9	IMF	0.18	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00
10	Online	1.33	0.13	0.84	0.00	0.00	0.00
11	Point of Sales (PoS)	0.05	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
	Total Individual Business	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Note:

1. New business premium includes first year premium and single premium.
2. The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.



Performance of Insurance Agents and Intermediaries Associated with General Insurers

II.2.14.4 During the year 2022-23, insurance brokers continued to contribute to the major share in premium of general insurers with 36 per cent followed by direct sale channel and individual agents with 25 per cent and 20 per cent respectively. The contribution of corporate

agents was 9 per cent of premium. All other channels together contributed to remaining 10 per cent of premium. For public sector general insurers, individual agents (33 per cent) followed by direct sale (32 per cent) and brokers (30 per cent) are the major channel of distribution while for private sector general insurers, brokers (43 per cent) and direct sale (24 per cent) are the major channel of distribution.

Table II.15: Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries associated with General Insurers (2022-23)

(Figures in Percentage of Premium)

S. No	Distribution Channel	Public Sector	Private Sector excluding SAHI	Specialised Insurers	Total
1.	Individual Agents (A)	33	14	0	20
2.a	Corporate Agents-Bank	1	9	0	5
2.b	Corporate Agents-Others	0	5	0	3
	Corporate Agents (Total)	1	14	0	9
3.	Brokers (C)	30	43	11	36
4.	Referral Arrangement (D)	0	0	0	0
5.a	Direct Business-Internet	1	2	0	1
5.b	Direct Business-Other than internet	31	22	0	24
	Direct Business (Total)	32	24	0	25
6.	Micro Insurance Agent (F)	0	0	0	0
7.	Others (G)	4	4	89	10
	Total	100	100	100	100


Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Health Insurance Business (Excl. PA and Travel Insurance)

II.2.14.5 Amongst various channels for distribution of health insurance policies, individual agents continued to contribute a major share in total health insurance premium at 30 percent as in the previous year. The share of this channel was high at 73 percent in individual health insurance premium. 100 per cent of Government business and about 28 per cent of total health insurance premium is procured by insurers directly.

Third important channel for distribution of health insurance business is insurance broker channel, who contributed 28 percent of total health insurance premium. The share of brokers was high at 48 percent in group health insurance premium. Corporate agency channel contributed nine percent of total health insurance premium

and "Online Sale" channel contributed two percent of total health insurance premium.

Percentage of Premium



Percentage of Premium




Table II.16: Business Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Health Insurance (Excl. PA and Travel Insurance) (2022-23)

S. No.	Distribution Channel	Government Business	Group Business	Individual Business	Total
1	Individual Agents	-	3.38	72.93	30.08
2	Corporate Agents				
	i. Banks	-	11.62	6.67	8.60
	ii. Others	-	4.37	1.00	2.63
3	Brokers	-	48.09	8.65	28.21
4	Direct Sale				
	i. Online	-	0.40	3.68	1.64
	ii. Other than Online	100	31.98	5.85	28.29
5	Micro Insurance Agents	-	0.14	0.00	0.07
6	Common Service Centres	-	0.00	0.01	0.00
7	Web aggregators	-	0.01	0.17	0.07
8	Insurance Marketing Firms	-	0.01	0.16	0.07
9	Point of Sales	-	0.00	0.87	0.34
	Total	100	100	100	100

II.3 Professional Institutes Connected With Insurance Education

II.3.1 Institute of Insurance and Risk Management (IIRM)

II.3.1.1 IIRM, an initiative of IRDAI, in the year 2022-23 has adapted itself to work towards the goal of "Insurance for all by 2047." In alignment with the IRDAI vision the Institute has reached out to the industry for knowledge enhancement, curating programs and customising the curriculum to the needs of industry through MOU's with specific organisations in the insurance space and conducted training programs for the working professionals. IIRM has also partnered with the insurers through field research and roadshows for enhancing

insurance awareness among youth with the assistance of its PGDM students.

II.3.1.2 The industry acceptance and compensation for the two-year Post Graduate Diploma in Management graduates is gaining momentum resulting in attractiveness in Insurance careers. To broaden the talent scope for Insurance sector, IIRM has specific insurance based academic programs for technical students and health professionals. To augment the requirement of the Actuarial talent for the industry, an 18 month-actuarial program covering key papers is being offered to the working professionals. Insure-tech is the added dimension in preparing the students for the Insurance 2.0 ecosystem. This proactive approach would strengthen the talent requirements for the Insurance sector.

II.3.2 Insurance Institute of India (III)

II.3.2.1 Insurance Institute of India, (III) established in the year 1955, has been working for the last 68 years in the field of Insurance, Academics, Training and Development. As a member of the Institute of Global Insurance Education, it has long standing association with many other reputed global institutions and associations.

The training arm of the Institute, the College of Insurance, has state of the art training facilities in Mumbai and Kolkata. During the year ended on 31st March, 2023, 8,032 participants from India and overseas countries attended the trainings. The College of Insurance conducted the training programs in new areas during F.Y.2022-23 notably on; IFRS 17, Mega Risk Project Insurance, Cyber Risk Management, Electric Vehicle Insurance in addition to other areas of Insurance. III has conducted a number of seminars and undertook various research projects.

II.3.2.2 III's flagship examinations: Licentiate, Associateship and Fellowship certificate examinations were conducted during the F.Y.2022-23. III develops course content and conducts pre-recruitment/ pre-licensing examinations for insurance intermediaries as mandated by the IRDAI.

II.3.3 Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA)

II.3.3.1 The Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) is an institute promoted and established by the IRDAI and incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956 on October 04, 2005.

The institute is established to promote quality in profession of Surveyors and Loss Assessors

through education and training, facilitate introduction of best practices amongst its members and to disseminate technical information amongst its members to upgrade their skill and knowledge. Its objective is to promote research and studies in loss control and minimization techniques share the same with Insurance Industry and general public and to update its members on application of new technologies for improving service to the users and consumers. Further, it is also responsible for bringing out guidance notes, instruction manuals, periodicals for the use and benefit of members and others connected with the profession of surveyors and loss assessors.

II.3.4 Other Professional Institutes

II.3.4.1 IRDAI has statutory representation in the Council of the Institute of Actuaries of India (IAI), a statutory and professional body for regulation of profession of Actuaries in India. Its objective, among other things, includes regulation of the practice by the Members of the profession of Actuary.

Another noteworthy integrated management school in relation to insurance education is the National Insurance Academy (NIA), Pune, which promotes, develops and nurtures research and consultancy activities on institutional and individual basis.

II.4 LITIGATIONS, APPEALS AND COURT PRONOUNCEMENTS

II.4.1 The details of the litigations in terms of cases filed before the Supreme Court, various High Courts, Securities Appellate Tribunal (SAT), Civil Courts, Motor Accident Claims Tribunal (MACT), and Lok Adalat (where IRDAI is a party), and also cases disposed/dismissed during 2022-23 are provided in tables below:

Table II.17: Details of the cases filed during 2022-23

S. No.	Particulars of Cases filed	Total number of cases
1.	Supreme Court	5
2.	Writ Petitions filed in various High Courts	43
3.	Securities Appellate Tribunal	5
4.	Writ Appeals ,LPAs filed in various High Courts	3
5.	Review/Restoration Petitions filed in various High Courts	-
6.	Contempt Petitions filed in High Courts	2
7.	Consumer Cases (DCF+SCDRC+NCDRC)	72
8.	Civil & Lok Adalat cases	7
9.	MACT cases	0
10.	PILs	1
11.	Criminal Petitions	-
	Total	138

Table II.18: Details of Cases Disposed for the period 2022-23

SL. NO	Particulars	Total	
		A	B
1	Supreme Court	1	-
2	Writ Petitions disposed in various High Courts	10	10
3	Securities Appellate Tribunal	1	4
4	Writ Appeals, LPAs disposed in various High Courts	-	-
5	Review/Restoration Petitions disposed in various High Courts	-	-
6	Contempt Petitions disposed in High Courts	-	1
7	Consumer Cases	-	25
8	Civil & Lok Adalat cases	-	-
9	MACT cases	-	-
10	PILs	-	-
11	Criminal Petitions	-	-
	Total	12	40

Note: A: Cases disposed with direction to IRDAI;

B: Cases disposed without direction to IRDAI

II.5 INTERNATIONAL COOPERATION IN INSURANCE

IRDAI recognizes importance of adopting international best practices while introducing and implementing regulatory measures domestically. In this context, and in furtherance of its regulatory objectives, IRDAI engages with various international organizations, forums and

foreign regulators. IRDAI continued to actively engage and contribute to ongoing developments in the international arena in the financial year 2022-2023 as well.

II.5.1 Association with International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

II.5.1.1 The IAIS is a voluntary membership organization of insurance supervisors and

regulators from more than 200 jurisdictions, constituting 97 of the world's insurance premiums. It is the global standard-setting body responsible for developing and assisting in the implementation of principles, standards and guidance as well as supporting material for the supervision of the insurance sector. IRDAI is a member of IAIS and also member of the Executive Committee of IAIS. The policy work of IAIS is conducted through a committee system led by Executive Committee which is in turn supported by five policy Committees. IRDAI has representation in three of these policy committees. These committees oversee standard setting activities in the area of policy development, financial stability and implementation and assessment of IAIS supervisory material etc.

II.5.1.2 Under IAIS Committee System, there are various working groups/task forces under each committee. IRDAI has participation in Financial Inclusion, Corporate Governance, Market Conduct, Macro Prudential Policy and Surveillance and Insurance Capital Standard Development working groups. As part of the IAIS's standard setting activities, IRDAI participates in the consultation process and its nominated member representatives participates in Committees/Working Group/ Task Forces meetings too. The deliberations and knowledge sharing translate into the formulation and adoption of global insurance standards.

II.5.1.3 IRDAI participates in peer review and self-assessment exercises that involve assessing the implementation and observance level of Insurance Core Principles' standards, and its effectiveness in a jurisdiction. The IAIS's Peer Review Process (PRP) supports members to identify the nature and extent of any weaknesses or gaps in supervisory and regulatory frameworks through assessment of observance of IAIS standards.

II.5.1.4 IRDAI utilizes supervisory capacity-building initiatives of IAIS to address gaps and challenges in the implementation of IAIS standards and encourage good supervisory practices. During 2022-23, IRDAI nominated supervisory staff have successfully completed capacity building programme consisting a combination online tutorials and live webinars with the purpose to familiarize participants with the essential elements of insurance supervision, covering both prudential and conduct aspects. Access to Insurance initiative (A2ii) is the "implementation arm" of the IAIS on Inclusive Insurance. IRDAI participated virtually in the Public Dialogue - Regulatory challenges and supervisory demands in facilitating migrant insurance (SDG 1) on 29 September 2022 organized by A2ii.

II.5.2 Bilateral Engagements

II.5.2.1 Effective May 2013, IRDAI is a signatory to the Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU) of International Association of Insurance Supervisors (IAIS) which provides an international platform for cooperation and sharing of information. Further, the IRDAI (Sharing of Confidential Information Concerning Domestic or Foreign Entity) Regulations, 2012 are in place which provides for the manner in which confidential information can be shared with other regulatory bodies.

II.5.2.2 IRDAI had so far signed two bilateral MoUs. One with Insurance IRDAI, United Arab Emirates (UAE), and another with Federal Insurance Office (FIO), United States of America (USA). During the last few years, the insurance supervisors and related agencies from several other countries have also shown their willingness towards bilateral MoU which are under consideration.

II.5.3 Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR)

II.5.3.1 Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR), a forum of insurance supervisors from Asia and Oceania regions, was established based on Beijing Declaration on Regional Insurance Regulation Cooperation in 2005. The mission of the AFIR is to strengthen capacity building, facilitate insurance regulatory capability and promote regulatory cooperation in Asia and Oceania regions. AFIR currently has 22 members including India represented by IRDAI. So far 17 AFIR meetings have been held. After two years of virtual meetings due to COVID-19, the 17th Annual Meeting and Conference of the Asian Forum of Insurance Regulators (“AFIR”) bearing a theme of “Strengthening Resilience of Insurance Supervision for Evolving and Emerging Risks” was held in Maldives from 5 to 6 September 2022 with the participation of delegates coming from 15 members namely the Astana International Financial Centre, Australia, China, China Hong Kong, China Macao, Chinese Taipei, Dubai International Financial Centre, India, Japan, Malaysia, Maldives, Singapore, South Korea, Thailand and the International Association of Insurance Supervisors (“IAIS”). Speakers from AFIR Member Jurisdictions and International Organisations viz; Financial Stability Institute of the Bank for International Settlements, the United Nations Development Programme, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) and the Global Asia Insurance Partnership (GAIP) have led the discussion on a number of contemporary issues such as growing dependency on big tech companies, emerging cyber risks, the devastating impact of climate change and widening protection gaps.

This event was followed by 5th Asia-Pacific High-

level Meeting on Insurance Supervision on September 7, 2022. The meeting was jointly organised by the Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR), the FSI of the Bank for International Settlements (BIS) and the IAIS. The meeting covered the following three key topics, each with a panel discussion framing the exchange of views:

- Geo-political tensions – impact on insurance supervision in Asia-Pacific;
- Greening insurance supervision for future climate scenarios; and
- Facilitating orderly transition to net-zero.

II.5.4 Financial Stability Board (FSB)

II.5.4.1 Financial Stability Board (FSB) is an international body established to address financial system vulnerabilities and to drive the development and implementation of strong regulatory, supervisory and other policies in the interest of financial stability. One of the main mandates of FSB is to implement G20 policy announcements on financial regulation. In FSB, India is represented by Ministry of Finance (MoF), Reserve Bank of India (RBI) and Securities Exchange Board of India (SEBI). IRDAI contributes to FSB's work by way of providing its views and comments on insurance sector related issues discussed in the FSB meetings to the Ministry of Finance. IRDAI also provides responses to FSB surveys/questionnaires/reviews relevant to insurance.

II.5.5 OECD International Network on Financial Education (INFE)

II.5.5.1 The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) provides a unique policy forum for governments to exchange views and experiences on financial education as an important means to financial inclusion. Having recognized the importance of financial literacy, OECD International Network on

Financial Education (INFE) was launched in 2008 by OECD governments. India participates regularly in the INFE's activities, represented by four of India's financial regulators viz. RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA. IRDAI became a member of OECD INFE in April, 2012. During OECD INFE meetings, the participants share initiatives taken across the globe with regard to Financial Literacy and Financial Inclusion. IRDAI participated virtually in the OECD Symposium on 'Financial literacy and financial resilience in challenging times' which was held on 11-14 Oct, 2022.

II.5.6 Other Engagements

During 2022-23, IRDAI continued to contribute towards an effective and useful engagement with the Government of India with regard to various international Treaties and dialogues in areas related to insurance sector. IRDAI also participates in international conferences, seminars and workshops in order to strengthen the exchanges and cooperation in insurance field.

II.6 GRIEVANCES

Grievance Redressal Policy

II.6.1 The IRDAI facilitates resolution of policyholder grievances by monitoring the insurers' policy of Grievance Redressal and takes several initiatives towards protecting the interests of the Insurance consumers. Grievance Redressal procedure is prescribed in Protection of Policyholders' Interests Regulations, 2017 in terms of which IRDAI mandated all insurers to have in place a grievance redressal policy, designate a Grievance Redressal Officer at the Head Office/Corporate Office/Principal Office and also a Grievance Redressal Officer at every other office. The Regulations also prescribe insurers to constitute a Policyholder Protection Committee in accordance with the Corporate Governance guidelines for receiving and analysing reports relating to grievances and their Redressal.

Bima Bharosa Portal

II.6.2 In order to provide alternative channels to receive complaints against insurers, IRDAI has set up IRDAI Grievance Call Centre (IGCC) which receives complaints through a toll free telephone number and by email and registers complaints apart from furnishing the status of the resolution. IRDAI has also put in place the Bima Bharosa portal (earlier known as Integrated Grievance Management System-IGMS) as an online system for grievance management that is not only a gateway for registering and tracking grievances online but also acts as an industry-wide grievance repository for IRDAI to monitor disposal of grievances by insurance companies. IGCC has an interface with Bima Bharosa portal and through Bima Bharosa portal, IRDAI has an interface with grievance systems of all insurers.

Status of Grievances

II.6.3 During FY 2022-23, 2,02,640 grievances were received on Bima Bharosa portal out of which 1,24,293 were related to Life Insurance business and 78,347 were related to General Insurance business. The resolution rate for the grievances received for industry is 98.21 per cent. Life insurers attended to 99.77 per cent of the grievances handled (99.33 per cent by private sector and almost 100 per cent by the public sector insurer) and general insurers attended to 95.8 per cent of the grievances handled (90.62 per cent by public sector and 97.87 per cent by private sector companies). Of the total life insurance grievances received on Bima Bharosa portal for FY 2022-23, more than 62 per cent of the grievances received are related to three type of issues i.e. Survival claims, Policy servicing and Unfair business practices. Of the general insurance grievances received during FY 2022-23, majority of the grievances are related to claims (66 per cent).

Table II.19. Status of Grievances as per Bima Bharosa Portal

(Number of Grievances)

Insurer	2021-2022			2022-23		
	Reported during the year	Attended during the year	Pending at the end of the year	Reported during the year	Attended during the year	Pending at the end of the year
Life Insurer						
Public Sector	1,14,202	1,14,226	5	81,303	81,303	-
Private Sector	40,624	40,664	113	42,990	43,114	289
Total	1,54,826	1,54,890	118	1,24,293	1,24,417	289
General Insurer						
Public Sector	23,822	23,663	537	22,563	20,781	2,149
Private Sector	41,693	40,692	1,164	55,784	56,178	1,224
Total	65,515	64,625	1,701	78,347	76,959	3,373
Grand Total	2,20,341	2,19,515	1,819	2,02,640	2,01,373	3,662

CHART II.5: CLASSIFICATION OF LIFE INSURANCE COMPLAINTS





CHART II.6: CLASSIFICATION OF GENERAL INSURANCE COMPLAINTS



Status of Grievances in DARPG portal

II.6.4 During the year 2022-23, 12,542 grievances registered in Department of Administrative Reforms and Public Grievances

[DARPG] portal have been referred to IRDAI. A total of 12,808 grievances have been disposed of during the year. A total of 220 grievances were pending as at March 31, 2023.

The age-wise pendency status of grievances as at March 31, 2023 is as below:

Table II.20: Grievances Registered in DARPG Portal and Referred to IRDAI

Grievance Source	Grievances at the start of 2022-23	Received during 2022-23	Total Grievances of during 2022-23	Grievances disposed of during 2022-23	Grievances at the end of 2022-23
DPG	19	298	317	305	12
DARPG	16	160	176	176	-
Local/Internet	338	10,137	10,475	10,324	151
President Secretariat	2	89	91	83	8
Pension	-	10	10	10	-
PMO	111	1,848	1,959	1,910	49
Total	486	12,542	13,028	12,808	220

Note : DPG-Directorate of Public Grievances; DARPG-Department of Administrative Reforms and Public Grievances; PMO-Prime Minister's - Office Source: CPGRAM Portal

Table II.21: Pendency of Grievances

Pending for	Number of Grievances
0-15 days	149
16 - 30 days	37
31 - 45 days	10
46 - 60 days	9
> 60 days	15
Total	220

II.7 FUNCTIONING OF ADVISORY COMMITTEES

Insurance Advisory Committee

II.7.1 The Insurance Advisory Committee (IAC) consists of not more than 25 members excluding ex-officio members to represent the interests of commerce, industry, transport, agriculture, consumer fora, surveyors, agents, intermediaries, organisations engaged in safety and loss prevention, research bodies and employees' association in the insurance sector. The Chairperson and the Members of the IRDAI are the ex officio Chairperson and ex officio members of the Insurance Advisory Committee. The objective of the Insurance Advisory

Committee is, to advise the IRDAI on matters relating to the making of the regulations. The Insurance Advisory Committee may advise the IRDAI on such other matters as may be prescribed. During F.Y. 2022-23, the IAC met on two occasions as given below:

IRDAI Meeting	Date
45th Meeting of the IAC	18th October, 2022
46th Meeting of the IAC	14th November, 2022

Re-insurance Advisory Committee

II.7.2 Based on the approval dated 6th December, 2018 of DFS, Government of India under Section 101B (1) of the Insurance Act, 1938, the IRDAI vide Order No. IRDAI/REIN/NOT/RIN/101/5/2022 dated 19th May, 2022 has re-constituted Re-Insurance Advisory Committee (RAC) for the period of three years.

II.8. FUNCTIONING OF OMBUDSMAN

II.8.1 The Offices of Insurance Ombudsman are under the administrative control of Council for

Insurance Ombudsmen (CIO), which has been constituted under the Insurance Ombudsman Rules, 2017. CIO works in close co-ordination with Life Insurance Council and General Insurance Council at regular intervals.

II.8.2 Office of Insurance Ombudsman is an alternate Grievance Redressal platform which has been setup with an aim to resolve grievances of aggrieved policyholders against Insurance Companies and its Intermediaries or Insurance Brokers in a speedy and cost-effective manner. 17 Ombudsman Centres across the country are functioning in various locations, viz. Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Pune, Patna and Noida. After receipt of all requirements, Insurance Ombudsman shall dispose of the complaint by way of an award within a period of three months and such decision shall be binding on the Insurance Companies and its Intermediaries or Insurance Brokers as the case may be.

II.8.3 Where the grievance is not resolved in favour of the policyholder or partially resolved in favour of the policyholder, the insurer shall inform the complainant of the option to take up the matter before Insurance Ombudsman giving details of the name and address of the Ombudsman of competent jurisdiction.

II.8.4 In accordance with Rule 19 of the Insurance Ombudsman Rules, 2017, an Advisory Committee, consisting of 5 eminent persons including one Central Government nominee, was reconstituted by the IRDAI on 27th April, 2022 vide office order ref No IRDAI/ CAD/ ORD/ MISC/ 75/4/2022, to review the performance of the Insurance Ombudsman system from time to time and other matters related to enhance efficiency of all Insurance Ombudsmen. This

Committee acts as a guiding body for the Council for Insurance Ombudsmen (CIO).

II.9 INSURANCE ASSOCIATIONS AND INSURANCE COUNCILS

II.9.1 Life Insurance Council

Life Insurance Council is a statutory body under section 64C of the Insurance Act 1938 representing all life insurers operating in India.

II.9.2 Brief outline of activities carried out by Council in 2022-23.

- **Regulation Review Committee and various Subgroups for streamlining various Regulations Guidelines and Circulars –**

Regulation Review Committee and subgroups of the same were constituted to examine aspects of the regulatory framework and suggest appropriate directives for the industry. Both Secretary Generals of Life Insurance Council and General Insurance Council are part of Regulation Review Committee.

- **Change Agenda for the Insurance Industry forward –**

Life Insurance Council, along with General Insurance Council, started working on guiding the industry on 'Change agenda for the sector forward' in respect of the following areas.

- Sector Benchmarking and Gap Analysis
- Inclusive insurance
- Digitisation
- Legal, Regulatory and Capital Norms

- **NSEIT Agent Examination** - With the amendment of Insurance Act in the year 2015 and subsequent notification of IRDAI [Appointment of Insurance Agents] regulation 2016, the licensing of insurance agents by IRDAI was dispensed with from

1st April 2016 and role of appointing insurance agents was delegated to the Insurance Companies. Since the responsibility of appointing agents has been shifted to the industry, IRDAI has decided that it would be appropriate for the system of online examinations for agents to be managed by the both the Insurance Councils i.e. Life Insurance Council and General Insurance Council. Life Insurance Council, General Insurance Council, III & NSE IT had signed a quadripartite Agreement on 06th December, 2022 and the agreement is effective from 21st December, 2022 and shall remain in force for a period of one year.

- **Insurance Awareness Sub-Committee (IAC) –**

A committee was constituted to carry forward Insurance Awareness campaign for FY 2022-23. It was agreed that theme-based campaign and the testimonials needs to be developed by Council in consultation with IRDAI.

- The Council's website continues carrying statistical data, latest news and other information. The number of hits from different geographies – national and international increased significantly after upgrading its design and interlinking it with websites of IRDAI and all life Insurers. Since November 2011 life council's website hosts daily NAV's of all its members.
- Secretary General is also member of various committees formed by Govt of India viz. High Level Committee formed to implement Jan Suraksha Portal, National Health Authority, etc. Council has been actively involved in meetings with and conferences organised by CII, FICCI, ASSOCHAM, etc.

General Insurance Council:

II.9.3 The General Insurance Council (GI Council) constituted under Section 64C of the Insurance Act, 1938 is a representative body of General Insurers including Stand-alone Health Insurers, Specialized Insurers, Reinsurers, Foreign Reinsurer Branches (FRBs) and Lloyd's India operating in India.

II.9.4 GI Council activities in the year 2022-23:

- i. The GI Council furnished the views of the industry to the IRDAI and/or Government of India in respect of various new Regulations proposed and amendments carried out to the existing Regulations.
- ii. Pursuant to the initiatives taken by IRDAI as part of its noble vision of providing Insurance for All by 2047 and to facilitate ease of doing business, the GI Council constantly engaged with IRDAI on various matters.
- iii. In light of amendments to The Motor Vehicle Act, 1988 and notification of Central Motor Vehicle (CMV) Rules, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) proposed to create special funds for the golden hour treatment of accident victims both of insured and uninsured vehicles and the GI Council is designated as a nodal agency for disbursement of funds.
- iv. The revised CMV Rules transfer the existing Hit and Run accident fund to the GI Council, which will have to administer the fund and also pay the claims that arises from such accidents all over the country. The GI Council is creating an infrastructure that can handle the claims flowing in from the relevant districts in India and make timely payments.
- v. The GI Council along with LI Council and Indian Banks Association (IBA) is developing a Jan Surakhsa Platform that will cater to both life and personal accident claims on account of

PMJJBY [Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana]/PMSBY [Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana] policies being sold.

- vi. The Council actively interacted in various groups, Committees and Sub-Committees formed by IRDAI, various industry bodies like FICCI, CII, ASSOCHAM, etc. aimed at overall enhancement of policy holders'/insurance beneficiaries' experience.

II.10. Other Activities having a Bearing on the Insurance Market

II.10.1 The IRDAI from time to time provides/makes necessary changes in the regulatory framework for introducing any new product in the market for life, general and health insurance segments.

Insurance company-wise total number of life, general and health insurance products approved by IRDAI during 2022-23 is provided in Annexure 7.

III



STATUTORY AND DEVELOPMENT FUNCTIONS OF THE AUTHORITY



PART III : STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE IRDAI

Section 14 of the IRDA Act, 1999 (IRDA Act) lays down the duties of the IRDAI to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance business and reinsurance business. Subsection (2) of the said section lays down the powers and functions of the IRDAI. Part III of the Annual Report covers the activities of the IRDAI in 2022-23 while carrying out its functions and exercising the powers conferred on it.

III.1 Issue to the Applicant a Certificate of Registration, Renew, Modify, Withdraw, Suspend or Cancel such Registration

During the FY 2022-23, three insurance companies, namely; 'Kshema General Insurance Company Limited', as General Insurance Company and 'Acko Life Insurance Co. Ltd' and 'Credit Access Life Insurance Co. Ltd' as Life Insurance Companies were granted Certificate of Registration. With the addition of these three insurers, the total number of life insurers and general insurers (including Specialised) increased to 25 and 27 respectively. Further, the Certificate of Registration of Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC), bearing Registration number-126, has been modified for class of business, from "Crop Insurance" to "Agriculture Insurance (without involving Health Insurance) business" w.e.f. 28th April, 2022.

The IRDAI, in terms of IRDAI (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013, on 13th October, 2022 approved the merger of Exide Life Insurance Co. Ltd. with HDFC Life Insurance Co. Ltd. subject to certain conditions to be complied with.

In order to protect the interests of policyholders of Sahara Life Insurance Co Ltd (SILIC), in exercise of the powers under sub-section (2) of

Section 52B of the Insurance Act, 1938, the IRDAI transferred the life insurance business of SILIC to SBI Life Insurance Company Limited (SBI Life) on 02nd June, 2023.

III.2 Protection of the Interests of Policyholders in Matters Concerning Assigning of Policy, Nomination by Policyholders, Insurable Interest, Settlement of Insurance Claim, Surrender Value of Policy, Other Terms and Conditions of Contracts of Insurance and Grievance Redressal

III.2.1 IRDAI notified IRDAI (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017 providing for code of conduct for insurers and intermediaries at the point of sale as well as at the point of claim, with the objective to protect the interest of the policyholder and to ensure policyholder centric governance by insurers which lay more emphasis on redressal of grievances. IRDAI directed insurers to have a board approved policy in place for protection of policyholders which covers various service parameters, Turn Around Time (TAT) for rendering services to policyholders, procedure for expeditious resolution of complaints, steps taken to enhance consumer education and measures to prevent misselling. Further, the regulations also mandate that every insurer shall have in place proper procedures and effective mechanism for speedy resolution of complaints/grievances of policyholders.

Further, IRDAI mandated all the insurers to have a Policyholders' Protection Committee in place, to deliberate on various compliance issues relating to protection of the interests of policyholders. The Committee should put in place systems to ensure that policyholders have access to grievance

redressal mechanisms and shall also ensure handling of policyholder complaints with seriousness, promptness and empathy in order to enhance the trust and confidence in the insurance sector.

III.2.2 IRDAI issued guidelines for expeditious settlement of claims for victims of various natural disasters, viz, Subsidence and Landslides' in the affected areas in the state of Uttarakhand, Cyclone Biparjoy (in Odisha), Floods in Sikkim, Himachal Pradesh and other North Indian States. Instructions were also issued for expeditious settlement of claims for the victims of Balasore train accident in the state of Odisha. Insurers were asked to take immediate steps to mitigate the hardships of the affected insured population by ensuring expeditious settlement of claims.

III.3 Specifying Requisite Qualifications, Code of Conduct and Practical Training for Intermediaries or Insurance Intermediaries and Agents.

III.3.1 The licensing and code of conduct for all the intermediaries in the insurance business are specified clearly in the regulations framed under the IRDA Act, 1999 vide Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2015, IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, IRDAI (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016 and IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

III.3.2 A regulatory framework has been laid down by the IRDAI to further strengthen the regulatory supervision by issuing circular IRDA/INT/CIR/T&E/136/07/2016 on harmonization of training and examination requirements for various channels of distribution.

III.4 Specifying the Code of Conduct for Surveyors and Loss Assessors

III.4.1 The duties and responsibilities of a surveyor and loss assessor are specified in Chapter IV of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015 as amended in 2020.

III.4.2 The code of conduct regarding the professional and ethical requirements for conduct of surveyor and loss assessors' professional work is specified in Chapter VI of the Regulations and Regulation 16 elaborates the code.

III.4.3 Further, in order to protect the interest of policyholders, the IRDAI has notified the IRDAI (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017 Adherence to the code of conduct by surveyors and loss assessors has been further emphasized under Regulation 15 of the said Regulations, while dealing with settlement of claims in respect of general insurance policy.

III.4.4 The IRDAI receives grievances from surveyors regarding empanelment for survey jobs, non-payment of survey fee by insurance companies, denial of membership by IISLA to in-house surveyors and lapsed license holders, denial of level of membership by IISLA, etc. Such complaints are forwarded to respective insurance companies and IISLA for resolution at their end. Policyholders also complain against surveyors / surveyors' firms on non-receipt of copy of survey report, delay in issuance of survey report, misconduct, violation of IRDAI Surveyors Regulations, etc. Such grievances are taken up with surveyors for speedy disposal of the issues. Apart from the above, various RTIs and references are also received by the IRDAI against surveyors and corporate surveyor firms. During the year 2022-23, the IRDAI received 84 complaints on CPGRAMS portal, 80 have been addressed and 7 were outstanding as on March 31, 2023.

Reforms and Regulatory Initiatives in Indian Insurance Sector

'Vision 2047' of the IRDAI, announced in 2022 towards 'Insurance for All', has continued to be worked forward during the financial year 2022-23. The further groundwork to enhance insurance penetration and to ensure the availability, accessibility and affordability of insurance for all citizens and businesses has been on broadly 3 fronts:

- Regulatory reforms to further rationalizing regulatory framework for 'ease of business' and reducing compliance burden of regulated entities.
- Initiated 'State Insurance Plan' to achieve 'insurance inclusion'.
- Technology initiatives towards digitization of the insurance industry.

IRDAI's stakeholder engagement, uniquely formalised in theme-based 'Bima Manthan', that gets together all insurance industry leaders, in implementation of the shared vision, saw the 3rd edition being held in March 2023. Supplementing this engagement process has been the 'Open House' meets held on the 15th of every month for insurance industry participants to directly engage to resolve operational concerns as also to propose ideas or solutions that enhance service processes and customer experience.

State Insurance Plan

A Step Towards Insurance Inclusive India

During the FY 2022-23, IRDAI has initiated the State Insurance Plan (SIP) with an objective towards "Insurance for All by 2047". The Plan envisages implementation of various strategies and activities towards increase in insurance penetration across various parts of the country in close coordination with the State Government machinery.

The State Insurance Plan is a collaborative and consultative effort from the entire insurance industry to deepen insurance penetration. Each State/UT has been assigned to various insurers and are designated as Lead Insurers. The insurers are expected to constitute State Level Insurers' Committees (SLIC) and District Level Insurers' Committees (DLIC) involving the State Administration and other insurers. State-specific strategies, to be developed and enabled for each State, encompassing pockets or sectors hitherto not accessed by insurers or where significant 'insurance coverage gaps' exist.

The State Insurance Plan shall focus inclusive insurance fixing the protection gaps across all sections and sectors of the society. It is expected to enhance resilience against natural disasters and catastrophes and equip the States/UTs with a social safety net covering the underserved population. The endeavor is to increase the level of Awareness and Access for insurance coverage across the length and breadth of the country.

III.5 Promoting Efficiency in the Conduct of Insurance Business

III.5.1 Rationalization of compliance requirements on Public Disclosures vide cir No. IRDAI/F&A/CIR/MISC/99/5/2022 dated 12th May, 2022.

(i) Publication in Newspaper by Foreign Reinsurance Branch(FRB) and Lloyd's India

The FRBs and Lloyd's India need not publish the half yearly and annual Revenue Account, Profit & Loss Account, Balance Sheet and Analytical Ratios etc. in the newspapers. The amendment would reduce the compliance burden and facilitate ease of business.

(ii) Stewardship Returns and Public Disclosure by FRB and Lloyd's India:

To reduce the compliance burden and to promote the ease of business, the stewardship code requirement pertaining to the disclosures are made not applicable to the entities whose investment policy does not permit investment in equities. The gist of amendments are as under:

- a) The entities, whose investment policy does not permit the investment in equity are exempted from the application of Common Stewardship Code, disclosure requirements and returns. The Public Disclosure may, accordingly, be shown as 'Not Applicable'.
- b) The entities, whose investment policy allows equity investment but have not made any investment in equity – the Code is applicable. However, a NIL return will be a sufficient compliance for the same.

- c) Other entities have to comply with the prescribed requirements.

(iii) Public Disclosure of Form - 40 on underwriting performance by the General Insurers, FRBs and Lloyd's India

The public disclosure of format NL-40 pertaining to the underwriting performance was discontinued and it was advised to file the said format with the IRDAI only.

III.5.2 (a) Discontinuation of monthly Solvency Returns of Insurers (applicable to General Insurers, Reinsurer, FRBs including Lloyd's) vide circular number. IRDAI/F&A/CIR/ MISC/ 98/5/2022 dated 12th May, 2022.

IRDAI has discontinued the filing of monthly solvency returns by the Insurers with immediate effect to reduce the compliance burden of the insurers. However, the insurers whose solvency margin is less than 1.55 as at the end of any quarter, shall continue to report the monthly solvency position until the solvency position is restored to 1.55.

(b) Rationalization of compliance requirements in respect of Actuarial related returns vide circular IRDA/ACT/CIR/GEN/74/4/2022 dated 27th April, 2022:

To reduce the compliance burden of the insurers and enhance ease of doing business for higher penetration and seamless services to the insured population, submissions of the following reports have been dispensed with:

- Peer Reviewer's Report and Quarterly ALM Returns-except for DSIIIs
- Product Planners
- Repeated submission of Audited Financial Statements to Actuarial Dept.
- Certification on Money Market instruments

III.5.3 Rationalization of regulatory returns in Reinsurance

With an objective to enhance ease of doing business and reduce compliance burden, the Authority has rationalized certain regulatory reinsurance returns for Life Insurers and dispensed with some returns vide Circular ref no. IRDAI/REIN/CIR/RT/1/1/2023 dated 3rd January, 2023.

III.5.4 Repatriation of Excess Assigned Capital by FRBs/Lloyd's India

Foreign Reinsurance Branches (FRB) and Lloyd's India have been permitted vide Circular ref no. IRDAI/REIN/CIR/MISC/224/10/2022 dated 26th October, 2022 to repatriate excess assigned capital with prior approval of the Authority subject to certain conditions. This will attract more reinsurance players for offering reinsurance at a competitive price and the free movement of assigned capital for foreign reinsurance branches.

III.5.5 Appointment or Continuation of Common Director(s) u/s 48A of Insurance Act, 1938 vide circular no. IRDAI/F&I/CIR/MISC/183/9/2022 dated 02nd September, 2022.

The IRDAI in the circular provides the framework for appointment of common director under section 48A of the Insurance Act, 1938:

Insurers who have common directors with insurance intermediary had to obtain approval on case to case basis. To facilitate ease of doing business, the appointment or continuation of common director representing insurance agent, intermediary or insurance intermediary on the board of insurance company shall be deemed to

have been permitted subject to various conditions as prescribed in the circular.

III.5.6 Accounting of Premium, claims and related expenses on estimation basis vide cir No. IRDA/F&A/CIR/MISC/123/6/2022 dated 15th June, 2022.

To ensure uniform accounting practices and to reflect true and fair picture of the financial statements the FRBs/Reinsurers were instructed that in annual financial statements no premium is accrued/accounted on estimate basis at least up to 3rd quarter of each financial year. However, for the fourth quarter ending on 31st March, where the statement of accounts has not been received in time, the premium, losses and related expenses may be accounted on estimation basis.

III.5.7 Profit Related Commission to Non-Executive Director(s)

The IRDAI vide circular no. IRDAI/F&I/CIR/MISC/26/01/2023 dated 30th January, 2023 has permitted insurers to pay profit related commission to non-executive director(s) including those appointed under section 48A of the Insurance Act, 1938, under the deemed approval mechanism, to enhance ease of doing business subject to the following conditions:

- a. The insurer has reported positive profit after tax for the period for which the said commission is proposed to be paid.
- b. The Board of the insurer has passed the resolution approving such payment.
- c. The commission shall not exceed the limits.
- d. Disclosures with regard to said payment shall be made

III.5.8 Guidelines on Establishment and Closure of Liaison Office in India by an Insurance Company registered outside India

IRDAI had laid down framework for approval of opening of Liaison Office (LO) in India by an insurance company registered outside India (circular ref: 30/IRDA/CIR/Lia Off/Dec-05) and also issued Guidelines for closure of Liaison Office established in India (ref: IRDA/024/Closure-FLO/2007-08). The stipulations/directions have been reviewed and revised guidelines are issued vide circular no. IRDAI/F&I/GDL/MISC/219/10/2022 dated 17th October, 2022. The new framework consolidated the opening and closing of liaison offices and also ensured proper supervision on the activities of the LOs. The new framework would enable global insurance players to conduct comprehensive research in insurance sector of India and facilitate them to have joint ventures with Indian partners as well as establishing new insurance companies. The stipulations/ directions have been reviewed and revised guidelines have been issued. The following are the main modifications:

- The Guidelines provide for the validity and extension of the permission for opening and operating a Liaison Office in India.
- The guidelines incorporate instructions for both opening and closure of Liaison Office.
- Conditions for approval are proposed as part of the guidelines.
- Minimum net worth requirement for overseas Insurer for opening LO in India has been specified in US dollars (USD) instead of INR (65 million USD).
- The requirements for maintenance of records and making the filings/submissions to the IRDAI are incorporated.
- Closure of LO and action in case of non-compliance by LO. Issuance of public notice has been mandated for LOs while closing their operations.

- The period of the validity of LOs is restricted to a maximum of 4 (3+1) years.
- As a transition provision, LOs which have been granted an extension within a period of three years prior to the date of these guidelines shall get one-time further extension of three years.
- Overseas Insurer having LO in India and also a joint venture partner in insurance company in India on the date of issue of these guidelines, shall close the LO within six months from the date of issue of these guidelines.

Treatment of Inward Co-insurance while reporting Motor Third Party obligations

III.5.9 IRDAI vide circular IRDAI /NL/CIR /MTP/54/02/2023 dated 20th February, 2023 clarified that where insurers undertake Co-insurance arrangement as part of risk sharing program, the inward co-insurance shall not be considered for the purpose of reckoning the compliance to Motor Third Party obligations.

Change in Product Filing Procedure

III.5.10 IRDAI has changed the product filing procedure of Non-Life Insurers from File & Use (launching with approval of IRDAI) to Use & File (launching without approval) for all products during the financial year. This has been done to help general insurance companies in designing and timely launch of new and innovative products commensurate to the market requirements and serve the policyholders effectively, furthering the insurance penetration in India. Vide circular IRDAI/ACTL/CIR/PRO/81/3/2023 dated 31st March, 2023, IRDAI has further simplified the existing 'Use and File' procedure thereby enabling dynamism as well as speed to market insurance products.

Introduction of New Add-ons in Motor Insurance

III.5.11 As a step towards facilitating technology enabled covers and increasing insurance penetration, IRDAI, vide circular IRDAI/NL/CIR/Motor/136/07/2022 dated 05 th July, 2022, has permitted general insurance companies to introduce the following tech-enabled concepts for the Motor Own Damage (OD) cover:

1. Pay as You Drive
2. Pay How You Drive
3. Floater policy for vehicles belonging to the same individual owner for two wheelers and private cars.

These above mentioned covers will be provided as add-ons to the basic policy of Motor OD.

Filing of Insurance Products for Dwellings, Micro and Small Businesses

III.5.12 The IRDAI issued guidelines for standard products for Fire and allied perils for dwellings, micro and small businesses, namely Bharat Griha Raksha, Bharat Sookshma Udyam Suraksha and Bharat Laghu Udyam Suraksha vide Guidelines Ref. IRDA/NL/GDL/MISC/004/01/2021 and IRDA/NL/GDL/MISC/005/01/2021 dated 4th January, 2021. These standard products replaced the Standard Fire and Special Perils (SFSP) policy for the named risks and no product other than the standard products was permitted for Fire and allied risks. To provide wider choice to Policyholders and to meet their needs in terms of suitability and affordability, the IRDAI, vide circular IRDAI/NL/CIR/MISC/96/05/2022 dated 12th May, 2022, has allowed insurance companies to design alternative and customized products for dwellings, micro and small enterprises for Fire and Allied Perils. Such alternative products may be variations of the

standard product and may include already approved add-ons as part of the base product or may delete an existing provision. However, the definitions and wordings of terms used in the standard product shall be the reference point for those terms when used in the alternative products.

Working towards a Future Ready Insurance Industry

Indian Insurance sector is at an inflection point. IRDAI, has taken up the vision of **Insurance for All by 2047**, so that every Indian has appropriate life, health, and property insurance cover and every enterprise is supported by appropriate insurance solutions. As the industry steers towards a principle-based regime IRDAI has constituted the following teams in mission mode:

Risk Based Supervisory Framework (RBSF):

With a view to promote a 'Principle based Regulatory regime', foster ease of doing business, reduce compliance burden and encourage proactive risk identification and management, the IRDAI in June 2022 recognized development and implementation of a 'Risk Based Supervision' (RBS) framework for insurance sector in India, as a 'mission mode' project. RBS is a forward looking approach that aims at mitigating risks, safeguarding the interests of policyholders, and ultimately maintaining the stability of the insurance sector by enhancing supervisory focus on the manner in which risks are identified, measured and managed.

IRDAI has been engaging with various stakeholders on a continuous basis for ensuring smooth implementation. The first phase of pilot test/s for RBS has commenced from July 2023.

Risk based capital (RBC):

Current Solvency Regime is based on a two factor-based model whereby regulatory minimum capital (RSM – Required Solvency Margin) for life insurance business is determined by applying factors on Mathematical Reserves and Sum-at-risk. Similarly, RSM for General

insurance business is derived by applying factors on written premium and incurred claims.

With the objective of designing a framework for Risk Based Capital and its implementation, IRDAI constituted a RBC Mission Mode Team in the month of June, 2022. The RBC framework would serve as a pivotal mechanism to enable insurers & reinsurers to maintain an appropriate level of capital commensurate with the risks inherent in insurance and reinsurance business. Ind-RBC (Indian Risk based Capital) Framework aims at identifying various risks faced by insurance & reinsurance companies and quantifying each risk following probabilistic approach.

IFRS / IndAS implementation:

In June 2022, IRDAI formed a dedicated mission mode team, comprising of officials from Accounting and Actuarial background, to work on effective implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS)/Ind As in insurance sector.

While the Ind AS 117, the equivalent standard for IFRS 17 is yet to be notified, IRDAI has been continuously engaged with insurers and stakeholders to nudge the industry towards smooth implementation of IFRS. Studies were made to understand the experiences of various Jurisdiction for implementation of IFRS and constant efforts are being made to encourage capacity building for implementation.

An Expert Committee (EC) has also been constituted by IRDAI which has representation from ICAI, IAI, Insurance industry and the IRDAI to address the concerns involved in IFRS/Ind AS implementation.

III.6 Promoting and Regulating Professional Organizations Connected with the Insurance and Reinsurance Business

III.6.1 Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA)

III.6.1.1 The Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) is an institute promoted and established by the IRDAI and incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956. The IRDAI has a mandate to promote and regulate IIISLA under Section 14(2) f of IRDAI Act, 1999 that deals with promoting and regulating professional organizations connected with the insurance and re-insurance business.

III.6.2 Insurance Brokers Association of India (IBAI)

III.6.2.1 Insurance Brokers Association of India (IBAI) was incorporated as a company under Section 25 of the Companies Act, 1956 on July 2001. Brokers registered by the IRDAI are necessarily required to be the members of the Insurance Brokers Association of India (IBAI).

III.6.3 Insurance Information Bureau of India (IIB)

III.6.3.1 With the advent of various new-age technologies and Insurers being rigorously updating their Infrastructure systems, there is a significant improvement in the data maintenance pertaining to the Insurance Business in India. IIB being the pivot of these data sets, has seen enormous opportunity in centralizing and analyzing the data so that insights from the data are reachable across the industry for empowerment in various aspects of the growing insurance business.

III.6.3.2 Below is the list of such key initiatives offered by IIB of India--the Data Analytics body promoted by IRDAI.

Life Insurance

The Life Vertical of IIB conducted the following activities in the year 2022-23:

- o **Life Insurance Underwriting & Claims Search Tool (QUEST)** of IIB handled over one crore queries during the year. The tool provided insurance history of proposers and red-flagged potential frauds in life insurance/claims.
- o **Predictive Life Risk Scoring Model (PRISM)** generated risk scores on a scale of 0 to 1000 against queried proposals of life insurers and helped insurers in filtering out potentially adverse risks at the entry/underwriting stage.
- o **Persistency Model:** IIB developed a Persistency Model and completed a Pilot with two Life Insurers. The model indicates propensity of a Proposal for persistency.
- o **Clearance of unclaimed amounts:** IIB assisted life insurers in clearance of unclaimed amounts by providing latest contact details on life insurance policies, which was utilized by 16 life insurers.

Motor Insurance

IIB provides insurers a real-time search service called SUDARSHANA for providing the Policy & Claims history of any vehicle for multiple preceding years along with a Risk Score for Private Cars. Today, IIB receives registered vehicles data from VAHAN database and to address Vehicle Class/Sub-Class misrepresentation. IIB has developed a real-time API called UDAYAN for sharing vehicle details. Additionally, IIB is generating the Uninsured Vehicles List.

PRATIBIMB is a daily visual representation of policy & claims statistics. It provides an over view of Motor business across India segregated on the basis of geography, share of PSU & Privates,

nature of loss etc. along with trends across 5 FYs. Additionally, there is a dynamic view for self vs peers.

Health Insurance

To support the Insurance Industry, the following activities are taken up in the Health segment:

- 1. PORTABILITY** to assist industry underwriting to check claim history of insured who have opted for portability during proposals
- 2. ROHINI** is an application which provides a unique identification number across the Industry to Hospitals who are providing cashless facility to its customers. This ROHINI ID is then used as a common identifier across the Industry for all analytical purposes.
- 3. BIMA SATARK** is a Health Fraud Analytics System developed by IIB under guidance of IRDAI, which enables Insurers take an informed decision on claims, underwriting & digital purchase journey of customers.

OLB (Other Lines of Business)

Roadmap with the following offerings is planned in Fire insurance.

iPRAN – Risk District Level Fire insurance exposure and claims experience details of 5 years are provided.

iDARPAN – Corporate Customer level exposure in Fire insurance vis-à-vis claims history of 5 years across all insurers can be studied while tracking major occupancies and risk locations.

PRAGYA – Asset level identification and analysis on live map with the help of Latitudes and Longitudes and is useful to mark risk concentrations and other geospatial layers which paves way to develop risk scores.

Apart from the above, IIB also provides customized reports to insurers basis their

requirements. These reports are largely directed towards business trends, penetration, claims experience etc. This will not only benefit insurers but also create an optimized environment for other stakeholders, helping to mitigate fraud and address lower penetration.

III.6.4 Institute of Insurance and Risk Management (IIRM)

III.6.4.1 The Institute of Insurance and Risk Management (IIRM), an international education and research organization, jointly set up by IRDAI and erstwhile Government of Andhra Pradesh is incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956).

III.7 Levying Fees and Other Charges for Carrying Out the Purposes of the Act

III.7.1 During the year 2022-23 there are no changes in the fee structure. Total fee collected during FY 2022-23 is ₹217.51 crore in respect of all regulated entities. Detailed fee structure is provided at Annexure 8.

III.8 Calling Information from, Undertaking Inspection of, Conducting Enquiries and Investigations Including Audit of the Insurers, Intermediaries, Insurance Intermediaries and Other Organizations Connected with the Insurance Business

III.8.1 Section 33 of Insurance Act, 1938 and Section 14(2)(h) of the IRDA Act, 1999 lay down the statutory provisions for calling of information from and carrying out on-site inspection, including investigation of insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organizations connected with the insurance business. Supervisory oversight, at the minimum involves a two-pronged approach, viz., off-site examination and on-site inspection.

Off-site Examination

III.8.2 The primary objective of off-site surveillance is to monitor the financial health and market conduct of regulated entities, for identifying entities which show financial deterioration and which would be a source for supervisory concerns. This acts as a trigger for timely remedial action. The off-site examination is conducted by analyzing periodic statements, returns, reports, policies and compliance certificates mandated under the directions issued by IRDAI from time to time.

On-site Inspection

III.8.3 IRDAI through the Supervision department pursues on-site supervision of the regulated entities with regard to their observance of/ compliance to provisions of relevant Acts, Rules, Regulations, Guidelines/Circulars, Directions, Standards, etc.

General, thematic and focused inspections are undertaken at the site of the regulated entities for assessment of their functioning by examination of relevant records, books of accounts and business activities on sample basis in order to assess compliance to various regulatory provisions and other applicable laws relating to financial condition, market conduct, corporate governance, risk management, and related matters of the regulated entities.

III.8.4 A total of 48 onsite inspections were undertaken by the IRDAI during the year 2022-23, the details of which are given as below:

Table III.1: Details of Onsite Inspections

Type of inspection	Number of entities inspected
General inspection	36
Focused inspection	12
Total	48

a) General Inspections:

Type of entity	Number of entities inspected
Insurance Broker	16
Corporate Agent	07
Third Party Administrator	01
Corporate Surveyor	01
Insurance Marketing Firm	11
Total	36

b) Focused inspections:

Type of entity	Number of entities inspected
Life Insurer	02
General Insurer	05
Health Insurer	01
Outsourced Partner	01
Telemarketer	01
Corporate Agent	02
Total	12

III.8.5 The inspection report along with the responses of the inspected entities are analysed after considering the supporting evidences and submissions, and a proposed course of action is determined. Based on the course of action approved by the Competent Authority, the inspected entity is either charged or advised and/or observation is closed. The entity which is charged for certain regulatory violation/non-compliance is given an opportunity to present their submission in person through personal hearing and then final actions like advisory, direction, caution, warning, penalty etc. is taken by the Competent Authority.

- In addition, in certain cases where the violations are quite serious warranting cancellation of registration/licence etc., the IRDAI cancels the registration/licence after following due process.

- Apart from the above mentioned methodologies/ process involved in the regulatory actions carried out by the IRDAI, there is one more aspect of the regulatory actions viz. Adjudication process. As per the said process, the violation of certain specified Sections of Insurance Act is to be dealt with by following the adjudication process. For the said purpose, the Act specifies that the officer to be entrusted with the responsibility of carrying out the process of adjudication should be of the

rank of General Manager or above. The Act also specifies the basic factors to be taken into account before deciding on the quantum of penalty that can be recommended by the Adjudicating Officer.

- All orders passed by the IRDAI are appealable in Securities Appellate Tribunal.

III.8.6 During the Year 2022-23, on-site and remote inspection reports concluded by Enforcement and Compliance Department are 72. The details are in the following table:

Table III.2: On-site and remote inspection reports concluded by Enforcement and Compliance Department during FY 2022-23

S. No	Type of Entity	Inspection Reports concluded
1	Brokers	17
2	Corporate Agents	36
3	Foreign Reinsurance Branch	1
4	Third Party Administrator	4
5	Insurance Marketing Firm	10
6	Insurance Repository	4
	Total	72

Table III.3 : Details of Regulatory actions taken on the Observations

S.No.	Nature of Regulatory Action	No. of Observations
1	Advisory	322
2	Direction	42
3	Caution	142
4	Warning	0
5	Penalty	0
6	Total	506

III.8.7 Regulatory actions are also taken by Departments other than Enforcement and Compliance Department based on off-site inspection and focused inspections. During 2022-23 no penalties were levied by IRDAI.

III.9 Control and Regulation of Rates, Advantages, Terms and Conditions that may be Offered by Insurers in respect of General Insurance Business not so Controlled and Regulated by the Tariff Advisory Committee under Section 64U of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)

III.9.1 With respect to pricing, all classes of tariffed general insurance business were de-tariffed with effect from January 01, 2007 except Motor Third Party business. Motor Third Party insurance cover is statutory under the provisions of Motor Vehicles Act, 1988 and the premium rates were annually notified by IRDAI till 2021-22.

Under the provisions of subsection (2) of Section 147 of the Motor Vehicles Act, 1988, as amended vide Section 51 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has been mandated to prescribe base premium and liability of an insurer in relation to third party motor premium in consultation with IRDAI. Accordingly, the MoRTH, vide Gazette notification number G.S.R. 394 (E), dated May 25, 2022 has published the Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules, 2022 effective from June 01, 2022.

III.9.2 Working group on de-notification of the existing tariffs

IRDAI vide circular Ref No: IRDAI/NL/ORD/ MISC/ 242/12/2022 dated 07/12/2022 has constituted a working group with representatives from Non-Life insurers, Reinsurers, Brokers and IRDAI with an objective to put in place an effective regulatory framework post de-notification of the existing tariffs viz. Fire, Engineering and Motor (Own Damage).

III.10 Specifying the Form and Manner in which Books of Accounts shall be Maintained and Statements of Accounts

shall be Rendered by Insurers and Other Insurance Intermediaries

III.10.1 The financial statements of insurers are prepared in the form and manner prescribed under the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, amended from time to time and also by various circulars and guidelines issued from time to time. Books of accounts are maintained in order to present various line items as required under these Regulations.

III.10.2 In case of intermediaries, books of accounts and financial statements are required to be maintained in the form and manner stipulated under the respective regulations/circulars/guidelines.

III.10.3 Wherever the IRDAI has not stipulated the form/and manner in which books of accounts are to be maintained, provisions of Companies Act/Rules and other applicable Acts/Rules apply.

III.11 Regulating Investment of Funds by Insurance Companies

IRDAI (Investment) Regulations, 2016 read along with Master Circular and guidelines amended from time to time regulate Insurers' Investments.

III.11.1 IRDAI/F&I/CIR/INV/81/04/2022 (Exposure of Insurers to Financial and Insurance Activities)

Industry wise exposure norms are specified in the IRDAI (Investment) Regulations, 2016. The exposure to Banking Financial Services and Insurance (BFSI- as per section K of NIC classification sector) is revised from 25 to 30 of investment assets in line with the increase in weightage of BFSI on the Benchmark Indices, to offer returns to the policyholders as per the market expectations.

III.11.2 IRDAI/F&I/CIR/INV/165/8/2022 (Amendments to Investments-Master Circular 2016)

III.11.2.1 Dividend criteria for classification of ETFs

Relaxed the norms for investment in Exchange Traded Funds. This circular modified the Para. 1.3(a) of Investment master circular indicating that at least 85 per cent (Earlier 100 per cent) securities in the equity basket shall be compliant with respect to dividend distribution norms as per Regulation 3 (A)(5) of IRDAI (Investment) Regulations, 2016 to qualify as a part of "Approved Investment".

This has facilitated insurers to invest in wide number of ETFs which were otherwise not qualified as approved investments.

III.11.2.2 Investment in Mutual Funds

Investment limits in Gilt/G Sec/Liquid/Debt/Income Mutual Funds (all taken together) for life insurers having more than ₹2.5 lakh crore AUM is increased to 5 per cent from the current limit of 3 per cent. The higher limits would facilitate life insurers to have more flexibility and liquidity in investments.

III.11.2.3 Long Term Bonds by Banks – Financing of Infrastructure and Affordable Housing

Exposure to Long term bonds issued by Banks for financing infrastructure and affordable housing shall not be part of exposure to BFSI. The change would enable insurers to have higher exposure in the BFSI sector in line with the Benchmark indices

III.11.2.4 Investment in Additional Tier I (Basel III compliant) Perpetual Bonds

For investments of insurers in Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds [AT1

Bonds], the limit of 10 investment in a single IPO of AT1 Bonds is removed with the continuation of overall limit of 10 of total outstanding AT1 bonds of a particular bank subject to meeting of the specified conditions. This has enabled insurers to have more flexibility while making investment in the AT1 bonds.

III.11.2.5 Separate Limits for Debt Instruments and Units of INVIT/REIT

The investments in the Debt Instruments of Real Estate Investment Trust (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (INVITs) are now permitted apart from the Units of REITs and INVITs subject to exposure norms for single investee company as specified. This has facilitated insurers to invest more funds in the infrastructure and also bring flexibility while making investments.

III.11.2.6 Dividend Criteria for Equity investment under approved investment.

Dividend Criteria, to classify investments in preference shares and equity shares as part of Approved Investment, is revised from 2 consecutive years immediately preceding to 2 out of 3 consecutive years immediately preceding. Such relaxation allowed insurers to have wider options while making investments in the equity and preference shares.

III.11.2.7 Amendments made through the Master Circular issued vide circular No. IRDAI/F&I/CIR/INV/226/10/2022 dated 27th October 2022 and subsequent clarifications.

Brief of amendments are as under:

- i. For investing in IPO, the requirement to be part of the Financial Sound Group has been relaxed and the Board of the insurer can

have their own criteria subject to compliance of the regulatory requirements. This has enabled the insurers more flexibility while making investments in IPO.

- ii. Investment in Mutual Fund – Insurers shall invest not more than 20 per cent of total investments in any one Mutual Fund house w.e.f 1st April, 2023 to avoid concentration risk.
- iii. Investment in AIFs-insurers are not permitted to invest in any scheme of AIFs that have a priority distribution model wherein such AIFs have adopted a distribution waterfall in such a way that may lead to share of losses more than pro-rata to their holding, compared to other investors belonging to the same class. This provision prohibits the investments in an AIF which has differential treatment for the same class of investors in an AIF and in turn protect the investments of the insurers.
- iv. No further investment is allowed now in any investments of or managed by IL&FSAMC.
- v. To avoid concentration placement of Investments through a single Security Brokers is limited to 5 the transactions done through brokers.

III.11.2.8 IRDAI/F&I/INV/CIR/248/12/2022 (Declaration of NAV on a quarter ending day, which is a holiday)

The insurers shall declare NAV for the last business day of a financial year even if it is a Non Business day as per the existing regulations. IRDAI has been considering the request of the insurers for declaration of NAV when a quarter ends on a non-business day. As part of ease of doing business, the insurers are now permitted to declare NAV at the quarter end even if such quarter ends on a non-business day so that the transactions on such non business day can happen at the NAV of the ULIP financials.

III.11.2.9 Cir Ref. No IRDAI/INV/CIR/INV/16/01/2023 dated 13th January, 2023 on Investments in Sovereign Green Bonds.

The Investment in Sovereign Green Bonds shall be treated as “Investment in Infrastructure” and shall be classified as “Central Government Securities”. This will enable more investment in the infrastructure sector.

III.11.2.10 Brief on Cir No IRDAI/F&I/CIR/INV/ 20/1/01/2023 dated 19th January, 2023 Investments in the Demerged entity.

As per Regulation 3(a)(4) and 3(a)(5) of IRDAI [Investment] Regulations, 2016 read with clause 1.11 of IRDAI Investment Master circular dated October 27, 2022, insurers shall classify investments in Preference Shares and Equity Shares as part of “Approved Investment” if dividend is paid on such shares “for at least 2 years out of 3 consecutive years immediately preceding”. This circular clarify that these criteria are applicable to the “Demerged Company” and will be reckoned for the purpose of classification of investment in equity and preference shares in resulting investee company(s) as “Approved investment” for initial two financial years.

This will enable the insurers not to liquidate such investments in the demerged entity, which do not meet the dividend criteria for the specific period and continue to reckon such investments towards the approved investments.

III.12 Regulating Maintenance of Margin of Solvency

III.12.1 Every insurer and reinsurer shall at all times maintain an excess of value of assets over the amount of liabilities of, not less than fifty per cent of the amount of minimum capital as stated under Section 6 of the Insurance Act, 1938 and arrived at in the manner specified by the

regulations. The IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016 and the IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 describe in detail the method of computation of the Available and Required Solvency Margin.

The Insurance Act, 1938 (as amended from time to time) specifies a level of solvency margin known as control level of solvency, which currently is 150 per cent of Required Solvency Margin. In the case of life insurers, every insurer shall determine the Required Solvency Margin, the Available Solvency Margin and the Solvency Ratio as per Insurance Regulatory Development Authority of India (Actuarial Report and Abstracts for Life Insurance Business) Regulations, 2016.

III.12.2 In the case of general insurers, Re-insurers and Branches of Foreign Re-insurers, the Required Solvency Margin shall be the maximum of the fifty percent of minimum capital / Assigned Capital requirement for the insurer or reinsurer or Branches of Foreign Re-insurers; or higher of RSM-1 and RSM-2 computed as under for each Line of Business separately:

- RSM-1 means the Required Solvency Margin based on net premiums, and shall be determined as twenty percent of the amount which is higher of the Gross Premiums multiplied by a Factor A and the Net Premiums. For the purpose of calculation of RSM1, 'Trailing 12 month's premium' will be taken into account.
- RSM-2 means the Required Solvency Margin based on net incurred claims, and shall be determined as thirty percent of the

amount which is the higher of the Gross Incurred Claims multiplied by a factor B and the Net Incurred claims. For the purpose of calculation of RSM2, Claims will be taken into account as maximum of 'Trailing 12 months Claims' and 'Trailing 36 months Claims divided by 3'.

III.13 Adjudication of Disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries:

III.13.1 As per Regulation 59(2) of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, any disputes arising between an insurance broker and an insurer or any other person either in the course of his engagement as an insurance broker or otherwise may be referred to the IRDAI by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the IRDAI may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these regulations.

III.14 Specifying the Percentage of Life Insurance Business and General Insurance Business to be undertaken by the Insurers in the Rural and Social Sector.

III.14.1 IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 was notified on August 24, 2015 superseding the IRDA (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2002. The obligations stated in these regulations are applicable since FY 2016-17. As per the regulatory provisions, the insurers should undertake the rural and social sector obligations as prescribed therein, in every financial year.

IV



ORGANISATIONAL MATTERS



PART IV: ORGANISATIONAL MATTERS

IV.1. ORGANIZATION

IV.1.1 Shri. Debasish Panda IAS (UP:87) (Retd.), former Secretary, Department of Financial Services was appointed as Chairperson of the Authority by the Government of India for a period of three years w.e.f 14th March, 2022.

Shri Parmod Kumar Arora, Whole-time Member [Actuary] and Smt. S. N. Rajeswari, Whole-time Member [Distribution] also continued in the Authority during the period.

Smt. T.L. Alamelu, Whole-time Member [Non-Life] and Shri K. Ganesh, Whole-time Member [Life] continued and held the office up to 6th May, 2022 and 30th July, 2022 respectively.

Shri Rakesh Joshi, appointed as Whole-time Member [Finance & Investments] with effect from 22nd March, 2022.

Shri Thomas M. Devasia, appointed as Whole-time Member [Non-Life] with effect from 19th September, 2022.

Shri B C Patnaik, appointed as Whole-time Member [Life] with effect from 1st May, 2023.

IV.1.2 Shri Amit Agrawal, Additional Secretary,

Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India was appointed as Part-time Member of the Authority with effect from 25th June, 2021 and held the office up to 3rd July, 2022.

Shri Suchindra Misra, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India was appointed as Part-time Member of the Authority with effect from 4th July, 2022 and held the office up to 28th June, 2023.

Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India was appointed as Part-time Member of the Authority with effect from 28th June, 2023.

CA (Dr.) Debashis Mitra, President, the Institute of Chartered Accountants of India, became Part-time Member of the Authority with effect from 12th February, 2022 and continued up to 11th February, 2023. Thereafter, CA Aniket Sunil Talati, President, the Institute of Chartered Accountants of India, became Part-time Member of the Authority with effect from 12th February, 2023.

Table IV.1: Composition of the Authority as on March 31, 2023

Name	Position	Provision
Shri Debasish Panda	Chairperson	Appointed under Section 4(a) of the IRDA Act, 1999
Shri Parmod Kumar Arora	Whole-time Member [Actuary]	Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999
Smt. S. N. Rajeswari	Whole-time Member [Distribution]	Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999
Shri Rakesh Joshi	Whole-time Member [Finance & Investment]	Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999
Shri Thomas Devasia	Whole-time Member [Non-Life]	Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999
Shri Suchindra Misra [Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance]	Part-time Member	Appointed under Section 4(c) of the IRDA Act, 1999
CA Aniket Sunil Talati [President, the Institute of Chartered Accountants of India]	Part-time Member	Appointed under Section 4(c) of the IRDA Act, 1999

MEETINGS OF THE AUTHORITY

IV.1.3 During F.Y. 2022-23, the Authority met on three occasions.

Authority Meeting	Date
119th Meeting of the Authority	26th July, 2022
120th Meeting of the Authority	25th November, 2022
121st Meeting of the Authority	25th March, 2023

The details of the meetings attended by each member are given in Table IV.2.

Table IV.2: Details of Meetings of the Authority held during 2022-23

Name	Number of Meetings Held	Number of Meetings Attended
Shri Debasish Panda	3	3
Shri K Ganesh	1**	1
Shri Parmod Kumar Arora	3	3
Smt. S. N Rajeswari	3	3
Shri Rakesh Joshi	3	3
Shri Thomas Devasia	2*	2
Shri Suchindra Misra (Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance)	3	3
CA. (Dr.) Debashis Mitra (President, the Institute of Chartered Accountants of India)	2**	2
CA Aniket Sunil Talati (President, the Institute of Chartered Accountants of India)	1*	1

Note: *Number of meetings held after assuming charge.

** Number of meetings held during the year before demitting the office.

IV.2 Human Resources

IV.2.1 General Administration and Human Resources Department (GA&HR) is responsible for all activities related to Human Resource Management and include addressing requirement of human resources, planning, developing, and administering policies and programs designed for welfare of employees. To strengthen employer-employee relationship, and to encourage continuous professional development of officers, programs and

processes are implemented on regular basis. During the year, a new framework of focussed teams was introduced in the form of *Mission Mode Teams* to build robust set of capabilities in sync with the dynamically changing requirements of the insurance sector.

Staff Strength

IV.2.2 The staff strength and the need for additional manpower are reviewed from time to time. The position of sanctioned and actual staff strength as on March 31, 2023 is given in Table IV.3.

Table IV.3: Sanctioned and Actual Staff Strength in IRDAI

Class	As on March 31, 2022		As on March 31, 2023	
	Sanctioned	Actual	Sanctioned	Actual
I	319	193	336	201
III & IV	17	15	0	0
Total	336	208	336	201

Subsequent to the approval granted by the Authority in its 119th meeting held on 26th July, 2022, with respect to the run off Senior Assistant and Assistant Grade; and after promotion exercise in 2022-23, the Class III and IV positions stand withdrawn and IRDAI has become officer-

oriented organization.

Category-wise Staff Strength

IV.2.3 The category-wise distribution of the staff members is provided in Table IV.4.

Table IV.4: Category-wise Staff Strength in IRDAI

Category Class	As on March 31, 2022				As on March 31, 2023			
	SC	ST	Others	Total	SC	ST	Others	Total
I	21 (10.88)	7 (3.63)	165 (85.49)	193 (100.00)	24 (11.94)	8 (3.98)	169 (84.08)	201 (100.00)
III & IV	1 (6.67)	1 (6.67)	13 (86.67)	15 (100.00)	0	0	0	0
Total	22 (10.58)	8 (3.85)	178 (85.58)	208 (100.00)	24 (11.94)	8 (3.98)	169 (84.08)	201 (100.00)

Note: Figures in brackets are percentage to total

Gender and Age Profile of Employees

IV.2.4 Out of 201 employees, 46 are female constituting 22.89 percent. IRDAI is a young and dynamic organization with average age of employees about 42 years. The age-wise distribution of the staff members in 2022-23 is given in Table IV.5.

Table IV.5: Age-wise Distribution of Staff in IRDAI

Age (Years)	Staff Strength	Percentage to Total
< 30	36	18.05
31 - 40	52	26.34
41 - 50	85	41.46
51 - 60	28	14.15
Total	201	100


Grade-wise Staff Strength

IV.2.5 The grade-wise distribution of staff members is provided in Table IV.6.

Table IV.6: Grade-wise Staff Strength in IRDAI

Grades	2021-22	2022-23
Executive Director (ED)	1	4
Chief General Manager (CGM)	6	10
General Manager (GM)	19	26
Deputy General Manager (DGM)	23	45
Assistant General Manager (AGM)	45	29
Manager (MGR)	27	71
Assistant Manager (AM)	72	16
Assistant (ASST)	14	0
Senior Assistant (SA)	1	0
Total	208	201

Chart IV.1: Grade-wise Distribution of Staff in IRDAI (2022-23)



Training and Development

IV.2.6 Training and Development is critical for helping employees to develop their personal and professional skills, knowledge, and abilities. In order to enhance and widen the knowledge base, employees have been nominated for various training programs. Several training initiatives were undertaken during the year to enhance the knowledge, skills and efficiencies of staff members.

In-house Training

Gyan Manch – A knowledge sharing platform of IRDAI

IV.2.7 A Circular ref: IRDAI/Admn/Cir/Misc/208/10/2022 dated 10th October, 2022 was issued revamping the earlier 'Study Forum'. The new, revamped forum is called "Gyan Manch".

The topics for presentation in the Gyan Manch relate to overall economy and financial sector, with bearing on insurance and technology. These also include relevant issues of national and international importance, global trends and developments, innovations and emerging risks impacting insurance.

Domestic Training

IV.2.8 Training Program by College of Supervisors (CoS), RBI – Officers from departments / Mission Mode Teams were nominated to attend training programs during the year conducted by College of Supervisors, RBI.

IV.2.9 Toronto Centre, RBSF -

IRDAI has entered into an Agreement with Toronto Centre (TC) for development and implementation of Risk Based Supervisory Framework (RBSF) for insurance sector in India. As part of the engagement, TC has conducted capacity building sessions for 2 days in January

2023. The sessions will continue in the ensuing months. Approximately 40 officers of the Authority have participated in the session, which included topics such as elements of RBS, drivers of External and Inherent Risks in RBS, etc. and related case studies.

Other Activities

Revision of Pay and Allowances

IV.2.10 As per the Circular ref: IRDAI/HR/CIR/PER/064/04/2022 dated: 11th April, 2022, Revision of Pay and Allowances of the Employees / Officers was carried out. Salaries of employees shall be drawn on the revised pay scales basis. Arrears of pay and allowance were with effect from November 1, 2017.

Induction of Young Professionals

IV.2.11 Under young professional program, IRDAI vide its notification dated 02nd August, 2022 invited applications under 7 streams. i.e. Actuarial, Finance & Investment, Law, Technology, Research, Rural Management and Communication from young professionals for a tenure of one year with a provision of extension up to two years. Following this, IRDAI inducted 28 candidates as young professionals. Projects were assigned to 10 teams of young professionals and on completion of the assigned projects, they were allocated to different departments. As on 31st March, 2023 26 young professionals are working in different departments.

Promotion Exercise

IV.2.12 As per the provisions of IRDAI Staff [Officers and Other Employees] Regulations, 2016, the promotion of employees at different grades was taken up in May'22 and in January'23 and eligible employees in the order of merit were promoted to next grades.

Business Process Re-engineering (BPR) Committee

IV.2.13 As a part of reform agenda with an ambitious Vision-'Insurance for all' by 2047, a Committee on 'Business Process Re-engineering' was constituted under the Chairmanship of Professor Venkat Changavalli, Management Consultant and Member (IAC). The mandate for the Committee is to review the present organizational structure, systems and processes in the Authority and submit its recommendations on achieving a better alignment of the same with its long term vision. The Committee had wide interactions across the various departments and employees, and submitted its report on 31st December, 2022.

Observance of International Women's Day

IV.2.14 International Women's Day (IWD) 2023 was celebrated with enthusiasm appreciating achievements of women officers in professional and other fields.

Mission Mode Teams: -

IV.2.15 In a bid to further the vision of "Insurance for all" by 2047, and in order to bring in reforms and set an agenda, it was contemplated to revisit the organizational structure based on participative framework leading to unity in objectives. The Officers were asked to indicate their areas of interest in existing work areas and / or activities where they would want to work and contribute, along with a plan indicating the goals they would achieve as well as a plan of action. The focused projects are as follows:

- i. Developing ecosystem for InsurTech and allied technologies for insurance sector;
- ii. Strengthening Grievance Redressal Mechanism, Development of appropriate monitoring and feedback framework driven by technology;

- iii. Developing and implementing Risk Based Supervisory Framework (RBSF);
- iv. Establishing framework for Risk Based Capital (RBC);
- v. Strategies for implementing applicable IFRS/IndAS;

Merging and Re-naming of the departments

IV.2.16 In terms of Regulation 4(3)(b) of IRDAI Staff (Officers and Other Employees) Regulations, 2016, the following departments have been merged and / or re-named: -

- i. Finance & Accounts (Life), Finance & Accounts (Non-Life) and Investment Departments have been merged and re-named as Finance and Investment Department.
- ii. Consumer Affairs and Communication Departments have been merged and re-named as Policyholders' Protection and Grievance Redressal Department.
- iii. Administration, HR, Estates, Library, IT, OLI and Accounts have been merged and re-named as General Administration and HR Dept.
- iv. Sectoral Development Department has been re-named as Insurance Inclusion and Development Department.
- v. Corporate Services Department has been re-named as Board's Secretariat.

Internal Committee for Women Employees

IV.2.17 In terms of provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaints Committee has been reconstituted vide office order ref: IRDA/HR/ORD/PER/222/08/2020 dated 27th August, 2020 with a view to redressing the complaints in this regard as also to ensure compliance of various provisions laid down in the Act. The Committee received one complaint in

the year 2022-23 and report on the same was submitted.

The Authority has organised Behavioural training / Management Development Program comprising a session on 'Prevention of Sexual Harassment of women at work place' for all staff members in the year 2021-22 and intends to conduct similar programs periodically.

Grievance Redressal Committee

IV.2.18 The Grievance Redressal Committee (GRC) was constituted in accordance with Regulation 72 of IRDA (Condition of Service of Officers & Other Employees) Regulations, 2000, on February 04, 2011, to look into grievances, if any, of its Officers and Employees. Regulation 78 of IRDAI Staff (Officers and Other Employees) Regulations, 2016 prescribes the provisions and process for Grievance redressal and welfare of employees.

In pursuance of recommendation of National Commission for Schedule Caste (NCSC), an Internal Grievance Redressal Committee (IGC) for employees belonging to Schedule Castes community has been constituted on November 05, 2021.

IV.3 PROMOTION OF OFFICIAL LANGUAGE

IV.3.1 Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has continued its efforts to increase use of Hindi for transacting the official work. Official Language Implementation Wing is responsible for effective compliance of various statutory and legal provisions relating to implementation of the official language. Special efforts have been made during the year to ensure compliance of the Official Language Policy of the Union laid down in the Constitution of India which includes compliance of Official Languages Act, 1963, Official Language Rules, 1976, Annual Programme of the Government of India as well as

directions issued under them by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The Annual Programme for Use of Hindi for the year 2022-23 has been disseminated through an Office Order for compliance.

IV.3.2 All the documents tabled in the Parliament were bilingual. In compliance with Rule 5 of the Official Languages Rules, 1976, replies to letters/representations/appeals/RTI applications received in Hindi were issued in Hindi.

Progress Reports

IV.3.3 Quarterly Progress Report in the format prescribed by the Department of Official Language, Government of India was submitted to Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Department of Financial Services, Ministry of Finance. In addition, Half-yearly Progress Report, Annual Progress Report and Annual Appraisal Report were also submitted to Town Official Language Implementation Committee and concerned departments.

Achievements and Prizes

IV.3.4 As against the target of 55 per cent in respect of Hindi correspondence and 30 per cent in respect of Hindi notings, the percentage of Hindi correspondence was 77.23 and that of Hindi notings was 83.28 per cent as on 31st March 2023.

IV.3.5 Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad has been awarded Rajbhasha Kirti Puraskar 2022, Third Prize in Region 'C' by Government of India on 14th September 2023 for rendering meritorious work in the official language implementation. IRDAI has also been awarded First Prize by the Town Official Language Implementation Committee (Banks), Hyderabad for implementation of Hindi. Six officers have won prizes in various competitions held under the auspices of TOLIC.

IV.3.6 A Rajbhasha Technical Seminar was organized by IRDAI on 26th December 2022 for the member offices of the TOLIC. In addition to this, a Hindi Quiz Competition was also organized for the Rajbhasha Officers and employees of the member offices of the City OLIC. Top level Executive Officers of IRDAI participated in the 74th and 75th half-yearly meetings of the City Official Language Implementation Committee (Banks), Hyderabad. Besides, IRDAI actively participated in all the Seminars/ Workshops/ Competitions organized by the City OLIC. A Guest Lecture was delivered by the OLI Department of IRDAI on the subject "Process of Official Translation and Notes" in the Regional Rajbhasha Conference of the Rajbhasha Officers of the New India Assurance Company Limited on 03rd March 2023. As per the directives of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India vide Office Memorandum No. 12027/03/2021 – O.L. (O-2) dated 26th July 2021 in regard to joining the City Official Language Implementation Committee (Banks) addressed to the Insurance Companies New Delhi Regional Office of IRDAI has taken membership of TOLIC (Banks) of New Delhi and Mumbai Regional Office of IRDAI has taken membership of TOLIC (Banks) of Mumbai.

IV.3.7 Two officers of IRDAI participated in the One-day Workshop on 06th May 2022 and 3 officers of IRDAI participated in the Hindi workshop on 23th September 2022, both organized by the Financial Services Department. Rajbhasha Officer of IRDAI participated in the Second All India Rajbhasha Conference organized at Surat on 14th-15th September 2022. In addition to this, IRDAI participated in the Joint Regional Rajbhasha Conference and Prize Distribution Function of Northern Region-1 and Northern Region-2 organized on 03rd November 2022 at Amritsar by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

Hindi Training

IV.3.8 Roster of employees was updated according to the Hindi language knowledge and training of the employees. This is particularly utilised for nominating employees for training programs of Pragya and Parangat conducted by the Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. During 2022-23, 37 employees were given Pragya and Parangat Hindi knowledge training. As per the provisions of Hindi training in the office, all the employees who have undergone training were given honorarium. For the promotion of the use of Hind, 09 employees have been trained through Desk Training. Rajbhasha Officer of IRDAI has undergone training in Advance translation organized by the Central Translation Bureau from 9th January 2023 to 13th January 2023.

Hindi Workshops and Meetings

IV.3.9 Official Language Implementation Committee has been constituted under the chairmanship of the Chairman with all the heads of departments as members, and review meetings have been organized every quarter. Official Language Implementation Committees have also been constituted at New Delhi and Mumbai Regional Offices. Hindi workshops were conducted regularly to make the employees familiar with the rules related to Hindi and Hindi typing with the help of Unicode and other easy to use methods in order to make more extensive use of Hindi in their day-to-day work. During 2022-23, 98 employees of Head Office at Hyderabad were trained through these workshops. Hindi Workshops were also organised at New Delhi Regional Offices and Mumbai Regional Office wherein 23 and 12 employees were imparted training respectively. During the Hindi Workshops, material pertaining to rules in regard to Hindi, the annual programme issued and

material in respect of general Hindi notings were distributed.

Inspection of the Official Language implementation

IV.3.10 During February-March 2023, the Official Language Department of the Head Office undertook an inspection of the implementation of the official language in all the departments of the Head Office as well as the Mumbai Regional Office and New Delhi Regional Office.

Hindi Fortnight

IV.3.11 Hindi fortnight was celebrated at the Head Office as well as the Regional Offices from 14th to 30th September 2022, which was inaugurated by Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah Ji in a centralized manner from the All India Rajbhasha Conference, Surat. All the personnel of the Office witnessed this Inaugural Function. During this fortnight, essay writing, story writing, translation, official language policy and Hindi noting competition (for Deputy General Managers and above grades), remembrance, recitation of poetry, extempore speech, quiz (Prashnottari), Antakshari, Meaningful Hindi words, singing of songs/ brief plays based on Azadi ka Amrit Mahotsav as well as online typewriting through special software were organized. A competition on the official language policy and Hindi Notings for Deputy General Managers and above was organized among these competitions wherein 34 Senior officers participated including one executive director, 2 Chief General Managers and 11 General Managers. In the Fortnight, the departments winning the maximum number of prizes and those with maximum participation were also rewarded. In the Valedictory Function, 83 officers and 2 departments were rewarded. Hindi Fortnight was organized successfully.

Other Information.

IV.3.12 For promotion of Hindi, 109 Hindi books written by prominent writers were added to the library of IRDAI this year and the budget allocation for Hindi books is being enhanced every year continuously. The Department of Official Language actively extended co-operation in providing all the relevant subjects in Hindi and other regional languages with an intention of increasing insurance awareness. In IRDAI, 50 per cent and more of the total amount on advertisements was incurred for the advertisements in Hindi and other regional languages.

IV.4 INFORMATION TECHNOLOGY

IV.4.1 As a part of constant endeavour to improve the efficiency and effectiveness of IT systems, IRDAI has taken several steps during the current financial year.

Business Analyst Project (BAP)

IV.4.2 Business Analytics Project is the application for offsite regulatory monitoring developed by IRDAI which is being managed by a Service Provider. The hardware and supporting software for said application was upgraded to latest technology for seamless experience to BAP users.

Human Resource Management System (HRMS)

IV.4.3 A new vendor was selected through RFP (request for proposal) for SAP ERP AMC and FIORI implementation services for HRMS Application.

Internal Applications

IV.4.4 During the year, the following activities were carried out:

- IRDAI new website went live.
- Maintenance and support for Cross Border Reinsurance, IMF, ISNP applications.

Information and Cyber Security for Insurers

IV.4.5 Following steps were undertaken for strengthening the information and cyber security of Regulated Entities:

- Committee constituted to review IRDAI's Information and Security guidelines dated 07th Apr, 2017, had submitted its recommendations to the Authority. Updated IRDAI Information and Cyber Security Guidelines, 2023 were issued.
- IT security of insurers is strengthened through enhanced monitoring of Annual Assurance Audit Reports submitted and follow-ups on closure of gaps observed therein.
- Advisories issued to Insurers from time-to-time to keep up with the evolving challenges and better management of cyber security threats.

Strengthening of Internal Information and Cyber Security

IV.4.6 VAPT (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) for entire ICT infrastructure of IRDAI for public facing and internal applications was conducted to identify and close gaps for strengthening IRDAI cyber security.

IV.4.7 IRDAI Information Security policies and procedures, Cyber Crises Management Plan put in place to strengthen IRDAI IT security and procedures.

IV.4.8 Cyber Jaagrookta Diwas (CJD) conducted regularly for improving awareness of employees w.r.t cyber security hygiene and best practices.

IV.5 Accounts

IV.5.1 The accounts of the Authority for the Financial Year 2022-23 have been submitted to the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for audit and certification. The audited

accounts for the Financial Year 2021-22 were laid before the Lok Sabha on March 13, 2023 and before the Rajya Sabha on March 14, 2023, in terms of Section 17 of The IRDA Act, 1999.

IV.6 ACKNOWLEDGEMENTS

IV.6.1 IRDAI would like to place on record its appreciation and sincere thanks to the Members of the Authority, Members of the Insurance Advisory Committee, the Reinsurance Advisory Committee, Department of Financial Services (Ministry of Finance), Members of the Consultative Committee, all insurers and intermediaries for their invaluable guidance and co-operation in its proper functioning; and to the compact team of officers and employees of IRDAI for efficient discharge of their duties. The Authority also records its special thanks to the members of the public, the press, all the professional bodies and international agencies connected with the insurance profession through their councils, including the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) for their valuable contribution from time to time.



STATEMENTS



INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE PENETRATION

(In per cent)

S. No.	Country*	2021			2022		
		Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total
	America						
1	USA	2.6	9.1	11.7	2.6	9.0	11.6
2	Canada	3.3	4.8	8.1	3.3	4.6	8.0
3	Brazil	2.1	1.7	3.9	2.1	1.9	4.0
4	Mexico	1.2	1.3	2.5	1.1	1.3	2.4
5	Argentina	0.3	1.9	2.2	0.2	1.8	2.0
	Europe-Middle East-Africa						
6	South Africa	10.0	2.2	12.2	9.1	2.2	11.3
7	UK	8.9	2.2	11.1	8.1	2.4	10.5
8	Sweden	5.8	1.9	7.6	7.5	1.8	9.3
9	France	6.1	3.4	9.5	5.5	3.3	8.7
10	Netherlands	1.4	7.7	9.1	1.2	7.3	8.5
11	Italy	6.9	2.2	9.1	5.8	2.2	8.0
12	Switzerland	3.1	4.0	7.1	3.0	4.0	6.9
13	Germany	2.6	3.9	6.5	2.4	3.5	5.9
14	Spain	2.0	3.2	5.1	2.0	2.8	4.9
15	Turkey	0.2	1.1	1.3	0.2	1.3	1.5
16	Saudi Arabia	0.1	1.3	1.3	0.0	1.2	1.3
17	Russia	0.4	0.9	1.3	0.3	0.6	0.9
	Asia Pacific						
18	Taiwan	11.6	3.2	14.8	8.2	3.1	11.4
19	South Korea#	5.8	5.2	10.9	5.4	5.8	11.1
20	Singapore	7.5	1.8	9.3	7.4	1.8	9.2
21	Japan#	6.1	2.2	8.4	5.9	2.3	8.2
22	Thailand	3.4	1.9	5.4	3.4	1.9	5.3
23	Malaysia#	3.9	1.4	5.3	3.7	1.3	5.0
24	Australia	1.0	3.5	4.4	0.9	3.3	4.2
25	India#	3.2	1.0	4.2	3.0	1.0	4.0
26	China	2.1	1.9	3.9	2.0	1.9	3.9
27	New Zealand	0.8	4.0	4.8	0.8	3.0	3.8
28	Indonesia	1.1	0.5	1.6	0.9	0.5	1.4
29	Pakistan	0.5	0.2	0.7	0.6	0.3	0.8
	World	3.0	3.9	7.0	2.8	4.0	6.8

* Data pertains to the calendar year 2021 & 2022.

Data pertains to Financial year 2021-22 & 2022-23

Note: Insurance penetration is measured as ratio of premium (in US Dollars) to GDP (in US Dollars)

Source: Swiss Re, Sigma Reports on World Insurance 4/2022 and 3/2023

STATEMENT 2

INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE DENSITY

(In USD)

S. No.	Country*	2021			2022		
		Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total
	America						
1	USA	1,837	6,356	8,193	2,017	6,868	8,885
2	Canada	1,697	2,520	4,217	1,840	2,552	4,392
3	Brazil	160	130	290	184	168	352
4	Argentina	31	207	238	29	252	281
5	Mexico	115	131	247	118	146	265
	Europe-Middle East-Africa						
6	Switzerland	2,866	3,744	6,610	2,730	3,634	6,364
7	Sweden	3,478	1,119	4,597	4,203	976	5,180
8	UK	4,234	1,039	5,273	3,669	1,111	4,781
9	Netherlands	805	4,497	5,301	657	4,074	4,731
10	France	2,654	1,486	4,140	2,239	1,339	3,578
11	Germany	1,321	1,992	3,313	1,182	1,699	2,881
12	Italy	2,467	785	3,253	1,966	750	2,716
13	Spain	591	960	1,551	601	832	1,433
14	South Africa	698	154	852	614	149	764
15	Saudi Arabia	13	299	312	14	393	407
16	Turkey	22	102	124	21	133	154
17	Russia	49	111	160	47	87	134
	Asia Pacific						
18	Singapore	5,414	1,327	6,742	6,074	1,489	7,563
19	Taiwan	3,772	1,032	4,804	2,656	1,006	3,662
20	South Korea#	1,971	1,764	3,735	1,705	1,836	3,541
21	Australia	623	2,195	2,817	609	2,149	2,758
22	Japan#	2,347	855	3,202	1,942	748	2,690
23	New Zealand	403	1,936	2,339	373	1,395	1,768
24	Malaysia#	444	157	600	432	159	592
25	China	253	229	482	255	234	489
26	Thailand	246	141	387	235	134	369
27	India#	69	22	91	70	22	92
28	Indonesia	48	22	70	43	26	68
29	Pakistan	7	4	11	8	4	12
	World	382	492	874	354	499	853

* Data pertains to the calendar year 2021 & 2022.

Data pertains to Financial year 2021-22 & 2022-23

Note: Insurance penetration is measured as ratio of premium (in US Dollars) to Total Population

Source: Swiss Re, Sigma Reports on World Insurance 4/2022 and 3/2023

PREMIUM UNDERWRITTEN BY LIFE INSURERS ^

[₹ Crore]

S. No.	INSURER	2021-22	2022-23
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	12,140.23	15,069.69
2	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	416.46	369.95
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	2,207.30	2,289.00
4	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	1,268.15	1,317.45
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	16,127.05	19,461.43
6	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	2,601.56	2,920.58
7	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	5,889.92	7,197.38
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	1,464.20	1,690.47
9	Exide Life Insurance Co. Ltd.*	3,767.96	NA*
10	Future Generali Life Insurance Co. Ltd.	1,433.54	1,758.01
11	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	45,962.83	57,533.42
12	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	37,457.99	39,932.78
13	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	5,186.56	6,074.53
14	Kotak Mahindra Insurance Co. Ltd.	13,015.11	15,320.46
15	Max Life Insurance Co. Ltd.	22,414.17	25,341.91
16	PNB Metlife Life India Insurance Co. Ltd.	7,348.26	8,785.21
17	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	1,098.78	1,495.39
18	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	5,036.57	5,122.10
19	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	61.44	44.19
20	SBI Life Insurance Co. Ltd.	58,759.64	67,315.60
21	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	2,349.60	2,546.40
22	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	4,136.80	5,746.37
23	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	14,445.03	20,503.50
	Private Total	264,589.17	307,835.83
		(17.36)	(16.34)
24	Life Insurance Corporation of India	428,024.97	474,668.14
		(6.13)	(10.90)
	Industry Total	692,614.14	782,503.97
		(10.16)	(12.98)

Note: Figures in the brackets represent the growth over the previous year in per cent.

*Takeover of Exide Life Insurance Co. Ltd. by HDFC Life Insurance Co. Ltd.

^ Premium underwritten within India

LINKED AND NON-LINKED PREMIUM OF LIFE INSURERS FOR 2022-23

(₹ Crore)

S. No.	Insurer	Linked Premium				Non-Linked Premium				Total Premium				Total Premium		
		First Year	Single	New Business (First Year + Single)	Renewal	Total Premium	First Year	Single	New Business (First Year + Single)	Renewal	Total Premium	First Year	Single		New Business (First Year + Single)	Renewal
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	523.59	1,367.26	1,890.84	1,944.95	3,835.79	2,712.39	3,069.51	5,781.90	5,452.00	11,233.90	3,235.98	4,436.77	7,672.74	7,396.94	15,069.69
2	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	0.04	0.03	0.07	71.94	72.00	1.70	9.68	11.38	286.56	287.94	1.75	9.71	1.45	358.50	369.95
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	111.92	206.79	318.72	337.91	656.63	338.16	254.53	592.68	1039.69	1632.37	450.08	461.32	911.40	1,377.60	2,289.00
4	Aviva Life Insurance Company India Ltd.	129.15	5.49	134.64	224.66	359.30	170.07	34.35	204.42	753.73	958.15	299.22	39.84	339.06	978.39	1317.45
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	1,613.77	572.95	2,186.72	3,500.69	5,687.41	3,544.39	5,006.68	8,551.07	5,222.96	13,774.03	5,158.16	5,579.63	10,737.79	8,723.65	19,461.43
6	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	66.34	38.60	104.94	177.43	282.37	696.05	215.29	911.35	1726.86	2,638.21	762.39	253.90	1016.29	1,904.29	2,920.58
7	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	649.01	26.51	675.52	1,301.06	1,976.58	988.44	2052.68	3041.12	2,179.69	5,220.80	1,637.45	2,079.19	3,716.64	3,480.75	7,197.98
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	57.45	13.91	71.35	256.54	327.90	443.96	28.27	472.23	890.34	1,362.57	501.41	42.18	543.59	1,146.88	1,690.47
9	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	23.37	3.62	26.99	69.60	96.59	652.87	19.21	672.07	989.35	1,661.42	676.24	22.83	699.07	1058.95	1758.01
10	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	2,067.64	1,524.23	3,591.87	8,007.73	12,399.60	9,256.28	16,236.99	25,493.27	19,640.56	45,133.83	11,323.93	17,761.22	29,085.14	28,448.28	57,533.42
11	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2,834.88	1,431.03	4,265.91	14,368.67	18,634.58	3,658.95	9,487.66	13,146.61	8,151.59	21,298.20	6,493.83	10,918.69	17,412.52	22,520.26	39,932.78
12	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	424.91	95.10	520.01	1,018.19	1,538.19	1,277.79	1,160.88	2,438.67	2,097.67	4,536.34	1,702.70	1,255.98	2,958.68	3,115.86	6,074.53
13	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	1,162.06	798.62	1,960.67	1,394.69	3,355.36	2,561.14	3,148.86	5,708.00	6,257.10	11,965.10	3,723.19	3,945.48	7,668.67	7,851.79	15,320.46
14	Max Life Insurance Co. Ltd.	1,724.81	57.97	1,782.78	4,742.40	6,525.18	4,174.77	3,002.05	7,176.82	11,639.91	18,816.73	5,899.58	3,060.02	8,959.60	16,382.31	25,341.91
15	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	554.91	63.11	618.02	1,010.85	1,628.87	1,758.65	842.75	2,601.40	4,554.94	7,156.34	2,313.56	905.86	3,219.42	5,565.79	8,785.21
16	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	11.36	6.28	17.64	24.21	41.85	142.12	538.65	660.76	772.78	1,453.54	153.48	544.93	698.41	796.99	1,495.39
17	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	248.24	7.65	255.89	787.56	1,043.45	833.50	36.12	869.62	3,209.03	4,078.65	1081.74	43.77	1,125.50	3,996.60	5,122.10
18	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	44.19	44.19
19	SBI Life Insurance Co. Ltd.	9,033.49	2,143.03	11,176.52	24,876.97	36,053.49	6,163.58	12,248.50	18,412.08	12,850.04	31,262.12	15,197.07	14,391.53	29,588.60	37,727.01	67,315.60
20	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	20.44	17.20	37.64	23.03	60.66	665.22	449.83	1,115.05	1,370.68	2,485.73	685.66	467.03	1,152.68	1,393.71	2,546.40
21	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	187.77	59.05	246.83	351.22	598.04	2,008.26	862.93	2,871.18	2,277.14	5,148.32	2,196.03	921.98	3,118.01	2,628.35	5,746.37
22	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	2,076.69	129.61	2,206.30	2,626.20	4,832.50	5,264.62	1,069.04	6,333.66	9,337.34	15,671.00	7,341.32	1,198.65	8,539.97	11,963.54	20,503.50
	Private Total	2,3521.84	8,566.02	32,089.86	67,917.59	10,000.745	47,312.91	59,772.45	10,7085.36	10,0743.02	20,7828.38	70,834.75	66,340.47	1,39,175.22	1,66,660.61	3,07,835.83
23	Life Insurance Corporation of India	588.82	3,197.66	3,786.49	1,161.96	4,948.45	38,501.12	18,9762.99	22,8264.11	24,1455.58	46,9719.69	39,089.94	1,92,960.65	2,32,050.60	2,42,617.54	4,74,668.14
	Industry Total	24,110.66	11,765.68	35,876.35	67,079.55	1,04,955.90	85,814.03	2,49,535.44	3,35,349.47	3,42,198.60	6,77,548.07	1,09,924.69	2,61,301.13	3,71,225.82	4,11,278.15	7,82,503.97

SEGMENT-WISE TOTAL PREMIUM OF LIFE INSURERS (2022-23)

(₹ Crore)

LINKED (INDIVIDUAL AND GROUP)

Type	Non-Participating			Participating			Both			
	First Year	Renewal	Single	Total	First Year	Renewal	Single	Total	Grand Total	Percentage
Annuity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Health	[0.01]	146.61	-	146.60	-	-	-	-	146.60	0.14
Life	20,329.47	60,615.30	10,533.97	91,478.74	-	0.78	-	0.78	91,479.51	87.16
Pension	3,781.20	8,316.82	1,231.71	13,329.74	-	0.05	-	0.05	13,329.79	12.70
Variable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	24,110.66	69,078.73	11,765.68	104,955.07	-	0.83	-	0.83	104,955.90	100.00

NON-LINKED (INDIVIDUAL AND GROUP)

Type	Non-Participating			Participating			Both			
	First Year	Renewal	Single	Total	First Year	Renewal	Single	Total	Grand Total	Percentage
Annuity	2,206.54	536.33	30,891.98	33,634.85	-	2.48	-	2.48	33,637.33	4.96
Health	104.60	484.15	5.84	594.58	-	-	-	-	594.58	0.09
Life	35,639.49	64,211.90	82,177.44	182,028.83	42,701.72	273,017.07	7,993.95	323,712.74	505,741.57	74.64
Pension	4,884.22	2,419.64	126,764.05	134,067.91	35.11	1,176.54	16.12	1,227.76	135,295.68	19.97
Variable	36.17	48.03	1,673.44	1,757.65	206.18	302.46	12.62	521.27	2,278.91	0.34
Total	42,871.02	67,700.06	241,512.75	352,083.82	42,943.01	274,498.54	8,022.70	325,464.25	677,548.07	100.00

LINKED and NON-LINKED (INDIVIDUAL AND GROUP)

Type	Non-Participating			Participating			Both			
	First Year	Renewal	Single	Total	First Year	Renewal	Single	Total	Grand Total	Percentage
Annuity	2,206.54	536.33	30,891.98	33,634.85	-	2.48	-	2.48	33,637.33	4.30
Health	104.59	630.76	5.84	741.18	-	-	-	-	741.18	0.09
Life	55,968.95	124,827.20	92,711.41	273,507.56	42,701.72	273,017.85	7,993.95	323,713.52	597,221.08	76.32
Pension	8,665.43	10,736.46	127,995.77	147,397.65	35.11	1,176.59	16.12	1,227.81	148,625.46	18.99
Variable	36.17	48.03	1,673.44	1,757.65	206.18	302.46	12.62	521.27	2,278.91	0.29
Total	66,981.68	136,778.78	253,278.43	457,038.89	42,943.01	274,499.37	8,022.70	325,465.08	782,503.97	100.00

STATEMENT 6
EQUITY SHARE CAPITAL OF LIFE INSURERS

(₹ Crore)

S. No.	Insurer	As on March 31, 2022	Infusion during the year	As on March 31, 2023	Indian Promoter	Foreign Investor	Foreign Investment %
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	1,901.21	37.02	1,938.23	988.50	949.73	49.00
2	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	1,477.73	-	1,477.73	753.64	724.09	49.00
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	800.00	-	800.00	208.00	592.00	74.00
4	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	2,004.90	185.00	2,189.90	569.37	1,620.53	74.00
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	150.71	-	150.71	111.52	39.18	26.00
6	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	3,426.20	280.00	3,706.20	1,890.16	1,816.04	49.00
7	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	950.00	-	950.00	703.00	247.00	26.00
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	665.55	250.00	915.55	687.43	228.12	24.92
9	Exide Life Insurance Co. Ltd.*	1,850.00	(1,850.00)	-	-	-	-
10	Future Generali Life Insurance Co. Ltd.	2,145.82	300.00	2,445.82	675.86	1,769.96	72.37
11	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	2,112.62	36.78	2,149.40	1,464.03	685.37	31.89
12	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1,437.31	1.27	1,438.57	870.73	567.84	39.47
13	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	663.46	90.91	754.37	558.23	196.14	26.00
14	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	510.29	-	510.29	510.29	-	-
15	Max Life Insurance Co. Ltd.	1,918.81	-	1,918.81	1,918.81	-	-
16	PNB MetLife Insurance Co. Ltd.	2,012.88	-	2,012.88	1,028.27	984.61	48.92
17	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	374.06	-	374.06	190.77	183.29	49.00
18	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	1,196.32	-	1,196.32	610.13	586.20	49.00
19	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	232.00	-	232.00	232.00	-	-
20	SBI Life Insurance Co. Ltd.	1,000.04	0.85	1,000.89	696.16	304.73	30.45
21	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	179.38	(1.53)	177.85	102.46	75.39	42.39
22	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	258.96	80.00	338.96	183.24	155.72	45.94
23	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	1,953.50	-	1,953.50	996.28	957.22	49.00
	Private Total	29,221.75	(589.70)	28,632.05	15,948.91	12,683.15	44.30
24	Life Insurance Corporation of India	6,325.00	-	6,325.00	6,325.00	-	-
	Total	35,546.75	(589.70)	34,957.05	22,273.90	12,683.15	36.28

*Takeover of Exide Life Insurance Co. Ltd. by HDFC Life Insurance Co. Ltd.

GROSS DIRECT PREMIUM OF GENERAL & HEALTH INSURERS (WITHIN & OUTSIDE INDIA)

[₹ Crore]

S. No	Insurer	2021-22	2022-23
1	Acko General Insurance Co. Ltd.	988.21	1,509.41
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	13,688.59	15,336.64
3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	4,824.12	6,155.99
4	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	4,137.98	4,546.24
5	Go Digit General Insurance Co. Ltd.	4,673.94	6,160.08
6	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	13,497.55	16,635.81
7	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	17,976.87	21,025.09
8	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	8,452.91	9,870.95
9	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	742.47	1,134.09
10	Kshema General Insurance Co. Ltd. \$	-	-
11	Liberty General Insurance Co. Ltd.	1,506.46	1,957.33
12	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	1,757.17	2,534.12
13	Navi General Insurance Co. Ltd.	106.57	70.59
14	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	375.83	379.94
15	Reliance General Insurance Co. Ltd.	9,408.96	10,339.01
16	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	2,866.59	3,379.75
17	SBI General Insurance Co. Ltd.	9,166.22	10,828.40
18	Shriram General Insurance Co. Ltd.	1,752.95	2,265.78
19	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	10,024.97	13,176.01
20	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	3,456.12	4,103.09
21	Zuno General Insurance Co. Ltd	348.88	533.51
	Private Total	109,753.37	131,941.83
		(11.99)	(20.22)
22	National Insurance Co. Ltd.	13,076.83	15,205.85
23	The New India Assurance Co. Ltd.	35,515.93	37,482.04
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.	14,020.43	15,992.61
25	United India Insurance Co. Ltd.	15,722.25	17,644.31
	Public Sector Insurers Total	78,335.45	86,324.81
		(4.15)	(10.20)
26	Agriculture Insurance Co of India Ltd	13,940.21	14,619.79
27	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	1,106.62	1,197.53
	Specialized Insurers Total	15,046.83	15,817.32
		(14.73)	(5.12)
28	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	1,726.67	2,717.03
29	Care Health Insurance Co. Ltd.	3,880.91	5,141.53
30	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	986.18	1,359.79
31	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	2,809.97	4,073.03
32	Reliance Health Insurance Co. Ltd. #	(0.02)	-
33	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	11,463.47	12,952.47
	Standalone Health Insurers Total	20,867.18	26,243.85
		(32.45)	(25.77)
	Grand Total	224,002.82	260,327.82
		(10.85)	(16.22)

Note:

NA indicates that insurer's business was not in operation during the corresponding financial year.

Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance

\$ Started Business Operations in FY 2023-24

Note: Figures in the brackets represent the growth over the previous year in per cent.

STATEMENT 8
SEGMENT WISE GROSS DIRECT PREMIUM INCOME OF GENERAL & HEALTH INSURERS (WITHIN INDIA)

(₹ Crore)

S. No	Insurer	Fire		Marine		Motor		Health+Personal Accident		Others		Total	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
1	Acko General Insurance Co. Ltd.	0.02	[0.02]	-	-	510.75	659.96	407.12	736.00	70.32	113.47	988.21	1,509.41
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	1,916.44	2,158.64	211.75	286.60	4,844.52	5,348.55	3,381.26	3,372.78	3,334.62	4,170.07	13,688.59	15,336.64
3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	495.11	660.56	94.52	123.04	3,427.13	4,345.12	691.17	893.28	116.21	133.99	4,824.12	6,155.99
4	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	456.49	481.82	84.44	109.39	1,617.00	1,701.06	669.58	879.61	1,310.47	1,374.36	4,137.98	4,546.24
5	Go Digit General Insurance Co. Ltd.	260.36	417.36	13.97	34.66	3,008.77	4,000.27	675.94	933.33	714.91	774.45	4,673.94	6,160.08
6	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	1,330.35	1,710.01	173.44	219.85	3,549.00	4,644.38	4,940.65	5,716.43	3,504.10	4,345.13	13,497.55	16,635.81
7	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	2,749.52	3,052.48	625.04	744.29	8,280.09	8,582.27	4,006.91	5,592.29	2,315.31	3,053.76	17,976.87	21,025.09
8	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	924.72	944.73	252.19	302.13	3,702.65	4,133.56	1,859.56	2,169.52	1,713.79	2,321.01	8,452.91	9,870.95
9	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	50.95	70.42	4.90	17.59	388.03	515.89	275.53	483.37	23.06	46.83	742.47	1,134.09
10	Kshema General Insurance Co. Ltd.#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Liberty General Insurance Co. Ltd.	92.13	82.93	39.12	38.84	994.97	1,382.55	274.63	313.11	105.60	139.91	1,506.46	1,957.33
12	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	229.78	317.68	23.91	33.26	1,316.02	1,860.50	112.88	251.99	74.57	70.70	1,757.17	2,534.12
13	Navi General Insurance Co. Ltd.	18.59	[0.69]			43.00	27.71	42.46	43.55	2.52	0.02	106.57	70.59
14	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	15.08	22.29	0.01	0.01	277.36	273.66	5.06	14.56	78.31	69.43	375.83	379.94
15	Reliance General Insurance Co. Ltd.	938.13	1,004.32	108.20	128.47	3,844.50	4,036.22	1,120.93	1,560.54	3,397.19	3,609.45	9,408.96	10,339.01
16	Royal Sundaram General Insurance Co. Limited	290.46	294.91	45.97	51.66	2,025.96	2,470.94	425.72	475.98	78.48	86.27	2,866.59	3,379.75
17	SBI General Insurance Co. Ltd.	1,350.94	1,618.94	62.24	84.02	2,517.07	2,710.68	2,735.09	3,293.86	2,500.88	3,120.91	9,166.22	10,828.40
18	Shriram General Insurance Co. Ltd.	55.55	79.60	1.64	2.01	1,631.15	2,085.21	31.71	60.78	32.90	38.17	1,752.95	2,265.78
19	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	1,633.08	1,880.38	543.30	679.75	5,131.61	6,692.85	1,930.04	2,770.21	786.94	1,152.82	10,024.97	13,176.01
20	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	211.19	222.87	45.62	46.49	1,357.46	1,819.12	548.15	488.88	1,293.70	1,525.73	3,456.12	4,103.09
21	Zuno General Insurance Co. Ltd.	17.20	27.20	2.91	1.12	197.48	299.63	126.40	197.37	4.90	8.18	348.88	533.51
	Private Sector Insurer Total	13,036.08	15,046.44	2,333.18	2,903.17	48,664.50	57,590.14	24,260.83	30,247.44	21,458.78	26,154.66	109,753.37	131,941.83

SEGMENT WISE GROSS DIRECT PREMIUM INCOME OF GENERAL & HEALTH INSURERS (WITHIN INDIA)

(₹ Crore)

S. No	Insurer	Fire		Marine		Motor		Health+Personal Accident		Others		Total	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
22	National Insurance Co. Ltd.	1,104.10	1,180.00	224.37	275.94	4,645.95	5,087.80	6,075.14	7,403.16	976.18	1,201.10	13,025.74	15,148.00
23	The New India Assurance Co. Ltd.	3,959.27	4,238.05	848.96	977.83	8,240.52	8,974.60	15,830.28	17,338.57	3,694.85	2,955.00	32,573.88	34,484.05
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.	1,608.11	1,589.10	386.31	465.38	3,405.74	3,642.23	6,642.20	8,747.80	1,668.61	1,170.40	13,710.97	15,614.91
25	United India Insurance Co. Ltd.	1,843.48	1,882.54	374.79	436.34	5,476.76	5,985.27	6,826.65	7,682.68	1,200.57	1,657.47	15,722.25	17,644.31
	Public Sector Insurer Total	8,514.95	8,889.69	1,834.43	2,155.49	21,768.98	23,689.90	35,374.27	41,172.21	7,540.22	6,983.97	75,032.84	82,891.26
26	Agriculture Insurance Co of India Ltd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13,940.21	14,619.79	13,940.21	14,619.79
27	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,106.62	1,197.53	1,106.62	1,197.53
	Specialized Insurer Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15,046.83	15,817.32	15,046.83	15,817.32
28	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,726.67	2,717.03	NA	NA	1,726.67	2,717.03
29	Care Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3,880.91	5,141.53	NA	NA	3,880.91	5,141.53
30	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	986.18	1,359.79	NA	NA	986.18	1,359.79
31	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,809.97	4,073.03	NA	NA	2,809.97	4,073.03
32	Reliance Health Insurance Co. Ltd.@	NA	NA	NA	NA	NA	NA	[0.02]	NA	NA	NA	[0.02]	NA
33	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11,463.47	12,952.47	NA	NA	11,463.47	12,952.47
	Standalone Health Insurer Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20,867.18	26,243.85	NA	NA	20,867.18	26,243.85
	Grand Total	21,551.03	23,936.12	4,167.61	5,058.66	70,433.48	81,280.04	80,502.27	97,663.50	44,045.82	48,955.94	220,700.21	256,894.27

Note:

NA indicates that insurer's business was not in operation during the corresponding financial year or in the corresponding segment.

Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

@Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance

Started Business Operations in FY 2023-24

STATEMENT 9

EQUITY SHARE CAPITAL OF GENERAL, HEALTH AND REINSURERS

(₹ Crore)

Insurers	As on 31st March 2022	Infusion During the Year	As on 31st March 2023	Promoter			Non-promoter (including foreign)	FDI %
				Indian	Foreign	Total	Total	
Acko General Insurance Limited	1,146.00	1,000.00	2,146.00	2,146.00	-	2,146.00	-	0.00
Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	110.23	-	110.23	81.57	28.66	110.23	-	26.00
Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	298.81	-	298.81	179.28	119.52	298.81	-	40.00
Edelweiss General Insurance Co. Ltd.	513.00	165.00	678.00	678.00	-	678.00	-	0.00
Future Generali India Insurance Co. Ltd.	904.80	-	904.80	447.82	456.98	904.80	-	50.51
Go Digit General Insurance Limited	859.01	15.01	874.02	729.57	-	729.57	144.45	0.00
HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	712.78	-	712.78	356.31	349.20	705.51	7.27	48.99
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	490.89	0.24	491.13	235.84	-	235.84	255.28	0.00
IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	280.25	7.56	287.82	146.79	141.03	287.82	-	49.00
Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	455.00	225.00	680.00	680.00	-	680.00	-	0.00
Kshema General Insurance Co. Ltd.#	0.00	111.29	111.29	111.29	-	111.29	-	0.00
Liberty General Insurance Co. Ltd.	1,086.23	-	1,086.23	557.41	528.81	1,086.23	-	48.68
Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	154.71	91.96	246.67	210.50	32.00	242.50	4.17	12.97
Navi General Insurance Co. Ltd.	495.79	-	495.79	495.79	-	495.79	-	0.00
Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	296.04	75.08	371.12	189.27	181.85	371.12	-	49.00
Reliance General Insurance Co. Ltd.	251.81	0.26	252.07	251.55	-	251.55	0.52	0.00
Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	449.00	-	449.00	269.40	179.60	449.00	0.00	40.00
SBI General Insurance Co. Ltd.	215.62	0.03	215.65	190.56	25.09	215.65	0.00	11.63
Shriram General Insurance Co. Ltd.	259.16	-	259.16	172.71	59.40	232.11	27.05	22.92
Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	994.46	-	994.46	735.90	258.56	994.46	-	26.00
Universal Sampo General Insurance Co. Ltd.	368.18	-	368.18	240.74	127.44	368.18	-	34.61
PRIVATE SECTOR TOTAL (A)	10,341.76	1,691.43	12,033.19	9,106.29	2,488.15	11,594.45	438.74	20.68
National Insurance Co. Ltd.	9,375.00	-	9,375.00	9,375.00	-	9,375.00	-	0.00
The New India Assurance Co. Ltd.	824.00	-	824.00	584.00	-	584.00	240.00	0.00
The Oriental Insurance Co. Ltd.	4,620.00	-	4,620.00	4,620.00	-	4,620.00	-	0.00
United India Insurance Co. Ltd.	3,905.00	-	3,905.00	3,905.00	-	3,905.00	-	0.00
PUBLIC SECTOR TOTAL (B)	18,724.00	-	18,724.00	18,484.00	0.00	18,484.00	240.00	0.00
TOTAL (PRIVATE + PUBLIC) (A+B)	29,065.76	1,691.43	30,757.19	27,590.29	2,488.15	30,078.45	678.74	8.09
Agriculture Insurance Co of India Ltd	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	-	0.00
Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	3,950.00	388.00	4,338.00	4,338.00	-	4,338.00	-	0.00
SPECIALISED INSURERS TOTAL (C)	4,150.00	388.00	4,538.00	4,538.00	0.00	4,538.00	-	0.00
Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	435.12	72.46	507.58	233.01	223.87	456.87	50.71	44.10
Care Health Insurance Co. Ltd.	908.57	33.66	942.23	817.73	0.00	817.73	124.50	0.00
ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	1,117.62	226.42	1,344.04	685.46	658.58	1,344.04	-	49.00
Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	1,408.60	102.08	1,510.68	822.60	670.32	1,492.92	17.76	44.37
Reliance Health Insurance Co. Ltd.	193.90	-	193.90	193.90	-	193.90	-	-
Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	575.52	6.16	581.68	319.92	-	319.92	261.75	0.00
STANDALONE HEALTH INSURERS TOTAL (D)	4,639.33	440.77	5,080.10	3,072.61	1,552.77	4,625.38	454.72	30.57
General, Specialized and Health Insurers Total (A+B+C+D)	37,855.09	2,520.21	40,375.29	35,200.91	4,040.92	39,241.83	1,133.47	10.01
REINSURER								
General Insurance Corporation of India	877.20	-	877.20	877.20	-	877.20	-	0.00
REINSURERS TOTAL (E)	877.20	-	877.20	877.20	0.00	877.20	0.00	0.00
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	38,732.29	2,520.21	41,252.49	36,078.11	4,040.92	40,119.03	1,133.47	9.80

Note:

* Indirect FDI not considered.

Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Infusion during the year includes cancellation, reduction and fresh issue of shares

@Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance

Started Business Operations in FY 2023-24

INCURRED CLAIMS RATIO OF GENERAL & HEALTH INSURERS (WITHIN INDIA)

S.N	INSURER	Fire		Marine		Motor		Health		Others		Total	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
1	Acko General Insurance Co. Ltd.	97.16	94.50	0.00	-	86.87	86.94	103.75	83.88	83.21	70.37	97.83	84.28
2	Bejaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	57.04	35.23	63.89	64.95	68.53	74.48	90.64	74.27	56.03	74.53	72.96	72.92
3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	33.48	39.49	61.87	62.85	65.05	75.33	117.08	67.88	28.59	18.17	70.29	71.24
4	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	65.76	36.33	61.87	86.58	62.43	64.72	88.44	79.18	71.73	62.31	68.62	65.91
5	Go Digit General Insurance Ltd.	51.61	38.20	31.56	91.11	79.54	68.76	48.94	71.87	58.48	56.41	74.02	67.23
6	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	62.60	58.44	94.05	136.43	74.66	78.09	97.47	79.04	69.44	84.28	84.04	79.94
7	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	53.05	49.32	77.60	72.42	70.88	72.40	91.67	77.33	63.38	65.64	75.06	72.36
8	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	63.61	53.48	104.62	83.46	84.12	83.34	130.65	111.18	60.35	68.28	94.10	88.57
9	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	29.96	50.69	300.00	138.48	82.67	80.53	72.11	56.01	36.23	35.56	77.01	69.50
10	Kshema General Insurance Limited#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Liberty General Insurance Co. Ltd.	8.63	26.98	105.89	105.82	62.84	73.73	89.30	74.17	28.39	42.93	66.74	72.30
12	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	34.97	26.55	11.24	187.70	69.37	73.36	66.42	72.10	186.05	422.87	68.65	72.62
13	Navi General Insurance Co. Ltd.	-8.32	6.08	0.00	-	117.97	136.77	28.56	59.28	102.51	81.79	66.29	76.11
14	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	92.82	119.94	-245.96	-358.18	92.55	83.02	109.54	138.67	31.24	40.98	81.21	78.48
15	Reliance General Insurance Co. Ltd.	38.19	28.98	93.31	94.27	75.57	79.62	98.76	86.31	78.40	77.43	77.53	77.20
16	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	30.49	34.19	80.97	62.93	85.76	79.29	90.22	83.36	19.88	-94.73	84.21	76.99
17	SBI General Insurance Co. Ltd.	53.91	51.70	133.63	134.13	93.58	89.97	81.92	73.92	99.83	74.99	86.31	78.73
18	Shriram General Insurance Co. Ltd.	39.20	29.03	24.00	-94.29	72.97	69.86	37.07	51.53	72.10	31.08	72.35	68.33
19	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	56.39	46.77	91.50	89.81	74.51	73.81	86.53	78.33	10.05	47.54	75.01	73.60
20	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	17.62	55.33	80.61	77.54	91.32	83.46	113.39	82.84	11.43	54.08	77.77	78.18
21	Zuno General Insurance Co. Ltd.	77.82	2.95	170.92	482.79	84.61	79.83	112.32	89.59	134.37	104.18	96.71	82.21
	PRIVATE SECTOR INSURERS AVERAGE	51.27	44.11	85.78	87.90	74.53	75.60	94.66	80.09	64.96	69.58	77.95	75.13

INCURRED CLAIMS RATIO OF GENERAL & HEALTH INSURERS (WITHIN INDIA)

S.N	INSURER	Fire		Marine		Motor		Health		Others		Total	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
22	National Insurance Co. Ltd.	87.54	53.47	93.05	23.42	90.68	108.81	125.53	102.35	68.21	117.20	104.05	100.85
23	The New India Assurance Co. Ltd.	62.27	71.34	80.41	65.24	91.00	97.52	124.54	103.33	68.78	68.88	101.23	95.59
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.	61.73	58.12	91.50	61.20	97.95	106.66	139.86	130.09	58.21	51.00	112.27	112.14
25	United India Insurance Co. Ltd.	58.47	69.91	88.50	59.16	98.90	103.43	120.21	89.57	14.48	90.63	98.57	92.85
	PUBLIC SECTOR INSURERS AVERAGE	66.96	66.21	86.02	56.89	94.03	102.55	126.80	105.77	58.54	78.15	103.17	99.02
26	Agriculture Insurance Co of India Ltd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96.41	94.35	96.41	94.35
27	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	61.92	-74.70	61.92	-74.70
	SPECIALIZED INSURERS AVERAGE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	92.47	73.71	92.47	73.71
28	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	69.56	64.68	0.00	NA	69.56	64.68
29	Care Health Insurance Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	65.07	53.82	0.00	NA	65.07	53.82
30	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	76.17	64.66	0.00	NA	76.17	64.66
31	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	62.12	54.05	0.00	NA	62.12	54.05
32	Reliance Health Insurance Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	196.55	NA		NA	196.55	NA
33	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	87.06	65.00	0.00	NA	87.06	65.00
	STANDALONE HEALTH INSURERS AVERAGE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	79.06	61.44		NA	79.06	61.44
	GRAND AVERAGE	60.33	57.99	85.88	75.13	81.30	84.48	105.68	87.27	72.72	73.10	89.08	82.95

Note:

Health includes Personal Accident

NA indicates that insurer's business was not in operation during the corresponding financial year or in the corresponding segment.

Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Started Business Operations in FY 2023-24

SOLVENCY POSITION OF LIFE INSURERS (2022-23)

S.No.	Insurers	June 2022	September 2022	December 2022	March 2023
	Private Sector Insurers				
1	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	3.29	3.23	3.14	2.75
2	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	1.87	1.85	1.86	1.84
3	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	5.27	5.32	5.29	5.16
4	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	1.64	1.68	1.61	1.63
5	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	1.81	1.73	1.85	1.73
6	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	3.02	2.90	2.68	2.52
7	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	4.26	4.25	4.20	3.69
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	2.00	2.11	2.19	2.20
9	Exide Life Insurance Co. Ltd.	2.11	2.16	**	**
10	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	2.28	2.04	2.06	1.96
11	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	1.78	2.10	2.09	2.03
12	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2.04	2.01	2.12	2.09
13	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	3.20	3.07	3.17	3.24
14	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	1.66	2.25	2.22	2.18
15	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	2.72	2.79	2.88	2.83
16	Max Life Insurance Co. Ltd.	1.96	1.96	2.00	1.90
17	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	2.09	1.98	1.94	1.86
18	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	2.34	2.35	2.33	2.29
19	SBI Life Insurance Co. Ltd.	2.21	2.19	2.25	2.15
20	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	2.18	2.18	2.03	2.10
21	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.	2.21	2.09	2.31	2.20
22	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	1.91	1.79	1.76	1.86
	Public Sector Insurer				
23	Life Insurance Corporation of India	1.89	1.88	1.85	1.87

** Not available due to merger of Exide Life Insurance Company Limited with HDFC Life Insurance Company Limited effective from the end of 14th October 2022.

Solvency Position of General, Health & Reinsurance Companies (2022-23)

S. No.	Insurer	June 2022	September 2022	December 2022	March 2023
	Private Sector Insurer				
1	Acko General Insurance Co. Ltd.	6.01	4.55	3.73	2.75
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	3.49	3.62	3.73	3.91
3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	2.08	2.13	2.06	2.01
4	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	1.67	1.75	1.93	2.10
5	Go Digit General Insurance Co. Ltd.	2.18	2.00	1.90	1.78
6	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	1.68	1.78	1.74	1.81
7	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	2.61	2.47	2.45	2.51
8	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	1.64	1.77	1.79	1.72
9	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	2.55	2.14	2.30	1.83
10	Liberty General Insurance Co. Ltd.	2.69	2.44	2.20	2.05
11	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	2.77	2.19	1.70	2.10
12	Navi General Insurance Co. Ltd.	2.55	2.60	2.72	2.88
13	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	1.79	1.82	2.21	2.03
14	Reliance General Insurance Co. Ltd.	1.60	1.58	1.59	1.57
15	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	2.16	2.09	2.14	2.27
16	SBI General Insurance Co. Ltd.	1.94	1.91	1.85	1.72
17	Shriram General Insurance Co. Ltd.	4.48	4.60	4.63	4.91
18	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	2.02	1.98	1.95	1.94
19	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	1.78	1.70	1.71	1.74
20	Zuno General Insurance Co. Ltd.	1.71	1.65	1.73	1.80
	Public Sector Insurers				
21	National Insurance Co. Ltd.	0.63	0.24	0.05	(0.29)
22	The New India Assurance Co. Ltd.	1.72	1.77	1.91	1.87
23	The Oriental Insurance Co. Ltd.	0.10	(0.76)	(0.90)	(0.96)
24	United India Insurance Co. Ltd.	0.43	0.35	0.12	(0.29)
	Specialized Insurers				
25	Agriculture Insurance Co of India Ltd	2.51	2.34	2.48	2.49
26	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	34.40	40.20	43.89	47.93
	Stand-alone Health Insurers				
27	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	2.16	1.67	3.03	2.63
28	Care Health Insurance Co. Ltd.	1.64	1.97	1.90	1.82
29	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	1.59	1.56	1.55	1.56
30	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	1.89	1.77	1.81	1.67
31	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	1.87	1.95	2.17	2.14
	Reinsurer				
32	General Insurance Corporation of India	2.14	2.25	2.38	2.61

SOLVENCY POSITION OF BRANCHES OF FOREIGN RE-INSURERS

S. No.	Branches of Foreign Re-insurers	As on March 31, 2022	As on March 31, 2023
1	Allianz Global	2.43	2.64
2	AXA France Vie	2.69	2.42
3	Factory Mutual	2.20	2.92
4	Gen Re	2.05	2.06
5	Hannover Re	2.15	2.25
6	Lloyd's of India	2.13	2.53
7	Munich Re	1.74	1.79
8	RGALife	2.34	2.41
9	SCORSE	3.25	4.01
10	Swiss Re	2.90	3.88
11	XLSE Insurance	2.15	3.00

Gross Reinsurance Premium of Reinsurers including FRBs

[₹ Crore]

SI No	Reinsurer	Indian Business		Foreign Business		Total	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
1	GIC Re	28,018.79	25,384.50	15,189.67	11,207.09	43,208.46	36,591.59
	FRBs						
2	Munich Re	7,581.73	9,410.89	104.12	119.82	7,685.85	9,530.71
3	Hannover Re	1,420.81	2,558.26	17.42	0.55	1,438.23	2,558.81
4	Swiss Re	4,324.01	2,377.17	-1.95	-1.81	4,322.05	2,375.36
5	AXA France Vie	1,005.87	979.25	0.00	0.00	1,005.87	979.25
6	Gen Re	521.10	870.55	0.00	0.00	521.10	870.55
7	SCOR SE	1,997.41	761.70	0.00	0.00	1,997.41	761.70
8	RGA Life	439.03	310.84	1.15	0.63	440.18	311.47
9	Allianz Global	159.88	189.77	42.12	55.83	202.00	245.59
10	XL SE	446.83	185.49	3.00	0.00	449.83	185.49
11	Factory Mutual	0.00	135.17	0.00	0.00	0.00	135.17
12	Lloyd's of India	65.44	131.91	0.60	0.00	66.04	131.91
	FRBs Total	17,962.10	17,910.99	166.45	175.01	18,128.55	18,085.99
	Grand Total	45,980.89	43,295.49	15,356.12	11,382.10	61,337.01	54,677.58

ASSIGNED CAPITAL OF FOREIGN REINSURANCE BRANCHES (₹ CRORE)

SI No	Branches of Foreign Re-insurers	As on March 31,2022	Infusion during the year	As on March 31,2023
1	Allianz Global	200.24	86.73	286.97
2	AXA France	909.46	-178.70	730.76
3	Factory Mutual	117.00	43.80	160.80
4	Gen Re	861.44	98.26	959.70
5	Hannover Re	568.78	318.08	886.86
6	Lloyd's of India	105.00	0.00	105.00
7	Munich Re	3,989.90	651.20	4,641.10
8	RGA Life	3,390.09	73.88	3,463.97
9	SCOR SE	975.16	0.00	975.16
10	Swiss Re	3,126.87	0.01	3,126.88
11	XL Insurance	233.35	0.00	233.35
	Total	14,477.29	1,093.26	15,570.55

STATEMENT 16

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS (AS ON 31ST MARCH)

(₹ Crore)

SN	INSURER	LIFE FUND											
		Central Government Securities		State Government & Other Approved		Housing & Infrastructure		Approved Investments		Other Investments		Total (Life Fund) (A)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	ADITYA BIRLA SUN LIFE	11,568.18	16,059.28	1,236.88	1,669.28	6,009.00	6,953.56	3,754.38	4,298.12	348.09	575.67	2,2916.53	29,555.91
2	AEGON	1,190.08	1,183.31	384.54	498.61	626.50	670.91	412.60	756.38	10.62	25.02	2,624.34	3,134.23
3	AGEAS FEDERAL	2,926.96	3,011.66	2,585.94	3,517.80	1,682.60	1,854.33	1,404.48	1,345.39	82.71	77.95	8,682.69	9,807.13
4	AVIVA	4,829.87	5,047.38	1,345.61	1,804.48	1,184.50	1,466.44	1,70.56	254.08	19.20	19.10	7,549.74	8,591.48
5	BAJAJ ALLIANZ	20,243.05	19,325.61	1,954.17	4,209.50	6,042.20	6,581.41	8,272.84	11,376.08	639.90	873.67	37,152.16	42,366.27
6	BHARTIAXA	4,076.31	5,218.28	1,271.08	1,818.31	1,490.20	1,936.96	1,679.91	1,308.74	283.94	265.32	8,801.44	10,547.62
7	CANARA HSBC	3,552.08	4,363.04	2,121.35	3,232.44	1,915.10	2,486.75	1,468.89	1,716.50	101.82	141.75	9,159.24	11,940.49
8	EDELWEISS TOKIO	2,004.59	2,384.27	7.30	106.39	597.40	729.84	580.77	851.67	226.94	484.10	3417.00	4,556.28
9	FUTURE GENERALI	2,978.61	3,528.61	197.60	392.89	688.70	918.24	426.13	420.51	7.24	2.24	4,296.28	5,262.48
10	HDFC LIFE	4,255.29	5,8304.52	11,176.66	10,888.03	14,091.70	19,217.11	23,604.10	19,729.44	1,855.00	2,453.18	93,278.75	11,0592.27
11	ICICI PRUDENTIAL	41,158.05	49,060.76	4,560.30	5,863.60	11,594.50	13,823.73	12,658.01	15,047.08	2,490.60	2,197.10	72,461.46	85,992.27
12	INDIA FIRST	1713.08	2471.37	1814.32	2705.33	899.00	1,656.71	888.82	1,144.57	52.23	71.59	5,367.45	8,049.57
13	KOTAK MAHINDRA	21,569.43	24,503.26	435.40	1653.22	4,926.10	6,543.82	2,880.79	4,661.72	654.87	738.96	30,466.59	38,100.98
14	MAX LIFE	37,431.93	44,935.22	7,012.29	7,516.72	11,411.40	13,592.36	12,002.58	13,811.04	2,501.65	2,315.77	70,359.85	82,171.12
15	PNB METLIFE	10,608.38	12,438.72	3,511.39	5,064.19	5,863.60	7,462.50	4,278.54	3,798.30	211.96	255.32	2,4473.87	29,019.04
16	PRAMERICA	2,595.64	2,984.52	244.07	476.69	1,056.90	1,284.03	691.12	647.35	47.93	37.10	4,635.66	5,429.69
17	RELIANCE NIPPON	11,219.37	13,725.38	3,453.67	3,663.89	3,436.00	3,906.44	1,816.78	1,748.48	232.46	125.74	20,158.28	23,169.94
18	SAHARA INDIA	558.82	671.60	252.21	196.94	465.80	449.67	117.69	87.38	21.13	17.62	1,415.65	1,423.21
19	SBI LIFE	35,028.78	41,780.24	5,280.54	5,643.23	12,657.90	15,232.49	17,231.85	19,077.33	1,886.71	2,308.97	72,085.78	84,042.26
20	SHRIRAM	2,354.02	2,634.56	1,758.74	2,053.84	1,450.80	2,051.73	848.54	950.08	96.17	58.30	6,508.27	7,748.52
21	STAR UNION DAI-ICHI	4,843.04	6,052.11	1,244.33	1,684.49	1,429.50	1,878.45	793.47	1,051.46	76.50	94.09	8,386.84	10,760.60
22	TATA AIA	2,4270.36	30,673.74	97.91	88.12	5,578.80	8,035.26	4,370.94	5,073.14	515.09	649.39	34,833.10	44,519.65
	PRIVATE TOTAL	2,89,271.92	35,0357.44	51,946.30	64,747.98	95,098.20	11,8732.76	1,00,353.79	10,9154.85	12,362.72	13,787.95	5,49,032.93	6,56,780.99
23	LIC	11,44,537.17	12,71,063.52	5,86,336.47	6,02,679.07	2,14,463.16	2,15,210.22	5,57,603.24	6,45,442.42	1,42,978.50	1,27,204.88	26,45,918.54	28,61,600.11
	INDUSTRY TOTAL	14,33,809.09	16,21,420.96	6,38,282.77	6,67,427.05	3,09,561.36	3,33,942.98	6,57,957.03	7,54,597.27	1,55,341.22	1,40,992.84	31,94,951.47	35,18,381.10

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS (AS ON 31ST MARCH)

(₹ Crore)

SI. NO	INSURER	PENSION & GENERAL ANNUITY & GROUP FUND										Total (Pension & General Annuity & Group Fund) (B)	
		Central Government Securities		State Govt & Other Approved Securities		Approved Investments		Approved Investments		2022		2023	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	ADITYA BIRLA SUN LIFE	2,811.32	4,438.32	678.37	979.92	3,990.22	4,405.46	7,479.91	9,823.70				
2	AEGON	6.62	4.19	0.00	0.00	0.74	0.98	7.36	5.17				
3	AGEAS FEDERAL	245.71	327.02	169.10	226.81	273.37	357.20	688.18	911.03				
4	AVIVA	214.63	217.08	19.56	13.89	44.92	44.90	279.11	275.86				
5	BAJAJ ALLIANZ	6,984.96	7,504.17	2,335.51	1,888.51	3,747.03	4,051.04	13,067.50	13,443.72				
6	BHARTI AXA	166.35	180.76	79.14	136.54	270.00	307.20	515.49	624.50				
7	CANARA HSBC	1,315.24	1,211.95	959.59	1,283.13	1,835.81	2,791.85	4,110.64	5,286.93				
8	EDELWEISS TOKIO	200.84	211.63	7.26	6.02	85.91	60.78	294.01	278.43				
9	FUTURE GENERALI	221.26	270.01	271.72	288.48	485.11	577.95	978.09	1,136.45				
10	HDFC LIFE	19,531.23	24,155.59	11,049.64	10,563.35	15,461.30	12,481.68	46,042.17	47,200.62				
11	ICICI PRUDENTIAL	8,565.29	10,250.67	731.26	2,127.40	3,317.34	4,014.05	12,613.89	16,392.12				
12	INDIA FIRST	1,587.56	1,771.54	2,285.68	2,258.18	2,339.88	1,612.30	6,213.12	5,642.02				
13	KOTAK MAHINDRA	1,430.93	1,958.85	13.33	478.20	701.55	683.29	2,145.81	3,120.33				
14	MAX LIFE	1,075.90	1,871.41	656.56	1,106.33	1,255.84	1,680.57	2,988.30	4,658.30				
15	PNB METLIFE	1,015.40	1,512.50	237.82	353.55	296.06	341.03	1,549.28	2,207.08				
16	PRAMERICA	535.26	600.90	52.37	129.66	531.68	703.46	1,119.31	1,434.03				
17	RELIANCE NIPPON	173.72	176.45	105.20	135.48	27.54	29.85	306.46	341.78				
18	SAHARA INDIA	3.53	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	3.23				
19	SBI LIFE	19,611.28	26,620.13	14,340.77	14,599.67	15,386.29	16,896.06	49,338.34	58,115.86				
20	SHRIRAM	182.61	230.35	192.91	247.25	266.63	321.77	642.15	799.37				
21	STAR UNION DAI-ICHI	1,305.01	1,447.49	935.94	1,873.62	1,187.42	1,854.97	3,428.37	5,176.07				
22	TATA AIA	1,706.96	2,666.42	62.51	62.28	348.31	557.32	2,117.78	3,286.02				
	PRIVATE TOTAL	68,891.61	87,630.66	35,184.24	38,758.26	51,852.95	53,773.70	1,55,928.80	1,80,162.61				
23	LIC	3,92,373.577	4,73,237.81	4,05,632.92	4,54,229.43	2,11,750.09	2,28,408.24	10,09,756.59	1,15,587.549				
	INDUSTRY TOTAL	4,61,265.19	5,60,868.46	4,40,817.16	4,92,987.69	2,63,603.04	2,82,181.95	1,165,685.39	13,36,038.10				

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS (AS ON 31ST MARCH)

(₹ Crore)

Sl. No	INSURER	UNIT LINKED FUND						TOTAL (ALL FUNDS) {A+B+C}		
		Approved Investments		Other Investments		Total (ULIP Funds) (C)		2022	2023	2023
		2022	2023	2022	2023	2022	2023			
1	ADITYA BIRLA SUN LIFE	28,520.33	28,965.03	1,639.86	1,542.38	30,160.19	30,507.41	60,556.63	69,887.02	
2	AEGON	938.53	841.24	108.17	115.18	1,046.70	956.42	3,678.40	4,095.82	
3	AGEAS FEDERAL	3,764.12	3,727.79	379.59	236.02	4,143.71	3,963.81	13,514.58	14,681.97	
4	AVIVA	3,283.34	3,130.24	447.58	344.83	3,730.92	3,475.07	11,559.77	12,342.41	
5	BAJAJ ALLIANZ	30,409.34	30,518.59	2,813.27	3,067.58	33,222.61	33,586.17	83,442.27	89,396.16	
6	BHARTI AXA	1,465.90	1,584.78	245.63	181.37	1,711.53	1,766.14	11,028.46	12,938.26	
7	CANARA HSBC OBC	11,375.68	11,752.65	1,622.51	1,186.80	12,998.19	12,939.45	26,268.07	30,166.88	
8	EDELWEISS TOKIO	1,513.47	1,567.42	193.08	178.58	1,706.55	1,746.00	5,417.56	6,580.71	
9	FUTURE GENERALI	655.81	626.87	76.58	65.89	732.39	692.76	6,008.76	7,091.69	
10	HDFC LIFE	73,768.09	71,368.11	9,165.50	7,833.36	82,933.59	79,201.47	2,22,254.51	2,36,994.36	
11	ICICI PRUDENTIAL	1,26,595.44	1,22,498.98	24,270.86	21,559.07	1,50,866.30	1,44,058.06	2,35,941.65	2,46,442.45	
12	INDIA FIRST	6,150.02	7,119.65	1,027.66	619.15	7,177.68	7,738.81	18,758.25	21,430.40	
13	KOTAK MAHINDRA	19,695.26	20,809.61	2,857.12	1,931.83	22,552.38	22,741.44	55,164.78	63,962.74	
14	MAX LIFE	29,864.10	32,940.95	3,579.08	2,309.29	33,443.18	35,250.23	1,06,791.33	1,22,079.65	
15	PNB METLIFE	7,056.79	7,925.28	1,024.31	468.59	8,081.10	8,393.87	34,104.25	39,619.99	
16	PRAMERICA	363.68	333.85	47.46	25.13	411.14	358.98	6,166.11	7,222.69	
17	RELIANCE NIPPON	5,984.68	6,347.60	914.21	617.76	6,898.89	6,965.35	27,363.63	30,477.08	
18	SAHARA INDIA	63.74	66.61	22.60	4.59	86.34	71.20	1,505.52	1,497.64	
19	SBI LIFE	1,30,725.34	1,51,231.09	11,899.97	12,024.45	1,42,625.31	1,63,255.54	2,64,049.43	3,05,413.66	
20	SHRIRAM	442.76	406.48	26.82	22.35	469.58	428.83	7,620.00	8,976.71	
21	STAR UNION DAI-ICHI	2,454.83	2,540.37	244.58	240.82	2,699.41	2,781.19	14,514.62	18,717.86	
22	TATA AIA	17,012.13	18,801.21	3,040.65	3,135.63	20,052.78	21,936.84	57,003.66	69,742.51	
	PRIVATE TOTAL	5,02,103.38	5,25,104.38	65,647.09	57,710.65	5,67,750.47	5,82,815.03	12,72,712.20	14,19,758.63	
23	LIC	23,101.28	25,419.06	698.56	760.86	23,799.84	26,179.92	36,79,474.96	40,43,655.51	
	INDUSTRY TOTAL	5,25,204.66	5,50,523.44	66,345.65	58,471.51	5,91,550.31	6,08,994.95	49,52,187.17	54,63,414.15	

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF GENERAL, HEALTH, SPECIALISED & REINSURERS (AS ON 31ST MARCH) (₹ CRORE)

Sl. No.	INSURER	Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Housing & Loans to State Government for Housing and FFE		Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		Total Investments	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	ACKO GENERAL	326.20	546.35	131.20	153.33	108.60	277.17	145.50	265.11	196.30	693.20	0.00	0.00	907.80	1,935.16
2	BAJAJ ALLIANZ	9,041.70	15,393.86	3,264.60	3,440.04	1,747.20	2,476.93	3,193.60	1,838.33	6,126.00	3,477.28	381.30	157.49	23,754.40	26,783.94
3	CHOLAMANDALAM MS	5,165.40	6,460.68	3,124.90	3,117.87	1,036.28	2,055.74	1,569.92	2,059.83	1,546.07	892.61	61.65	96.19	12,504.22	14,682.91
4	FUTURE GENERALI	1,368.90	1,669.09	1,593.61	1,838.26	673.31	795.96	1,081.18	1,353.16	986.58	1,090.43	51.61	26.19	5,755.19	6,773.11
5	GO DIGIT	4,613.60	8,415.89	313.36	241.54	1,089.83	956.00	1,618.87	1,390.01	1,512.56	1,240.06	13.86	56.44	9,162.08	12,299.93
6	HDFC ERGO	3,848.80	4,686.39	4,297.70	4,694.16	1,497.82	2,007.87	3,954.21	4,702.70	4,524.82	5,894.81	208.42	228.40	18,331.77	22,214.93
7	ICICI LOMBARD	1,115.10	14,107.09	5,193.90	5,480.16	2,856.21	3,748.86	6,166.80	10,194.36	11,653.61	1,839.18	2,666.36	38,432.43	42,975.70	
8	IFFCO TOKIO	3,214.70	5,395.73	2,305.65	3,213.33	1,830.23	1,839.21	3,702.67	3,527.74	2,602.18	3.17	3.22	13,446.24	16,581.41	
9	KOTAK MAHINDRA	796.80	875.10	136.60	187.42	116.74	323.83	92.14	39.99	60.49	317.46	26.71	-	1,229.48	1,743.80
10	LIBERTY	765.00	836.49	674.71	769.76	436.32	449.54	644.68	675.07	805.87	977.54	-	-	3,326.58	3,708.40
11	MAGNA HDI	1,648.90	2,064.52	545.79	778.75	294.84	452.85	448.65	1,025.92	816.45	847.06	89.95	89.94	3,844.38	5,259.04
12	NAVI GENERAL	1,74.60	1,69.05	67.82	107.52	34.84	59.66	103.24	103.24	138.99	13.05	47.63	37.04	553.66	489.56
13	RAHEJA QBE	294.00	363.40	-	-	110.63	120.34	217.74	204.26	192.17	162.08	10.00	-	824.54	850.08
14	RELIANCE	3,975.90	5,301.03	2,670.14	2,912.85	1,355.50	1,343.55	1,233.95	1,726.62	4,895.93	5,284.58	345.59	439.41	14,477.01	17,008.04
15	ROYAL SUNDARAM	1,666.10	1,833.76	1,081.06	1,366.37	764.87	901.43	1,635.19	1,486.80	1,566.27	1,677.18	272.16	369.85	6,985.65	7,635.38
16	SBI GENERAL	2,550.00	3,467.31	1,233.75	1,932.39	1,331.78	1,393.38	2,310.92	2,410.83	2,919.10	3,664.48	480.62	215.40	10,826.17	13,083.79
17	SHIRAM GENERAL	3,630.90	3,615.54	5.26	5.30	2,331.49	2,200.14	3,790.76	2,675.79	1,089.71	2,813.73	13.14	4.66	10,861.26	11,315.16
18	TATA AIG	4,513.70	5,196.80	3,411.71	3,873.90	980.52	1,459.19	2,660.95	3,383.63	5,970.05	7,488.99	1,297.71	1,163.41	18,834.64	22,565.92
19	UNIVERSAL SOMPO	1,188.10	1,275.99	476.77	451.56	504.35	573.36	744.02	1,322.98	833.70	1,322.98	21.94	18.61	3,748.70	4,386.52
20	ZUNO GENERAL	109.00	151.60	109.54	42.98	40.89	96.36	59.82	114.18	76.39	176.97	47.89	68.02	443.53	650.11
21	PRIVATE SECTOR TOTAL	60,043.30	81,825.66	30,638.07	34,587.51	19,142.05	23,531.35	35,544.97	35,894.02	46,841.63	52,290.28	6,039.71	4,813.45	198,249.73	2,32,942.29
22	NATIONAL	6,493.52	6,228.15	6,195.82	6,441.15	1,928.82	2,454.52	2,908.65	2,749.95	12,307.50	9,431.66	885.06	1,215.50	30,719.37	28,520.82
23	NEW INDIA	12,945.82	16,839.99	18,995.10	18,928.37	2,494.31	3,151.89	6,342.21	7,284.92	9,710.20	7,906.46	2,402.22	2,239.01	52,889.86	56,350.64
24	ORIENTAL	4,609.49	4,865.45	8,272.58	8,445.84	1,187.28	1,278.23	2,360.89	2,229.93	5,143.90	3,350.18	1,116.07	914.66	22,690.21	21,084.29
25	UNITED INDIA	8,099.20	8,539.22	8,938.01	8,715.28	2,320.63	2,098.81	3,271.40	3,978.21	9,862.00	7,639.10	2,253.94	1,789.34	34,745.18	32,759.96
26	PUBLIC SECTOR TOTAL	32,148.03	36,472.81	42,401.51	42,530.64	7,931.04	9,104.72	14,883.15	16,243.02	37,023.60	28,327.40	6,657.29	6,159.86	141,044.62	1,38,715.82
27	ADITYA BIRLA HEALTH	570.80	1,189.87	571.30	898.30	65.00	118.57	93.90	93.90	224.50	653.23	-	-	1,525.50	2,953.87
28	MANIPAL SIGMA	233.10	341.16	220.10	365.51	102.40	126.15	226.30	264.45	322.59	322.59	1.30	7.24	1,005.50	1,427.10
29	NIVA BUPA	503.30	692.58	276.60	360.69	279.60	393.66	588.40	831.85	744.90	881.91	10.50	208.44	2,403.30	3,369.14
30	CARE HEALTH (FORMERLY RELIGARE HEALTH)	1,002.00	1,565.56	122.20	275.85	203.90	386.56	1,191.90	1,568.43	1,032.20	1,272.81	14.30	12.74	3,566.50	5,081.95
31	STAR HEALTH	2,651.10	3,118.74	1,671.70	1,619.60	843.00	936.23	1,703.20	1,666.11	4,096.50	5,512.96	497.60	536.11	11,483.10	13,389.76
32	STANDALONE HEALTH TOTAL	4,960.30	6,907.92	2,861.90	3,519.95	1,493.90	1,961.17	3,803.70	4,424.76	6,320.40	8,643.49	523.70	764.53	19,963.90	26,221.81
33	GIC OF INDIA	20,066.61	21,917.08	21,031.22	24,449.86	5,854.94	6,289.70	7,076.84	8,236.00	19,390.92	21,356.13	3,928.24	3,926.63	77,348.77	86,175.41
34	REINSURER TOTAL	20,066.61	21,917.08	21,031.22	24,449.86	5,854.94	6,289.70	7,076.84	8,236.00	19,390.92	21,356.13	3,928.24	3,926.63	77,348.77	86,175.41
35	AIC	2,789.73	4,240.98	4,508.87	4,377.51	1,724.27	2,047.57	877.00	998.16	2,190.52	4,158.74	53.08	52.04	12,143.47	15,875.00
36	ECGC	3,188.19	3,326.90	3,080.85	3,448.01	831.00	1,181.66	3,293.00	3,218.05	4,248.39	4,234.73	163.16	166.46	14,804.59	15,575.82
37	SPECIALISED INSURERS TOTAL	5,977.92	7,567.89	7,589.72	7,825.52	2,555.27	3,229.22	4,170.00	4,216.22	6,438.91	8,993.47	216.24	218.50	26,948.06	31,450.82
38	FRBs														
39	ALLIANZ GLOBAL	136.00	155.82	59.56	122.21	44.95	110.89	60.90	157.40	95.14	44.71	-	-	336.55	480.14
40	AXA FRANCE	935.70	1,133.10	42.24	26.66	141.61	110.89	94.49	118.11	150.61	-	-	-	1,392.15	1,421.26
41	Factory Mutual		144.14												144.14
42	GENERAL RE	865.43	917.29	-	-	-	-	167.27	247.77	-	-	-	-	1,032.70	1,165.06
43	HANNOVERRE	11,371.29	1,831.33	21.10	15.77	218.09	334.19	283.69	392.00	318.16	371.42	-	-	1,978.33	2,610.52
44	MUNICH RE	49,729.54	5,767.60	-	-	396.75	334.19	658.09	1,899.91	-	-	-	-	6,026.38	8,001.70
45	RGA LIFE	2,291.73	2,721.57	-	-	-	-	467.02	611.13	225.75	30.75	-	-	2,984.50	3,363.45
46	SCOR SE	1,737.82	1,851.15	-	-	155.96	221.18	221.18	225.05	-	220.06	-	-	2,114.96	2,296.26
47	SWISS RE	3,507.52	3,899.59	-	-	478.88	650.46	678.08	647.06	-	-	-	-	4,664.48	5,197.11
48	XL INSURANCE	367.28	457.87	-	-	56.08	80.46	71.72	71.46	-	-	-	-	515.08	609.79
49	FRS TOTAL	15,970.31	18,879.46	122.90	164.64	1,492.32	1,176.00	2,702.44	4,251.78	697.16	817.55	-	-	20,985.13	25,289.43
50	GRAND TOTAL	139,166.47	173,570.81	104,645.32	113,078.12	38,469.52	45,170.89	68,181.10	73,266.79	116,712.62	119,828.33	17,365.18	15,882.99	41,84,540.21	5,40,795.58



ANNEXURES



LIST OF REGISTERED INSURERS/ REINSURERS OPERATING IN INDIA (AS ON 31ST MARCH 2023)

Life Insurers

PUBLIC SECTOR

1. Life Insurance Corporation of India

PRIVATE SECTOR

1. Acko Life Insurance Limited
2. Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd
3. Aegon Life Insurance Co. Ltd.
4. Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.
5. Aviva Life Insurance Co. Ltd
6. Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
7. Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.
8. Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd
9. Credit Access Life Insurance Limited
10. Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.
11. Future Generali India Life Insurance Co. Ltd
12. HDFC Life Insurance Co. Ltd
13. ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
14. India First Life Insurance Co. Ltd
15. Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd
16. Max Life Insurance Co. Ltd
17. PNB MetLife India Insurance Co. Ltd
18. Pramerica Life Insurance Co. Ltd
19. Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd
20. Sahara India Life Insurance Co. Ltd.
21. SBI Life Insurance Co. Ltd.
22. Shriram Life Insurance Co. Ltd
23. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd
24. TATA AIA Life Insurance Co. Ltd

Non-Life Insurers

PUBLIC SECTOR

1. National Insurance Co. Ltd
2. The New India Assurance Co. Ltd
3. The Oriental Insurance Co. Ltd
4. United India Insurance Co. Ltd

PRIVATE SECTOR

1. Acko General Insurance Ltd.
2. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd
3. Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd
4. Future Generali India Insurance Co. Ltd
5. Go Digit General Insurance Ltd.
6. HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd
7. ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd
8. IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd
9. Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd
10. Kshema General Insurance Co. Ltd.
11. Liberty General Insurance Co. Ltd
12. Magma HDI General Insurance Co. Ltd
13. NAVI General Insurance Ltd (Erstwhile DHFL)
14. Raheja QBE General Insurance Co. Ltd
15. Reliance General Insurance Co. Ltd
16. Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd
17. SBI General General insurance Co. Ltd
18. Shriram General General Insurance Co. Ltd
19. TATA AIG General Insurance Co. Ltd
20. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd
21. Zuno General Insurance Co. Ltd

Specialized Insurers (Public Sector)

1. ECGC Ltd.
2. Agriculture Insurance Company of India Ltd

Standalone Health Insurers (Private Sector)

1. Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.
2. Care Health Insurance Ltd.
3. Manipal Cigna Health Insurance Co. Ltd.
4. Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.
5. Reliance Health Insurance Ltd. \$
6. Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.

\$ The Authority vide order ref. No. IRDA/F&A/ORD/SOLP/200/11/2019 dated 06th November, 2019 issued directions to the Reliance Health Insurance Ltd. to stop selling new policies.

**LIST OF REGISTERED INSURERS/ REINSURERS OPERATING IN INDIA
(AS ON 31st MARCH 2023)**

Reinsurers

Public Sector

1. General Insurance Corporation of India (GIC Re)

Private Sector

Foreign Reinsurer's Branches

1. Allianz Global Corporate & Specialty SE, India Branch
2. AXA France Vie - India Reinsurance Branch
3. General Reinsurance AG - India Branch
4. Hannover Rück SE – India Branch
5. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - India Branch
6. RGA Life Reinsurance Company of Canada, India Branch
7. SCOR SE - India Branch
8. Swiss Reinsurance Company Ltd, India Branch
9. XL Insurance Company SE, India Reinsurance Branch
10. Factory Mutual Insurance Company, India Branch

Lloyd's

11. Lloyd's India Reinsurance Branch
 - i. Markel Services India Private Limited

SHARE OF MEMBERS IN INDIAN MARKET TERRORISM RISK INSURANCE POOL

S.No	Member Company	Per risk Capacity (₹ Crore)	Share (in %)
1	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	106.28	5.31
2	Cholamandalam General Insurance Co. Ltd.	39.06	1.95
3	Future Generali General Insurance Co. Ltd.	28.16	1.41
4	General Insurance Corporation of India	333.69	16.68
5	Go Digit General Insurance Co. Ltd.	10.00	0.50
6	Govt. Insurance Fund, Gujarat	20.00	1.00
7	HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.	15.00	0.75
8	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	180.84	9.04
9	IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.	78.64	3.93
10	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	10.00	0.50
11	Liberty General Insurance Co. Ltd.	20.81	1.04
12	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	10.32	0.52
13	National Insurance Co. Ltd.	167.62	8.38
14	Navi General Insurance Co. Ltd.	2.00	0.10
15	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	1.00	0.05
16	Reliance General Insurance Co. Ltd.	39.72	1.99
17	Royal Sundaram Insurance Co. Ltd.	27.72	1.39
18	SBI General Insurance Co. Ltd.	15.62	0.78
19	Shriram General Insurance Co. Ltd.	20.00	1.00
20	Tata-AIG General Insurance Co. Ltd.	31.46	1.57
21	The New India Assurance Co. Ltd.	333.69	16.68
22	The Oriental Insurance Co. Ltd.	238.31	11.92
23	United India Insurance Co. Ltd.	250.05	12.50
24	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	10.00	0.50
25	Zuno General Insurance Co. Ltd.	10.00	0.50
	Total	2000	100.00

SHARE OF MEMBERS IN INDIAN NUCLEAR INSURANCE POOL (2022-23)

Sl. No	Member Company	Per risk Capacity ₹ Crore	Share (in %)
1	General Insurance Corporation of India	600	40.00
2	New India Assurance Co. Ltd.	300	20.00
3	United India Insurance Co. Ltd.	200	13.33
4	Oriental Insurance Co. Ltd.	100	6.67
5	National Insurance Co. Ltd.	100	6.67
6	ICICI Lombard General Co. Ltd.	100	6.67
7	Reliance General Insurance Co. Ltd.	20	1.33
8	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	20	1.33
9	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	20	1.33
10	Cholamandalam General Insurance Co. Ltd.	15	1.00
11	SBI General Insurance Co. Ltd.	15	1.00
12	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	10	0.67
	Total	1500	100.00

MARINE CARGO EXCLUDED TERRITORIES POOL (2022-23)

Sl. No	Member Company	2022-23	
		Per risk Capacity (₹ Crore)	Share (in %)
1	General Insurance Corporation of India	250	51.57
2	National Insurance Company India	30	6.19
3	New India Assurance Company Ltd	40	8.25
4	Oriental Insurance Company Ltd	30	6.19
5	United India Insurance Company	20	4.13
6	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	2.5	0.52
7	Cholamandalam General Insurance Co. Ltd.	1	0.21
8	Zuno General Insurance Co. Ltd (Edelweiss)	0.3	0.06
9	Go Digit General Insurance Co. Ltd.	3	0.62
10	HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.	6	1.24
11	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	30	6.19
12	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	8	1.65
13	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	1	0.21
14	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	5	1.03
15	Reliance General Insurance Co. Ltd.	8	1.65
16	Royal Sundaram Insurance Co. Ltd.	4	0.83
17	SBI General Insurance Co. Ltd.	5	1.03
18	Shriram General Insurance Co. Ltd.	1	0.21
19	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	30	6.19
20	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	2	0.41
21	Future Generali General Insurance Co. Ltd.	8	1.65
	Grand Total	484.8	100.00

DATA FOR CALCULATION OF MOTOR TP OBLIGATION FOR 2023-24 (₹ Crore)

S.No	Insurer	Financial Year 2022-23			
		Motor OD GDP	Motor Third Party GDP	Total Motor GDP	Total GDP
1	Acko General Insurance Co. Ltd.	215.66	444.30	659.96	1509.41
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	2,351.43	2,997.11	5,348.54	15,336.64
3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	1,675.20	2,669.92	4,345.12	6,155.99
4	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	792.54	908.52	1,701.06	4,546.24
5	Go Digit General Insurance Co. Ltd.	1,339.67	2,660.60	4,000.27	6,160.08
6	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	2,089.62	2,554.77	4,644.39	16,635.81
7	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	4,151.38	4,430.89	8,582.27	21,025.09
8	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	1,916.79	2,216.77	4,133.56	9,870.95
9	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	264.12	251.76	515.88	1,134.09
10	Liberty General Insurance Co. Ltd.	707.21	675.33	1,382.54	1,957.33
11	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	587.18	1,273.32	1,860.50	2,534.12
12	National Insurance Co. Ltd.	1,694.25	3,393.55	5,087.80	15,147.99
13	Navi General Insurance Co. Ltd.	2.60	25.10	27.70	70.59
14	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	190.41	83.25	273.66	379.94
15	Reliance General Insurance Co. Ltd.	1,590.02	2,446.21	4,036.23	10,339.00
16	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	1,032.87	1,438.06	2,470.93	3,379.75
17	SBI General Insurance Co. Ltd.	1001.37	1,709.30	2,710.67	10,828.39
18	Shriram General Insurance Co. Ltd.	424.86	1,659.40	2,084.26	2,265.78
19	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	2,854.56	3,838.29	6,692.85	13,176.00
20	The New India Assurance Co. Ltd.	3,153.55	5,821.80	8,975.35	34,487.48
21	The Oriental Insurance Co. Ltd.	977.56	2,664.67	3,642.23	15,614.91
22	United India Insurance Co. Ltd.	1,678.70	4,306.57	5,985.27	17,644.30
23	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	937.88	881.23	1,819.11	4,103.09
24	Zuno General Insurance Co. Ltd.	154.17	145.46	299.63	533.50
	GRAND TOTAL	31,783.60	49,496.18	81,279.78	2,14,836.47

CIRCULARS/ORDERS/GUIDELINES/INSTRUCTIONS ISSUED FROM APRIL 01, 2022 TO MARCH 31, 2023

Sl. No.	Reference No.	Date	Department	Notification Type	Subject
1	IRDA/ACT/CIR/GEN/74/4/2022	4/27/2022	Actuarial	Circulars	Rationalization of certain compliance requirements
2	IRDAI/NL/CIR/MISC/77/4/2022	4/28/2022	Non Life	Circulars	Dispensing of certain non-life insurance returns
3	IRDAI/F&I/CIR/INV/81/04/2022	4/29/2022	F&I	Circulars	Exposure of Insurers to Financial and Insurance Activities
4	IRDA/ACT/CIR/GEN/88/5/2022	5/11/2022	Actuarial	Circulars	Circular on Actuarial & reinsurance returns - Dispensing with hard copy submission
5	IRDAI/F&A/CIR/MISC/98/5/2022	5/12/2022	F&A	Circulars	Discontinuation of monthly Solvency Returns for Non Life insurers and Reinsurers
6	IRDAI/F&A/CIR/MISC/99/5/2022	5/12/2022	F&A	Circulars	Rationalization of compliance requirements for Non life and Reinsurers
7	IRDAI/NL/CIR/MISC/96/05/2022	5/12/2022	Non Life	Circulars	Filing of fire insurance products for Dwellings, Micro and Small Businesses
8	IRDAI/NL/CIR/MISC/95/05/2022	5/12/2022	Non Life	Circulars	Pricing of products covering Fire and Allied perils
9	IRDAI/NL/CIR/MISC/100/05/2022	5/19/2022	Non Life	Circulars	Motor Insurance advertisements issued by General Insurers on (i) extra services of Third Party Service Providers (ii) discounts, saving amounts etc
10	IRDAI/HLT/CIR/MISC/102/5/2022	5/23/2022	Health	Circulars	Circular on Revision of Health Insurance Regulatory Returns
11	IRDAI/ACT/CIR/SLM/106/5/2022	5/31/2022	Actuarial	Circulars	Solvency margin for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
12	IRDAI/HLT/REG/CIR/108/06/2022	6/1/2022	Health	Circulars	Use and file procedure for all categories of products under health insurance business
13	IRDAI/NL/CIR/MISC/107/6/2022	6/1/2022	Non Life	Circulars	Product filing procedure
14	IRDAI/F&A/ORD/MISC/109/6/2022	6/2/2022	F&A	Orders	In the matter of Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. - Section 40C Exemption Order
15	IRDAI/REIN/CIR/MISC/112/6/2022	6/3/2022	Reinsurance	Circulars	Public Disclosures by FRBs/LLoyds India
16	IRDAI/INT/MISC/CIR/113/6/2022	6/6/2022	Intermediaries	Circulars	Launching of self-deactivation facility over IIB's ENVOY portal
17	IRDAI/LIFE/CIR/MISC/118/6/2022	6/10/2022	Life	Circulars	Rationalization of regulatory returns and other compliance requirements
18	IRDAI/ACTL/CIR/MISC/115/06/2022	6/10/2022	Actuarial	Circulars	Use and file procedure for life insurance products and riders
19	IRDAI/ACTL/CIR/SLM/122/06/2022	6/13/2022	Actuarial	Circulars	Solvency Margin for Crop Insurance Business
20	IRDA/F&A/CIR/MISC/123/6/2022	6/15/2022	F&A	Circulars	Accounting of Premium, claims and related expenses on estimation basis
21	IRDAI/HR/ORD/PER/125/06/2022	6/16/2022	HR	Orders	Designating Central Public Information Officers under the Right to Information Act, 2005
22	IRDAI/HLT/CIR/MISC/131/6/2022	6/29/2022	Health	Circulars	Repealing of Old circulars
23	IRDAI/NL/CIR/Motor/136/07/2022	7/5/2022	Non Life	Circulars	Introduction of New Add-ons in Motor Insurance

CIRCULARS/ORDERS/GUIDELINES/INSTRUCTIONS ISSUED FROM APRIL 01, 2022 TO MARCH 31, 2023

Sl. No.	Reference No.	Date	Department	Notification Type	Subject
24	IRDAI/REIN/ORD/RIN/141/7/2022	7/7/2022	Reinsurance	Orders	Constitution of Task force to study and make recommendations on issues faced by Life Insurers and Reinsurers
25	IRDAI/REIN/ORD/RIN/142/7/2022	7/7/2022	Reinsurance	Orders	Constitution of Task force to study and make recommendations on issues faced by Non- Life Insurers and Reinsurers
26	IRDAI/NL/CIR/PRO/146/07/2022	7/14/2022	Non Life	Circulars	Use and File Procedure for Retail Products for Agriculture & Allied Activities
27	IRDAI/Life/CIR/MISC/147/7/2022	7/15/2022	Life	Circulars	Repealing of Life Circulars
28	IRDAI/HLT/CIR/MISC/150/7/2022	7/20/2022	Health	Circulars	Standards and Benchmarks for the Hospitals in the Provider Network
29	IRDAI/F&I/ORD/MISC/152/7/2022	7/21/2022	F&I	Orders	Working Group on Accounting of Premium, Claims and Related Expenses on Estimation Basis and Repatriation of Surplus by FRBs
30	IRDAI/IID/GDL/MISC/160/8/2022	8/1/2022	IID	Guidelines	Master Guidelines on Anti-Money Laundering/ Counter Financing of Terrorism (AML/CFT), 2022
31	IRDAI/F&I/CIR/INV/165/8/2022	8/3/2022	F&I	Circulars	Amendments to Investments-Master Circular
32	IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/167/8/2022	8/9/2022	GA&HR	Circulars	Migration of BAP to new hardware and the latest software
33	IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/172/8/2022	8/11/2022	GA&HR	Circulars	Applicability of Service Tax / GST on services provided by IRDAI to Insurance intermediaries
34	IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/171/8/2022	8/11/2022	GA&HR	Circulars	Withdrawal of exemption from GST on services provided by IRDAI to Insurers
35	IRDAI/IFRS/ORD/MISC/177/08/2022	8/22/2022	IFRS	Orders	Expert Committee on Implementation of Ind AS/ IFRS in Insurance sector
36	IRDAI/F&I/CIR/MISC/183/9/2022	9/2/2022	F&I	Circulars	Appointment or Continuation of Common Director(s) u/s 48A of Insurance Act, 1938
37	IRDAI/GA&HR/GDL/MISC/184/09/2022	9/2/2022	GA&HR	Guidelines	Guidelines on Information and Cyber Security
38	IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/189/09/2022	9/6/2022	GA&HR	Circulars	Observing Cyber Jaagrookta (Awareness) Diwas
39	IRDAI/GA&HR/ORD/MISC/186/09/2022	9/6/2022	GA&HR	Orders	Reconstitution of Committee to review IRDAI's Information & Security Guidelines
40	IRDAI/HLT/CIR/MISC/190/9/2022	9/13/2022	Health	Circulars	Revision of Health Insurance Regulatory Returns
41	IRDAI/Life/CIR/MISC/188/09/2022	9/13/2022	Life	Circulars	Immediate annuity Products
42	IRDAI/F&I/CIR/MISC/191/9/2022	9/13/2022	F&I	Circulars	Clarification on Circular on Appointment or Continuation of Common Director
43	IRDAI/HLT/ORD/MISC/203/09/2022	9/27/2022	Health	Orders	Order in the matter of M/S Rothshield Insurance TPA Limited
44	IRDAI/ACTL/CIR/PRO/207/10/2022	10/4/2022	Actuarial	Circulars	Circular on filing of Products/Riders for Life Insurance Business
45	IRDAI/INT/GDL/MISC/202/9/2022	10/10/2022	Intermediaries	Guidelines	Guidelines in respect of Conflict of Interest and Common Directorship among Intermediary or Insurance intermediary

CIRCULARS/ORDERS/GUIDELINES/INSTRUCTIONS ISSUED FROM APRIL 01, 2022 TO MARCH 31, 2023

Sl. No.	Reference No.	Date	Department	Notification Type	Subject
46	IRDAI/NL/CIR/MISC/212/10/2022	10/13/2022	Non Life	Circulars	Product Filing Procedure
47	IRDAI/GA&HR/GDL/MISC/211/10/2022	10/13/2022	GA&HR	Circulars	Implementation of Information and Cyber Security Guidelines
48	IRDAI/HR/YPP/08/2022	10/13/2022	HR	Orders	Selection of Young Professionals under the Young Professional Program(YPP)
49	IRDA/F&A/ORD/FA/ 214 /10/2022	10/14/2022	F&A	Orders	Order In the matter of M/s Max Life Insurance Co. Ltd
50	IRDA/F&A/ORD/FA/ 215/10/2022	10/14/2022	F&A	Orders	Order In the matter of M/s Axis Bank Limited
51	30/IRDAI/HLT/GEN/ministry/2022-23	10/17/2022	Health	Circulars	Insurance cover for new-borns/infants under health insurance policies
52	IRDAI/F&I/GDL/MISC/219/10/2022	10/17/2022	F&I	Guidelines	Guidelines on Establishment and Closure of Liaison Office in India by an Insurance Company registered outside India
53	327/IRDAI/HLT/MHCA/CIR/220/10/2022	10/18/2022	Health	Circulars	Providing cover for Mental Illness under Health Insurance policies
54	IRDAI/LIFE/ORD/MISC/223/10/2022	10/21/2022	Life	Orders	Committee to study and recommend on Bima Vahak and Bima Vistaar
55	IRDAI/IID/GDL/MISC/225/10/2022	10/26/2022	IID	Circulars	Master Guidelines on AML/CFT 2022 – extension of time for Implementation
56	IRDAI/REIN/CIR/MISC/224/10/2022	10/26/2022	Reinsurance	Circulars	Repatriation of Assigned Capital by FRBs/Lloyd's India
57	IRDAI/HLT/ORD/Gen/221/10/2022	10/26/2022	Health	Orders	Constitution of Health Insurance Consultative Committee
58	IRDA/F&I/CIR/INV/226/10/2022	10/27/2022	F&I	Circulars	Investments Master Circular -IRDAI (INVESTMENT) REGULATIONS, 2016
59	IRDAI/IID/CIR/MISC/229/11/2022	11/14/2022	IID	Circulars	Participation in Account Aggregator Framework
60	IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/230/11/2022	11/15/2022	GA&HR	Circulars	Regarding the use of out-of-date Operating System (OS) and IT Equipments
61	IRDAI/NL/CIR/MISC/231/11/2022	11/22/2022	Non Life	Circulars	Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) adoption by Doctors
62	IRDAI/F&I/CIR/INV/233/12/2022	12/1/2022	F&I	Circulars	Clarification with respect to NDS-OM - Investments
63	IRDAI/ACTL/CIR/MISC/234/12/2022	12/6/2022	Actuarial	Circulars	Upload of Motor Third Party data in IIBI portal
64	IRDAI/HLT/CIR/MISC/235/12/2022	12/6/2022	Health	Circulars	Extension of timelines for filing of Health Quarterly Returns to the Authority
65	IRDAI/NL/ORD/MISC/242/12/2022	12/7/2022	Non Life	Orders	Constitution of Working Group for suggesting the regulatory framework post de-notification of the existing tariffs
66	IRDAI/HLT/CIR/REG/244/12/2022	12/8/2022	Health	Circulars	Insurance cover for new-born-infants
67	IRDAI/REIN/CIR/MISC/ 247/12/2022	12/19/2022	Reinsurance	Circulars	Reinsurance Treaty Agreements covering Fire and Engineering Lines of Business
68	IRDAI/F&I/INV/CIR/248/12/2022	12/26/2022	F&I	Circulars	Declaration of NAV on a quarter ending day, which is a holiday
69	IRDAI/PP&GR/CIR/MISC/249/12/2022	12/26/2022	PP&GR	Circulars	Circular on G20 Logo & Theme during India's Presidency period

CIRCULARS/ORDERS/GUIDELINES/INSTRUCTIONS ISSUED FROM APRIL 01, 2022 TO MARCH 31, 2023

Sl. No.	Reference No.	Date	Department	Notification Type	Subject
70	IRDAI/REIN/CIR/RT/1/1/2023	1/3/2023	Reinsurance	Circulars	Submission of Reinsurance Returns
71	IRDAI/REIN/GDL/MISC/2/1/2023	1/3/2023	Reinsurance	Guidelines	Guidelines on issuance of FRNs to Cross Border Reinsurers
72	IRDAI/ACTL/CIR/MISC/4/1/2023	1/10/2023	Actuarial	Circulars	Circular on Appointed Actuary regulation
73	IRDAI/NL/CIR/MISC/7/1/2023	1/12/2023	Non Life	Circulars	Modifications to Surety Insurance Guidelines
74	IRDA/INV/CIR/16/01/2023	1/13/2023	Investments	Circulars	Sovereign Green Bonds (SGrBs)- Classification and Categorisation
75	IRDAI/NL/CIR/MISC/21/01/2023	1/19/2023	Non Life	Circulars	Guidelines on Insurance claims of victims of Subsidence and Landslides in the calamity affected areas in the State of Uttarakhand.
76	IRDAI/F&I/CIR/INV/20/1/2023	1/19/2023	F&I	Circulars	Clarification on classification of shares issued by virtue of demerger to Insurance Companies
77	IRDAI/F&I/CIR/MISC/26/01/2023	1/30/2023	F&I	Circulars	Profit Related Commission to Non-Executive Director[s]
78	IRDAI/F&I/INV/CIR/027/01/2023	1/31/2023	F&I	Circulars	Clarification to Miscellaneous matters relating to Investments
79	IRDAI/F&I/CIR/INV/42/02/2023	2/9/2023	F&I	Orders	Formation of Consultative Committee on Investments
80	IRDAI/NL/CIR/MTP/54/02/2023	2/20/2023	Non Life	Circulars	Treatment of inward Co-Insurance while reporting MTP Obligations
81	IRDAI/HLT/CIR/MISC/58/2/2023	2/27/2023	Health	Circulars	Product for Persons with Disabilities (PWD), Persons afflicted with HIV/AIDS, and those with Mental Illness
82	IRDAI/HLT/CIR/MISC/59/2/2023	2/28/2023	Health	Circulars	Modification of the terminology "sub-standard lives" mentioned in IRDAI (Health Insurance) Regulations-2016
83	IRDAI/GA&HR/ORD/PER/67/03/2023	3/15/2023	GA&HR	Orders	Designating Central Public Information Officers under the Right to Information Act, 2005
84	IRDA/INT/CIR/MISP/083/03/2023	3/31/2023	Intermediaries	Circulars	Payment of Distribution Fees to Motor Insurance Service Provider
85	IRDAI/INT/CIR/MISC/82/3/2023	3/31/2023	Intermediaries	Circulars	Guidance note - Board policy of the insurer on the commission structure
86	IRDAI/ACTL/CIR/PRO/81/3/2023	3/31/2023	Actuarial	Circulars	Use and File Procedure for Products
87	IRDAI/I&AT/GDL/MISC/77/3/2023	3/31/2023	InsurTech	Guidelines	Guidelines on Operational Issues pertaining to the Regulatory Sandbox
88	IRDAI/I&AT/ORD/MISC/78/3/2023	3/31/2023	InsurTech	Orders	Committee on Regulatory Sandbox

REGULATIONS FRAMED UNDER THE IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2023

S.No.	Name of the Regulation
1	IRDA (The Insurance Advisory Committee) (Meeting) Regulations, 2000
2	IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000
3	IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000
4	IRDA (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000
5	IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000
6	IRDA (General Insurance-Reinsurance) Regulations, 2000
7	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000
8	IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000
9	IRDA (Obligations of Insurers to Rural Social Sectors) Regulations, 2000
10	IRDA (Meetings) Regulations, 2000
11	IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2000
12	IRDA (Investment) Regulations, 2000
13	IRDA (Conditions of service of Officers and other Employees) Regulations, 2000
14	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors-Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000
15	IRDA (Life Insurance - Reinsurance) Regulations, 2000
16	IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2001
17	IRDA (Third Party Administrators-Health Services) Regulations, 2001
18	IRDA (Re-Insurance Advisory Committee) Regulations, 2001
19	IRDA (Investments) (Amendment) Regulations, 2002
20	IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002
21	IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002
22	IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002
23	IRDA (Obligations of Insurers to Rural Social Sectors) Regulations, 2002
24	IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002
25	IRDA (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2002
26	IRDA (Protection of Policyholders' Interests) (Amendment) Regulations, 2002
27	IRDA (Manner of Receipt of Premium) Regulations, 2002
28	IRDA (Distributions of Surplus) Regulations, 2002
29	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2003
30	IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2004
31	IRDA (Qualification actuary) Regulations, 2004
32	IRDA (Obligations of Insurers to Rural / Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2004

REGULATIONS FRAMED UNDER THE IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2023

S.No.	Name of the Regulation
33	IRDA (Micro Insurance) Regulations, 2005
34	IRDA (Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Regulations, 2005
35	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2005
36	IRDA (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2007
37	IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2007
38	IRDA (Insurance Brokers) (Amendment) Regulations, 2007
39	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Third Amendment) Regulations, 2008
40	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Fourth Amendment) Regulations, 2008
41	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Second Amendment) Regulations, 2008
42	IRDA (Conditions of service of Officers and other Employees) (Amendments) Regulations, 2008
43	IRDA (Investment) (Fourth Amendment) Regulations, 2008
44	IRDA (Sharing of Database for Distribution of Insurance Products) Regulations, 2010
45	IRDA (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations, 2010
46	IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2010
47	IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2010
48	IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) 2011
49	IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011
50	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Third Amendment) Regulations, 2012
51	IRDA (Insurance Advisory Committee (Meetings) (First Amendment) Regulations, 2012
52	IRDA (Sharing of confidential information concerning domestic or foreign entity) Regulations, 2012
53	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Fourth Amendment) Regulations, 2013
54	IRDA (Appointed Actuary) (First Amendment) Regulations, 2013
55	IRDA (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013
56	IRDA (Insurance Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013
57	IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013
58	IRDA (Third Party Administrator-Health Services) (First Amendment) Regulations, 2013
59	IRDA (Standard Proposal Form for Life Insurance) Regulations, 2013
60	IRDA (Places of Business) Regulations, 2013
61	IRDA (Issuance of Capital by General Insurance Companies) Regulations, 2013
62	IRDA (Non-linked Insurance Products) Regulations, 2013
63	IRDA (Health Insurance) Regulations, 2013
64	IRDA (Linked Insurance Products) Regulations, 2013
65	IRDA (Investment) (Fifth Amendment) Regulations, 2013
66	IRDA (Life Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013
67	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors - Licensing, Professional requirements and code of conduct) (Amendment) Regulations, 2013

REGULATIONS FRAMED UNDER THE IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2023

S.No.	Name of the Regulation
68	IRDA (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013
69	IRDA (Web aggregators) Regulations, 2013
70	IRDA (Meetings) (First Amendment) Regulations, 2013
71	IRDA IAC (Meetings) (Second Amendment) Regulations, 2013
72	IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
73	IRDA (TPA-Health Services) (Second Amendment) Regulations, 2013
74	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Fifth Amendment) Regulations, 2013
75	IRDA (Licencing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations 2013
76	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors- Licensing, Professional requirements and code of conduct) (Second Amendment) Regulations, 2013
77	IRDA (Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Third Amendment) Regulations, 2014
78	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Sixth Amendment) Regulations, 2014
79	IRDA (Health Insurance) (First Amendment) Regulations, 2014
80	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015
81	IRDAI (Micro Insurance) Regulations, 2015
82	IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015
83	IRDAI (Fee for registering, cancellation or change of Nomination) Regulations, 2015
84	IRDAI (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015
85	IRDAI (Obligation of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015
86	IRDAI (Places of Business) Regulations, 2015
87	IRDAI (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015
88	IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015
89	IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social sectors) Regulations, 2015
90	IRDAI (Minimum Limits for Annuities and other Benefits) Regulations, 2015
91	IRDAI (Acquisition of Surrender and Paid up values) Regulations, 2015
92	IRDAI (Insurance Services by Common Service Centres) Regulations, 2015
93	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015.
94	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
95	IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2015
96	IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2015
97	IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance business) Regulations, 2015
98	IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance business) Regulations, 2015

REGULATIONS FRAMED UNDER THE IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2023

S.No.	Name of the Regulation
99	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (First Amendment) Regulations, 2016
100	IRDAI (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015
101	IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) (Seventh Amendment) Regulations, 2016
102	IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016
103	IRDAI (TPA- Health Services) Regulations, 2016
104	IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016
105	IRDAI (Qualification of Actuary) (Repeal) Regulations, 2016
106	IRDAI (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016
107	IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016
108	IRDAI (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016
109	IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2016
110	IRDAI (Loans or Temporary advances to the Full-time Employees of the Insurers) Regulations, 2016
111	IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business) Regulations, 2016
112	IRDAI (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2016
113	IRDAI (Issuance of e-Insurance Policies) Regulations, 2016
114	IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016
115	IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) (Eighth Amendment) Regulations, 2016
116	IRDAI Staff (Officers and Other Employees) Regulations, 2016
117	IRDAI (Investment) Regulations, 2016
118	IRDAI (Issuance of e-insurance policies) (First Amendment) Regulations, 2016
119	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (Second Amendment) Regulations, 2016
120	IRDAI (Payment of Commission or Remuneration or Reward to Insurance Agents and Insurance Intermediaries) Regulations, 2016
121	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) (First Amendment) Regulations, 2016
122	IRDAI (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) (First Amendment) Regulations, 2017
123	IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017
124	IRDAI (Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations, 2017
125	IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017
126	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (First Amendment) Regulations, 2017
127	IRDAI (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017
128	IRDAI (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2017

REGULATIONS FRAMED UNDER THE IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2023

S.No.	Name of the Regulation
129	IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018
130	IRDAI (Standard proposal form for Life Insurers) (Repeal) Regulations, 2018
131	IRDAI (Re-Insurance) Regulations, 2018
132	IRDAI (Insurance Brokers) (First Amendment) Regulations, 2018
133	IRDAI (Appointed Actuary) (Amendment) Regulations, 2019
134	IRDAI (Unit Linked Insurance Products) Regulations, 2019
135	IRDAI (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019
136	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) (Amendment) Regulations, 2019
137	IRDAI (Re-insurance Advisory Committee) Regulations, 2019
138	IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019
139	IRDAI (Common Public Services Centers) Regulations, 2019
140	IRDAI (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2019
141	IRDAI (Health Insurance) (Amendment) Regulations, 2019
142	IRDAI (Third Party Administrators - Health Services) (Amendment) Regulations, 2019
143	IRDAI (Minimum Information Required for Investigation and Inspection) Regulations, 2020
144	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (Amendment) Regulations, 2020
145	IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021
146	IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021
147	IRDAI (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021
148	IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) (First Amendment) Regulations, 2021
149	IRDAI (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021
150	IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022
151	IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022
152	IRDAI (Assets Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2022
153	IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2022
154	IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2022
155	IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022
156	IRDAI (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022
157	IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance business) Regulations, 2023
158	IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business) Regulations, 2023
159	IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023

LIST OF MICRO INSURANCE PRODUCTS OF LIFE INSURERS (AS AT MARCH 31, 2023)

S. No	Insurer	Individual Category	Group Category
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.		ABSLI Group Bima Yojana
2	Aegon Life Insurance Co. Ltd.		Aegon Life Group Micro Insurance Plan
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.		Group Microsurance Plan II
4	'Aviva Life Insurance Co. Ltd.		Aviva Group Micro Insurance Plan
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.		Bajaj Allianz Life Group Sampoorna Suraksha Kavach
			Bajaj Allianz Life Group Sampoorna Jeevan Suraksha
6	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	Bharti AXA Life Grameen Jeevan Bima	Bharti AXA Life Group Term Micro Insurance Plan
7	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.		Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Sampoorna Kavach Plan
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	Edelweiss Tokio Life – Raksha Kavach (Micro Insurance Plan)	Edelweiss Tokio Life – Jan Suraksha
9	HDFC Life Insurance Co. Ltd.		Jeevan Suraksha Term on Credit
			Group Suraksha
			Group Micro Term Insurance
10	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	ICICI Pru Sarv Jana Suraksh	ICICI Pru Shubh Raksha Credit
		ICICI Pru Anmol Bachat	ICICI Pru Shubh Raksha One
			ICICI Pru Shubh Raksha Life
11	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	IndiaFirst Life "INSURANCE KHATA" Plan (MicroInsuranceProduct)	
		IndiaFirst Life Micro Bachat Plan	
12	Kotak Mahindra Insurance Co. Ltd.	Kotak Sampooran Bima Micro-Insurance Plan	Kotak Raksha Group Micro Insurance Plan
13	Life Insurance Corporation of India	LIC's Bhagya Lakshmi [939]	LIC's One Year Renewable Group Micro Term Assurance Plan
		LIC's New Jeevan Mangal [940]	
		LIC's Micro Bhachat [951]	
14	Max Life Insurance Co. Ltd.		Max Life Group Saral Suraksha Plan (Micro Insurance Product)
15	PNB Metlife Life India Insurance Co. Ltd.		PNB MetLife Bima Yojana - (Group Micro Insurance)
16	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.		Pramerica Life Sarv Suraksha
			Pramerica Life Sampoorna Suraksha
17	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	Sahara Surakshit Pariwar Jeevan Bima	
		Sahara Sahayog	
18	SBI Life Insurance Co. Ltd.	SBI Life - Grameen Bima	SBI Life - Grameen Super Suraksha
			SBI Life - Group Micro Shield - SP
			SBI Life - Group Micro Shield
19	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	Shriram Grameena Suraksha	Shriram Jan Sahay
			Shriram Life Sujana
20	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	Tata AIA Life Insurance Saat Saath - Micro Insurance Product	
		Tata AIA Life Insurance POS Saat Saath - Micro Insurance Product	

NUMBER OF PRODUCTS AND RIDERS DURING 2022-23

S. No.	Life Insurers	Number of Products and Riders
Public Sector		
1	Life Insurance Corporation of India	16
Private Sector		
2	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	24
3	AEGON Life Insurance Co. Ltd	6
4	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	10
5	Aviva Life Insurance Co. Ltd	9
6	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	30
7	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	8
8	Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd.	11
9	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	5
10	Exide Life Insurance Co. Ltd	1
11	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	2
12	HDFC Life Insurance Co. Ltd	35
13	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	27
14	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	7
15	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd	16
16	Max Life Insurance Co. Ltd.	24
17	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	12
18	Pramerica Life Insurance Co. Ltd	3
19	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd	4
20	Sahara Life Insurance Co. Ltd.	0
21	SBI Life Insurance Co. Ltd.	11
22	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	7
23	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	7
24	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	25
Total		300

S. No.	General Insurer Name	Number of Products and Add-ons	
		General Insurance	Health Insurance
Public Sector			
1	National Insurance Co. Ltd.	32	15
2	The New India Assurance Co. Ltd.	117	5
3	The Oriental Insurance Co. Ltd.	30	9
4	United India Insurance Co. Ltd.	13	1
Private Sector			
5	Acko General Insurance Limited	1	3
6	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	215	19
7	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	94	5
8	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	257	11
9	Go Digit General Insurance Co. Ltd.	40	6
10	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	41	6
11	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	63	7
12	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	123	10
13	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	88	3
14	Kshema General Insurance Co. Ltd.		
15	Liberty General Insurance Co. Ltd.	27	3
16	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	52	5
17	Navi General Insurance Co. Ltd.	-	2
18	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	9	2
19	Reliance General Insurance Co. Ltd.	77	4
20	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	43	8
21	SBI General Insurance Co. Ltd.	255	5
22	Shriram General Insurance Co. Ltd.	12	18
23	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	31	26
24	Universal Sampo General Insurance Co. Ltd.	612	3
25	Zuno General Insurance Co. Ltd.	32	7
Specialized Insurers			
26	Agriculture Insurance Co of India Ltd	2	-
27	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	1	-
Standalone Health Insurers			
28	Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.	-	6
29	Care Health Insurance Ltd.	-	7
30	Manipal Cigna Health Insurance Co. Ltd.	-	2
31	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	-	8
32	Star Health and Allied Insurance Co Ltd	-	14
Grand Total		2267	220

Note: For detailed information about the products, please refer to IRDAI website

FEE STRUCTURE FOR INSURERS AND INTERMEDIARIES AND FEE COLLECTED IN 2022-23

S.No.	Insurer/ Intermediary	Fee structure				Total Fee collected (₹)
		Processing Fee	Registration Fee	Renewal Fee	Periodicity of Renewal	
1	Insurer (Life/General/Health)	-	500,000	1/20th of 1% of Gross Direct Premium written in India subject to a minimum of ₹10,00,000 and maximum of ₹10 crore	Every year (by January 31)	2,029,913,815
2	Reinsurer/FRBs	-	500,000	1/20th of 1% of the total premium in respect of facultative reinsurance accepted in India subject to a minimum of ₹5,00,000 and maximum of ₹10 crore	Every year (by January 31 for GIC Re) Every Year (by December 31 for FRBs)	22,234,950
3	Service Company of Lloyds	-	50,000	50,000	Every Year (by December 31)	
4	Amalgamation and transfer of General/ Life insurance business	1/10th of 1% of Gross Direct Premium written in India by the transacting entities during the financial year preceding the financial year in which the application is filed with the Authority subject to a minimum of ₹50 lakh and maximum of ₹5 crore		-	-	Nil
5	Third Party Administrator	100,000	200,000	150,000	3 years	1,800,000
6	Brokers-Direct	25,000	50,000*	100,000	3 years	26,159,350
	Brokers-Reinsurance	50,000	1,50,000*	300,000	3 years	
	Brokers-Composite	75,000	2,50,000*	500,000	3 years	
7	Surveyors and Loss Assessors (Individual and Corporate)	-	Individual: ₹1000, Corporate: ₹5000	i. Renewal Fee if application filed before 30 days from the date of expiry: Individual- ₹1000 Corporate – ₹5000 ii. Renewal fee if renewal application NOT filed 30 days before the date of expiry Individual – ₹1100 Corporate – ₹5100 iii. Renewal fee if renewal application filed after the date of expiry of license but within six months from the date of expiry of license: Individual -₹1750 Corporate -₹5750	3 years	4,836,630
8	Corporate Agents	10000#	i CoR for the entity: ₹25000 ii. Certificate to the PO/SP/AV: ₹500	CoR Renewal: ₹25000 Renewal of Certificate to PO/SP/AV: ₹500	3 Years	88,238,436
9	Web Aggregators	10,000	25,000	25,000	3 Years	240,100
10	Common Public Service Centre (CPSC)	-	10,000	2,000	3 Years	Nil
11	Referrals	-	10,000	10,000	3 Years	24,000
12	Insurance Marketing Firm	-	5,000	2,000	3 Years	825,473
13	Insurance Repository	10,000	100,000	50,000	3 Years	100,000
14	ISNP(Insurance Self-Network Platform)	0	10,000	-	-	770,000
	Total					2,175,142,754

* After grant of in-principle approval

Non Refundable Fee

CoR- Certificate of Registration

PO- Principal Officer, SP- Specified Person & AV- Authorised Verifier

INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (IALM) – 2012-14 STANDARD RATES- MALE INSURED LIVES THAT ARE MEDICALLY UNDERWRITTEN AT INCEPTION

Age	qx (Graduated)	Age	qx (Graduated)	Age	qx (Graduated)
2	0.000915	40	0.00168	78	0.051024
3	0.00047	41	0.001815	79	0.056231
4	0.000271	42	0.001969	80	0.061985
5	0.000185	43	0.002144	81	0.068338
6	0.000152	44	0.002345	82	0.07535
7	0.000149	45	0.002579	83	0.083082
8	0.000167	46	0.002851	84	0.091601
9	0.000206	47	0.003168	85	0.100979
10	0.000265	48	0.003536	86	0.111291
11	0.000341	49	0.003958	87	0.122616
12	0.000429	50	0.004436	88	0.135037
13	0.000522	51	0.004969	89	0.148639
14	0.000614	52	0.00555	90	0.163507
15	0.000698	53	0.006174	91	0.179726
16	0.00077	54	0.006831	92	0.19738
17	0.000829	55	0.007513	93	0.216547
18	0.000874	56	0.008212	94	0.237302
19	0.000905	57	0.008925	95	0.259706
20	0.000924	58	0.009651	96	0.283813
21	0.000934	59	0.010393	97	0.309659
22	0.000937	60	0.011162	98	0.337265
23	0.000936	61	0.011969	99	0.36663
24	0.000933	62	0.012831	100	0.397733
25	0.000931	63	0.013765	101	0.430529
26	0.000931	64	0.014792	102	0.46495
27	0.000934	65	0.015932	103	0.500904
28	0.000942	66	0.017206	104	0.538278
29	0.000956	67	0.018635	105	0.576942
30	0.000977	68	0.02024	106	0.616752
31	0.001005	69	0.02204	107	0.657553
32	0.001042	70	0.024058	108	0.699191
33	0.001086	71	0.026314	109	0.741515
34	0.00114	72	0.028832	110	0.784383
35	0.001202	73	0.031638	111	0.827673
36	0.001275	74	0.034757	112	0.871285
37	0.001358	75	0.038221	113	0.915145
38	0.001453	76	0.042061	114	0.959214
39	0.00156	77	0.046316	115	1

Note:

1. Age as on Last Birthday
2. qx(Graduated) Rates are Graduated Mortality Rates

INDIAN INDIVIDUAL ANNUITANT'S MORTALITY TABLE (2012-15) OVERALL/COMBINED MORTALITY RATES

**[Within the meaning of Regulation 4 of IRDAI
(Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016]**

Age	Graduated Mortality Rates	Age	Graduated Mortality Rates
20	0.000284	68	0.013447
21	0.000305	69	0.01484
22	0.000328	70	0.016393
23	0.000353	71	0.018128
24	0.000379	72	0.020067
25	0.000407	73	0.022236
26	0.000438	74	0.024662
27	0.000471	75	0.027379
28	0.000507	76	0.030422
29	0.000545	77	0.03383
30	0.000586	78	0.037651
31	0.000631	79	0.041932
32	0.000679	80	0.04673
33	0.000731	81	0.052106
34	0.000787	82	0.058127
35	0.000847	83	0.064868
36	0.000913	84	0.07241
37	0.000984	85	0.08084
38	0.001061	86	0.090252
39	0.001144	87	0.100746
40	0.001234	88	0.112428
41	0.001332	89	0.125408
42	0.001438	90	0.139798
43	0.001553	91	0.155712
44	0.001679	92	0.17326
45	0.001815	93	0.192548
46	0.001964	94	0.213673
47	0.002125	95	0.236719
48	0.002302	96	0.261749
49	0.002495	97	0.288807
50	0.002705	98	0.317906
51	0.002936	99	0.349031
52	0.003188	100	0.382129
53	0.003464	101	0.417111
54	0.003768	102	0.453851
55	0.004101	103	0.49219
56	0.004468	104	0.531933
57	0.004871	105	0.572866
58	0.005316	106	0.614755
59	0.005807	107	0.657357
60	0.006349	108	0.700435
61	0.006948	109	0.743762
62	0.007612	110	0.787136
63	0.008347	111	0.830382
64	0.009163	112	0.873364
65	0.01007	113	0.915987
66	0.011077	114	0.958198
67	0.012198	115	0.99999